छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

षष्ठम् विधान सभा **द्वितीय सत्र**

गुरुवार, दिनांक 22 फरवरी, 2024

(फाल्गुन 03, शक सम्वत् 1945)

[अंक 13]

Webcopy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

गुरूवार, दिनांक 22 फरवरी, 2024

(फाल्गुन 3, शक संवत् 1945)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

{अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए}

<u>तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर</u>

श्री भूपेश बघेल (पाटन) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के स्वप्नदृष्टा डॉ. खूबचंद बघेल जी की आज पुण्य तिथि है। मैं सदन की ओर से उन्हें नमन् करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- श्रीमती कविता प्राण लहरे।

प्रश्न संख्या : 01 **XX** **XX**

प्रश्न संख्या : 02 **XX** **XX**

प्रश्न संख्या : 03 **XX** **XX**

अध्यक्ष महोदय :- श्री गुरू खुशवंत साहेब।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, आज क्या बात है कि न प्रश्न करने वाले दिख रहे हैं और न उत्तर देने वाले मंत्री जी दिखाई दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- दोनों तरफ के सदस्य नहीं आये हैं। मंत्री जी हैं।

श्री भूपेश बघेल :- अच्छा, पंचायत विभाग के प्रश्न का जवाब आप दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- खुशवंत जी, आप प्रश्न करिये।

<u>जिला-रायपुर अंतर्गत संचालित उद्योगों द्वारा प्रदत्त रोजगार</u>

[वाणिज्य एवं उद्योग]

4. (*क्र. 410) श्री गुरू खुशवंत साहेब : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** मार्च 2021 से प्रश्न दिनांक तक जिला-रायपुर में कितने उद्योगों की स्थापना हेतु शासन / ग्राम पंचायत से स्वीकृति प्रदान की गई है? **(ख)** कंडिका "क" के तहत स्वीकृत उद्योगों के संचालन के लिए क्या-क्या नियम शर्तें हैं, शर्तों का पालन किया गया है कि नहीं, यदि नहीं तो क्यों?

उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है? **(ग)** कंडिका "क" के तहत स्वीकृत उद्योगों में कितने स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया है ?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : (क) मार्च 2021 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में रायपुर जिले में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा कुल 442 नवीन उद्योगों को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्रावधानों के तहत स्थापना हेतु सम्मति प्रदान की गई है। **विस्तृत विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ** पर दर्शित है। **(ख)** उत्तरांश "क" के तहत् उल्लेखित उद्योगों को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25/26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के प्रावधानों के अंतर्गत संचालन हेतु जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना एवं सतत् संचालन, प्रदूषकों का स्तर निर्धारित मानक सीमा के अनुरूप रखना, फ्यूजिटिव उत्सर्जन नियंत्रण व्यवस्था सुनिश्चित करना एवं वृक्षारोण किया जाना आदि प्रमुख शर्तों के साथ सम्मति दी जाती हैं। कंडिका "क" में उल्लेखित उद्योगों में उक्त शर्तों का उल्लंघन किया जाना नहीं पाया है, अतः कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** उत्तरांश "क" में वर्णित 442 नवीन उद्योगों में से 168 इकाईयों द्वारा उद्योग विभाग में पंजीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है या उत्पादन प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है। जिनके माध्यम से छत्तीसगढ़ के कुल 2103 मूल निवासियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। **विस्तृत विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब** पर संलग्न है।

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न संख्या 4 में उद्योग मंत्री जी से प्रश्न पूछा था, जिसका जवाब आया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से इसी प्रश्न में यह जानना चाहता हूं कि मेरे आरंग विधान सभा क्षेत्र में उद्योग की स्थापना हेतु स्वीकृत भू-खण्ड में उद्योगों की स्थापना हो चुकी है। भूमि आवंटन के पश्चात् कितनी समय-सीमा में उद्योग की स्थापना किया जाना होता है ? यिद समय-सीमा में उद्योग स्थापित नहीं किया जाता है तो संबंधित के ऊपर क्या कार्रवाई करने का प्रावधान है ? वर्ष 2021 से प्रश्न दिनांक तक ऐसे कितने प्रकरणों पर कार्रवाई की गई है और कुल कितनी राशि के उद्योग की स्थापना हेतु दी गई जमीन को विभाग द्वारा वापस किया गया है ? उद्योग की स्थापना हेतु किस प्रकार की हेल्थ सेफ्टी की अनुमति होती है ?

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी।

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उद्योग के लिए दी जाने वाली जमीन की समय-सीमा में सूक्ष्म उद्योग में 25 लाख रूपये से कम के संयंत्र के लिए 2 साल, लघु उद्योग में 5 करोड़ रूपये तक के मशीनरी निवेश के लिए 3 साल, मध्यम उद्योग में 10 करोड़ रूपये तक के मशीनरी निवेश के लिए 4 साल, वृहत उद्योग में 10 करोड़ रूपये से 100 करोड़ रूपये तक के संयंत्र लिए 5 साल, मेघा उद्योग में 100 करोड़ रूपये से 1000 करोड़ रूपये तक के संयंत्र के लिए 6 साल और अल्ट्रा मेघा

उद्योग के लिए 7 साल तक जमीन की अवधि रहती है। यदि वह उस अवधि में काम प्रारंभ नहीं करते हैं तो जमीन की वापसी की कार्रवाई की जाती है।

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या उद्योगों की स्थापना में नियोजित कर्मचारियों एवं मजदूरों का प्रतिवर्ष भौतिक सत्यापन किया जाता है ?

यहां हां, तो किस स्तर के अधिकारियों के द्वारा भौतिक सत्यापन कराया जाता है ?

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें इंस्पेक्टर के द्वारा निरीक्षण किया जाता है और जरूरत पड़ने पर जी.एम. स्तर के अधिकारी भी वहां पर निरीक्षण करने के लिए जाते हैं।

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन उद्योगों में स्थानीय लोगों को नौकरी देने का नियम है। उसके अनुसार मैंने प्रश्न पूछा था, जिसके जवाब में मुझे भिन्नता दिखाई देती है। जैसे मेरे आरंग विधान सभा क्षेत्र में सूर्या फीड्स प्राइवेट लिमिटेड, गोढ़ी, मंदिर हसौद, विकासखण्ड-आरंग, जिला-छत्तीसगढ़ के शासन द्वारा बताये गई मजदूरों की संख्या 22 है, जबकि वर्तमान में कार्यरत् मजदूरों की संख्या 40 पाई गई है तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या वहां पर सभी मजदूरों का E.P.F व G.P.F. काटा जाता है या मजदरों को इससे वंचित किया जाता है ?

उन्हें शासन की जो सुविधाएं देनी होती हैं, उसे आप देते हैं या नहीं देते हैं ?

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उद्योग विभाग के नियम के तहत् उनको जो-जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, हम वे सभी सुविधाएं देते हैं। यदि कहीं पर कोई कमी पाई जाती है तो माननीय सदस्य बताएंगे तो हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे।

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी में आरंग विधान सभा क्षेत्र में ऐसी कुछ जगहें हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को इसकी जानकारी दे दूंगा, जिन पर मंत्री जी कार्रवाई करने की कृपा करेंगे।

श्री लखन लाल देवांगन :- ठीक है।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न संख्या-5 डॉ. चरण दास महंत जी के स्थान पर राघवेन्द्र कुमार सिंह प्रश्न करेंगे ।

<u>स्थापनाओं तथा हितग्राहियों का पंजीयन</u>

[श्रम]

5. (*क्र. 2112) डॉ. चरण दास महंत : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत 31 दिसम्बर

2018 तथा 31 दिसम्बर 2023 की स्थिति में पंजीकृत स्थापनाओं तथा पंजीकृत हितग्राहियों (श्रमिक) की जिलावार संख्या (महिला/पुरूष/अन्य) क्या-क्या है?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 के अंतर्गत 31 दिसम्बर 2018 तथा 31 दिसम्बर 2023 की स्थिति में स्थापनाओ की पंजीयन का जिलेवार विवरण**संलग्न प्रपत्र-अ**[1] अनुसार है।मंडल अंतर्गत 31 दिसम्बर 2018 तथा 31 दिसम्बर 2023 की स्थिति में पंजीकृत महिला/ पुरूष/ अन्य निर्माण श्रमिकों की जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद । 31 दिसम्बर, 2018 की स्थिति में पंजीकृत स्थापनाओं की संख्या 1781 थी और 31 दिसम्बर, 2023 में 5006 थी । पिछले सरकार के कार्यकाल में पंजीकृत स्थापनाओं की संख्या में लगभग 3 गुना वृद्धि हो गई है और निर्माण श्रमिकों की संख्या 7,02,882 से वृद्धि होकर 23,96,159 हो गई है । यह एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि पंजीकृत संस्थानों में से कितने संस्थानों पर उपकर उद्गृहित किए गए हैं और कितने पर अब तक नहीं किए गए हैं और जिन संस्थानों पर उपकृत उद्गृहित नहीं किए गए हैं, उन पर कब तक कर दिए जाएंगे ?

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग के द्वारा लगातार काम किया जाता है, इसके कारण से संख्या भी बढ़ी है । इसमें लगातार कार्रवाई भी होती है । माननीय सदस्य जो पूछ रहे हैं कि जिन संस्थानों पर उपकृत उद्गृहित नहीं हो पाये हैं तो उसको जल्द से जल्द करा दिया जाएगा ।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बड़ा स्पेशिफिक है कि क्या हमारे पास कोई ऐसा डेटा है कि कितने संस्थानों पर अभी तक उपकृत उद्गृहित नहीं किए गए हैं और कितने संस्थानों पर नहीं किए गए हैं और कब तक हो जाएंगे ?

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य उपकर के संबंध में जो प्रश्न पूछ रहे हैं, वह इससे उद्भूत नहीं होता है ।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पंजीकृत संस्थानों की संख्या पूछी गई है, जो जवाब में दी गई है तो हमें इसी प्रश्न में यह पूछना चाहता हूं कि ऐसे और कितने संस्थान हैं, जिन पर उपकृत उद्गृहित नहीं किए गए हैं ?

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बार फिर से प्रश्न पूछिए, आवाज नहीं आया ।

---

[1] परिशिष्ट "दो"

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे कितने संस्थान् हैं, जिस पर उपकृत उद्गृहित किए गए हैं और ऐसे कितने संस्थान् हैं, जिन पर उपकर उद्गृहित नहीं किए गए हैं और जिन पर नहीं किए गए हैं, उन पर कब तक किए जाएंगे ?

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे निरीक्षकों की संख्या 300 है, जिसमें अभियोजन की..

अध्यक्ष महोदय :- आपके पास अभी जानकारी नहीं है तो जानकारी उपलब्ध करा देंगे ।

श्री लखनलाल देवांगन :- ठीक है ।

अध्यक्ष महोदय :- आपको जानकारी उपलब्ध करा देंगे ।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- जी ।

सी.एस.आर. मद से प्राप्त राशि

[वाणिज्य एवं उद्योग]

6. (*क्र. 2136) श्रीमती भावना बोहरा : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2021 से प्रश्नांकित अवधि तक जिला कबीरधाम में संचालित किन-किन उद्योगों द्वारा कितनी-कितनी राशि सी.एस.आर. मद में दी गई ? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें। **(ख)** सी.एस.आर. मद में उद्योगों द्वारा राशि देने हेतु तथा प्राप्त राशि को व्यय करने के क्या-क्या नियम/मापदंड निर्धारित हैं? इस मद से प्राप्त राशि, किसके अनुमोदन से, किन-किन कार्यों में व्यय की जा सकती है? प्रश्नांकित अवधि में प्राप्त राशि किन-किन कार्यो में व्यय की गई? वर्षवार जानकारी, कार्यों की अद्यतन स्थिति सहित उपलब्ध करावें। **(ग)** क्या प्रश्नांश 'क' की प्राप्त राशि को प्रभावित ग्रामों में खर्च नहीं करने एवं किये गये कार्यों में अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई है ? यदि हाँ, तो क्या-क्या शिकायतें कहाँ-कहाँ से प्राप्त हुई एवं प्राप्त शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : (क) वर्ष 2021 से प्रश्नांकित अवधि तक जिला कबीरधाम में संचालित उद्योगों द्वारा सी.एस.आर. मद में राशि नहीं दी गई है। अतः जानकारी निरंक मान्य किया जावे। **(ख)** सी.एस.आर. मद में उद्योगों द्वारा राशि देने हेतु तथा प्राप्त राशि को व्यय के संबंध में भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम-2013 (2013 का 18) की धारा 135 और धारा 469 की उपधारा (1) और उपधारा (2) में दिशा-निर्देश दिये गये हैं। इसी संबंध में वर्ष 2021 में भारत सरकार द्वारा किये गये संशोधन के माध्यम से सीएसआर मद की राशि व्यय के संबंध में नवीन निर्देश दिये गये हैं, जिसके अंतर्गत इस मद में उपलब्ध राशि को शासन के माध्यम से उपयोग हेतु इच्छुक कंपनियों हेतु निर्देशछत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के पत्र क्रमांक एफ 20-

110/2019/11/6 दिनांक 22.03.2022 द्वारा दिशा- निर्देश **विस्तृत विवरण जानकारी संलग्न[2] प्रपत्र** जारी किये गये है। उत्तरांश "क" अनुसार प्रश्नांकित अवधि में जिला कबीरधाम में संचालित उद्योगों द्वारा सी.एस.आर. मद में राशि नहीं दिये जाने के कारण वर्षवार जानकारी, कार्यों की अद्यतन स्थिति निरंक मान्य किया जावे। **(ग)** उत्तरांश "क" अनुसार जानकारी निरंक मान्य किया जावे।

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है, मैं सीधे प्रश्न पर ही आना चाहूंगी क्योंकि विषय की जो जानकारी चाही गई थी, वह इसमें बताया गया है कि सी.एस.आर. से संबंधित कोई फंड नहीं आया है । मैं यही पूछना चाहूंगी कि सी.एस.आर. अंतर्गत जो फंड आते हैं या जिले में जो काम किये जाते हैं, उसका क्राईटेरिया क्या होता है ?

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सी.एस.आर. मद पहले राज्य शासन में आता था, उसको भारत शासन ने अभी बंद कर दिया है । सीधा कम्पनी के द्वारा क्षेत्र के निवासियों की मांग के अनुसार वे काम करते हैं । हम लोगों के पास सी.एस.आर. फंड नहीं आता, इसमें हम लोगों को अधिकार भी नहीं है।

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सी.एस.आर. फंड की कोई वेलिडिटी होती है कि अगर कोई फंड आ रहा है तो उसको इस तिथि से इस तिथि तक आपको खर्च करना है या फंड आने की प्रक्रिया क्या है ?

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया कि यह सी.एस.आर. फंड भारत सरकार के अधीन होता है और भारत सरकार के निर्देश पर कम्पनी अधिनियम में संशोधन कर दिया गया है और उसके तहत हम लोगों के पास सी.एस.आर. फंड नहीं आता, पहले वह कलेक्टर के पास जाता था, अब वह बंद कर दिया गया है । अगर आपको प्रश्न करना है तो भारत सरकार से आप पत्र लिख सकते हैं क्योंकि हम लोगों के अधिकार क्षेत्र में सी.एस.आर. फंड नहीं है ।

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार तक पहुंचने का माध्यम आप ही हैं तो आप ही इस पर प्रकाश डालें तो ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि जो संशोधन है, वह क्या संशोधन है क्योंकि मेरी जानकारी में नहीं है । अगर आप सदन के माध्यम से अवगत करा पाएंगे तो बेहतर होगा ।

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया कि हम लोगों का अधिकार खतम कर दिया गया है तो उसका जवाब मैं ज्यादा नहीं दे पाऊंगा क्योंकि हम लोगों को उसका अधिकार है ही नहीं ।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा परेशानी हमारे क्षेत्र में है। जो औद्योगिक घराने हैं, जो उद्योग हैं, ये सी.एस.आर. मद का पैसा इमानदारी इम्पलीमेंट नहीं करते हैं। उन क्षेत्रों में सी.एस.आर. मद का पैसा खर्च नहीं करते हैं। दूसरी

[2] परिशिष्ट "तीन"

जगहों पर खर्च करते हैं या उसमें गडबड़ करते हैं। अगर वह ठीक तरीके से सी.एस.आर. मद को खर्च नहीं कर रहे हैं तो उसमें उद्योगों पर क्या कार्यवाही का प्रावधान है ?

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें सी.एस.आर. मद की राशि खर्च करने का अधिकार नहीं दिया गया है, वह भारत सरकार के अधीन है तो हम उसके ऊपर क्या कार्यवाही कर सकते हैं।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय मंत्री जी, निरंकुश रहेंगे। क्या उन पर राज्य शासन कोई अंकुश नहीं लगा पायेगा ?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि श्रीमती भावना बोहरा के प्रश्न में मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि सन् 2021 से बंद कर दिया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या आप भारत सरकार से फिर से आग्रह करेंगे ? क्योंकि उस समय परिस्थितियां कुछ और थीं उसके कारण से यह फैसला लिया गया। तो क्या आप फिर से भारत सरकार से आग्रह करेंगे कि सी.एस.आर. मद जैसा पहले संचालित होता था, राज्य सरकार और कलेक्टर के माध्यम से उस पर निगरानी किया जाता था। जैसा कि अनुज शर्मा जी ने कहा कि वह सी.एस.आर. मद का खर्च बता देते हैं, लेकिन वास्तव में वहां खर्च नहीं होता है। तो क्या आप फिर से भारत सरकार से आग्रह करेंगे कि सी.एस.आर. मद जैसे पहले संचालित होता था, उसी प्रकार से संचालित हो ?

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि आप कहे तो भारत सरकार का जो निर्देश है, वह पढ़कर बता दूं ?

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, उनका दूसरा प्रश्न है। उनका कहना है कि क्या आप आग्रह करेंगे कि जो निर्देश केन्द्र सरकार ने दिया था, उसको पूर्ववत् जारी रखेंगे ? क्या आप ऐसा कोई पत्र केन्द्र सरकार को लिखने वाले हैं या लिखेंगे ? ऐसा उनका प्रश्न है। हां या नहीं में बता दीजिये ।

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग भारत सरकार को लिखेंगे कि हमको अधिकार दें।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सी.एस.आर. मद का पैसा जो उद्योगवाला है या जो उद्योगपति है, अगर कोई पैसा देगा तो उसका कार्य एजेंसी कौन रहेगा ? वह उद्योगपति रहेगा या कलेक्टर रहेगा ?

श्री भूपेश बघेल :- वह आपके अधीन ही नहीं है। पहले था, अब नहीं है। इसीलिए तो मैंने कहा कि भारत सरकार से अनुरोध करके फिर से जो पुरानी व्यवस्था है, उसको लागू कर दिया जाये। ताकि जनप्रतिनिधि भी अपने हिसाब से विकास काम करा सकें।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, मैंने सवाल का जवाब पूछा था, जो जवाब आया है उसमें काफी अनियमितताएं दिख रहीं हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने सही प्रश्न उठाया है। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे विन्रमतापूर्वक यह जानना चाहता हूं कि पहले कलेक्टर को सी.एस.आर. मद का पैसा आता था। अब वह बंद कर दिया है, आप बोल रहे हैं। तो वह पैसा कैसे देता है, किससे पूछकर देता है और कौन सी एजेंसी से काम होता है ? अगर आपको जानकारी हो तो बताईयेगा ताकि हम लोग वैसे ही मिलेंगे कि हमारे गांव का कौन सा काम कौन करेगा, यह पूछकर बताना पड़ेगा ?

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया कि हमें अधिकार नहीं है और वह अधिकारी कंपनी को ही दे दिया गया है। वह उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि से बातचीत करके काम कराते हैं और उस हिसाब से काम हो रहा है। बाकी पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा तो हम निश्चित तौर पर भारत सरकार से पत्राचार करेंगे कि वह अधिकार हमें दे तो काम हो सकता है।

श्रीमती भावना बोहरा :- मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि अगर हमारे क्षेत्र में कोई कम्पनी है और उस पर ना राज्य सरकार का अधिकार है ना वहां के स्थानीय प्रतिनिधि का अधिकार है ना कलेक्टर का अधिकार है तो फिर उसका अधिकार किसका है ? यह बताने का कष्ट करेंगे। जैसा कि अभी आपने कहा कि उस कम्पनी पर हमारा अधिकार नहीं है तो उस कम्पनी मे किसका अधिकार है ? यदि हमें कहीं एप्रोच करना है तो सीधे भारत सरकार के पास नहीं जा सकते, हमको किसी चैनल के द्वारा ही जाना पड़ेगा। तो उस पर अधिकार किसका है ?

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा कि उस पर भारत सरकार का अधिकार है। यदि भारत सरकार ने उस अधिनियम में संशोधन किया है तो उसके हम उसके लिए भारत सरकार से मांग करेंगे कि वह अधिकार हमें दें ताकि हमारी जनप्रतिनिधि अपने मन मुताबिक काम करा सकें।

प्रश्न संख्या : 7 XX XX

<u>जनपद पंचायतों में स्वीकृत कार्यों की कंटेंजेंसी राशि की कटौती</u>

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

8. (*क्र. 1990) श्री कुंवर सिंह निषाद : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** जिला बालोद की जनपद पंचायतों में निर्माण कार्यों की कुल राशि का कितना प्रतिशत कंटेंजेंसी काटने का नियम है? **(ख)** निर्माण कार्यों की काटी हुई कंटेंजेंसी राशि का कितना

प्रतिशत ग्राम पंचायत/ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग (आर.ई.एस.) एवं जनपद पंचायत को रखने का अधिकार है? **(ग)** दिनांक 01 मई, 2021 से दिनांक 01 जनवरी, 2024 तक ग्राम पंचायतों को कितने प्रतिशत कंटेंजेंसी की राशि दी गई है? यदि नहीं तो क्यों?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) :(क) ग्राम पंचायतों के माध्यम से क्रियान्वयित किये जाने वाले निर्माण कार्यों के प्राक्कलन में 2 प्रतिशत आकस्मिक व्यय का प्रावधान है। **(ख)** निर्माण कार्यों में प्रावधानित आकस्मिक व्यय (कंटेंजेंसी) 2 प्रतिशत में से 1 प्रतिशत ग्राम पंचायत तथा शेष 1 प्रतिशत में से आधी-आधी राशि जनपद पंचायत एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग (आर.ई.एस.) को देय है। **(ग)** जिला बालोद में दिनांक 01 मई, 2021 से दिनांक 01 जनवरी, 2024 तक ग्राम पंचायतों को 1 प्रतिशत कंटेंजेंसी की राशि दी गई है।

श्री कंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायतों साथ ही जनपद, आर.ई.एस को कंटेनजेंसी के माध्यम से प्राप्त होता है, मिसलेयिस खर्च के नाम से कटौती की जाती है। मैंने माननीय मंत्री जी से प्रश्न किया था, उनका जवाब भी आया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जो राशि ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और आर.ई.एस. को प्राप्त होता है, उसका उपयोग किस मद में किया गया है ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कंटिनजेंसी मद के संदर्भ में पूछा है, चूंकि सभी कामों के लिये कंटिनजेंसी नहीं काटा जाता है । कुछ कामों में काटा जाता है और 2 प्रतिशत राशि है, उसमें 1 प्रतिशत ग्राम पंचायत को और 1 प्रतिशत में से आधा जनपद पंचायत को और आधा प्रतिशत निर्माण एजेंसी आर.ई.एस. को मिलता है । ग्राम पंचायत हो, जनपद हो या आर.ई.एस. यह राशि बहुत कम होता है, जैसे ले आऊट करना है, चूना खरीदना है, रस्सी खरीदना है, धागा खरीदना है, खिला गाड़ना है, इस प्रकार के कामों में इसका उपयोग किया जाता है ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो राशि पंचायतों को, आर.ई.एस. को और जनपद को मिलता है, उसमें एक शिकायत आई है कि बिल व्हाऊचर लगाकर उस राशि का जो दुरूपयोग किया जा रहा है, उसके माध्यम से जनपद के अधिकारी, कर्मचारी, इसमें संलिप्त पाये गये हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि क्या राशि के खर्च का आडिट किया गया है और किया गया है तो कब किया गया है ? यह बतायें ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया है कि राशि बहुत ही कम रहती है, बालोद एक विकासखंड है, उसको कंटिनजेंसी मद का मात्र 30 हजार रूपया प्राप्त हुआ है । मुझे लगता है कि यह बहुत कम राशि है, जनपद के सभी कार्यों में नियमानुसार साल भर में आडिट तो होता ही है, कहीं कोई स्पेसिफिक भ्रष्ट्राचार हुआ है, उसको आप बताईये, जांच करायेंगे ?

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले कंटिनजेंसी में जिला खनिज न्यास के तहत ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, आर.ई.एस. को राशि दी जाती थी । अभी विगत साल भर से यह राशि नहीं दिया जा रहा है तो फिर उस राशि का उपयोग कहां पर किया जा रहा है और किस काम में किया जा रहा है ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी गौड़ खनिज की जो राशि है, उसमें कंटिनजेंसी नहीं काटी जाती है, उसका उपयोग कहां पर किया जा रहा है, यह सवाल ही नहीं उठता है ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कट रहा था, लेकिन वर्तमान में अब क्यों नहीं कट रहा है, मेरा यह स्पेसिफिक प्रश्न है । यदि नहीं कट रहा है तो जिला स्तर पर जो राशि जमा हो रही है, उसका उपयोग किस काम के लिये किया जा रहा है ? मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के कुछ गाईड लाईन्स है, जिसके तहत मनरेगा, गौड़ खनिज, एस.बी.एम., मूलभूत, प्रधानमंत्री आवास, ऐसी योजनाओं को जो केन्द्र प्रवर्तित या केन्द्र से रिलेटेड हैं, जो विधायक निधि है, सांसद निधि है, इन सब में कंटिनजेंसी काटने का प्रावधान नहीं है ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- अध्यक्ष महोदय, सांसद निधि में तो नहीं है, यह तो ठीक है । मैंने आपसे स्पेसिफिक प्रश्न यह किया है कि डी.एम.एफ. से जो कटता था, वह राशि यदि कटा हुआ है, जनपद आर.ई.एस. और ग्राम पंचायत को तो नहीं मिला है, जो राशि कटे हुये हैं, जो जिला में है, उस राशि का उपयोग किस मद में हुआ है, यह जानना चाहते हैं ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी जिम्मेदारी से जवाब दे रहा हूं कि गौड़ खनिज मद की राशि कंटिनजेंसी नहीं कट रही है, अगर कट रही है तो मुझे बताईये ? हम उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- कटता है, महोदय । राशि कटती है, जनपदों को आता था, इस साल नहीं आया है, मैं इसी बारे में जानना चाहता हूँ । जो राशि कटी है, उस राशि का उपयोग कहां किया जा रहा है और उस राशि कहां जमा है, माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूँ ?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप गौड़ खनिज का उत्तर दे रहे हैं, यह डी.एम.एफ. का बोल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फण्ड है, उसमें 2 परशेंट कटता है और फिर ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर, प्रदेश लेवल पर आता है । वह राशि ब्लाकों में वितरित नहीं हुआ है, यह प्रश्न है । पहली बात डी.एम.एफ. में कटता है कि नहीं कटता है ? इनहोंने मेजर मिनरल और माईनर मिनरल दोनों

को मिलाकर पूछा है, आप केवल माइनर मिनरल की बात कर रहे हैं । यह डी.एम.एफ. फण्ड की पूछ रहे हैं, कटता है कि नहीं कटता है ? यदि कटता है तो राशि क्यों नहीं गई ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, डी.एम.एफ. की जानकारी नहीं आई है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, मंत्री जी जानकारी उपलब्ध करवा देंगे।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- जी, मैं उसकी जानकारी लेकर आपको उपलब्ध करवा दूंगा।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं और यह यहां पर उत्तर लेकर नहीं आते हैं। इसमें व्यवस्था आनी चाहिए कि जो प्रश्न लगा है, उसका उत्तर आये।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय :- यह गंभीर मामला है इसलिये मंत्री जी कह रहे हैं वह जानकारी उपलब्ध करवा देंगे।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- अध्यक्ष महोदय, मैं डी.एम.एफ. की जानकारी लेकर आपको दे देता हूं।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, उसमें आधे घण्टे की चर्चा करा लीजिये।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- अध्यक्ष महोदय, उसमें चर्चा की बात नहीं है। चूंकि डी.एम.एफ. भी खनिज से संबंधित है और मैंने पहले ही बताया है कि डी.एम.एफ. की निर्माण एजेंसी में कंटेंजेंसी का प्रावधान नहीं है, यदि कोई प्रावधान है तो आप मुझे बताईये।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये ठीक है। श्री सुशांत शुक्ला।

<u>जिला-बिलासपुर अंतर्गत सी.एस.आर. मद से प्राप्त राशि के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतें</u>

[वाणिज्य एवं उद्योग]

9. (*क्र. 2087) श्री सुशांत शुक्ला : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बिलासपुर जिला अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 से दिनांक 25 जनवरी, 2024 तक किन-किन उद्योगों द्वारा कितनी-कितनी राशि सी.एस.आर. मद में दी गई? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें । **(ख)** सी.एस.आर. मद में राशि देने हेतु उद्योगों के लिए क्या नियम है तथा प्राप्त राशि को व्यय करने के लिए क्या-क्या नियम/मापदण्ड निर्धारित हैं ? उक्त मद से प्राप्त राशि, किसके अनुमोदन सेएवं किसकी निगरानी में किन-किन कार्यों में व्यय की जा सकती है ? प्रश्नांकित अवधि में प्राप्त राशि किन-किन कार्यों में कहाँ-कहाँ व्यय की गई ? वर्षवार जानकारी कार्यों की अद्यतन स्थिति सहित उपलब्ध करावें । **(ग)** क्या प्रश्नांश "क" की प्राप्त राशि प्रभावित ग्रामों में खर्च नहीं करने तथा किये गये

कार्यों में अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हाँ तो कहाँ-कहाँ से प्राप्त हुई हैं एवं क्या कार्यवाही हुई ? जानकारी प्रदान करें ।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) :(क) बिलासपुर जिला अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 से दिनांक 25 जनवरी, 2024 तक उद्योग मेसर्स एनटीपीसी एवं मेसर्स एसईसीएल द्वारा सी.एस.आर. मद में किये गये कार्य एवं व्यय का वर्षवार **विस्तृत विवरण जानकारी संलग्न प्रपत्र**[3] पर दर्शित है। **(ख)** सीएसआर की राशि उद्योगो से लेने एवं उसको खर्च करने की प्रक्रिया कंपनी अधिनियम 2013 तथा कंपनी (कार्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम 2014 का यथासंशोधित के द्वारा प्रशासित होती है। कलेक्टर के अनुमोदन से एवं कलेक्टर द्वारा नियुक्त एजेंसी के निगरानी में व्यय की जाती है। प्रश्नांकित अवधि में प्राप्त एवं व्यय राशि तथा किये गये कार्यो की **विस्तृत विवरण जानकारी संलग्न प्रपत्र** पर दर्शित है। **(ग)** कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

श्री सुशांत शुक्ला :- अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आज मेरा भी प्रश्न सी.एस.आर. मद से संबंधित है। मेरे प्रश्न का लिखित में जवाब आया है परंतु उसमें कुछ व्यावहारिक लेख होना है। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि सी.एस.आर. मद से राशि व्यय करने हेतु प्रतिवर्ष अप्रैल माह में राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड और जिला निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की बैठक होना आवश्यक है। यह मैं नहीं कहता, यह राज्य सरकार का वर्ष 2002 और वर्ष 2022 का सर्कुलर कहता है। उसमें स्पष्ट तौर पर उल्लेखित है कि किन-किन जनप्रतिनिधियों को वहां पर प्रश्नांकित करते हुए उनकी मांग को समायोजित करने का भी प्रावधान है परंतु पिछली सरकार में या उससे पूर्ववर्ती सरकार में कभी भी कलेक्टरों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों की बैठक लेकर सी.एस.आर. संबंधी विषयों पर उनसे मांग नहीं मांगी। मैं इसमें माननीय मंत्री जी का जवाब जानना चाहता हूं।

श्री लखनलाल देवांगन :- अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही उत्तर में कहा है कि हमको सी.एस.आर. मद का अधिकार नहीं है। अब उसके लिये हम भारत सरकार से निवेदन करेंगे कि हमको अधिकार दें। इनका प्रश्न वही है, जिसका मैंने पहले उत्तर दिया है। अब उसका अधिकार हमारे पास नहीं है तो मैं उसका पूरा जवाब तो नहीं दे सकता।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रीमती भावना बोहरा जी के प्रश्न में मंत्री जी के जवाब में परिशिष्ट-3 में स्पष्ट उल्लेख है और पत्र की तारीख 22 मार्च, 2022 है। इसमें मनोज पिंगुआ जी के द्वारा हस्ताक्षरित जवाब है और जिसमें राज्य प्रोत्साहन बोर्ड और जिला प्रोत्साहन निवेश बोर्ड की कंडिका-2 के अधीन क्रमांक-3 में लिखा गया है कि प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम सप्ताह में सी.एस.आर. कार्यों हेतु कार्ययोजना बनाई जाये। इस हेतु जिले में कार्यरत कंपनियों के प्रतिनिधि, सभी संबंधित

[3] परिशिष्ट "चार"

हितधारकों एवं जनप्रतिनिधियों से समन्वय कर वित्तीय वर्ष हेतु एक कार्ययोजना तैयार की जायेगी, जिसमें सी.एस.आर. मद में प्राप्त होने वाली राशि और प्रस्तावित कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया जाना होना सुनिश्चित करें।

यह आप ही सरकार का पत्र कह रहा है और वह भी वर्ष 2022 में अधिकारी द्वारा जारी किया गया है।

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 22 जनवरी, 2021 में भारत सरकार ने सी.एस.आर. में संशोधन किया है और उसके बाद अब जो माननीय सदस्य बता रहे हैं, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। वह हमारे उत्तर में नहीं दिया गया है। मैंने पहले ही बताया था कि उक्त पत्र में राज्य सरकार सी.एस.आर. की राशि प्राप्त होने पर निवेश बोर्ड यदि हम लोग को कंपनी राशि देगी तब हम हमारे बोर्ड के माध्यम से उसको करेंगे नहीं तो कंपनी को ही अधिकार दे दिया गया है कि आप उस काम को कर सकते हैं। वैसे उससे अच्छा है कि जनप्रतिनिधि बातचीत करके बहुत सारे काम कराते हैं। हम लोग भी जब पार्षद और महापौर थे तब अधिकारियों से निवेदन करके काम कराते थे या कंपनी से बातचीत करके काम कराते थे। आज भी कंपनियों से बातचीत करते हैं। उस काम को इस तरह से कराया जा सकता है। बाकी जो नियम है, हम उसके लिये भारत सरकार से जरूर मांग करेंगे ताकि हमको उसका अधिकार मिल सके।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2002 के परिपत्र में कलेक्टर को संबंधित जिला निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का अध्यक्ष माना गया है। वैसे ही राज्य में प्रमुख सचिव को अध्यक्ष माना गया है। मैं माननीय मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट हूं और वह यह कह रहे हैं परंतु मेरे पास 22 मार्च, 2022 का पत्र इसी परिशिष्ट में है। पूर्ववर्ती सदस्य के जवाब के रूप में सरकार ने प्रस्तुत किया है और मेरी आपत्ति इस बात पर है कि यह पत्र मेरे हाथ में है जो साऊथ स्टील कोल फिल्ड लिमिटेड बिलासपुर के मुख्यालय द्वारा जारी किया गया है। बस्तर, बीजापुर, कांकेर, महासमुंद, नारायणपुर, पत्र है 03.03.2019 का। जिसमें 79.82 करोड़ रूपये कार्यक्षेत्र से बाहर जाकर सी.एस.आर. मद से जारी किया गया है। क्या सिर्फ कलेक्टरों को [xx] की व्यवस्था सरकार द्वारा सुनिश्चित की गयी है या पूर्ववर्ती सरकार के माध्यम से बनी आ रही है। मैं इस पर मंत्री जी का जवाब जानना चाहता हूं।

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही बताया कि राज्य सरकार के पास हमारे जो बोर्ड हैं, अगर उसमें कंपनी पैसा जमा करती हैं तो निश्चित तौर पर हमारे कलेक्टर के माध्यम से या जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनके माध्यम से हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करके, उसका उपयोग करेंगे। बाकी अभी तो हमें अधिकार ही नहीं है तो मैं उसके बारे में नहीं बता सकता हूँ।

श्री सुशान्त शुक्ला :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल आपके माध्यम से एक मांग करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में सरकार के पास जो पत्राचार के दृष्टांत का अभाव है, उसको पूर्ण किया

जाये। वहां कलेक्टर की अध्यक्षता में जो समिति बनी है, साल के अप्रैल माह में जनप्रतिनिधियों से स्पष्ट तौर पर राय लें और तब यह राशि वितरीत, सुनिश्चित की जाये। मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूँ कि माननीय मंत्री जी यह व्यवस्था देना चाहेंगे ?

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले हमें अधिकार मिल जाए, उसके बाद में हम उसका गठन करेंगे।

जिला रायगढ़ अंतर्गत उद्योगों को दिये जाने वाला अनुदान

[वाणिज्य एवं उद्योग]

10. (*क्र. 1910) श्रीमती विद्यावती सिदार : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या उद्योग विभाग द्वारा प्रदेश में संचालित उद्योगों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अनुदान दिया जाता है? यदि हां,तो कितना-कितना अनुदान, किस-किस योजना के अंतर्गत, किस कार्य हेतु दिया जाता है ? **(ख)** वर्तमान में जिला रायगढ़ अंतर्गत स्थित किन-किन उद्योगों को कितना-कितना अनुदान किस-किस कार्य हेतु दिया जा रहा है?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) :(क) जी हाँ, उद्योग विभाग द्वारा प्रदेश में संचालित उद्योगों को औद्योगिक नीति-2019-24, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के अंतर्गत अनुदान प्रदान जाता है। औद्योगिक नीति 2019-24 अंतर्गत प्रदान किये जाने वाले अनुदान एवं योजना का नाम **विस्तृत विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ** पर संलग्न है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना अंतर्गत 5-8 प्रतिशत ब्याज अनुदान एवं 10-25 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना अंतर्गत प्रदान किये जाने वाले अनुदान एवं अनुदान की मात्रा की जानकारी **विस्तृत विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब** पर संलग्न है । **(ख)** वर्तमान में जिला रायगढ़ में स्थित उद्योगों को प्रदान किये जा रहे अनुदान की जानकारी **विस्तृत विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स** पर संलग्न है। उद्योग का नाम, अनुदान की मात्रा एवं उत्पाद का नाम **विस्तृत विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स** के कॉलम क्रमशः 3, 5 एवं 4 पर दर्शित है।

श्रीमती विद्यावती सिदार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न जिला रायगढ़ से संबंधित है। मैंने उद्योग विभाग द्वारा प्रदेश में संचालित उद्योगों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अनुदान के संबंध में प्रश्न किया था। इसमें माननीय मंत्री जी का उत्तर आ गया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के अंतर्गत मेरे रायगढ़ जिला एवं मेरे विधान सभा क्षेत्र के कितने स्वरोजगार के तहत ऋण हेतु आवेदन प्राप्त हुए हैं ? मैं इसकी जानकारी चाहती हूँ ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे एवं मेरे विधान सभा क्षेत्र के स्वरोजगार योजना में ऋण हेतु प्राप्त हुए कितने आवेदकों को स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराया गया है ? इसमें कितने आवेदन लंबित हैं और लंबित आवेदकों को शासन की इन योजनाओं का लाभ प्रदान करने हेतु कब तक कार्यवाही की जायेगी ? इसके संबंध में बताने की कृपा करेंगे ?

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या जो पूछ रही हैं उन्हें पूरी सूची उपलब्ध करवा दी गई है। अगर यहां पर पढ़कर बताने की अनुमति होगी तो मैं यह सूची पढ़कर बता देता हूँ। जो उन्होंने प्रश्न पूछा है, उसकी पूरी सूची उपलब्ध कराई गई है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं कि इसमें सूची उपलब्ध है। आप उसे पढ़ लीजिए। आप और आगे अगला प्रश्न कर लीजिए।

श्रीमती विद्यावती सिदार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट नहीं हूँ। इसलिए फिर उसे उस प्रश्न का जवाब चाहती हूँ। क्या है कि जितनी भी सूची उपलब्ध है उसमें आपके द्वारा सही जानकारी नहीं दी गई है। इसलिए फिर से मैं, आपसे प्रश्न कर रही हूँ।

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको जो इसकी सूची उपलब्ध करायी गई है, उसमें आपको कोई कमी है, आप उसे बतायेंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें सवाल यही है कि जितने कार्य स्वीकृत हो गये, उसमें कोई बात नहीं है, जो इसमें लंबित हैं, उसको कब तक पूरा कर देंगे। इसमें कितने आवेदन लंबित है, उनका यह स्पेसिफिक प्रश्न है।

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, जो इसमें लंबित हैं, उसकी भी सूची दी गई है जो लंबित प्रकरण हैं, उसे हम एक महीने के अंदर पूरा कर देंगे।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। माननीय मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट हैं। मंत्री जी का कहना है कि हम लंबित प्रकरणों को एक महीने के अंदर पूरा कर लेंगे।

श्रीमती विद्यावती सिदार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक है।

<u>जिला-सरगुजा में विभिन्न अपराधों के दर्ज प्रकरण</u>

[गृह]

11. (*क्र. 1654) श्री रामकुमार टोप्पो : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- जिला सरगुजा अंतर्गत पिछले 03 वर्षों में बलात्कार, हत्या, चोरी, डकैती, मानव तस्करी

व हरिजन अत्याचार के कितने प्रकरण दर्ज हैं? क्या उक्त दर्ज बलात्कार के प्रकरण पर घटना की सत्यता की जांच की गई है? यदि नहीं तो क्या ऐसे प्रकरणों में निर्दोष के हित में पुनः सत्यता की जांच कराने हेतु निर्देशित करेंगे ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) :प्रश्नाधीन अवधि में जिला सरगुजा अन्तर्गत बलात्कार के 468, हत्या के 175, चोरी के 1512, डकैती के 07, मानव तस्करी के 08 एवं अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत 50 प्रकरण दर्ज हैं। जी हां, शेषांश उपस्थित नहीं होता है।

श्री रामकुमार टोप्पो :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न गृह विभाग में माननीय उप मुख्यमंत्री जी से है। सदन में वह उपस्थित नहीं हैं तो मैं यह जानना चाहूंगा कि मेरे प्रश्न का उत्तर कौन देंगे ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी अधिकृत हैं। वह जवाब देने के लिए सक्षम हैं। आप अपना प्रश्न करिये।

श्री रामकुमार टोप्पो :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह जानकारी मांगी थी कि सरगुजा जिले में पिछले 03 वर्षों वर्ष 2021-22 और वर्ष 2023 में बलात्कार, हत्या, चोरी, डकैती, मानव तस्करी व हरिजन अत्याचार के कितने प्रकरण दर्ज हुए हैं? मैं इसमें स्पेसिफिक प्रश्न करना चाहूंगा कि जिला सरगुजा में वर्ष 2022 में मणिपुर थाना क्षेत्र में हत्या के कितने मामले, प्रकरण दर्ज हैं ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सरगुजा जिले में पिछले 03 सालों की विभिन्न अपराधों के बारे में जानकारी चाही थी। माननीय सदस्य को जानकारी उपलब्ध करा दी गई है। उन्होंने स्पेसीफिक रूप से मणिपुर थाने के अपराध के बारे में पूछा है। चूंकि यहां एक-एक अपराध की जानकारी ला पाना संभव नहीं है, परंतु उस घटना के बारे में स्पेसीफिक आपकी कोई जिज्ञासा है तो बताईये, मैं आपको उसको बता दूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- इनका प्रश्न है कि कितने अपराध दर्ज हुए ? यदि आप संख्या बता सकते हैं तो अच्छा होगा।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जिलेवार जानकारी पूछी थी।

अध्यक्ष महोदय :- आप मणिपुर की जानकारी बाद में उपलब्ध करा देंगे।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बाद में जानकारी उपलब्ध करा देंगे।

अध्यक्ष महोदय :- यदि जानकारी उपलब्ध नहीं है तो कोई बात नहीं। आप और प्रश्न करिये।

श्रीमती चातुरी नंद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी में प्रश्न करना चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदय :- अभी नहीं, प्रश्नकर्ता के प्रश्न आयेंगे।

श्री रामकुमार टोप्पो :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सवाल पूछने का उद्देश्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर है जो कि मैं इसको सदन के सामने रखना चाहूंगा। मणिपुर थाना क्षेत्र की एक एफ.आई.आर. हुई है जिसमें एफ.आई.आर. संख्या 0410/22.05.2022 को यह एफ.आई.आर. दर्ज हुई थी। इसमें एक नाबालिक महिला की हत्या करके नग्न अवस्था में सिर्फ थाना से 100 मीटर दूर पर मारकर फेंक दिया जाता है। मीडिया और वहां उपस्थित लोग यह सारे उस मौके हालात को देखते हैं। लड़की के शरीर को जगह-जगह पर सिगरेट से जलाया गया था। मीडिया तक यह चीख-चीखकर कहती है कि यह सामूहिक बलात्कार जैसी घटना है। अध्यक्ष महोदय, यह पंचनामा रिपोर्ट कैसी है जो पुलिस द्वारा बड़े अधिकारियों की उपस्थिति में पंचनामा किया गया है। यह पंचनामा रिपोर्ट में वह तमाम चीजों को छुपाया गया है और ऐसा लगता है कि यह पंचनामा एक बंद कमरे में बनाया गया है, मौके वारदात पर नहीं बनाया गया है। इसके भर-भरकर सबूत छोड़े गये हैं। यह कैसा पंचनामा है जिसमें उस मृत शरीर की दिशा तक को ठीक से नहीं दर्शाया गया है। यह पंचनामा रिपोर्ट के अनुसार उस मृत शरीर की फोटो की वास्तविक दिशा के अनुसार से सिर उत्तर दिशा में तो पैर दक्षिण दिशा में होना चाहिए, लेकिन पैर पश्चिम दिशा की ओर कैसे हो सकता है ? इसका मतलब शरीर टूटा हुआ था। इस तरीके से जो तमाम चीजें इस कागजात में दर्शित हैं, वह सारी चीजें संदिग्ध परिस्थिति दर्शाती हैं। माननीय मंत्री जी, इसमें क्या कहेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- सिर एक दिशा में है और पैर एकदम उल्टी दिशा में कैसे जायेगा ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने जिस चिंता को व्यक्त किया है वह पूरे समाज के लिए और सरकार के लिए भी संज्ञान लेने का भी विषय है। वैसे इस पूरी घटना की जांच आई.जी. रेंज स्तर पर विशेष अनुसंधान की टीम बनाकर जांच चल रही है। माननीय सदस्य ने इस घटना को विशेष रूप से कहा है तो उसको विस्तृत रूप से दिखवायेंगे।

श्री रामकुमार टोप्पो :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह घटना 2022 की है और इस घटना को 02 साल होने को है। यह कैसी जांच है कि धारा 302 लगाकर इस मामले को बंद किया गया है? जबकि सारे सबूत और बयान बलात्कार की तरफ इशारा करते हैं। इसमें बड़ी बात यह है कि मृत शरीर के बारे में पुलिस को 11.30 बजे पता चलता है और दोपहर में 2.00 बजे उस परिवार का पता चल जाता है कि यह मृत शरीर किस संबंधित परिवार का है, लेकिन फिर भी अज्ञात नाम से शव परीक्षण के लिए भेजा जाता है। वह परिवार वहां 3.00 बजे तक उपस्थित हो जाते हैं, लेकिन उन्हें थाने द्वारा यह जवाब दिया जाता है कि शव को फ्रीज में रखवाया गया है। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परीक्षण होगा और ऐसा करके उस परिवार को थाना में रात्रि 9.00 बजे तक बैठाया जाता है। जब रात हो जाती है तो उस परिवार को थाने के अधिकारियों द्वारा यह कहा जाता है कि अभी तो रात हो गई है, सुबह शव परीक्षण

होगा। आप सुबह उपस्थित हो जाना। लेकिन इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो समय दर्शाया गया है, दोपहर के 3.10 बजे शव परीक्षण शुरू हो गया था। मैं यह जानना चाहूंगा कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि उस परिवार से असत्य बोला गया? यह विषय बहुत बड़ी जांच का विषय है। इसमें बड़े लोगों के संरक्षण से इस केस को दबाया गया है। यह बहुत बड़ी जांच का विषय है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि इसकी सी.बी.आई. जांच कराई जाये।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह निश्चित रूप से मेरे व्यक्तिगत के लिए भी और पूरे प्रदेश के लिए भी एक ..।

श्री रामकुमार यादव :- ककरो कुकरी चोरी हो जाही तभो ये मन ओकर सी.बी.आई. जांच करवाही। (हंसी)

श्री श्याम बिहारी जायवाल :- समाज को संदेश देने की घटना है। इस घटना की निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। मैं सदन में घोषणा करता हूं कि इसको आई.जी. रैंक के बड़े अधिकारियों की दल बनाकर फिर से जांच कराई जाएगी और जो दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

श्री रामकुमार टोप्पो :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के सदस्य ने एक लड़की की हत्या को कुकरी से तुलना करने की कोशिश की है। मैं इसका घोर आपत्ति करता हूं। यह घटना केवल और केवल एक आई.जी. रैंक के अधिकारी की जांच का विषय नहीं है। अगर जांच होती तो यह दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। यह केवल हत्या का मामला नहीं है, यह एक बहुत बड़ा चैनल है, जिसमें क्षेत्र की लड़कियों को काम करने के बहाने ले जाया जाता है और किसी दूसरे दिशा में धकेला जाता है। इसीलिए मैं इसको स्पेशिफिक जांच की मांग करता हूं। इस विषय को गंभीरता से देखा जाय।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, माननीय विष्णु देव साय जी की सरकार है। इसमें निष्पक्ष जांच होगा और जो भी दोषी होगें, उसके खिलाफ में टीम बनाकर जांच करायेंगे। (व्यवधान) उसको सजा दिलायेंगे।

श्री रामकुमार यादव :- ओ कवर्धा मा एक आंदोलन चलत हे, ओकरो सी.बी.आई., ई.डी. जांच करावौ न।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी, वह सिर की दिशा का भी जांच करा दीजियेगा। वह सिर दक्षिण में तो पैर पश्चिम में कैसे है? इसकी भी जांच जरूर करवा दीजियेगा।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस घटना में हमारी सरकार की जो पुलिस है, वह निष्पक्ष जांच करेगी। हमारे पहुस पर भरोसा है। आई.जी. रैंक के अधिकारियों का दल बनाकर इसकी जांच कराने की घोषणा करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, अच्छे से जांच कराईये। सुश्री लता उसेंडी जी का प्रश्न श्री सुशांत शुक्ला करेंगे।

<u>पंचायत विभाग से संबंधित</u>

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

12. (*क्र. 2151) सुश्री लता उसेंडी : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला कोण्डागांव अंतर्गत जनवरी, 2021 से प्रश्न दिनांक तक कितनी राशि की प्रधानमंत्री सड़क व मुख्यमंत्री सड़क योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है? इसमें कितने कार्य पूर्ण, अपूर्ण व कितने अप्रांरभ हैं ? वर्षवार जानकारी देवें। कौन-कौन से अनुबंध में कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं हुआ है व क्यों तथा इस संबंध में फर्मो पर क्या कार्यवाही की गई है? (ख) कड़िका "क" अनुसार किन-किन सड़कों के लिये, किन फर्मो को, कितनी राशि का भुगतान किया गया है एवं कितना भुगतान किया जाना शेष है? किन सड़कों के लिये, समयावधि किसके द्वारा, क्यों व कितनी बढाई गई है? इन सड़कों के संबंध में क्या-क्या शिकायतें, किसके द्वारा की गई व इन पर क्या कार्यवाही की गई है?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) जिला कोण्डागांव अंतर्गत जनवरी, 2021 से प्रश्न दिनांक तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्वीकृति निरंक है। जिला कोण्डागांव अंतर्गत जनवरी, 2021 से प्रश्न दिनांक तक मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजनांतर्गत राशि रू. 314.06 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है, वर्षवार, जानकारी संलग्न[4] ''प्रपत्र-अ'' अनुसार है। सभी अनुबंधो में कार्य अनुबंधानुसार निर्धारित समयावधि के अंतर्गत है। अतः फर्मों पर क्या कार्यवाही की गई का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) कंडिका ''क'' अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत प्रश्न उपस्थित नही होता। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के अंतर्गत कंडिका ''क'' की जानकारी संलग्न ''प्रपत्र-ब'' अनुसार है। किसी भी सड़क में समयावधि नही बढ़ाई गई है। किसके द्वारा, क्यों व कितनी बढ़ाई गई है का प्रश्न उपस्थित नही होता हैं। इन सड़कों के संबंध में कोई भी शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है। किसके द्वारा की गई व इन पर क्या कार्यवाही की गई का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लता उसेण्डी जी का जो प्रश्न है, वह कोण्डागांव के अंतर्गत वर्ष 2021 से प्रश्न दिनांक तक प्रधानमंत्री सड़क व मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्वीकृत कार्यों और उसकी अपूर्णता और गुणवत्ता के विषय पर है। इसमें जो परिशिष्ट संलग्न किया गया है, उसमें चार कार्य दिखाये गये हैं। परिशिष्ट पांच में उल्लेखित है कि 1. एन.एच. 43 बोरगांव से पाण्डेआठगांव, 2. अनंतपुर से आंगाकोना पहुच मार्च, 3. बरकई से बलोदियापारा पहुंच मार्ग, 4. हिरापुर से

[4] परिशिष्ट "पाँच"

फरसापदर सड़क निर्माण, 5. रांधना फरसगांव मुख्यमर्गा से सोड सिवनी तितना पहुंच मार्ग। अध्यक्ष महोदय, इसमें पूरक प्रश्न यह है कि इससे संबंधित सड़को स्वीकृत हुए डेढ़ साल हो गये हैं और यह आज दिनांक तक पूर्ण नहीं है। इस पर गुणवत्ता की भी शिकायत है परंतु प्रश्न में जो मंत्री का जो जवाब आया है, उसमें शिकायतों का कहीं उल्लेख नहीं है। सिर्फ परिशिष्ट पांच में आबंटन राशि और नाम देकर उसको इतिश्री कर दी गई है।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे पास अभी इस संबंध में कोई शिकायत नहीं आई है। अगर माननीय सदस्य के पास कोई शिकायत, की कोई ऐसी बात हो तो वह बता दें, उस पर जांच कराई जाएगी। जहां तक यह समय-सीमा की बात है तो अभी समय-सीमा की अवधि 16 अप्रैल तक है। जब तक समय-सीमा की अवधि पूरी नहीं होती है तब कि न हम किसी के ऊपर नोटिस नहीं दे सकते हैं और ना ही कार्रवाई कर सकते हैं। अभी समय-सीमा के अंदर कार्य चल रहा है और किसी प्रकार की केाई शिकायत नहीं है।

श्री सुशांत शुक्ला :- अध्यक्ष महोदय जी, इसी में एक पूरक प्रश्न है कि इसमें जो परिशिष्ट संलग्न किया गया है, उसमें अनुबंध की समय-सीमा और अनुबंध किये जाने का दिनांक नहीं है। जवाब अपूर्ण है।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को कार्य पूर्णता की तिथि बता दी गई है और उनको अनुबंध की तिथि और अनुबंध क्रमांक भी चाहिए तो उपलब्ध करा दिया जाएगा।

प्रश्न संख्या 13 : **XX** **XX**

प्रश्न संख्या 14 : **XX** **XX**

<u>चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के पावर प्लांटों एवं उद्योगों में कार्यरत श्रमिक</u>

[श्रम]

15. (*क्र. 1971) श्री रामकुमार यादव : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित पावर प्लांटों एवं उद्योगों में वर्ष 2021-2022 से प्रश्नावधि तक श्रम विभाग के किस किस अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया है? निरीक्षण के दौरान क्या-क्या अनियमितताएं पायी गयी हैं तथा क्या कार्यवाही की गयी है?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित पावर प्लांटों एवं उद्योगों में वर्ष 2021-2022 से दिनांक 06.02.2024 तक श्रम विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 एवं अन्य विभिन्न श्रम अधिनियमों के तहत्

किये गये निरीक्षण एवं निरीक्षणकर्ता अधिकारी/कर्मचारी का नाम तथा निरीक्षण में पाई गई अनियमितता एवं की गई कार्यवाही की जानकारी **संलग्न प्रपत्र**[5] अनुसार है।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ला ये प्रश्न पूछे हौं कि चन्द्रपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत जेतना पावर प्लांट हे, जेमा गरीब आदमी मन अपन घर चलाय बर मजदूरी करथे, ओमा कब-कब जांच करे गइस अउ एतेक दिन में उहां कोई शिकायत मिलीस या नई मिलीस? अगर जांच करे गइस होही ता ओमन ला काय-काय मिले हे, एला मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहत हौं?

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रम विभाग के अधिकारियों के द्वारा 16 निरीक्षण किये गये है। वर्ष 2021-2022 में कारखाना अधिनियम के तहत 3 और अन्य अधिनियम के तहत 25 जांच हुई। वर्ष 2022 और 2023 में 4, कारखाना अधिनियम के तहत् और अन्य अधिनियम के तहत और अन्य अधिनियम के तहत् 2 यानी 6 जांच हुई । वर्ष 2023-24 में दिनांक 06.02.2024 तक 4 और 1 ऐसे मिलाकर 5 यानी 16 जांच हुई और सभी में जो अनियमितताएं पायी गयीं उसमें कार्यवाही की गई है अगर सदस्य को और कोई जानकारी होगी तो उसको व्यक्तिगत बता दें, हम उनको पूरा उपलब्ध करा देंगे ।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, गरीब आदमी मन के गरीबी के फायदा उठाये जात हे । ओमन करा 12-12 घंटा ड्यूटी लिये जाथे अउ ठेकेदार मन का करथे अगर कोई गरीब आदमी आवाज उठाथे । चूंकि भइंसा-गरवा ला 4 घंटा ड्यूटी कराये के बाद ओला आराम कराये जाथे लेकिन आज अइसनहा स्थिति होगे हे कि गरीब आदमी अपन घर के पेट चलाये बर 12 घंटा ड्यूटी करे बर मजबूर हो जात हे । अगर कोई व्यक्ति उंहां आवाज उठात हे ओला ठेकेदार मन ओला बंद करके ओकर जगह मा दूसरा ले जाथे । विधानसभा सत्र के पहले मैं हा मोर क्षेत्र मा आंदोलन करे हंओं, ये बात के मैं शिकायत करे हंओं अउ जेन-जेन मन आवाज उठइन, मोर संग मा चलिस ओ पांचों-दसों आदमी मन ला, नेता हस कहिके बंद कर दे गिस । माननीय मंत्री जी आप गरीब के नेता हओ, गरीब के मंत्री हओ । मैं चाहत हंओं कि क्या आप वहां जांच करइहा ? अभी भी सिक्योरिटी गार्ड में 12 घंटे ड्यूटी लिये जात हे । जो शिकायत होए हे, मैं जो ज्ञापन सौंपे रहेंओ ओकर बारे में आपसे जानना चाहत हंओं ?

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय सदस्य महोदय, आपके द्वारा जानकारी दी जा रही है कि इस तरह से श्रमिकों के साथ में अन्याय हो रहा है तो निश्चित तौर पर हम नियमानुसार कार्यवाही करेंगे, उसकी जांच करायेंगे ।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहत हंओं । चूंकि देखा यह सदन हे । ये सदन के ही तो खूबसूरती हे, सब भाषण देथन कि हम गरीब के लिये लड़बो, गरीब बर

[5] परिशिष्ट "सात"

लड़बो । आपके जय-जयकारा हो जही कि इंहां जतका पॉवर प्लांट हे, इंहेंच के बात नइ हे । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहत हंओं कि पूरा प्रदेश में आप जांच करा देवा कि 12 घंटा ड्यूटी झन लेवा, तुंहर धन्य हो जही ।

श्री लखनलाल देवांगन :- बिल्कुल सही ।

अध्यक्ष महोदय :- जांच करा देंगे । श्रीमती संगीता सिन्हा ।

श्री भूपेश बघेल :- आप किस स्तर के अधिकारी से जांच करायेंगे क्योंकि यदि वही इंस्पेक्टर लोग जांच करेंगे तो उन्हीं की शिकायत है तो आप किस स्तर के अधिकारी से जांच करायेंगे ?

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे हमारे श्रमिक इंस्पेक्टर हैं उससे अगर संतुष्ट नहीं होंगे तो उसके ऊपर के अधिकारियों से जांच करायेंगे ।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ओ इंस्पेक्टर मन तो खाली डीजल ला खर्चा करथे । कोई बड़का अधिकारी कनी करा न, बड़े-बड़े साहब मन बईठे हे कलम धरके, पढ़े-लिखे, ज्ञानी मन करा करावा ।

श्री लखनलाल देवांगन :- बड़े साहब मन ला ही भेजबो, चिंता मत करा ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय मंत्री जी, आप यह बताईये न कि कमिश्नर स्तर से करायेंगे ? सचिव स्तर के अधिकारियों से जांच करायेंगे ? आप किस स्तर के अधिकारी से जांच करायेंगे ?

श्री रामकुमार यादव :- उंहां अइसनहा ला भेजिहा ।

श्री लखनलाल देवांगन :- उच्च स्तर से जांच करायेंगे ताकि श्रमिक...।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय मंत्री जी, उच्च स्तर में कौन सा ? कमिश्नर, लेबर कमिश्नर से करायेंगे ? सेक्रेटरी से जांच करायेंगे ? किस स्तर के अधिकारी से जांच करायेंगे ?

श्री लखनलाल देवांगन :- जरूरत पड़ेगी तो लेबर कमिश्नर भी जायेगा ।

श्री भूपेश बघेल :- जरूरत नहीं, वह तो बोल ही रहे हैं न । वह खुद लेकर गये हैं ।

श्री लखनलाल देवांगन :- जी ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय मंत्री जी, 12-12 घंटा काम करा रहे हैं और उसकी शिकायत कर रहे हैं तो उसको निकाल दिया गया । पहली बात तो निकाला गया उसको वापस करायें और दूसरा किस स्तर के अधिकारी से जांच करायेंगे यह बता दें ?

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रम अधिकारी का दल गठित करके जांच करायेंगे ।

श्री रामकुमार यादव :- धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये । श्रीमती संगीता सिन्हा ।

जिला बालोद में श्रमिकों के पंजीयन व नवीनीकरण की स्थिति

[श्रम]

16. (*क्र. 2079) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जनवरी, 2022 से दिनांक 25 जनवरी, 2024 तक बालोद जिले में छ0ग0 भवन सन्निर्माण कर्मकार कल्या-ण मंडल तथा छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य5 सामाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत श्रमिकों के पंजीयन एवं नवीनीकरण हेतु कितने आवेदन प्राप्तर हुए? प्राप्तु आवेदनों में कितने श्रमिकों का पंजीयन व नवीनीकरण किया जा चुका है एवं कितने लंबित हैं? वर्षवार, विकासखण्ड वार जानकारी देवें ? (ख) उक्ता वधि में पंजीकृत कितने श्रमिकों को योजनाओं का लाभ दिया गया है? उक्तावधि में श्रमिकों के प्रशिक्षण हेतु जिले को कितनी आबंटन राशि प्राप्तद हुई है? कितने श्रमिकों को प्रशिक्षण दिया गया ? प्राप्तु आबंटन राशि का कितना व्य य किया गया व कितनी राशि शेष है? जानकारी देवें?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : (क) जनवरी, 2022 से दिनांक 25 जनवरी, 2024 तक बालोद जिले में छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल तथा छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल अंतर्गत श्रमिकों के पंजीयन, नवीनीकरण हेतु प्राप्त आवेदन तथा प्राप्त आवेदनों में से किए गए पंजीयन, नवीनीकरण तथा लंबित आवेदनों की मण्डलवार, विकासखण्डवार एवं वर्षवार जानकारी **संलग्न[6] प्रपत्र-'अ' एवं 'ब'** अनुसार है।(ख) प्रश्नांकित अवधि में छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत 34,875 निर्माण श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों तथा छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल अंतर्गत 1535 असंगठित कर्मकार एवं उनके परिवार के सदस्यों को लाभांवित किया गया है। प्रश्नांकित अवधि में छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा बालोद जिले के निर्माण श्रमिक एवं उसके परिवार के सदस्यों को पूर्व वर्ष में दिये गये प्रशिक्षण के भुगतान हेतु राशि 1,57,25,378 रूपये आबंटित की गई तथा जिला बालोद को जनवरी, 2022के पूर्व आबंटित राशि 3,87,180 रूपये शेष थी। इस प्रकार कुल राशि 1,61,12,558 रूपये में से जिला बालोद में प्रश्नांकित अवधि के पूर्व में दिये गये 590 निर्माण श्रमिक एवं उनके परिवार के सदस्यों को पूर्व वर्ष में दिये गये प्रशिक्षण हेतु कुल राशि 1,61,01,152 रूपये का भुगतान किया गया। वर्तमान में प्रशिक्षण मद में 11,406 रूपये शेष है।उक्त अवधि में बालोद जिले में 997 निर्माण श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को आरपीएल के अंतर्गत राजमिस्त्री ट्रेड में प्रशिक्षण दिया गया। जिसका भुगतान मंडल मुख्यालय स्तर से राशि 23,69,150 रूपये किया गया। छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु पृथक से

[6] परिशिष्ट "आठ"

बजट आबंटन नहीं किया जाता है अपितु मदवार राशि का आबंटन किया जाता है। प्रश्नांकित अवधि में श्रमिकों को दिये गये प्रशिक्षण एवं व्यय की जानकारी निरंक है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रमिकों के पंजीयन के नवीनीकरण के आवेदन कितने प्राप्त हुए यह मेरा प्रश्न था । जिसका जवाब आया है उसका तो पूरा उत्तर ही गलत है । मैंने पूरे जिले की मांग की थी कि जिले में कितने आवेदन प्राप्त हुए तो इसमें जिला में दिया है 2526 आवेदन प्राप्त हुए । पंजीकृत श्रमिकों के 995 पंजीकृत हुए हैं और लंबित आवेदन में जीरो कर दिये हैं । ऐसे ही पूरे, चाहे गुंडरदेही की बात करूं, गुरूर, डौंडीलोहरा, बालोद इन सभी जगहों के उत्तर में पूरा जीरो दे दिया है तो मैं इसमें सवाल क्या करूं ? अधिकारी लोग इसको पूरा जीरो करके दे दिये हैं तो इसमें सवाल तो बनता ही नहीं है जबकि लंबित होता है, जैसे मैं गुरूर का ही लूं तो 912 आवेदन पंजीयन प्राप्त हुए । श्रमिक पंजीयन संख्या-320 तो 502 पेंडिंग हैं और उत्तर में इसको जीरो ला दिये हैं तो विभाग द्वारा जो गलत जानकारी दे रहे हैं उसका मैं क्या करूं ? क्या अधिकारियों पर आप कार्यवाही करेंगे ? यह एक ही बार का नहीं है । पिछली बार भी मेरा प्रश्न लगा था उसमें भी पूरा जीरो करके दे दिये थे तो इसको गंभीरता से लेना चाहिए । विधानसभा का प्रश्न है । मैं पूरे छत्तीसगढ राज्य की बात कर रही हूं, बालोद जिले की बात कर रही हूं और पूरे उत्तर में आप देख लीजिये कि पूरा जीरो करके दे दिये हैं और यहां पर बहुत सारे लंबित 502 हैं, 1531 हैं । अगर मैं जिला का बात करूं तो 1531 हैं तो मैं जब बालोद जिला की बात कर रही हूं तो ये हाल है तो पूरे जिला का क्या हाल होगा? तो इसमें मुझे चाहिए कि क्या ये अधिकारियों पर कार्यवाही करेंगे?

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदय ने पूछा है। वर्ष 2022-23 की स्थिति में पूछा गया है और अभी वर्तमान में जो लंबित होंगे, उन पर कार्यवाही करेंगे, उसका निराकरण करेंगे और उस समय लंबित आवेदन जीरो है तो उसे जीरो ही बताना पड़ेगा। अगर कोई लंबित होगा, उन्हें कोई जानकारी होगी तो बता दें, हम उसे पूरा करेंगे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, अगर 25 और 26 की बात करनी है तो 1531 आवेदन लंबित हैं और गुरूर का बोल रही हूं तो 912 में अगर 320 का निपटारा हो चुका है तो 502, इतना जीरो तो नहीं आ सकता है और जो अधिकारी लोग इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं, आपको धोखे में रखे रहे हैं। जीरो लाकर खत्म कर दिये हैं तो ये तो बहुत गंभीर मामला है। यह पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए गंभीर मामला है। श्रमिक लोगों के लिए बहुत गंभीर मामला है। इसमें क्या अधिकारियों पर कार्रवाई की जायेगी?

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर लंबित आवेदन नहीं हैं और जीरो है तो अधिकारी के ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे? अधिकारियों को शाबासी देंगे कि उन्होंने काम पूरा किया है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इतने काम हुए हैं तो बाकी कहां गये? बाकी किस लिए रोका गया है। श्रमिकों का किस लिए उनको रोका गया है? क्या कारण है? चलो कारण है ठीक है इसमें, जितना अंतर है उसे बता दिया जाता, जितना अंतर है, उसे यहां पर शो तो कर देते कि कितने लंबित हैं। यहां तो आपको जीरो करके दे दिये हैं।

श्री लखनलाल देवांगन :- आवेदन लंबित नहीं हैं। अगर आपको व्यक्तिगत कोई जानकारी होगी और गलत दिये हैं तो उसका नाम पता सहित बता दीजिए तो उसे पूरा करेंगे। जो आवेदन दिये हैं..।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय जी, ठीक है। मैं मानने को तैयार हूं कि लंबित हैं तो इसमें आप बता देंगे कि कितने आवेदन आपके लंबित हैं? मुझे आज की डेट तक जिले का ही बता देंगे।

श्री लखनलाल देवांगन :- आवेदन अभी लंबित नहीं हैं। हमारे पास वहां पर जो आवेदन करते हैं, आवेदन लंबित नहीं है और अगर आपको कोई जानकारी है कि इसका लंबित है और हम लोगों ने गलत जानकारी दी है तो उनको बता दें कि इनका लंबित है और आपने गलत जानकारी दी है। फार्म भरने में किसी ने त्रुटि की होती है तो फार्म जरूर निरस्त होता है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष जी, अगर कोई श्रमिक किसी कारणवश लंबित है, कोई भी कारण है, उन्हें घुमाया जा रहा है, गोल-गोल घूम रहे हैं, उन लोग आवेदन लेकर आपके पास आ रहे हैं। ऑनलाइन करवाने के लिए निवेदन कर रहे हैं, लेकिन आवेदन को सीरियसली ढंग से नहीं लिया जाता है। अध्यक्ष महोदय जी, उसके लिए हर श्रमिक गोल-गोल घूमते रहते हैं। ऑनलाइन कराकर फिर उनके पास जाते हैं तो उसे तुरंत के तुरंत या तो आदेश कीजिए, जितने लंबित हैं, उसमें तुरंत कार्यवाही करवाइए।

अध्यक्ष महोदय:- चलिए, आप कार्यवाही करवाइए।

श्री लखनलाल देवांगन :- ठीक है। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- श्री धरम लाल कौशिक जी।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

<u>जिला बिलासपुर व मुंगेली में स्वीकृत प्रधानमंत्री सड़क व मुख्यमंत्री सड़क के कार्यो की स्थिति</u>

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

17. (*क्र. 2083) श्री धरमलाल कौशिक : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)**जिला बिलासपुर व मुंगेली के अंतर्गत जनवरी, 2021 से प्रश्न दिनांक तक कितनी राशि की प्रधानमंत्री सड़क व मुख्यमंत्री सड़क योजना की स्वीकृति प्रदान की गई हैं? इसमें कितनी व कितने प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है? स्वीकृत सड़कों में कितने के कार्य पूर्ण,

अपूर्ण व कितने के अप्रारंभ हैं? वर्षवार, जिलेवार जानकारी देवें? **(ख)** कंडिका "क" अनुसार किन-किन सड़कों के कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं हुये हैं व किन-किन सड़कों के लिये समय-सीमा,किस आधार पर बढ़ाई गई है? सड़कवार, फर्मवार, समय-सीमावार, विलंब अवधिवार, राशिवार एवं जिलेवार जानकारी देवें? **(ग)** कंडिका "क" अनुसार किन-किन सड़कों हेतु, कितना-कितना भुगतान, किन-किन फर्मो को किया गया है तथा कितना भुगतान किया जाना शेष है? फर्मवार सड़कवार जानकारी देवें? **(घ)** कंडिका "क" अनुसार किन-किन सड़कों के संबंध में क्या-क्या अनियमितता की शिकायतें, किसको की गई एवं इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) :(क) जिला बिलासपुर के अंतर्गत जनवरी 2021 से प्रश्न दिनांक तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी एम.-जनमन) अंतर्गत 20 सड़क राशि रू. 6081.17 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है, इसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रावधानों के अनुसार 60 प्रतिशत राशि रू.3648.70 लाख केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गई है, इसी प्रकार से जिला मुंगेली में 02 सड़कें राशि रू.260.61 लाख कि स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें 60 प्रतिशत राशि रू.156.36 लाख केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है। स्वीकृत सड़कों में निविदा प्रक्रियाधीन है। अतः सभी सड़कें अप्रारंभ है वर्षवार, जिलेवार जानकारी **संलग्न परिशिष्ट †[7]"प्रपत्र-अ"** अनुसार है। प्रश्नाकित अवधि में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के अंतर्गत जिला बिलासपुर के तहत् 21 सड़कें राशि रू. 1378.18 लाख तथा जिला मुंगेली के अंतर्गत 16 सड़कें राशि रू.1965.23 लाख राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है, इसमें केन्द्र सरकार से राशि प्राप्त नहीं होती, राज्य सरकार द्वारा राशि प्रदान की जाती है। स्वीकृत सड़कों में कितने के कार्य पूर्ण, अपूर्ण व कितने के अप्रारंभ हैं की वर्षवार, जिलेवार जानकारी **संलग्न "प्रपत्र-ब"** अनुसार है। **(ख)** प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कंडिका "क" के तहत स्वीकृत सभी सड़कें निविदा प्रक्रियाधीन होने के कारण प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के अंतर्गत कंडिका "क" अनुसार स्वीकृत सभी सड़कों में जानकारी निरंक है। **(ग)** प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कंडिका "क" के तहत स्वीकृत सड़कों की निविदा प्रक्रियाधीन होने के कारण भुगतान नही किया गया है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना अंतर्गत कंडिका "क" अनुसार किन-किन सड़कों हेतु, कितना-कितना भुगतान, किन-किन फर्मो को किया गया है तथा कितना भुगतान किया जाना शेष है की फर्मवार, सड़कवार, जानकारी **संलग्न "प्रपत्र-स"** अनुसार है। **(घ)** प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के अंतर्गत कंडिका "क" में स्वीकृत सड़कें में अनियमिता की शिकायत **निरंक** है।

अध्यक्ष महोदय :- आपको अंदाज नहीं था कि आपका प्रश्न आयेगा? आपकी तैयारी नहीं थी?

श्री धरम लाल कौशिक :- बिल्कुल नहीं था कि आयेगा करके।

---

[7] † "परिशिष्ट नौ"

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, आज तो प्रश्नकाल साय-साय चल रहा है। (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- आपकी तैयारी नहीं थी?

श्री धरम लाल कौशिक :- तैयारी तो ऐसा है कि बाकी प्रश्नों को भी पढ़कर आओ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, साहब।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री जी से पूछा है कि बिलासपुर और मुंगेली में जो प्रधानमंत्री सड़क और मुख्यमंत्री सड़क स्वीकृत हुए हैं, बता रहे हैं कि टेंडर की प्रक्रिया में है। मैंने वर्ष 2021 से प्रश्न किया है। तो टेंडर की प्रक्रिया में है तो टेंडर की प्रक्रिया कब तक पूर्ण हो जायेगी? मंत्री जी, थोड़ा जवाब देंगे। जिससे काम चालू हो जाये।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, बता दीजिए। टेंडर की प्रक्रिया कब तक पूर्ण हो जायेगी?

लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, टेंडर की निश्चित समय-सीमा होती है और उसकी प्रक्रिया के तहत जो निश्चित समय-सीमा है, उसके तहत पूर्ण कर ली जायेगी।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, साहब।

श्री धरम लाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, सड़कों की हालत इतनी खराब है। ले देकर कुछ स्वीकृत हुए हैं और स्वीकृत होने के बाद यदि प्रक्रिया में चलती रहेगी तो गांव वाले सड़कों को लेकर इतने नाराज हैं तो मंत्री जी अब वह टेंडर प्रक्रिया विस्तृत नहीं है और चलती नहीं रहेगी। जब राशि स्वीकृत हो गई, टेंडर में आ गई, टेंडर के बाद में एक होगा, दो होगा, ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद में काम शुरू हो जाये। तो क्या उसकी कुछ समय-सीमा बतायेंगे?

अध्यक्ष महोदय :- समय सीमा बता दीजिए ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- अध्यक्ष महोदय, उसको शीघ्रातिशीघ्र करेंगे । समय से पहले टेंडर खोल नहीं सकते । जैसे ही टेंडर खोलने का समय होगा, तत्काल एग्रीमेंट कराकर काम को चालू कराएंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, प्राथमिकता से करिये ।

श्री धरमलाल कौशिक :- मंत्री जी, इसमें मुख्यमंत्री सड़क योजना की मुंगेली जिले की कुछ जानकारी में निरंक लिखा गया है । जो राशि मिली है उसके बाद उसमें निरंक लिखा हुआ है तो उसकी टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है या नहीं हुई, इसकी जानकारी देंगे ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत् 2 कार्य अभी निरंक बताए गए हैं । वे चालू नहीं हैं, उनमें खैरवार नहर से 100 बिस्तर अस्पताल पहुंच मार्ग, पंडोपारा से कोसमतरा । ये दोनों की निविदा प्रक्रियाधीन है और उसको जल्द प्रारंभ करेंगे । माननीय

सदस्य के पहले प्रश्न के संबंध में कहना चाहूंगा कि उसको एक हफ्ते के अंदर काम चालू करवा रहे हैं, टेंडर प्रक्रिया हो गई है ।

अध्यक्ष महोदय :- आपने बहुत कठिन सवाल पूछा, उसका जवाब मंत्री जी ने बहुत अच्छे से दिया ।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं मंत्री जी को धन्यवाद् देता हूं । प्रश्न लगने के बाद काम शुरू हो जाएगा, इसके लिए धन्यवाद दे रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- दूसरे विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और दूसरे विभाग का स्पेसीफिक प्रश्न का जवाब बहुत अच्छे से दिया इसके लिए मैं मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा । अब आप संतुष्ट होकर बैठ जाइए । श्री धर्मजीत सिंह ।

श्री धरमलाल कौशिक :- मोहले जी के क्षेत्र का भी मामला है ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- मंत्री जी ने कहा निरंक है और हम काम कराएंगे, वह काम शुरू हो गया, इसके लिए मैं धन्यवाद् देता हूं ।

<u>तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के सड़कों का संधारण</u>

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

18. (*क्र. 2100) श्री धर्मजीत सिंह : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग की कुल कितने सड़कें हैं, विवरण देवें? (ख) कंडिका "क" के तहत् सड़कों में से कौन-कौन सी सड़कें दिसंबर, 2023 की स्थिति में कच्ची, जर्जर एवं गड्डे युक्त हैं, विवरण देवें? (ग) कंडिका "ख" की कच्ची सड़कों को कब तक पक्की किया जायेगा एवं जर्जर एवं गड्डे-युक्त सड़कों का रिपेयरिंग कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा, विस्तृत विवरण देवें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा विगत् 10 वर्षों में कुल 10 सड़कों का निर्माण कराया गया है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में 03 सड़कें निर्माणाधीन है। विवरण **संलग्न "प्रपत्र"** [8] अनुसार है। (ख) दिसंबर, 2023 की स्थिति में निर्मित कोई सड़क कच्ची, जर्जर एवं गड्ढे युक्त नहीं है। (ग) कोई सड़क कच्ची, जर्जर एवं गड्ढे युक्त नहीं है। अतः जानकारी निरंक है।

---

[8] परिशिष्ट "दस"

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मैंने एक सिम्पल सा प्रश्न पूछा है । तखतपुर विधान सभा में 10 सालों में कितनी सड़कें आर.ई.एस. ने बनाया है । 10 सालों में इन लोगों ने 10 सड़कें बनाईं और 03 सड़कों का काम चल रहा है । परिशिष्ट में जो जानकारी दी है उसमें 03 सड़कें, 2022-23 में डी.एम.एफ. मद से स्वीकृत हुई हैं, लागत 30 लाख । उसी तरह से 2022-23 में डी.एम.एफ. मद से 18 लाख, वही 2022-23 में डब्ल्यू.बी.एम. सड़क निर्माण जरेली डी.एम.एफ. मद से 30 लाख । तीनों ही कामों में आपने रिमार्क दिया है, मुरूम बिछाई कार्य पूर्ण एवं शेष कार्य प्रगति पर । सामग्री एकत्रीकरण कार्य प्रगति पर, सामग्री एकत्रीकरण कार्य प्रगति पर और आपने यह भी कहा है कि निर्माणाधीन समानुपातिक प्रगति के संबंध में ठेकेदार को 29.09.2023 को नोटिस, वही बात आपने दूसरी सड़क के विषय में लिखी है 29.09.2023 को कारण बताओ नोटिस और तीसरे में भी नोटिस, कुल मिलाकर आपके इस जवाब में यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि डी.एम.एफ. मद के पैसे को इस तरीके से देकर, आपका जो जवाब आया है वही यह बता रहा है कि इसमें भयंकर अफरा-तफरी करने का माध्यम बना हुआ है । मैं आपसे दो चीजें पूछना चाहता हूं । इन तीनों सड़कों की जांच, जांच यानी आपके अधिकारी मुझे लेजाकर दिखाएंगे क्या कि आखिर ये क्या प्राब्लम थी, क्या बनने वाला था, दो सालों में क्या नहीं बना ? 30-30 लाख की सड़कें अगर 02 सालों में न बनें तो बड़ी-बड़ी सड़कें बनवाने के बारे में हम सोच ही नहीं सकते । दूसरा, आपने मेरे प्रश्न के जवाब में यह कहा है कि कोई भी सड़क में गड्ढा नहीं है, जर्जर नहीं है, कीचड़युक्त नहीं है, कुछ भी नहीं है । यह आपने 10 साल की सड़कों का क्लीयरेंस दे दिया । उन 10 सड़कों का भौतिक सत्यापन, आप कार में बैठकर करेंगे और मुझे दिखवाएंगे क्या ? इन तीन सड़कों को मैं देखूंगा यदि वहां गड़बड़ी है तो आप उसमें जांच करवाएंगे क्या ? एक बार में मुझे सब प्रश्नों का जवाब दे दीजिए । कोई टेढ़ा प्रश्न नहीं है। 30 लाख की सड़क में एक ही दिन तीनों सड़क के लिए नोटिस दिया गया है। साहब, 30 लाख की सड़क दो साल में नहीं बन पाया। जो डी.एम.एफ मद के पैसे का [xx] हो रहा था, जो आरोप लगता है, वह यही तो है। यही तो मिलीभगत है।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं, मुझे लगता है कि इसमें प्रश्न लगाने की बहुत आवश्यता नहीं थी। सम्माननीय उस क्षेत्र के विधायक हैं, जो तीन छोटी सड़कें हैं, अगर आप जाकर देखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से जिले के ई.ई. लेवल के अधिकारी आपको तीनों सड़कों को दिखाएंगे। उसमें निर्माण कार्य के लिए क्या दिक्कत हो रही है, आपसे सलाह मशविरा करके उस सड़क को जल्द से जल्द बनायेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- 30 लाख में सड़क भी बनती है। आश्चर्य का विषय है।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- 30 लाख में भी आधा बना है।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मैं वही तो देखना चाहता हूं। ऐसा कौन सा सड़क है जो 30 लाख में, 18 लाख में दो साल में बना भी नहीं। यह सब जादूगर आंनद टाईप से है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए इनको दिखवा दीजिए।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- जी निश्चित रूप से।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं आपकी जवाब से संतुष्ट हूं, मैं भी आपको धन्यवाद दे रहा हूं, आपने जांच कराने की घोषणा की।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- अगर सड़क 30 लाख में बना है तो बिल्कुल उसमें जांच करायेंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- जादूगर आनंद टाइप यह सड़क बन रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- सम्पत जी अपना प्रश्न करिए।

प्रश्न संख्या : 19 XX XX

अध्यक्ष महोदय :- रिकेश जी अपना प्रश्न करिए। श्रीमती शेषराज हरवंश जी अपना प्रश्न करें।

<u>हथखोज ,भिलाई में उद्योग लगाने हेतु जमीन आबंटन</u>

[वाणिज्य एवं उद्योग]

20. (*क्र. 1905) श्री रिकेश सेन : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** हथखोज, भिलाई, जिला दुर्ग में उद्योग लगाने हेतु शासन द्वारा कितनी जमीन आबंटित की गई है? **(ख)** प्रश्नांश "क" अनुसार क्या इस आबंटित जमीन के कुछ हिस्से पर अवैध कब्ज़ा है? **(ग)** यदि हाँ, तो यह अवैध कब्ज़ा कब तक खाली करा दिया जायेगा?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : (क) दुर्ग जिले के अंतर्गत हथखोज, भिलाई क्षेत्र में स्थित भारी औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग लगाने हेतु शासन द्वारा 181.33 हेक्टेयर, इंजीनियरिंग पार्क में 57.17 हेक्टेयर एवं रेल पार्क में 6.14 हेक्टेयर भूमि का आबंटन किया गया है। **विस्तृत विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ, ब एवं स** पर दर्शित है। **(ख)** जी हां, भारी औद्योगिक क्षेत्र भिलाई में एमेनीटीज हेतु आरक्षित भूमि पर अवैध कब्जा है। **(ग)** अवैध कब्जाधारियों को कब्जा हटाये जाने के संबंध में विभाग द्वारा समय-समय पर नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस के विरूद्ध अवैध कब्जाधारियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में याचिका क्रमांक 1649/2020 दायर की गई है। माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा अवैध कब्जाधारियों को स्थगन प्रदाय किया गया है,**विस्तृत विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र- द** पर दर्शित है। स्थगन के विरूद्ध विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में प्रस्तुत अपील की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

श्री रिकेश सेन :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- आप कहां से आ गए ?

श्री रिकेश सेन :- 20वां नंबर पर था, आज रिकॉर्ड बन गया।

अध्यक्ष महोदय :- आप सबको भरोसा ही नहीं था कि आज प्रश्न आएगा। आपको प्रश्नकाल में यहां उपस्थित रहना चाहिए। भागते हुए, आते हुए, प्रश्न करना ठीक नहीं है। चलिए।

श्री रिकेश सेन :- जी, मैं उपस्थित था। माननीय अध्यक्ष महोदय, माफी चाहता हूं। उद्योग मंत्री जी यह बताएं कि भिलाई हथखोज जिला-दुर्ग में उद्योग लगाने हेतु शासन द्वारा कितनी जमीन आवंटित की गयी है ? इसका मुझे कुछ लिस्ट भी आया है लेकिन मैं वहां पर यह जानना चाह रहा था कि जो उद्योग की जमीन है, उस जगह पर लगातार कई एकड़ों में अवैध कब्जे पिछले पांच साल में हुए हैं। उस अवैध कब्जे को हटाने के लिए माननीय उद्योग मंत्री जी क्या प्रयास करेंगे ? जिस प्रकार से उद्योग की जमीनों में कब्जा चल रहा है, हम नये लोग अलग-अलग लोगों से एम.ओ.यू. कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में हम जमीन कहां से उपलब्ध करा पाएंगे ? जमीन दलालों के द्वारा हथखोज में पिछले पांच वर्षों में 100 एकड़ से ज्यादा जमीनों पर कब्जा किया गया है, माननीय मंत्री जी उस पर क्या कार्रवाई करेंगे ?

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा बताया जा रहा है कि उद्योग की जमीन में बेजा कब्जा हो रहा है, निश्चित तौर पर उसमें बेदखली की कार्रवाई करेंगे। जमीन में कब्जा हो रहा है, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। अगर माननीय सदस्य बताएं हैं तो निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए आप बता दीजिए।

श्री रिकेश सेन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि यह चिंता करने वाला विषय है। इस पूरे विषय पर सिर्फ यह कह देना कि कब्जे को हटायेंगे या देख लेंगे या कर देंगे। 100 एकड़ से ज्यादा जगहों पर अलग-अलग लोगों ने कब्जा किया है। ऐसी परिस्थिति में कोई भी उद्योग की जमीन किसी को नहीं मिल पा रही है। उस उद्योग की जमीन से वहां लोगों को रोजगार मिलेगा। वहां पर जो युवा हैं, इस बात को लेकर आशान्वित हैं कि हमें इस उद्योग के माध्यम से रोजगार मिलेगा। वह रोजगार से वंचित हो रहे हैं। इसलिए बड़ी पहल करने की आवश्यकता है। मुझे समय सीमा चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- आप क्या चाहते हो ?

श्री रिकेश सेन :- अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि अवैध कब्जे को हटाया जाए। उसके लिए क्या आप तीन महीने में कार्रवाई कंप्लीट करेंगे या दो महीने में करेंगे ?

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर उद्योग की जमीन में कब्जा हुआ है तो निश्चित तोर पर उसको हटायेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए।

श्री रिकेश सेन :- उसकी एक सीमा बताईए।

श्री भूपेश बघेल :- रिकेश जी, आप तो बुलडोजर लेकर जाते हो। बुलडोजर लेकर चले जाईए। स्वयं बुलडोजर लेकर जाते हो।

श्री रिकेश सेन :- अनुमति दे दें, मैं कल चला दूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- जवाब आ गया है।

श्री रिकेश सेन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चिंता करना बहुत आवश्यक है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- कई जगह बिना अनुमति के चलवा देते हैं।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां बुलडोजर ले जाते हैं, जहां मशीन चलवाना रहता है, वहां पर चलवाते हैं।

श्री रिकेश सेन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चिंता करना आवश्यक है, क्योंकि यह प्रदेश का मामला है। लोगों के रोजगार से संबंधित मामला है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पर आप गंभीरतापूर्वक जवाब दें।

श्री देवेन्द्र यादव :- एकदम बुलडोजर के साथ कार्रवाई करिए।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए गंभीरता से जवाब दे दीजिए।

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला प्रशासन हमारा सक्षम अधिकारी रहता है और उसके माध्यम से हमारी जमीन में जो बेजा कब्जा हुआ है, उसको निश्चित तौर पर हटायेंगे।

श्री रिकेश सेन :- आज आप सदन में ऐलान कर दीजिए कि तीन महीने के अंदर अवैध कब्जे को हटा दिया जाएगा।

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जल्दी से जल्दी हटायेंगे।

श्री रिकेश सेन :- अध्यक्ष महोदय, मैं अपने घर के लिए नहीं मांग रहा हूं, यहां के युवाओं के रोजगार के लिए उस जमीन को मांग रहा हूं। ऐसे-ऐसे लोगों ने अवैध कब्जा किया है। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- बुलडोजर चलाओ। (व्यवधान)

श्री विक्रम मण्डावी :- मंत्री जी वहां के बाहुबली हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा बोला जा रहा है, इसलिए वहां पर बुलडोजर चलाया जाए।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त।

(प्रश्नकाल समाप्त)

समय :

12.00 बजे

पृच्छा

श्री भूपेश बघेल (पाटन) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कबीरधाम जिले के दोनों शक्कर कारखानों के द्वारा प्रोत्साहन राशि वितरण नहीं करने के संदर्भ में और साथ ही गन्ना पेराई के लिए करीब 66 करोड़ रूपये की खरीदी हो चुकी है, लेकिन केवल 11 करोड़ रूपये का भुगतान हुआ है। मैंने इस मामले में ध्यानाकर्षण दिया है। किसानों को अभी तक न प्रोत्साहन राशि का भुगतान हुआ है और न गन्ने की राशि का भुगतान हुआ है। इससे किसानों में रोष है, इसलिए कृपा करके आप इसे ग्राह्य कर लीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- उमेश पटेल जी।

श्री उमेश पटेल (खरसिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माध्यमिक शाला पतरातु, विकासखण्ड-राजपुर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज की एक घटना है है कि संकुल में C.S.E. सुरेश यादव पर माध्यमिक शाला, पतरातु के शिक्षक रविन्द्र सिंह द्वारा ईंट से कनपट्टी पर मारा गया। 24 घण्टे तक उसे होश नहीं आया और उसे रायपुर के D.K.S. Hospital में भर्ती कराया गया है। वह आज भी भर्ती है। पुलिस की कार्रवाई बहुत धीमी है और उसमें सही धारा भी नहीं लगाई गई है। तो मैं सत्ता पक्ष का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई कराएं और उस कर्मचारी के ईलाज का भी ध्यान रखें क्योंकि वह कर्मचारी अभी भी रायपुर में भर्ती है। आरोपी के भाई के द्वारा वहां के स्कूल के शिक्षकों को धमकाया जा रहा है कि यदि आप इस मामले में बयान देंगे कि रविन्द्र सिंह के द्वारा ऐसा किया गया है तो हम आप सबको सुकमा।

अध्यक्ष महोदय :- क्या आपने इसके बारे में कोई सूचना दी है ?

श्री उमेश पटेल :- नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे इसकी अनुमति ले रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। हो गया।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल 2 सेकण्ड। उस स्कूल के शिक्षकों को धमकाया जा रहा है तो मैं सत्ता पक्ष से यही कहूंगा कि आप इस मामले को दिखवा लीजिए और इसपर कार्रवाई की जाए।

श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम (पाली-तानाखार) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी मनोज अग्रवाल जी का मामला है। उन्होंने वर्ष 2021 में कुल 4 महिला समूहों से ठगी करके उनसे पैसे लिये थे। मुझे इस मामले की जानकारी मिली तो मैंने उसपर कार्रवाई करने के लिए 27 तारीख को एस.पी. को पत्र लिखा है, परंतु आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर कार्रवाई करने की कृपा करें।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने यादव जी का नाम पुकारा है।

श्री देवेन्द्र यादव (भिलाई नगर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक महीने पूर्व एक आम चरवाहा साधराम यादव की मृत्यु हुई। उसके बाद से वहां पर संपूर्ण यादव समाज में रोष उत्पन्न है। आज भी सर्व यादव समाज कवर्धा में इसके विरोध में न्याय की गुहार के लिए एक बड़ी रैली कर रहा है। मेरा अनुरोध है कि इस विषय पर गहन चिंतन, चर्चा और निर्णय की आवश्यकता है। जिस तरह पूर्व में इस तरीके की घटनाओं में सरकारी नौकरी के साथ सम्मानजनक मुआवजे की बात कही गई है और पीड़ित पक्ष के साथ सरकार खड़ी रही है। आज भी मेरा आपके माध्यम से यह अनुरोध है कि यह विषय बेहद गंभीर है और इससे यादव समाज के आम लोगों की भावनाओं को ठोस पहुंची है। एक निर्मम हत्या की गई है तो उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए और उसपर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। मैं सरकार का इस विषय पर ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। ब्यास कश्यप जी।

श्री ब्यास कश्यप (जांजगीर-चांपा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जांजगीर-चांपा जिले में स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की मांग की गई थी। जिसकी दो वर्ष पूर्व घोषणा हुई थी। घोषणा के पश्चात् निर्माण के लिए वहां पर स्थल का भी चयन किया जा चुका है और अधिकारी भी नियुक्त किये जा चुके हैं। मैं चाहूंगा कि जांजगीर-चांपा जिले में अतिशीघ्र मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाए। चूंकि जांजगीर-चांपा जिले में पहले से 300 बिस्तर के अस्पताल की व्यवस्था है और B.Sc. Nursing की भी व्यवस्था है। अत: मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि जांजगीर-चांपा जिले में इस वर्ष से मेडिकल कॉलेज प्रारंभ की जाए।

अध्यक्ष महोदय :- कुंवर सिंह निषाद।

श्री कुंवर सिंह निषाद (गुन्डरदेही) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मोरिद निवासी सुजीत कुमार निषाद की पुत्री उमेश्वरी निषाद विद्या अध्ययन करके स्कूल से घर लौट रही थी। एक मनचले युवक ने उसकी गर्दन पर ब्लेड से हमला कर दिया और आज वह छात्रा शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज में जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रही है। अपराधी तो पकड़ गए हैं, लेकिन इस बात की चिन्ता है कि जब स्कूल और कॉलेज की छुट्टी होती है तो कुछ मनचले युवक उन्हें छेड़ने की कोशिश करते हैं । जब विरोध होता है तो उन पर प्राणघातक हमला कर दिया जाता है । मैं चाहता हूं कि जहां स्कूल और कॉलेज है, जिस समय वहां छुट्टी होती है तो उस समय पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी लगा दी जाये, ताकि मनचले युवक आसपास न दिखें और इस प्रकरण में मैं चाहता हूं कि उस अपराधी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ।

श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी (भानुप्रतापपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कांकेर जिले के सबसे पुराने जलाशय की बात की जाये तो वह दूधावा जलाशय है, जो महानदी पर बनाया गया है । इतने बड़े जलाशय के होते हुए भी इस जिले के किसान अभी भी पानी के लिए तरसते हैं । किसी भी तरह से उनके फसलों को पानी नहीं मिल रहा है, लेकिन इसका सीधा लाभ कांकेर जिले को कम मिलकर दूसरे जिलों को ज्यादा लाभ होता है । यदि जल संसाधन विभाग चाहे तो करप और बोदली के पास महानदी पर ही एनीकट बनाकर नाली का निर्माण कर दे तो इससे नरहरपुर, चारामा और कांकेर विकासखण्ड के हजारों गांव के किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा । यह इस क्षेत्र की बहुत पुरानी मांग है तो मैं इस ओर ध्यानाकर्षित करना चाहती हूं ।

श्री रामकुमार यादव (चंद्रपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बात रखना चाहथौं कि यादव समाज बहुत ही सीधा साधा समाज हे । हमेशा अपन में मगन रहिथे, सेवा चाकरी करके साधराम यादव जी ह अपन जीवन यापन करत रिहीसे, लेकिन छत्तीसगढ़ मा पहली बार अईसे घटना घटे हे, जेमा पूरा छत्तीसगढ़ के दिल ह दहला देवथे । मैं आपके माध्यम से कहना चाहथौं कि सी.बी.आई. अउ आई.टी. के का का बहुत सारा विभाग हे, तेमा जांच करेके बहुत मांग आथे । जब 14 प्रतिशत यादव समाज पूरा प्रदेश में आन्दोलन करथे अउ यादव समाज ह हमेशा भक्ति भाव में रहने वाला समाज ए, सेवा करने वाला समाज ए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहथौं कि एमा उचित मुआवजा मिलै, नौकरी मिलै, अउ सीबीआई जांच करै अउ एमा जोन भी, जतका भी अपराधी हे, ओला कड़ी से कड़ी सजा मिलै, यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहथौं ।

श्री द्वारिकाधीश यादव (खल्लारी) :- अध्यक्ष महोदय, यह मामला बहुत गंभीर है । केवल यादव समाज ही नहीं, कवर्धा जिले में समूचे समाज के द्वारा आन्दोलन किया जा रहा है, आज भी आन्दोलनरत् है । एक चरवाहा को ऐसा मारा गया है और वह मामला इसलिए गंभीर हो गया है कि उसी विधान सभा से गृहमंत्री जी आते हैं, लेकिन केवल और केवल पांच लाख रूपए के मुआवजा की बात हुई है, जब पूर्व में हमारी सरकार थी तो इधर के वरिष्ठ सदस्य 50 लाख रूपए मुआवजा की मांग करते थे । आज 50 लाख मुआवजा और सी.बी.आई. जांच की मांग होनी चाहिए। 5 लाख का मुआवजा संबंधित परिवार ने वापस किया है । 50 लाख रूपए के मुआवजा की घोषणा हो, सी.बी.आई. जांच की घोषणा हो । यह मामला बहुत गंभीर है।

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी बालोद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बालोद जिले में 35 हजार बुजुर्ग हितग्राहियों को तीन महीने से पैसा नहीं मिला है । इसकी राशि लगभग 5 करोड़, 25 लाख रूपए है । सरकार से निवेदन है कि वे बुजुर्ग हैं, कई परिवार में वृद्ध अकेले रहते हैं, स्वयं का जीवन-यापन करते हैं तो उनको जल्द से जल्द राशि प्रदान की जाये ।

श्री विक्रम मण्डावी (बीजापुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कवर्धा जिला से हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री (गृह) भी आते हैं । वहां पर साधराम यादव जी की हत्या हुई, उसको लेकर कवर्धा जिला के साथ-साथ पूरे प्रदेश में यादव समाज आक्रोशित है । इससे पहले भी हम लोगों ने यहां पर बात की थी । पूरा प्रदेश का यादव समाज चाहता है कि उन्हें न्याय मिले, लेकिन वह न्याय नहीं मिल रहा है । हम सरकार से मांग करते हैं । यहीं पर ही दूसरे मामलों में लगातार सी.बी.आई. जांच की मांग होती है, लेकिन उन मामलों में न्याय और सी.बी.आई. जांच की मांग नहीं होती है तो ऐसा अंतर क्यों है ? हम यहां न्याय के लिए बैठे हैं । हम आपसे चाहते और विरोध करते हैं कि जब दूसरे मामले में सी.बी.आई. जांच होती है, जैसे हमारे विधायक जी के पुत्र की हत्या हुई थी, अगर वहां उनको न्याय मिलता है तो उस मामले में भी न्याय मिलनी चाहिए और सी.बी.आई. जांच होनी चाहिए, यह हम आपसे मांग करते हैं ।

श्री रिकेश सेन (वैशाली नगर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वैशाली नगर विधान सभा क्षेत्र में हाऊसिंग बोर्ड एक कॉलोनी है, जिसमें 724 मकान बने हुए हैं । नगर निगम और हाऊसिंग बोर्ड ने उसको कंडम घोषित कर दिया है । उसे बने हुए कम से कम 40 वर्ष हो गए हैं । वहां कभी भी कोई भी बड़ी घटना, दुर्घटना हो सकती है । उसके लिए हाऊसिंग बोर्ड ने कुछ योजना तैयार की है, लेकिन आजतक विगत पांच वर्ष हो गए हैं, वह अभी तक धरातल पर नहीं दिख रही है । मैं चाहता हूं कि उसमें जनहानि न हो, इसके लिए विभाग संज्ञान ले और जल्द से जल्द कोई कार्य योजना तैयार करे ।

श्री अनुज शर्मा (धरसींवा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कल बहुत दु:खद घटना हुई। ग्राम कपसदा में जहां फारच्यून फैक्ट्री में एक बड़ा ब्लास्ट हुआ। कहीं न कहीं जो सुरक्षा के उपाय हैं, वहां जो कर्मी हैं, जो मजदूर हैं, औद्योगिक केन्द्रों मे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे उद्योग उसकी अनदेखी करते हैं। मैंने इसकी वजह से सवाल पूछा था, उसके जवाब में आया है कि ऐसी घटनाओं में हर महीने लगभग दो मजदूर मारे जाते हैं। यह बहुत गंभीर विषय है। यहां माननीय मंत्री जी भी बैठे हैं। मैं चाहता हूं कि जो सुरक्षा के उपाय हैं, उसकी ट्रेनिंग है, उस पर उद्योग विभाग, श्रम विभाग थोड़ा कड़ाई से पालन कराये ताकि ऐसी दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आ सकें।

श्रीमती चातुरी नंद (सराईपाली) :- अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपला प्रणाम करत हव। यह राजस्व वाला मामला हे। एक किसान हे, जेखर नाम छलिया साहू हे, ऐसनहे तीन किसान हे, छलिया साहू, सिंधु साहू, तारा बाई साहू, एमन के जमीन ला भोजराज चौधरी नामक एक व्यक्ति हर फर्जी बैनामा, बिक्री बैनामा बनाकर हड़प ले हे। ये मामला 2009-10, 2011 और 2012 के हे। येमा अभी तक कार्यवाही नइ हो हे। जब कलेक्टर के पास छलिया साहू गइस तो कलेक्टर कहिस कि पूरा मामला 420 के हे। येमा सत्यापन करा के एफ.आई.आर. होना चाहिए। पुलिस वाल सत्यापन कराके एफ.आई.आर. दर्ज करही। जब पुलिस वाला के पास गइस तो पुलिस वाला कहथे कि एस.डी.एम. के पास जाओ।

अध्यक्ष महोदय :- छोटा-छोटा कहिये। बस हो गया। श्री गजेन्द्र जी।

श्री गजेन्द्र यादव (दुर्ग शहर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने भिलाई आई.आई.टी. का उद्घाटन किया, उसके लिए आपको धन्यवाद। साथ ही साथ आपसे एक आग्रह है कि भिलाई आई.आई.टी. में देश के बहुत सारे बच्चें पढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के भिलाई में आई.आई.टी. स्थापित है। लेकिन दुर्भाग्य से छत्तीसगढ़ का कोई भी बच्चा प्रवेश नहीं ले पाया है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि हमारा जो आई.आई.टी.भिलाई छत्तीसगढ़ में है, वहां छत्तीसगढ़ के बच्चों को प्राथमिकता के आधार पर भर्ती कराया जाये, यही मेरा आपसे आग्रह है।

श्री अटल श्रीवास्तव (कोटा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब से सदन चल रहा है, लगातार सी.बी.आई. जांच की बातें हो रही हैं। अभी साधराम यादव की जो हत्या हुई है, उसके बारे में गृहमंत्री जी ने भी 5 लाख रूपये दिए थे, लेकिन उसके परिवार ने लेने से मना कर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि साधराम यादव की जो हत्या हुई है, उसकी सी.बी.आई. जांच होनी चाहिए और उसी प्रापर जांच होनी चाहिए, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकारी नौकरी का भी वादा किया गया था, लेकिन अब ठेका-मजदूरी के लिए बात की जा रही है।

श्रीमती अनिला भेण्डिया (डौण्डी लोहारा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सभी सदस्य लगातार मांग कर रहे हैं कि साधराम यादव जी, जो सामान्य आदमी है, उसकी निर्मम हत्या हुई है। आप लोग बड़े-बड़े लोगों के लिए रोज सदन में सी.बी.आई. जांच की मांग उठा रहे हैं और आप लोगों ने सहमति भी दे दी है। हम सबने भी मांग की है कि इसकी सी.बी.आई. की जांच हो। ताकि उस गरीब को न्याय मिल सकें।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल (डोंगरगढ़) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र डोंगरगढ़ में आए दिन अवैध नशे की सामग्री बिक्री की शिकायत आ रही है। मैंने पुलिस विभाग में इस बात की कई बार चर्चा की है। मैं भी वहां जाती हूं तो देखती हूं कि पुलिस विभाग के कर्मचारी ही नशे का सेवन कर ऑन ड्यूटी में तैनात रहते हैं। मेरे बंगले ड्यूटी के लिए जो कर्मचारी आये हैं, वे भी नशे की हालत में रहते हैं। मैं अभी शनिवार को गई थी, वे नशे में लत पड़े हुए थे और पूरे नशे की हालत में थे। तो हमें ऐसा सैन्य बल नहीं चाहिए। जो सुरक्षा के लिए आये हैं और ऑन ड्यूटी नशे की हालत में है, ऐसे में हमारी सुरक्षा चिंताजनक है। अध्यक्ष महोदय, आप इस पर ध्यान दीजिये।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। आपने चिंता व्यक्त की। मैं स्वयं इसके सम्बन्ध में रूचि लेकर बात करूंगा। आप चिंता मत करिये।

श्री इन्द्र शाह मण्डावी (मोहला मानपुर) :- अध्यक्ष महोदय, मेरा नक्सल प्रभावित क्षेत्र औंधी है। वहां पर मेरे साथ कंचन माला भुवन और जटा शंकर मिश्रा चुनाव लड़े थे। कल उनके साथ थाने में बहुत

ही अभद्र व्यवहार किया गया। कंचन माला के साथ बुरा व्यवहार किया गया, तुम शादी किए हो या नहीं किए हो, ऐसा पूछा जा रहा था। वहां रामटेके नाम का एस.आई. है। इसके बाद मैं एस.पी. मैडम से बात किया, परन्तु वह भी इधर-उधर का हवाला दे रही थीं। अगर हम थानों में भी सुरक्षित नहीं हैं तो प्रदेश में कैसे सुरक्षित रहेंगे ? इस पर विशेष ध्यान रखा जाये।

श्री जनक ध्रुव (बिन्द्रानवागढ़) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, गरियाबंद जिला पीपरछेड़ी में एकलव्य विद्यालय संचालित है, वह भवनविहीन होने से यह समाज के भवन में संचालित है । इस विद्यालय की क्षमता 100 सीट की है, लेकिन उसमें 240 छात्र-छात्रायें रहते हैं । यह बोर्डिंग स्कूल है, जिसके कारण से छात्रों को अन्यत्र जाना पड़ रहा है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर तत्काल बिल्डिंग का निर्माण किया जाये । अध्यक्ष महोदय, वहां सिर्फ 20 शौचालय हैं, जिसमें 240 बच्चों का निस्तार होता है । कृपया माननीय मंत्री जी यहां मूलभूत सुविधा उपलब्ध करायेंगे ।

श्री ओंकार साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हा धमतरी विधान सभा से आथंव । आज ऊंहा किसान मन के बहुत दुर्दशा होवत हे । ऊंहा लो-वोल्टेज अऊ बिजली कटौती से जनता बहुत परेशान हे । मैं हा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी ले चाहूं कि एमा तत्काल अधिकारी मन ला निर्देशित करे, ताकि जो किसान आज धान उगाथे, वोखर समाधान हो सके ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये ।

श्री भूपेश बघेल (पाटन) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि अधिकांश सदस्यों ने सादराम यादव के जघन्य हत्या पर चिन्ता व्यक्त किये हैं । यह कबीरधाम जिला मुख्यालय से लगे हुये गांव लालपुर की घटना है, अभी तक न उसको मुआवजा मिल पाया है, न न्याय मिल पाया है । सदन के भीतर अधिकांश माननीय सदस्यों ने यह बात कही है तो इसमें सत्ता पक्ष से इसका कोई संतोषजनक उत्तर आये । अध्यक्ष महोदय, हम यह अपेक्षा करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- आपने शून्यकाल में जानकारी दे दी है, मैं किसी न किसी रूप में इसको लूंगा । (व्यवधान)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा नारे लगाये)

श्री देवेन्द्र कुमार यादव :- अध्यक्ष महोदय, यादव समाज के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है....। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- 14 परशेंट यादव आपसे हिसाब लेगा....। (व्यवधान)

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- आप हत्यारों को बचाना चाह रहे हैं..(व्यवधान)

श्री रिकेश सेन :- सी.बी.आई. को रोकने वाले सी.बी.आई. के जांच की बात कर रहे हैं.... । (व्यवधान)

श्री विक्रम मण्डावी :- आप लोग जांच करवा दीजिये। (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र यादव :- आप लोग जांच करवा दीजिये। (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आपको लज्जा आनी चाहिए (व्यवधान)।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गए)

श्री देवेन्द्र यादव :- आप लोग अपराधियों को छुपाना चाह रहे हैं, बचाना चाह रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- बैठिये।

श्री रामकुमार यादव :- 14 प्रतिशत यादव समाज आपसे हिसाब लेगी।

अध्यक्ष महोदय :- आप कृपा करके बैठिये।

श्री रामकुमार यादव :- सीधे-साधे यादव समाज ला (व्यवधान)। ओला बली का बकरा बनाये हन।

अध्यक्ष महोदय :- बैठिये।

अध्यक्षीय व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय :- मैं आप सभी सदस्यों को शून्यकाल में पूरा का पूरा समय देता हूं। मेरी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शून्यकाल में बोलने का अवसर दूं। आपने उस विषय को पूरी गंभीरता से उठाया। आप कल की प्रकिया देखेंगे तो जब माननीय मंत्री जी ने जवाब देना शुरू किया तो कल इस विषय को लेकर उन्होंने अपना विषय लिया और कवर्धा की इस घटना को भी श्री ईश्वर साहू की घटना के साथ जोड़कर जवाब दिया। अन्य विषयों पर आपकी जो भी शंका है तो आने वाले समय में इसको किसी न किसी विषय में और लिया जायेगा। आपकी जो चिंता है कि कभी न कभी चर्चा हो, तो बहुत सारे अवसर हैं। मैं आपको अवसर दूंगा।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने अवसर दिया इसके लिये धन्यवाद और आपने नये सदस्यों को बोलने का अवसर दिया, क्योंकि यह उनके सीखने का समय है और आप बहुत कृपापूर्वक समय देते हैं, इसके लिये आपको धन्यवाद। लेकिन विषय बहुत गंभीर है और इसी प्रकार की घटना में जब सी.बी.आई. की जांच संस्थित की गयी है और यह घटना भी बिल्कुल पड़ोस के जिले में हुई घटना से लगी हुई घटना है। माननीय सदस्यों की और समाज की भी यही चिंता है कि इसमें सत्ता पक्ष की ओर सी.बी.आई. जांच की घोषणा हो। हम लोग यह चाहते हैं कि यहां पर सत्ता पक्ष के ट्रेजरी बेंच में उप मुख्यमंत्री (श्री अरूण साव) जी बैठे हैं, वे इसमें घोषणा कर दें और हम इसमें मुआवजा की और नौकरी की बात कर रहे हैं। यह घोषणा कर दें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी बोलने के लिये खड़े हुए। माननीय सत्ता पक्ष के सदस्य सी.बी.आई. जांच की मांग कर रहे हैं। इनको तो सी.बी.आई. के ऊपर विश्वास ही नहीं है। यह छत्तीसगढ़ में सी.बी.आई. को बैन करके रखे थे। (शेम-शेम की आवाज)

श्री विक्रम मण्डावी :- अभी तो आपकी सरकार है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- जब माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस बात को कह दिया कि मैं किसी न किसी रूप में चर्चा करवाऊंगा। जब चर्चा होगी तो आप उसमें अपनी मांग रख लीजियेगा और चर्चा के जवाब के समय आपकी मांगों के ऊपर विचार कर लिया जायेगा। इसके बाद मुझे लगता है कि और कोई विषय नहीं बचता है। जब माननीय अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दे दी और उसके बाद आपकी बात भी सुन ली तो उसके बाद कोई विषय नहीं बचता है। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- मुझे अभी कोई सूचना भी प्राप्त नहीं हुई है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी सदन को गलत जानकारी दे रहे हैं। हमने सी.बी.आई. को बैन नहीं किया बल्कि पूर्व शासन में किया गया था, हमने नोटिफिकेशन किया था। वह फैसला आपका था और अभी भी वही व्यवस्था है। (मेजों की थपथपाहट) पिछली सरकार में भी यदि केंद्र सरकार किसी विषय पर जांच करने के लिये अनुमति चाहती थी तो हम लोग अनुमति देते थे और अभी-भी वह व्यवस्था कायम है। आपने उस व्यवस्था को अभी हटाया नहीं है। आप गजट में दिखा दीजिये कि कब नोटिफिकेशन हुआ है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, हमने निर्णय कर लिया है।

श्री भूपेश बघेल :- आपने निर्णय कर लिया है लेकिन गजट में नोटिफिकेशन कब हुआ है ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हमने निर्णय कर लिया है कि हम यहां पर सी.बी.आई. जांच को allow करेंगे। आपने यहां पर 05 साल तक सी.बी.आई. को घुसने नहीं दिया।

श्री विक्रम मण्डावी :- अब आप इसमें सी.बी.आई. जांच करवा लीजिये।

श्री अटल श्रीवास्तव :- लेकिन यहां ई.डी. तो आ गई थी। (व्यवधान)

श्री विक्रम मण्डावी :- आप अपनी सरकार में सी.बी.आई. जांच करवा लीजिये।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आप साधराम हत्याकांड की जांच सी.बी.आई. से करवा लीजिये।

श्री भूपेश बघेल :- (व्यवधान) महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या आप इस घटना की सी.बी.आई. जांच करायेंगे ? क्या आप उसके परिवार को नौकरी देंगे ? साथ ही सम्मानजनक मुआवजा देने की बात कही गई है। इसमें आपकी तरफ से कोई बयान आना चाहिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पूर्व मुख्यमंत्री हैं, यह नियम, प्रक्रिया जानते हैं। इस प्रकार से शून्यकाल में विषय उठाये जाने पर कोई व्यवस्था नहीं आती है। जब आप किसी न किसी रूप में उसको स्वीकार करेंगे, चर्चा करवायेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- इन्होंने ध्यानाकर्षण दिया है।

श्री देवेन्द्र यादव :- अध्यक्ष महोदय, यह साफ कोशिश है कि यह सरकार इस विषय से बचकर निकलना चाहती है, लेकिन सिर्फ यादव समाज इसमें पीड़ित है।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कल भी शून्यकाल में यह मामला उठा था। हम लोग ईश्वर साहू और कृष्णा साहू के लिये भी सहानुभूति रखते हैं।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब यह मामला किसी भी प्रकार से इस सदन में आ गया। आपकी कृपा से शून्यकाल में इस मामले को उठाने का अवसर मिला है और उसके बाद भी यदि सत्तापक्ष का एक मामले में अलग दृष्टिकोण है और दूसरे मामले में दूसरे प्रकार का दृष्टिकोण है। यह कतई बर्दाश्त नहीं होगा।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्य नारे लगाते हुए गर्भगृह में आये)

(प्रतिपक्ष एवं सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाए गए)

समय :

12.25 बजे

<u>सदस्यों के स्वयमेव निलंबन संबंधी</u>

अध्यक्ष महोदय :- विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 के उप नियम (1) के तहत निम्न सदस्य अपने स्थान को छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने कारण, सभा की कार्यवाही से स्वयमेव निलंबित हो गये हैं :-

1. श्री भूपेश बघेल
2. श्रीमती अनिला भेंडिया
3. श्री उमेश पटेल
4. श्री लखेश्वर बघेल
5. श्री भोलाराम साहू
6. श्री लालजीत सिंह राठिया
7. श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े
8. श्री दिलीप लहरिया
9. श्री रामकुमार यादव
10. श्री द्वारिकाधीश यादव
11. श्रीमती संगीता सिन्हा
12. श्री कुंवर सिंह निषाद
13. श्री देवेन्द्र यादव
14. श्रीमती यशोदा निलांबर वर्मा
15. श्री इन्द्रशाह मण्डावी

16. श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी
17. श्री विक्रम मण्डावी
18. श्रीमती विद्यावती सिदार
19. श्री फूल सिंह राठिया
20 श्री अटल श्रीवास्वत
21. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह
22. श्री ब्यास कश्यप
23. श्री बालेश्वर साहू
24. श्रीमती शेषराज हरवंश
25. श्रीमती चातुरी नंद
26. श्री संदीप साहू
27. श्री इन्द्र साव
28. श्री जनक ध्रुव
29. श्री ओंकार साहू
30. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल

कृपया निलंबित सदस्य सदन से बाहर जायें। मैं निलंबन की अवधि पश्चात् निर्धारित करूंगा।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि आज नेता प्रतिपक्ष नहीं है और क्योंकि भूपेश बघेल जी को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया है। इसलिए नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने के लिए, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उनको नियम, कायदे कानून मालूम है कि शून्यकाल में कभी भी इस प्रकार की घोषणा या जवाब नहीं होता है। आपने कहा है कि हम उसे स्वीकार करकर, किसी ने किसी रूप में लेंगे। निश्चित रूप से सरकार संवेदनशील है। अगर कोई महत्वपूर्ण मुद्दा है तो आप जब चर्चा करवायेंगे तब सरकार उसका माकुल जवाब देगी। उसके आधार पर जो कार्यवाही करना होगा, वह शासन करेगा। परन्तु विपक्ष का इस प्रकार से शून्यकाल में जो आचरण है, मुझे लगता है कि वह उचित नहीं है।

श्री रिकेश सेन (वैशाली नगर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से हमारे नये लोगों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया, लेकिन जिस प्रकार का पूर्व मुख्यमंत्री जी का रवैया दिखा। मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों के लिए कार्यशाला लगाने की आवश्यकता है। यह लोग मुआवजा राशि की बात करते हैं। पिछली बार सिर्फ वहां पर अपने नेताओं को खुश करने के लिए, दूसरे प्रदेशों में मुआवजा देने का काम करते थे। इसलिए इनके लिए भी यहां कार्यशाला लगाना बड़ा आवश्यक है।

समय :

12.30 बजे

<u>निलंबन समाप्ति की घोषणा</u>

अध्यक्ष महोदय :- विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 के उप नियम (1) के तहत जो माननीय सदस्य अपने स्थान को छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण, सभा की कार्यवाही से स्वयमेव निलंबित हो गये थे, मैं उनका निलंबन समाप्त करता हूँ।

<u>सदन को सूचना</u>

<u>माननीय सदस्यों को "लैपटॉप" वितरित किया जाना।</u>

अध्यक्ष महोदय :- आधुनिक संचार क्रांति को अपनाते हुए विधायी कार्यों को और अधिक तत्परता एवं शुद्धता के साथ माननीय सदस्यगण संपादित कर सकें, इस दृष्टि से समस्त सम्माननीय सदस्यों को छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय द्वारा "लैपटॉप" वितरित किया जावेगा। (मेजों की थपथपाहट)

अत: सभी सदस्यों से अनुरोध है कि शुक्रवार दिनांक 23 फरवरी, 2024 को मध्यान्ह 12.00 बजे के पश्चात सदन के समीप लॉबी स्थित " सदस्य कक्ष" से स्व-हस्ताक्षर करते हुए, अपने लैपटॉप प्राप्त करें।

आज भोजन की व्यवस्था माननीय लखनलाल देवांगन, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की ओर से माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गई है, कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित।

(12.31 से 12.55 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

समय :

12:55 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)

<u>ध्यानाकर्षण सूचना</u>

अध्यक्ष महोदय :- श्री पुरन्दर मिश्रा जी।

(श्री पुरन्दर मिश्रा, सदस्य के अनुपस्थित रहने पर ध्यानाकर्षण सूचना संख्या - 1 प्रस्तुत नहीं हुई)

अध्यक्ष महोदय :- श्री रामकुमार यादव जी, अपना ध्यानाकर्षण सूचना लेंगे।

(2) जिला-सक्ती में पबिया एवं मव्वार जाति के लोगों का अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र नहीं बनाया जाना

श्री रामकुमार यादव (चन्द्रपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मोर ध्यान आकर्षण सूचना इस प्रकार से हे :-

जिला सक्ती के अंतर्गत विधान सभा चन्द्रपुर के विभिन्न ग्रामों में पबिया एवं मव्वार जाति, सौरा, पाव, पोबिया, खड़िया, माझी, उरांव, धनवार, कोड़, काड़ाकू, ऐसे बहुत सारा जाति हे, जेमन के मात्रात्मक त्रुटि के कारण ओमन के लोग लइका मन के जाति प्रमाण-पत्र नइ बनत हे। ओमन रहे ला आदिवासी ही हे। ओमन कम पढ़े-लिखे के कारण ओमन के बोल-चाल में शब्द अउ उच्चारण में अलग-अलग हो जाथे तेखर कारण मैं ये कहना चाहता हौं कि तत्कालीन ..।

अध्यक्ष महोदय :- आप पहले ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ दीजिये।

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष महोदय, यह बहुत सारा है। मैं शार्ट में पढ़ देवत हौं।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, फिर बाद में जब आपको प्रश्न करना होगा तो प्रश्न आ जायेगा। वक्तव्य के बाद प्रश्न आएगा।

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

जिला सक्ती के अंतर्गत विधान सभा चंद्रपुर के विभिन्न ग्रामों में पबिया एवं मव्वार जाति के लोग निवासरत हैं, जो कि अनुसूचित जनजाति के क्रमशः पाव जनजाति एवं मन्नेवार जनजाति के अंतर्गत आते है, चूंकि पाव एवं मन्नेवार जाति के लोगों को जाति प्रमाण-पत्र प्रदाय किया जा रहा है तथा पाव जाति के पर्याय जाति पबिया एवं मन्नेवार जाति के मव्वार जाति का जाति प्रमाण-पत्र नहीं बन पा रहा है, जिससे इन दोनों जाति के लोगों को शिक्षा, नौकरी, रोजगार के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का लाभ नही मिल रहा है। जाति प्रमाण-पत्र नहीं बनने से वे अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले सभी संवैधानिक अधिकारों से वंचित हैं। वर्ष 2017 में कुछ जातियों में मात्रात्मक एवं पर्याय त्रुटि होने के कारण मिशल या शासकीय दस्तावेज में दर्ज था, जिनमें से 22 जनजातियों को जाति प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया था। वर्तमान में तत्कालीन व्यवस्था हेतु इन जनजाति के लोगों को जाति प्रमाण-पत्र नहीं बनाए जाने से उक्त जनजाति के लोगों में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। मंत्री जी।

आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास मंत्री (श्री राम विचार नेताम) :- यह कथन सत्य नहीं है कि जिला सक्ती के अन्तर्गत विधानसभा चंद्रपुर के विभिन्न ग्रामों में पबिया एवं मव्वार जाति के लोगों का जाति प्रमाण-पत्र नहीं बनने से उन्हें अनुसूचित जनजाति से मिलने वाले सभी संवैधानिक अधिकार से वंचित हो गये हैं जबकि वास्तविकता यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य हेतु जारी अनुसूचित

जनजाति की सूची में पबिया एवं मव्वार जाति शामिल ही नहीं है। यह कहना कि उक्त जातियां पाव एवं मन्नेवार जनजाति के अन्तर्गत आती हैं, चूंकि पाव एवं मन्नेवार जाति के लोगों को जाति प्रमाण-पत्र प्रदाय किया जा रहा है, के संबंध में उल्लेखित हैं कि पाव एवं मन्नेवार जाति छत्तीसगढ़ राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल है। अतः उन्हें नियमानुसार जाति प्रमाण-पत्र जारी किये जा रहे हैं किंतु यह कथन कि उक्त जातियां पाव एवं मन्नेवार जाति के अंतर्गत आते हैं के संबंध में विदित होकर माननीय उच्च न्यायालय के पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ के निर्णय महाराष्ट्र राज्य बनाम एवं मिलिंग एवं अन्य आई.आर.एस. के अनुसार अनुसूचित जनजाति आदेश को वैसा ही पढ़ा जाना चाहिए, ऐसा कहने की अनुमति दिये जाने योग्य नहीं है। एक जानजाति, उप जाति को किसी जनजाति अथवा जनजाति समुदाय का भाग अथवा समूह अथवा पर्यायवाची है। यदि उक्त आदेश में विशिष्ट रूप से उल्लेखित नहीं है तथा अनुसूचित जनजाति के सूची में किसी जनजाति अथवा किसी जनजाति के भाग या समूह को शामिल करने अथवा निकालने का कार्य केवल संसद में ही बनाये गये विधि के द्वारा किया जा सकता है । किसी अन्य प्राधिकारी के द्वारा नहीं । जब तक कोई समुदाय संसद द्वारा बनायी गयी विधि के अनुरूप अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं हो जाता तब तक उन्हें हम अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की पात्रता नियमानुसार नहीं आती । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि महोदय द्वारा उल्लेखित समुदाय पबिया मात्रात्मक एवं पर्याप्त त्रुटि का प्रकरण नहीं है अपितु एक पृथक पहचान वाला समुदाय है । वहीं मवार जाति नाम से संबंधित कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुए हैं । पबिया समाज द्वारा दिये गये अभ्यावेदन के तारतम्य में उक्त समुदाय का जातीय परीक्षण अध्ययन कराया जा रहा है, अध्ययन में प्राप्त तथ्यों एवं स्वतंत्रता के पूर्व प्रकाशित संदर्भ साहित्य के अवलोकन के आधार पर अभिमत शासन को प्रेषित किया जायेगा अत: उक्त समुदाय के लिये तत्कालीन व्यवस्था के अनुरूप में जाति प्रमाण-पत्र जारी किया जाना नियमानुसार सही है ।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ओ भी एक आदिवासी समाज से बिलांग करथे और मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी ला कहना चाहत हंओं कि ये प्रदेश में समय-समय पर बहुत सारा आंदोलन होए हे । आप भी ये बात ला जानत हओ ये प्रदेश में चूंकि मैं भी ओ समय सामाजिक कार्यकर्ता के नाम से बहुत सारा आंदोलन करे रहेओं । ओ समय संवरा, पाव, फोबिया, खडिया, मांझी, उरांव, धनवार, कोड़, कोड़ाकू, कोन इस प्रकार से 22 ठन जाति जो अनुसूचित जनजाति में आथे । ओमन के मात्रा के त्रुटि ये बहुत बड़े गंभीर विषय जतका सदन में हावय, जतका आदिवासी समाज के विधायक हावय उहू मन सब ये बात ला समझही । ओमन का रहिन हे, मात्रा के त्रुटि । पढ़े-लिखे नइ रहय, जंगल में रहने वाला या गरीब ओमन गुरूजी करा जाकर कहत हैं कि मोर बेटा हर संवरा समाज के हे ता स में आ के मात्रा सा अउ र में आ के मात्रा रा या कोई गुरूजी सवरा लिख दिस, पाव से पबिया बन गिस । मैं आज आप करा भी बहुत सारा कागजात उपलब्ध करा दिहां

जेमा पबिया समाज हर आदिवासी समाज के प्रमाण-पत्र बने हे ओ समाज के मन नौकरी करे हे लेकिन ओ मन गरीब हे, पढ़े-लिखे नइ हे, धीरे-धीरे ओ बेचारा मन शिक्षित होगे, मैं कई बार जाकर चूंकि संबंधित अधिकारी करा जनसुनवाई भी होए हे । ओकर कागजात हा अभी बिलासपुर से रायपुर आये हे, मैं बहुत सारा तथ्य दे दिहां । वर्ष 2017 में 22 जाति ला इहां के सरकार हा कहां भेजिस, दिल्ली । इहां के सरकार हा 22 जाति ला दिल्ली भेजिस । ये सदन में बिल पास करतिस लेकिन मात्र 12 ठन ला करिस बाकी ला छोड़ दिस ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहत हंओं चूंकि आप डबल इंजन के सरकार हओ । इहां ईशारा करिहा उंहां बन जही । आप संसद में भी रह चुके हावा ता दुनों के करना ला जानथओ । कइसे इंहां करके वहां करना हे तेला। मैं आपके माध्यम से कहना चाहत हंओं चूंकि अतके बड़े ये प्रदेश में 32 परसेंट आदिवासी समाज रहिथे अउ 32 परसेंट आदिवासी समाज में ओ समाज अभी जाति, निवास के लिये तरसत हे । एक तरफ तुंहर-हमर लइका मन चंदा-सूरज मा जाये के बात करत हे अउ ओ समाज के मन जाति, निवास बर तरसत हे । मैं ये सदन के माध्यम से कहना चाहत हंओं कि जतको जल्दी हो सकय, ये जतका जो अधूरा हे ओला बनइहा । ऐमा पिछड़ा वर्ग के भी एक ठन हावय ।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न कर लीजिये, भाषण लंबा मत दीजिये ।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय मंत्री जी, ऐमा यादव समाज के भी एक त्रुटि हे । काबर कि ओकरो मंत्री हओ । रावत।

श्री रामविचार नेताम :- आदिवासी बर मांग करत हस ?

श्री रामकुमार यादव :- नइ, आदिवासी मांग नइ करत हन । हमन पिछड़ा वर्ग मा रहिबो । जइसे हमर गांव में एक ठन हे, रावत लिख देथन । अब उत्तराखण्ड के रावत जी हे । ओ हा पंडित हे, ठाकुर हे अउ इहां रावत लिखा गे हे । जइसे तुमन नइ कहिथा पानी भरे कौन आत हे, रउत आत हे, रावत आत हे ता ओसनहे गुरू जी हा पढ़े-लिखे नइ हे यादव मन ता दीदी हो आदिवासी अउ यादव मा ज्यादा अंतर नइ हे । तु ही मन कस जंगल मा हमू मन रहिथन, तु ही मन कस पढ़े-लिखे हमू मन नइ हन ता ओ मन रावत लिख दिस । अब केंद्रीय जाति मा जात हे ता ओमा ठाकुर बन जात हे । यादव पिछड़ा वर्ग में मुकाबला नइ करे सकत हे ता ठाकुर ला कहां ले मुकाबला करए ?

श्री रामविचार नेताम :- प्रश्न करना भई ।

श्री रामकुमार यादव :- ता आपसे निवेदन हे कि यादव ला भी जोड़ा । यह मैं कहना चाहत हंओं ।

अध्यक्ष महोदय :- आप बहुत भटक रहे हैं । आपका ध्यानाकर्षण कहां था कि पबिया से संबंधित समाज के लिए था और आप यादव में आ गये। अब आप मंत्री जी से जवाब यादव के लिए ढूंढेगे कि..।

श्री रामकुमार यादव :- यादव भी हे। ओखरो भी करवा देवय।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, आप जवाब क्या चाहते हैं?

श्री रामकुमार यादव :- यही चाहथव कि ए मन के जाति निवास बर आपके लिए का किये जाथे पबिया हे, पाव हे, रावत हे।

अध्यक्ष महोदय :- पबिया, पाव और रावत के लिए चाह रहे हैं या यादव के लिए चाह रहे हैं?

श्री रामकुमार यादव :- रावत उही हे।

अध्यक्ष महोदय :- आप खुद कंफ्यूज हो रहे हैं।

श्री रामकुमार यादव :- यादव में रावत को भी सूची में जोड़ा जाये।

अध्यक्ष महोदय :- भइया, यादव में मत आइए न। अभी आप इसी में आइए। रावत के लिए अलग से प्रश्न होगा।

श्री रामकुमार यादव :- साहब, ये पिछड़ा वर्ग के भी मंत्री हे।

अध्यक्ष महोदय :- इसी को पहले पूछ लो, जो आपका ध्यानाकर्षण है।

श्री रामकुमार यादव :- चलिए, ठीक हे। पबिया के लिए का करथव, बवावव।

श्री रामविचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय..।

श्री भईया लाल राजवाड़े (बैकुंठपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बोल रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- आप जवाब देने के लिए खड़े हुए हैं या ये आपका प्रश्न है?

श्री भईया लाल राजवाड़े :- मैं उन्हीं पर आ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, ये प्रश्न है या जवाब है?

श्री भईया लाल राजवाड़े :- मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- पूछ लीजिए प्रश्न। ध्यानाकर्षण में ज्यादा प्रश्न नहीं होता।

श्री भईया लाल राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पण्डो जाति के लोग हैं, उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। उनका नाम सूची में तो है, लेकिन भू अभिलेख में इनका नाम क्या है भुंइहार। तो जब तक वह सुधार नहीं होगा, तब तक वो पण्डो जाति का प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। क्या आप सुधार करवायेंगे?

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, जवाब सुन लीजिए।

श्री रामविचार नेताम :- माननीय, ये प्रश्नकाल नहीं है।

श्री भईया लाल राजवाड़े :- नहीं, तो मैं पूछ रहा हूं।

श्री रामविचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने संरक्षण दिया और सब ने अपनी-अपनी बात रखी। आप सबको मालूम है कि अनुसूचित जनजाति के लिए जो प्रक्रिया है, हरसी है, तिरखी है, मात्रात्मक त्रुटि है। इसके लिए भी अपने यहां से छत्तीसगढ़ से या शासन स्तर से हम नहीं कर सकते हैं। ये पूरा अधिकार संसद को है। संसद के द्वारा पारित होकर माननीय राष्ट्रपति तक जाता है और इसके

बाद ही उसे अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य के द्वारा ध्यानाकर्षण में जो इन्होंने पबिया एवं मव्वार जाति के लोगों को जाति प्रमाण पत्र देने के संबंध में आपने मांग की है तो अध्यक्ष महोदय, इसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की जो सूची है, उस सूची में ये 27 अंक तक इसे मान्य किया गया है और आपने मन्नेवार, और माड़ और पाव जैसी जाति के अनुसार इन्हें भी सुविधा दी जाये, इस तरह की आपने मांग की है। मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं और आप जो चाह रहे हैं, आपने सदन में विषय उठाया है तो इन सबको शामिल करते हुए मैं प्रस्ताव भारत सरकार में भेजूंगा, फिर जैसा भी हो।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, भेज दीजिएगा। ठीक है ये प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेज देंगे।

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री ला बता देवव कि ये पाव और पबिया अलग-अलग नो हे, एके ठोक हे। आप मन कंफ्यूज हो, ए कारण आप मन ला बता देना चाहथव। जैसा कि हमन के साधारण बोल-चाल के भाषा रहथे जैसे छत्तीसगढ़ी में का कहथन, दू ठन चलथन जैसे गाड़ी-घोड़ा, गाड़ी-घोड़ा आगिस का। भात-साग आगिस का। उसी प्रकार के पाव से ओहा पबिया बनगे। गांव में बोल-चाल के भाषा में तो आपके मैं नॉलेज में लाथौं कि ये पाव अउ पबिया दोनों एकेच हे, जेखर वर्ष 2000 के पहले छत्तीसगढ़ बने के पहले जाति निवास बनत रहिसे, धीरे-धीरे ओहा बंद होगिस, अउ ओमन ला जबर्दस्ती कुछ व्यक्ति मन ओ आदिवासी मन के जमीन मन ला ले हावय तो फिर से 70 (ख) में निकल झन जाही करके बहुत सारे आदमी मन प्लानिंग करके एला किये जाथे। तेखर खातिर मैं कहना चाहथव कि गरीब आदमी अपन अधिकार से वंचित मत हो तेखर खातिर आदिवासी ला जो महतारी के कोख ले आदिवासी जनम ले हावय, जेखर खून में आदिवासी दौड़थे, ओला आदिवासी प्रमाण-पत्र आपला जरूर देना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहथव और अंत में यादव वाला भी कह देवत हावव, आप ओखरो मंत्री हव। यादव मन भी आदिवासी हन। तुम्हरे तीर में रहथन। तुमन भी पढ़े-लिखे नहीं रहन, हमन भी पढ़े-लिखे नहीं रहन। तो वो रावत लिखिस त राउत गरूवा ढिल डारिस तो कोनो रावत कह दिस। तो वो यादव हा रावत दिख देवय, पढ़े-लिखे तो नहीं रहे। जब केन्द्रीय जाति में जाथे तो ओहा ठाकुर हो जाथे कि ब्राह्मण हो जाथे । तो आपसे निवेदन हे कि इहां से प्रस्ताव दिल्ली भेजव कि रावत भी यादव हे। एक सूची जोड़ देवव । मैं सुने हौं संसद भवन में आपके बड़ चलथे, ताली बजवाकर उहां पास करवा दिहौ ।

श्री द्वारिकाधीश यादव (खल्लारी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी बातें, जिन-जिन जातियों की सदन में आई हैं, उनके अतिरिक्त भी 10 वर्ष पहले जिस वर्ग में जाति प्रमाण पत्र बनता था, चाहे राऊत हो, चाहे आदिवासी वर्ग का हो, चाहे एस.सी. का हो । उसको समुचित जांच करके एक साथ भेजा जाए ताकि एक साथ सभी वर्गों को लाभ मिले । वास्तव में गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है । आप विभागीय कमेटी बनाकर या

विधायक दल का गठन कर दीजिए और जिन जातियों का भी नहीं आया है, जिनका प्रमाण पत्र पहले बनता था । जहां तक मैं समझता हूं दिल्ली में अंग्रेजी में बनता है और छत्तीसगढ़ में हिंदी में, उस कारण से भी लोग वंचित हो रहे हैं । इसमें जो भी वंचित हो रहे हैं वे अत्यंत गरीब हैं । आप सर्वोच्च प्राथमिकता में रखिए और डबल इंजन का परिणाम इसी विषय पर सबसे पहले आ जाए ।

श्री ब्यास कश्यप (जांजगीर-चांपा) :- अध्यक्ष महोदय, मैं आदिवासी समाज के विषय में बोलना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- इसमें कहां से प्रश्न आ गया । यह ध्यानाकर्षण सूचना है।

श्री ब्यास कश्यप :- प्रश्न नहीं है । ध्यानाकर्षण है और आदिवासी समाज की बात चल रही है हमारे जिले के और आसपास के जिले में सबरिया जाति, जो कि साबर लेकर चलते थे, सबरिया लिखा गए हैं । कई जगह आज भी उनको गोंड जाति का प्रमाण पत्र मिला है, पिता को मिल गया है किंतु बेटे को नहीं मिल पा रहा है। पंचायत राज के अंतर्गत वे आदिवासी क्षेत्र से चुनाव भी लड़ते हैं परंतु कुछ त्रुटियों के चक्कर में वो अभी तक नहीं हो पाया है । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि सबरिया को जिन्हें गोंड जाति के रूप में प्रमाण पत्र मिला है । यदि एक को मिला है तो सभी को मिले ताकि उन्हें उस विभाग की योजनाओं का समुचित लाभ मिल सके।

श्री पुरंदर मिश्रा (रायपुर नगर उत्तर) :- अध्यक्ष महोदय, क्षमा याचना के साथ निवेदन है कि मैं दवाई लेने चला गया था । इसलिए मेरा ध्यानाकर्षण निकल गया । मुझे एक मौका देंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- सदन की कार्यवाही जब एक बार आगे बढ़ जाती है । ध्यानाकर्षण क्रमांक 1 में आपका नाम पुकारा गया, आप अनुपस्थित थे । चर्चा एक बार आगे बढ़ने के बाद वापस नहीं होती । कृपया सभी सदस्य ध्यान रखेंगे । यह सदन का नियम है और अनुशासन है ।

श्री पुरंदर मिश्रा :- अध्यक्ष महोदय, कल रखने के लिए विचार कर लीजिएगा।

अध्यक्ष महोदय :- हां, इसमें आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं । मैं इस पर विचार करूंगा ।

समय
1.13 बजे

<u>नियम 267-क के अधीन विषय</u>

अध्यक्ष महोदय :- निम्न लिखित सदस्य की शून्यकाल की सूचना सदन में पढ़ी हुई मानी जाएगी तथा इसे उत्तर के लिए संबंधित विभाग को भेजा जाएगा -

1. श्री दिलीप लहरिया
2. श्री ब्यास कश्यप
3. श्री बघेल लखेश्वर

समय
1.13 बजे

याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित उपस्थित माननीय सदस्यों की याचिकाएं सभा में पढ़ी हुई मानी जाएंगी :-

1. श्रीमती भावना बोहरा
2. श्रीमती रायमुनी भगत
3. भोलाराम साहू
4. श्रीमती संगीता सिन्हा
5. श्रीमती चातुरी नंद
6. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल
7. श्री दिलीप लहरिया

समय
1.14 बजे

वित्तीय वर्ष 2024-2025 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

मांग संख्या 19 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
मांग संख्या 79 चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय
मांग संख्या 50 बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय

श्री कुंवर सिंह निषाद (गुंडरदेही) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शरीर ठीक है तो सब ठीक है, हेल्थ इज़ वेल्थ । यदि शरीर में विकार हो तो निश्चित ही बीमारी की चिंता बढ़ती है और हम चाहकर भी इस चिंता से उबर नहीं पाते । मनुष्य अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कई प्रकार के उपाय करते हैं । किंतु व्याधि है कि बताकर नहीं आती । स्वस्थ शरीर में भी इसका प्रभाव पड़ जाता है । अध्यक्ष महोदय, आज शरीरिक रूप से कमजोर होने का प्रमुख कारण असंयमित दिनचर्या खानपान एवं रहन-सहन है । समय पर सोना नहीं, समय पर खाना नहीं । खा रहे हैं तो फास्टफूड, जंकफूड यह उचित नहीं है । प्रदूषण भी स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालता है । इस भागमभाग जिंदगी में हम सब आधुनिकता का लिबाज ओढे हैं, सब गाड़ी मोटर का सहारा लेते हैं, कोई न तो पैदल चलता है न ही सायकिल से चलता है। सब आराम चाहते हैं, इनकी जगह अब बाईक एवं कार ने ले ली है । अत: हमें बहुत सी चीजों पर ध्यान देकर रहना होगा, जो हमारे शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं और हम शारीरिक रूप से कमजोर होते जा रहे हैं । पहले हम ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट अटैक, किडनी जैसे गंभीर बीमारी के बारे में सोचते

थे तो एक उम्रदराज व्यक्ति के बारे में कल्पना आती थी। अध्यक्ष महोदय, अब इस बीमारी में कोई उम्र का बंधन नहीं रह गया। आज 14 साल, 15 साल, 16 साल के बच्चों को भी हार्ट अटैक हो रहा है, ब्लडप्रेशर हो रहा है, शुगर हो रहा है, किडनी की बीमारी हो रही है। खासकर आज कल बच्चों और युवा में यह गंभीर बीमारी ज्यादा ही देखा जा रहा है। समय के अनुसार ईलाज में भी परिवर्तन आया है। पहले अस्पताल में कैची और अन्य उपकरण का उपयोग होता था, लेकिन अब उनकी जगह अत्याधुनिक मशीनों ने ले लिया है। इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी का समावेश भी हुआ है। प्रदेश में भी स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए समय-समय पर स्वास्थ्य सुविधाओं का उन्नयन किया गया है। अस्पताल को कभी भी राजनीति का अखाड़ा नहीं होना चाहिए। बीमारी न पार्टी को देखकर आती है, न सरकार को देखकर आती है, पक्ष हों चाहे विपक्ष हों, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े और कोशिश यह होनी चाहिए कि जनता को कैसे ईलाज की सुविधा दिला सकें, उनको समुचित स्वास्थ्य लाभ मिल सके। वह समय भी याद है जब हम लोग छोटे-छोटे थे, एन.सी.सी. में रहते थे तो हम लोगों की टोली को एक टीम बना करके स्वास्थ्य के जितने भी कैंप होते थे, चाहे नशबंदी का शिविर हो या आंख का ईलाज हो, बड़ी सोच और धैर्यता के साथ काम करते थे कि हमें एक सेवा करने का अवसर मिला है। वह दिन भी याद है जब एक भयावह स्थिति छत्तीसगढ़ में निर्मित हुई थी, आंखफोड़वा कांड और गर्भाशय कांड हुआ था, वह भी हमें याद है। केवल लापरवाही का नतीजा था, इसके बाद यह शिविर लगभग बंद हो गया है, इन्हें फिर चालू करने की जरूरत है, ताकि जनता के बीच फिर वह विश्वास कायम रख सकें। पी.एच.सी. और सी.एच.सी. को आधुनिक सुविधा से जोड़ने की जरूरत है ताकि गरीब एवं मध्यमवर्गीय परिवार कम खर्च में अपना ईलाज करवा सकें। निजी संस्थान में ईलाज नहीं कराने में असमर्थ परिवार अपने परिवार को भी खो देते हैं, यह पीड़ा हमेशा उनको रहता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं को कैसे बेहतर बनाएं, इसमें सरकार का ध्यान होना चाहिए। गंभीर बीमारी कैंसर, लकवा, हार्ट अटैक एवं अन्य बीमारी होने पर गरीब परिवार एकदम लाचार हो जाता है। उसे कुछ भी नहीं सूझता और वे निजी संस्थान में जाकर भर्ती तो कर देते हैं, जब खर्च की बारी आती है तो या तो उन्हें अपनी जमीन बेचना पड़ता है या फिर माता और बहनों की गहने भी बेचना पड़ जाता है। जब वे ईलाज कराकर कर्ज में डूबते हैं, उनके प्रति भी ऐसी सहानुभूति विचार होना चाहिए, ताकि हम उन्हें राहत प्रदान कर सकें। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा पीड़ित परिवार को स्वेच्दानुदान राशि के माध्यम से सहायता दिलवाते थे, अत: उन पीड़ित परिवारों को आर्थित सहायता दी जाए, इसकी भी मांग मैं माननीय मंत्री जी से करता हूं। हमारे पास अच्छे-अच्छे अस्पताल हैं, पर पर्याप्त डॉक्टर, विशेषज्ञ के अभाव में सही समय पर ईलाज नहीं हो पाता, इसके कारण लोग निजी संस्थानों की ओर जाते हैं। आजकल ज्यादातर चिकित्सक डिग्री लेने के बाद उच्च शिक्षा के लिए बाहर चले जाते हैं, वहां से आने के बाद दो या तीन साल शासकीय संस्थानों मे कार्य करने के बाद वे सीधा या तो क्लीनिक

खोल लेते हैं या फिर निजी संस्थानों में सेवा देने लगते हैं जिसके कारण शासकीय अस्पतालों में विशेषज्ञों की कमी रहती है। अत: इस पर संज्ञान लेते हुए कुछ कठोर नियम बने। ताकि डॉक्टर लंबे समय तक शासकीय अस्पतालों में अपनी सेवा दें और लोगों को उचित ईलाज मिल सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में आजकल अखिल भारतीय स्तर पर एम्स की भी स्थापना हुई है, बिलासपुर में सिम्स की भी स्थापना हुई है, आज ऐसे बहुत से परिवार हैं जो चाहकर भी पैसे के अभाव में एम्स में ईलाज नहीं करा पा रहे हैं। वहां पर भी ईलाज में शिथिलता हो, यह मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करता हूं। क्योंकि हमारे पास कई ऐसे परिजन आते हैं, चाहे वह मेकाहारा हो, एम.एम.आई. हो या अन्य जगह से उन्हें रिफर कर दिया जाता है, जब वे एम्स जाते हैं तो वहां पर उनको ऑपरेशन का खर्च बताया जाता है तो उनके पास एक ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है कि या तो उस परिवार को उसे खोना पड़े या उनके समक्ष जमीन बेचने की नौबत आती है। मैं चाहूंगा कि इसे कुछ शिथिल करके सरकार की तरफ से एक ऐसी योजना आनी चाहिए, जिससे उन परिवारों को राहत मिले। मेकाहारा अपने आप में एक महत्वपूर्ण संस्थान है लेकिन ज्यादा संख्या में मरीज आने की वजह से वहां पर भी अव्यवस्था का आलम रहता है। मरीज के साथ परिजन के लिए भी उचित व्यवस्था नहीं हो पाती है और वह एक-दो दिन वहां रहने के बाद या तो घर चले जाते हैं या अपने परिवार के सदस्य को दूसरी जगह ईलाज के लिए भर्ती कर देते हैं। बहुत से स्थानों में मेडिकल कॉलेज बनने से चिकित्सा सुविधा में सहयोग तो मिला है, परंतु आज भी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल विशेषज्ञ की मार झेल रहे हैं। डॉक्टर जहां-जहां पर भी बाहर में पढ़ाई करते हैं तो डिग्री मिलने के बाद उनकी पोस्टिंग स्थानीय स्तर पर होनी चाहिए। मान लीजिए कि बस्तर, जगदलपुर, कांकेर, कोण्डागांव या सुकमा के डॉक्टर हैं तो वहां के डॉक्टर की वहीं पर पोस्टिंग कर दीजिए। इससे उनके लिए भी सुविधा होगी और सरकार के लिए भी सुविधा होगी और वहीं पर उनकी आगे की पढ़ाई की व्यवस्था भी होनी चाहिए, ताकि लोगों को स्थानीय स्तर पर उचित ईलाज मिल सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना निश्चित ही एक गरीब परिवार के लिए संजीवनी का काम करती है। जो परिवार पैसे के अभाव में ईलाज नहीं करा पाते हैं, वैसे परिवार अब अपने परिवार के सदस्य का ईलाज शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में करा रहे हैं। उन्हें 5 लाख रूपये से लेकर 25 लाख रूपये तक की बीमा व चिकित्सा सुविधा दी जाती है। यह योजना लोगों के जीवन में खुशियों का पैगाम लेकर आती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से एक अघोषित आदेश के तहत् लगभग सभी जगह आयुष्मान कार्ड से ईलाज बंद है। इस ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। मेरे पास ऐसे कुछ प्रमाण हैं, जिनके कारण आज लोग अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं। उन्हें भी इसकी सुविधा मिल सके और जिस तरह से आयुष्मान कार्ड से लोगों का ईलाज हो रहा था, वह पुन: प्रारंभ हो और शासन के द्वारा उनको 5 लाख रूपये से लेकर 25 लाख रूपये तक की ईलाज की जो सुविधा मिलती थी, उसको गति मिले और लोगों को ईलाज की सुविधा मिल सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार की ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं, जिनसे लोगों को राहत मिल रही है। लोग कीडनी की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। लोगों को मुफ्त में डायलिसिस की सुविधा मिल रही है और सरकार ने जिला स्तर पर भी इसकी सुविधा दी है। लेकिन कई लोगों को अभी तक इसकी जानकारी नहीं है। जब हम लोग स्थानीय स्तर पर अपने क्षेत्र में दौरे पर जाते हैं तो हमें ऐसे कई परिजन मिलते हैं, जो कीडनी की बीमारी से ग्रसित हैं, लेकिन पैसे के अभाव में वह ईलाज नहीं करा पाते हैं। मुझे दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जोरातरई में एक ऐसा परिवार है, जिसमें 3 बच्चे और स्वयं उनकी उस बीमारी से जूझ रही हैं। सरकार की योजनाओं के माध्यम से मुझे ऐसे लोगों की सेवा करने का अवसर मिला है। आज जब मैं देखता हूं कि जॉनी नाम के एक लड़के और उसके भाई दोनों की कीडनी खराब है। वह अपने भाई को लेकर बाइक से डायलिसिस कराने के लिए जाता है। मैंने उसे कई बार मना किया है कि गाड़ी से मत जाओ, लेकिन उसने कहा कि नहीं भैया, मैं ऐसे ही ठीक हूं और मुझे जाने-आने से अच्छा लगता है। मतलब, उसका आत्मबल बढ़ा है कि व्यक्ति डायलिसिस कराने के लिए बाइक से जाता है और डायलिसिस कराने के बाद पुन: बाइक से वापस घर आता है। ऐसे परिवार के प्रति हमारी सहानुभूति और संवेदना होनी चाहिए। ताकि हम उस परिवार को जीवन तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन ईलाज की सुविधा प्रदान करके उनसे मानवीय रूप से जुड़ सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार बहुत सी योजनाएं लाती है, परंतु धरातल में इनका कितना क्रियान्वयन हो पाता है, यह सरकार की कार्यशैली पर निर्भर करता है। योजना बनाकर छोड़ देने से काम नहीं होगा। योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए उसकी बराबर मॉनिटरिंग होनी जरूरी है। तभी हम अपनी विभिन्न योजनाओं को सफल कर पाएंगे। गरीब लोग अच्छे अस्पतालों में ईलाज तो करा लेते हैं, परंतु पैसे के अभाव में महंगी दवाई नहीं ले पाते हैं। उनके लिए धन्वंतरी मेडिकल स्टोर एक वरदान के रूप में साबित हुई। निश्चित ही वहां पर दवाई की कीमत में 60-70 प्रतिशत की कमी होती है। इससे गरीब परिवारों को बाजार मूल्य से कहीं ज्यादा राहत मिल पाती है। इसका और भी विस्तार करने की जरूरत है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो धन्वंतरी मेडिकल स्टोर संचालित हो रहे हैं, उसे पी.एच.सी. और सी.एच.सी. स्तर पर भी ले जाने की जरूरत है। यदि पी.एच.सी. स्तर पर कर दें तो निश्चित ही लोगों को सस्ते दामों में आसानी से दवाई मिल सकती है । प्रसूति योजना में ग्रामीण महिलाओं को 1400 रूपए मिलते हैं और नगरीय क्षेत्र में 1000 मिलता है । बहुत दिनों से यह राशि चली आ रही है । मैं चाहता हूं कि इसमें भी वृद्धि की जाये क्योंकि आजकल महंगाई के समय 1400 और 1000 रूपए कुछ नहीं होता । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को कम से कम 3000 और नगरीय क्षेत्र की महिलाओं को कम से कम 2 से ढाई हजार रूपए तक दिया जाये, यह मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मितानीन बहिनें सबसे ज्यादा ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सुविधा से जुड़ी रहती हैं । आजकल दाई की प्रथा तो बंद हो गई है, लेकिन कुछ-कुछ जगह आज भी दाई लोग काम करते हैं, पर आजकल दाई का काम मितानीन बहनों से ले लिया है । वे बराबर मानीटरिंग करती हैं, वे हमेशा सेवा में उपलब्ध रहती हैं । हमारी सरकार ने उनका मानदेय बढ़ाया है । अस्पतालों में प्रसव के समय या बीमारी के समय वे हमेशा मरीज के साथ ही रहती हैं, परिजन के साथ रहती हैं और सेवा देती हैं । अत: प्रति मरीज उनको जो प्रोत्साहन राशि मिलती है, वह भी कम है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि उसकी प्रोत्साहन राशि में भी वृद्धि कर दी जाये । महंगाई के दौर में वह राशि कम है, उसमें भी वृद्धि होनी चाहिए क्योंकि गांव में सही ढंग से सेवा वही दे रही हैं तो सेवा के प्रति उनका सम्मान भी हो जाएगा ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि जीवन है तो सब है । इस अवधारणा को लेकर बस यही गुजारिश करता हूं कि स्वास्थ्य के लिए बजट और बढ़ाना चाहिए, वरना राशि के अभाव में अस्पतालों में सिर्फ रेफरल सेन्टर बनकर रह जाएंगे । आज सत्य यह है कि शासकीय अस्पताल यातना स्थल भी बनती जा रही है । सभी जगह दवाई, डाक्टर, नर्सिंग स्टाफ, सफाई कर्मी की कमी से जुझ रहे हैं, जिसका खामियाजा जनमानस भुगत रहा है । शासकीय अस्पतालों को बदतर स्थिति से उठाने हेतु सुझाव हैं, इस पर काम करना जरूरी है । बजट में व्यापक व व्यवहारिक दृष्टि को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से दो चार बिन्दु माननीय मंत्री जी के समक्ष रखना चाहता हूं कि अस्पतालों को पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था दें, ताकि वे सही ढंग से चले सके । दूसरा, अस्पतालों को कुशलता से चलाने के लिए तकनीकी सुधार एवं नवीन उपकरणों की स्थापना व संचालन करने के लिए पैसा दिया जाये, यह मैं मांग करता हूं । अस्पतालों में कुशल डॉक्टर, नर्स और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति बढ़ाई जानी चाहिए । उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना चाहिए । साथ ही सभी जिला अस्पतालों में नवीनतम तकनीकी का उपयोग सुनिश्चित होना चाहिए । जैसे ही डिजीटल रिकॉर्ड, एम.आर.आई. इन सारी चीजों की सुविधाएं अस्पतालों में होनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय, अस्पतालों की सुरक्षा और स्वच्छता पर सबसे ज्यादा ध्यान होना चाहिए । रोगी और वहां पर रहने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए प्रोटोकॉल्स को भी स्थापित करना चाहिए । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में बहुत महत्वपूर्ण बात लाना चाहता हूं । सरकार गैर सरकारी संगठन और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग बढ़ाए, ताकि सामूहिक रूप से स्वास्थ्य सेवाएं सुधारी जा सके । इन कदमों का पालन करके शासकीय अस्पतालों की स्थिति में काफी हद तक सुधार किया जा सकता है और हम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दे सकते हैं ।

समय :
1:29 बजे

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक मांग कर देता हूं । बहुत से सी.एच.सी., पी.एच.सी. और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आज भी स्टाफ की कमी है, जिसके कारण समय पर ईलाज नहीं हो पाता । लोग दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, जिनकी जहां पर पदस्थापना है, उसे मुख्यालय में रहने का आदेश होना चाहिए, ताकि समय आने पर वहां की जनता और नागरिकों को तत्काल मेडिकल की सुविधा मिल सके । मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मोदी की गारंटी के माध्यम से आपने स्वास्थ्य सुविधा के लिए बहुत सी बातें की हैं । आपने आयुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की सीमा को दोगुना करके प्रति परिवार 5 से 10 लाख रूपए प्रदान करेंगे, यह आपके घोषणा-पत्र में है, लेकिन आपके बजट में कहीं पर इसका उल्लेख नहीं दिख रहा है । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस पर जरूर विचार करें । माननीय सभापित महोदय, मैं साथ ही यह भी कहना चाहूंगा कि अभी लगातार पत्रों और समाचार-पत्रों के माध्यम से शिकायतें आ रही हैं। एक गंभीर मामला आया है। सेन्ट्रल लैब की जांच में तो दवा फेल हो जाता है, लेकिन सी.जी.एम.एच.सी. की लैब में पास हो जाता है। इसमें बहुत घालमेल चल रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि गुजरात में मेन फार्मास्यूटिकल दवाएं बैन हैं, जो सेन्ट्रल लैब की जांच में फेल हो जाता है। लेकिन आपके सी.जी.एम.एच.सी. की लैब में पास कर दिया जाता है। इसलिए इसमें भी जांच होनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, एक बड़ा मुद्दा सामने आया है। विधानसभा चुनाव के एक माह पहले अचानक तीन सौ करोड़ रूपये से ज्यादा का रिएजेन्ट खरीद गया। खून की जांच में उपयोग होने वाले इस कैमिकल को काफी बड़ी मात्रा में खरीदा गया है। इसके बाद गड़बड़ी को छिपाने के लिए इसे सैकड़ों अस्पताल में सप्लाई कर दिया गया, जहां ना ता लैब है ना टेक्निशियन है, जो यह एक गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। मैं सदन से इसकी जांच की मांग करता हूं। इसमें जो भी दोषी हों, उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। क्योकि यह स्वास्थ्य सुविधा का मुद्दा है और लगभग 3 सौ करोड़ का मामला है।

माननीय सभापति महोदय, ऐसी ही और कुछ बातें हैं। मैं आपको लिखकर दे दूंगा। मैंने, आपसे पूर्व में भी निवेदन किया था और माननीय मंत्री जी से आज भी निवेदन कर रहा हूं कि मैं जिस अर्जुन्दा नगर में रहता हूं, वहां बहुत पुराना अस्पताल है। भवन लगभग जर्जर हो चुका है। पिछले साल संधारण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 70 लाख रूपया मिला था, उसमें कुछ भवन का संधारण कार्य हुआ है। लेकिन पूरा भवन जर्जर हो चुका है। वह कम्युनिटी हेल्थ सेन्टर है, 30 बिस्तर का अस्पताल है।

तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई थी, बजट में प्रावधान भी है, इसे तत्काल स्वीकृत कराकर नये भवन निर्माण के लिए मांग करता हूं। अर्जुन्दा सी.एच.सी. के लिए नये भवन की स्वीकृति प्रदान करें। साथ ही देवरी के सी.एच.सी. का भूमि पूजन हुआ है, वहां सेटअप है, सारी चीजें हैं। लेकिन आज उस देवरी सी.एच.सी. में पूर्ण सेटअप की स्वीकृति अभी तक नहीं मिली है। मैं इस पर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि पूर्ण सेटअप के साथ वहां पर डाक्टर की पदस्थापना करें।

माननीय सभापति महोदय, जब कोई दुर्घटना होती है और जब व्यक्ति दिवंगत हो जाता है तो उसका पी.एम. कराने के लिए गुण्डरदेही ले जाना पड़ता है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि अर्जुन्दा और देवरी सी.एच.सी. में मरच्युरी की भी स्थापना की जाये। साथ ही अर्जुन्दा मेरा निवास स्थान है, मैंने पिछले साल कैसे भी करके एक यूनिट स्टाफ क्वाटर का निर्माण चालू करवाया, वह अभी निर्माणाधीन है। माननीय मंत्री जी, मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि वहां एक यूनिट और स्टाफ क्वाटर का निर्माण हो जाये। अस्पताल परिसर में बाउण्ड्री वाल हो जाये। अस्पताल परिसर में बाउण्ड्री वाल हो जाये तो निश्चित ही हम सुरक्षित रहेंगे। जो अनावश्यक जानवर या अन्य लोग आ जाते हैं, उससे भी राहत मिलेगी। माननीय सभापति महोदय, मैं इतना कहकर अपनी बातों को समाप्त करता हूं और अनुदान मांग 19, 79 तथा 50 का विरोध दर्ज करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री धरम लाल कौशिक (बिल्हा) :- माननीय सभापति महोदय, नई सरकार में स्वास्थ्य मंत्री की नई जवाबदारी है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी का यह प्रथम बजट है। उनके प्रथम अनुदान मांग के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी के विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही है। इसमें मांग संख्या- 19 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मांग संख्या-79 चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय, मांग संख्या-50 बीस सूत्रीय कार्यान्वयर विभाग से संबंधित व्यय का समर्थन करता हूं और समर्थन करते हुए मैं इसमें बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी के द्वारा अनुदान मांग में इस वर्ष 10,459 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो वर्ष 2023-24 की तुलना में लगभग 6.5 प्रतिशत अधिक रखा गया है । मैं इसके लिये मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ । सभापति महोदय, स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा विभाग है, जिसमें जितनी राशि दी जाये, वह कम है । प्रदेश के लोगों को यदि स्वस्थ रखना है, स्वस्थ रखने के लिये भगवान के बाद में यदि किसी दूसरे का स्थान है तो हमारे डॉक्टर का है, जो हमारे स्वास्थ्य की चिन्ता करते हैं । सभापति महोदय, आज अस्पतालों में भवन की आवश्यकता है, दवाई की आवश्यकता है, आधुनिक मशीन की आवश्यकता है, अनेक यंत्रों की आवश्यकता है, उस दिशा में हम जितना समृद्ध

होंगे, उतनी हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ होगी, अत: इसमें अधिक से अधिक राशि के बजट हेतु समर्थन किया जाना चाहिये । सभापति महोदय, हमारे सरकार की यह कोशिश है कि प्रदेश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ हो और यह भी प्रयास किया जा रहा है कि उनका सहजता और सरलता से ईलाज किया जा सके । अस्पतालों में जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टॉफ है, आफिस स्टॉफ है, जो अस्पतालों में अपनी सेवायें दे रहे हैं, इनकी बड़ी जवाबदारी है कि वह अपेक्षित परिणाम दे । सभापति महोदय, आज जो हमारे सूचकांकों में जो परिलक्षित है, जो परिवर्तन है, वह हमारे स्वास्थ्य विभाग के मेंहनत का परिणाम है, अच्छे ईलाज का परिणाम है । सभापति महोदय, मैं इसमें कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा कि परिवार कल्याण कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के फलस्वरूप राज्य का सकल प्रजनन दर नेशनल फेम्ली हेल्थ सर्वे 05 के अनुसार राष्ट्रीय औसत के समकक्ष छत्तीसगढ़ खड़ा हो गया है । सभापति महोदय, जहां तक शिशुओं के टीकाकरण की बात है, यदि हम इसे प्रतिशत में लेंगे तो हमारा जो राष्ट्रीय औसत है, हम उस पर भी बढ़त बनाने की स्थिति में आ गये हैं और उससे आगे बढ़ रहे हैं । सभापति महोदय, हमारे जो उप स्वास्थ्य केनद्र हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, जिला चिकित्सालय हैं, औषधालय जो स्थापित हैं, इसके लिये बजट में 2702 करोड़ रूपये का प्रावधान है तो निश्चित रूप से इसका परिणाम भी आयेगा । सभापति महोदय, मैं इसमें कहना चाहूंगा कि हमारा जो संस्थागत् प्रसव है, वह लगभग 85 परशेंट हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इस संस्थागत् प्रसव को 90 परशेंट तक ले जाने के लिये सुनिश्चित करें । इससे हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य सुविधाओं में विसतार होगा । सभापति महोदय, प्रदेश में शिशु मृत्यु दर प्रति हजार जो 38 है, उसे हमें प्रति हजार 36 की संख्या तक लाना होगा । जहां तक मातृत्व मृत्यु दर का सवाल है, यह प्रति लाख 137 है, बजट की उपयोगिता तभी सार्थक होगी, जब हम उसे 110 प्रति लाख तक लाने का लक्ष्य पूरा करें और यह हमारी सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिये सरकार कार्य कर रही है । सभापति महोदय, यहां पर दवा पेटी की बात सामने आई है, गांवों में तत्काल जो आवश्यकता है, चाहे वह सिर दर्द की हो, पेट दर्द की हो, किसी को डायरिया की शिकायत हो तो डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले इन छोटी-छोटी बीमारियों की व्यवस्था हो जाये, इसलिये इस बजट में प्रावधान किया गया है । सभापति महोदय, आज के समय में मितानिन की जागरूकता और उनकी उपयोगिता के बारे में कह सकता हूँ कि गांवों में मितानिनों को बहुत सारे कार्य दिये गये हैं, जैसे टीकाकरण का कार्य हो, संस्थागत् प्रसव में ग्रामीणों की जागरूकता, अस्पताल पहुंचाने जैसे कार्य हैं, यदि उनका और अधिक प्रशिक्षण हो जाये तो मैं समझता हूँ कि प्रदेश के ग्रामीणों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में और अधिक लाभ मिलेगा और इस बजट में उसके लिये 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है । सभापति महोदय, जो हमारे 72 हजार मितानिन कार्य कर रही है, उनको समय-समय पर प्रशिक्षण दिया जा सके और साथ ही हमारे जो 19 हजार गांव हैं, उसमें उन मितानिनों के माध्यम से रोग नियंत्रण अभियान चलाया जा सके। गांव में सहजता के साथ हमारी मितानिन उपलब्ध

हैं। उनको जितनी जाकारी दी जायेगी, उनको जितना प्रशिक्षण दिया जायेगा, उससे गांव के सारे लोगों को लाभ मिलेगा और इसलिये आवश्यक है कि आज के अनुसार समय-समय पर उनका प्रशिक्षण होना चाहिए, जिसके लिये हमारी सरकार के द्वारा व्यवस्था की गयी है।

सभापति महोदय, उसी प्रकार से स्वस्थ पंचायत योजना बनाई गई है। इसके लिये भी बजट में 95 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। मैं साथ ही मितानिन कल्याण निधि के विषय में बोलना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि जो काम मितानिन करती हैं, स्वयंसेवियों की सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ करने हेतु बजट में 325 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। हमारी 72 हजार मितानिनों के लिये 4182 प्रशिक्षकों एवं खण्ड समन्वयकों के कल्याण के निर्धारित योजनाओं का क्रियान्वयन किया जायेगा। आज हमारे साथी जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि ऐसी बहुत सारी बीमारी हैं, हम जिसके ईलाज के लिये जाते हैं तो उसकी व्यवस्था नहीं है। खासतौर पर जो आर्थिक रूप से कमजोर है, वे उस व्यवस्था के अभाव में राशि से और ईलाज से वंचित हो जाते हैं। इसलिये जो मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना बनाई गई है, उसके अंतर्गत जो प्रावधान रखे गये हैं और उसमें जो पात्रता रखी गयी है, उसमें जिन बीमारियों का ईलाज होना चाहिए, यदि वे मरीज उस श्रेणी में नहीं आ रहे हैं तो वे ईलाज से वंचित न हो, उसके लिए मुख्यमंत्री जी उनके ईलाज के लिये 25 लाख रूपये तक की राशि की समुचित रूप से व्यवस्था कर सकते है। इसके लिये बजट में 50 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। मैं समझता हूं कि जो जरूरतमंद है, उनको उसका लाभ मिलेगा ताकि ऐसा न हो कि ईलाज के अभाव में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाये। इस प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं आयेगी, उस राशि का बड़ा महत्व है।

सभापति महोदय, मैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत 05 लाख रूपये तक के ईलाज की स्वीकृति दी जायेगी, उसके लिये बजट में 1343 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है। इस प्रदेश के अंत्योदय और प्राथमिक राशनकार्डधारी परिवार के 68.18 लाख लोगों को उसका लाभ मिलेगा। साथ ही ए.पी.एल. परिवारों के 7.86 लाख लोगों को स्वीकृत पैकेज अनुसार "क" की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, उसका लाभ मिलेगा। मैं इसके लिये हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी बधाई देना चाहता हूं कि शहीद वीरनारायण सिंह आयुष्मान योजना से इस प्रदेश को बड़ा लाभ मिलने वाला है।

सभापति महोदय, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पहले से लागू है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को इलाज के लिये 05 लाख रूपये की राशि दी जाती है। इसमें हमारे जो लगभग 41.44 लाख परिवार सी.एस.सी. कार्डधारक हैं, उनको यह सुविधाएं मिल रही है। यह सुविधा पहले से मिल रही है। इस सुविधा के मिलने से यह लाभ हुआ है कि पहले लोगों को अपने ईलाज के लिये साहूकारों के पास जाकर पैसे लेने की आवश्यकता पड़ती थी, उसके ब्याज को चुकाने के लिये उनको जमीन को गिरवी और खेत को बेचना पड़ता था, इससे उनको आजादी मिल गयी है। अब

प्रत्येक परिवार इस योजना के अंतर्गत 05 लाख रूपये तक का ईलाज करा सकता है। मैं इसके लिये इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को बहुत-बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं (मेजों की थपथपाहट) कि आपने पूरे देश के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की चिंता करके, जो करोड़ों लोग ईलाज से वंचित थे, उनको बचा लिया है और आज उसके ईलाज की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही इसमें प्रशिक्षण के संबंध में बहुत सारे विषय हैं, मैं पूरी बातों को गिनाना नहीं चाहूंगा। मैं एक बार फिर हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि इस प्रदेश में 05 संभाग हैं, हर संभाग में एक-एक आदर्श चिकित्सालय को लिया गया है। उसमें गरियाबंद, रायगढ़, बैकुण्ठपुर, मुंगेली और नारायणपुर है, जिसको आदर्श जिला चिकित्सालय बनाना है। वहां पर स्वच्छता की व्यवस्था हो, मशीनें खरीदने की व्यवस्था हो और वहां पर आवश्यकता के अनुसार सामग्री खरीद सकें, आदर्श जिला चिकित्सालय के रूप में विकसित किये जाने हेतु 20 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। मैं समझता हूँ कि इन 5 संभागों में हमारे 5 चिकित्सालयों को लिया गया है। हम इसी सफलता के बाद क्रमश: आगे बढ़ेंगे। अभी हमने 5 संभागों में 5 चिकित्सालय लिया है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में उसमें अस्पतालों की संख्या बढ़ेगी। जब यहां अस्पतालों की संख्या बढ़ेगी तो हम आदर्श जिला चिकित्सालय को मॉडल बनाने की ओर चल रहे हैं। यह हमारे मॉडल हॉस्पिटल हैं वहां सुन्दर ईलाज की व्यवस्था हो, वहां पर किसी प्रकार की कोई कमियां न हों। यह हॉस्पिटल में बाहर से ही सुव्यस्थित दिखायी देगा और हम उसके अंदर जाने के बाद, यह अनुभव करेंगे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद नये प्रयोग किये गये हैं। अभी इन जिले के लोगों को उसका लाभ मिलेगा, लेकिन आने वाले समय में इसकी सफलता के बाद, निश्चित रूप से इस प्रदेश के और लोगों को इससे जोड़ेंगे। उनको उसका लाभ मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैंने यहां पर बहुत सारी योजनाओं के संबंध में बहुत सारी बातें रखीं हैं, लेकिन मैं इसमें यह कहना चाहूंगा कि पिछले 5 सालों में जो सरकार बनी थी उन्होंने बड़े दम्भ के साथ कहा था कि हम इस प्रदेश में अस्पतालों की व्यवस्था को दुरूस्त रखेंगे। यहां किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। हम यहां पर डॉक्टरों की भर्ती करेंगे, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या स्थिति बनी है। आपके सामने यह स्थिति है । हमारे स्वास्थ्य संचालनालय में स्वीकृत पद 311 हैं। इन 311 पदों में 129 कार्यरत हैं और 182 पद रिक्त हैं। माननीय मंत्री जी, आप इन पदों को 5 सालों में नहीं भर पाये। यहां स्वास्थ्य संचालनालय में स्वीकृत पद 311 हैं। इन 311 पदों में 129 कार्यरत हैं और 182 पद रिक्त हैं। अब यह आपकी जवाबदारी आ गई है। क्योंकि पूर्व की सरकार तो केवल दावे करती रही। पूर्ववर्ती सरकार दावे करते हुए, निकल गई। इस प्रदेश में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है। निश्चित रूप से हम यह स्वीकार करते हैं कि यहां पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है। जब टी.एस. बाबा

उप मुख्यमंत्री बने, स्वास्थ्य मंत्री बने तो उस सरकार के द्वारा बड़े-बड़े दावे किये गये। राज्य में विशेषज्ञ डॉक्टरों के कुल 1784 पद स्वीकृत हैं..।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, हमारे शासन में जो हाट बाजार क्लिनिक भी चलायी गई, जो बहुत ही सराहनीय कार्य था। आप उसमें तारीफ कर सकते हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, आपके शासन काल में कुछ कार्य नहीं हो पाया। अभी मैं, आपको विशेषज्ञ डॉक्टरों की बता रहा हूँ। जब तारीफ करने की बात आएगी तो मैं तारीफ करूंगा। यहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है। पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा बड़े दावे के साथ कहा गया कि एक साल के अंदर हम इन पदों को भरेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ। यहां विशेषज्ञ डॉक्टरों के कुल 1734 पद स्वीकृत हैं और इसमें से कितने पद भरे हैं, केवल 499 पदों को भरा गया है और इसमें कितने पद रिक्त हैं तो इसमें 1235 पद रिक्त हैं।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय सभापति महोदय, यह 5 सालों का बैकलॉग नहीं है यह आपके 15 सालों का भी रिकॉर्ड है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, यह स्थिति है। पूववर्ती सरकार के 5 सालों के आंकड़े हैं। मैं बहुत सारे आंकड़ों में जाना नहीं चाहता । आप केवल इन दो आंकड़ों से ही समझ सकते हैं। हमारे पूर्ववर्ती सरकार कैसे चली है।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय सभापति महोदय, पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड है। यह बैकलॉग चलता आ रहा है। आप 5 सालों का रिकॉर्ड मत बताईये।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपके कार्यकाल के प्रतिवेदन से निकालकर बता रहा हूँ। उस दिन आप बोल रहे थे कि आप यह कहां से बोल रहे हैं।

श्री अटल श्रीवास्तव :- यहां पर आपके पिछले 15 सालों का बैकलॉग भी आया हुआ है।

सभापति महोदय :- माननीय अटल जी, आपकी बारी आएगी तब आप बोल लीजिएगा। माननीय संगीता जी, आप भी बोलने वाली हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, पूर्व की सरकार ने अपने 2 साल कोरोना में निकाला और केवल 3 साल कार्य करने का मौका मिला, हमारी सरकार ने बहुत सारे कार्य किये हैं।

सभापति महोदय :- आप अपने समय में अपनी बात रख दीजिएगा।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत आंकड़ों में जाना नहीं चाहता। आप लोगों के लिए 2 आंकड़े पर्याप्त है। मैंने इन्हीं दो आंकड़ों में बता दिया। मैं माननीय मंत्री जी से इस विषय में आग्रह करना चाहता हूँ। निश्चित रूप से हम चाहेंगे तो भी यह संभव नहीं है कि हम तत्काल कहीं से, किसी भी स्थिति में विशेषज्ञ डॉक्टर ले आएं। नहीं, तो हमें अधिक राशि भी देनी पड़े तो इसके लिए डी.एम.एफ. फण्ड का भी उपयोग करना चाहिए। वहां जो विशेषज्ञ डॉक्टरों के रिक्त पद हैं उसकी

पूर्ति वही होना चाहिए, हमें जिस जिले में डॉक्टर मिल जाएं। हम इस डी.एम.एफ. फण्ड का उपयोग करें । कम से कम हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों को लाने की आवश्यकता है, यहां हम उनको लाएंगे तो हमको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से हमारी सरकार की कल्पना है कि जब एनीमिया मुक्त भारत बना रहे हैं तो एनीमिया मुक्त हम छत्तीसगढ़ बनायेंगे। मैं पोषण पुनर्वास केन्द्र की बात कर रहा हूं। खास करके चिरायु योजना के संबंध में बताना चाहता हूं कि हम लोग 2014 में चिरायु योजना प्रारंभ किये थे। इस योजना का उद्देश्य था कि 0-18 वर्ष की आयु के बच्चों की जांच कर शीघ्र उपचार की सेवायें प्रदान करना। एक तो उन बच्चों की जांच करना और जांच करने के बाद में बीमारी को चिन्हांकित करना, चिरायु योजना में 44 प्रकार की बीमारी को लिया गया है। केवल बीमारी को चिन्हांकित करना ही नहीं, बल्कि स्कूलों में जा करके कैंप लगा करके बीमारी को चिन्हांकित करना और यदि बीमारी पकड़ में आ जाये तो उसके इलाज करने की यदि जिले में व्यवस्था नहीं है तो उस बच्चे को बाहर भी भेजना पड़े तो सरकार इसके लिए पैसे की व्यवस्था करती है। उन बच्चों की जांच कराती है जो हमारे आने वाले इस देश के भविष्य हैं और एक अच्छे नागरिक बनने वाले हैं। इन लोगों को हम बीमारी से मुक्त कैसे कर सकें, मैं समझता हूं कि इसके लिए चिरायु योजना कारगर योजना है। इस योजना के माध्यम से निश्चित रूप से बच्चों को लाभ मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, हम मेकाहारा या बिलासपुर के सिम्स अस्पताल की बात करें, यह हमारे प्रदेश के ऐसे अस्पताल हैं, जिनके लिए मैं आपको अंबेडकर हॉस्पिटल, रायपुर के संबंध में कहना चाहूंगा। इस सरकार के द्वारा तो जिन मशीनों की जरूरत थी, उसकी खरीदी तो नहीं हुई। लेकिन जो मशीन पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा खरीदी गई थी, उसको भी इन्होंने इंस्टॉल नहीं करा पाये, उसका संचालन नहीं किया। मेरे को आज मालूम नहीं है, लेकिन रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में पेट स्कैनर मशीन की क्या स्थिति है, यह मुझे नहीं मालूम। लेकिन उसकी सख्त आवश्यकता है कि वह मशीन चालू हो। क्योंकि लोग जूझ रहे हैं, वह प्राइवेट अस्पताल में जा करके उनको लंबी राशि देनी पड़ती है। इसलिए एक बार हमारी जो मेकाहारा, सिम्स की स्थिति है, उसकी चिंता करनी चाहिए। यह हमारे प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल हैं जहां पर लोगों को भरोसा है। यहां पर केवल रायपुर संभाग के लोग नहीं आते, अन्य संभाग के लोग भी इलाज कराने के लिए आते हैं। ऐसे में वहां की व्यवस्था ठीक हो। हमारे मंत्री जी गये हैं और कुछ-कुछ देख करके के आये हैं। आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। यदि मंत्री जी मनेन्द्रगढ़ में जा रहे हैं, यदि बीच में अस्पताल बिलासपुर में है तो एक नजर बिलासपुर के अस्पताल में डालते हैं। उसका लाभ यह मिलता है कि एक तो वहां की गंदगी सुधर जाती है और वहां पर कमियॉ हैं, वह कमियॉ सुधर जाती हैं। हमारे जो डॉक्टर हैं, उनकी क्या स्थिति है। आपके निरंतर प्रवास के कारण में हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ होगी। इसके लिए मैं हमारे युवा मंत्री को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, जब हम लोग इधर बैठे हुए तो एक प्रश्न सुपेबेड़ा के मामले को खूब उठाये थे। सुपेबेड़ा में किडनी की बीमारी से लगभग 100 लोग मर चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग वाले बताते हैं कि पानी की गड़बड़ी के कारण में है, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी वाले बताते हैं कि पानी की कोई गड़बडी नहीं है। हमने परीक्षण कराया है। मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता कि पानी की गड़बड़ी के कारण या लचर स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण उनकी मृत्यु हुई है। लेकिन मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप सुपेबेड़ा का दौरा करें। यदि आपने सुपेबेड़ा का दौरा नहीं किये हैं तो आप पूरे अधिकारियों को ले करके जायें। वहां जो हालात हैं, उस हालात में हम परिवर्तन कैसे ला सकते हैं, इसको हमको चिंता करने की आवश्यकता है। वहां के पानी की भी जांच करायें। यदि पानी की व्यवस्था में कमी पड़े तो निश्चित रूप से हमारी सरकार आ गई है, हम पानी की व्यवस्था को दुरूस्त करें। वहा जो अस्पताल खोले गये हैं, उसको अपग्रेड किया जाना चाहिए। हम कई ऐसे मरीज देखे हैं जो रायपुर आते-आते रास्ते में दम तोड़ देते हैं, वह अस्पताल तक नहीं पहुंचे हैं। वहीं की दूरी भी इतनी ज्यादा है और इतनी ज्यादा दूरी होने के कारण में संभव नहीं होता। इसलिए वहां की व्यवस्था को हमको अपग्रेड करना चाहिए। वहां पर जो डॉक्टरों की कमी है, बाकी जगह की समस्या को आप बाद में हल करेंगे, सुपेबेड़ा की समस्या को प्राथमिकता में लेने की आवश्यकता है और प्राथमिकता में ले करके सुपेबेड़ा की जो समस्या है, उसको हम लोग दूर करने का प्रयास करें। माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि पिछले समय हमने प्रश्न लगाया था कि नवजात शिशुओं की कितनी मृत्यु हुई है और माताओं की कितनी मृत्यु हुई है? मेरे प्रश्न में जवाब आया है कि नवजात शिशुओं की मृत्यु की संख्या 23,693 और पांच वर्ष से कम शिशुओं की मृत्यु की संख्या 15,574 है। इस प्रकार से पांच साल के अंदर में कुल मिलाकर 39,267 बच्चों की मृत्यु हुई है । यह मेरे प्रश्न के जवाब में है। इसलिए हमको अभी से सजग रहने की आवश्यकता है कि आखिर यह मृत्यु क्यों हुई है? मैं दोषी पर नहीं जा रहा हूं कि इसके पीछे दोषी कौन है? मैं कारण पर जा रहा हूं कि आखिर इसका कारण क्या है? ऐसी कौन-सी कमियां रही हैं, जिसके कारण में उनकी मृत्यु हुई है? सभापति महोदय, यह थोड़ी-बहुत संख्या में नहीं है। पांच साल के अंदर में कुल 39,267 बच्चों की मृत्यु हुई है। राज्य सभा में यह मामला उठा था। राज्य सभा में भी उसका जवाब आया है। शिशु अति गर्भवती माता की जो मृत्यु हुई है, वह 819 और 1428, कुल 2247 है। हमको आज के समय में इसकी चिंता करने की आवश्यकता है कि इसका आखिर कारण क्या है? और इस कारण को ढूंढकर हम उस दिशा में जायें। माननीय सभापति महोदय, मैंने यह जो प्रश्न लगाया था और उसमें जिस बात का जवाब आया। अभी हमारे साथी ने बताया कि उसमें जो खरीदी केन्द्र में, मैं आपको उसमें केवल दो-तीन उदाहरण बता रहा हूं। यह खरीदी केन्द्र नहीं, भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था। अब इसको कैसे रोकना, वह देखना है। आप के ऊपर प्रदेश की बहुत उम्मीद है कि आप इसको कैसे रोक पायेंगे? एक ई.डी.टी.ए. ट्यूब एडल्ट आता है। जो ब्लड निकालते हैं और ब्लड निकालकर उस ड्यूब में डालते हैं, उसके बाद उसको

टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। इसमें इतना लापरवाही और इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि वही ट्यूब की कीमत मोक्षित मेडिकेयर प्राईवेट लिमिटेड दुर्ग में 2352 रूपये है। उसी ट्यूब की कीमत राज्य मानसिक चिकित्सालय, बिलासपुर में 7 रूपये 95 पैसा है। उसी ट्यूब की कीमत सिविल सर्जन, रायगढ़ में 2 रूपये 60 पैसा है और सिविल सर्जन, जगदलपुर में 4 रूपये है। एक ट्यूब है और एक ट्यूब की कीमत आप समझ सकते हैं कि अलग-अलग जगह में उसकी क्या कीमत है। यह जो मोक्षित मेडिकेयर है, यह छोटे-मोटे करप्शन का अड्डा नहीं रहा है। यदि आप इनकी पूरी जांच करायेंगे। इस बात की जांच के लिए बोल रहे थे। मैं चाहता हूं कि उसकी पूरी जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद उसके लिए जो दोषी अधिकारी है, उसको भी दण्डित करना चाहिए। क्योंकि इसको भ्रष्टाचार का अड्डा बनाकर रखे हुए थे। इसमें माननीय सदस्यों के द्वारा लगातार प्रश्न लगाया गया, लेकिन उसको कहीं न कहीं उसको इधर-उधर करने का प्रयास किया गया है, लेकिन यह छिपाने से छिपेगा नहीं। यह मामला उजागर होगा और निश्चित रूप से इस मामला को उजागर करने लायक है। मंत्री जी को तो इसकी जांच की आज ही घोषणा कर देनी चाहिए। लेकिन मैं मंत्री जी के ऊपर छोड़ता हूं कि वह उसमें क्या चाहते हैं? लेकिन आप आज घोषणा नहीं करेंगे तो आगे-पीछे उसकी घोषण करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता चाहता हूं। मंत्री जी, मैं आपको इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि अंबिकापुर के लिए जितनी राशि की व्यवस्था होनी चाहिए, आपने उतनी राशि की व्यवस्था आपने की है और उतनी राशि की व्यवस्था करके अंबिकापुर को आपने आने वाले समस के लिए एक बहुत अच्छा काम किया है। इसी प्रकार से हमारे बिलासपुर के सिम्स हॉस्पिटल के नये बिल्डिंग के लिए बजट में 1 हजार लाख का प्रावधान भी प्रावधान रखा है और उसके लिए आपने राशि की व्यवस्था की है। नया बिल्डिंग बनाना है, पुराना बिल्डिंग जीर्ण-शीर्ण हो गया है। उसकी आवश्यकता थी, आपने उसके लिए बजट में प्रावधान किया, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारे बिलासपुर क्षेत्र की जनता को मैं बधाई देना चाहता हूं कि मंत्री जी ने इन कमियों को दूर करने का प्रयास किया है । माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही साथ 4 एयरपोर्ट में भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की बात के लिये बजट में प्रावधान किया है । इसके अलावा हमारे विधानसभा क्षेत्र में जो हाईकोर्ट परिसर है और उनका निवासी परिसर है उसमें भी आपने हॉस्पिटल की व्यवस्था के लिये 30 बेड का जो प्रावधान किया है, मैं उसके लिये आपको धन्यवाद देना चाहता हूं । माननीय सभापति महोदय, आपने खड़गवां को भी अपग्रेड किया है उसके लिये भी मैं आपको बधाई देता हूं । क्षेत्र की जनता ने यदि आपको विधायक बनाया है और काम करने का अवसर मिला है तो काम करना चाहिए, क्षेत्र में जो कमियां हैं उनको दूर करना चाहिए । अग्रवाल जी, मैं आपको बधाई देता हूं । आपको जितनी व्यवस्था चाहिए थी और जितना पैसा चाहिए था उतने पैसे की व्यवस्था मंत्री जी ने की है । आप क्षेत्र में

जाकर सार्वजनिक रूप से उनका अभिनंदन करेंगे, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि जो इतने वर्षों तक रूका रहा । मंत्री जी ने एक झटके में उसको पूरा करने का काम किया है ।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना के लिये भी आपने 3 करोड़ 50 लाख रूपये का प्रावधान किया है । हमारे DKS Super Speciality Hospital Raipur एवं फिजियोथैरेपी महाविद्यालय रायपुर में छात्रावास की जो कमी थी उसके लिये आपने 2 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। राजनांदगांव ट्रामा सेंटर के लिये भी आपने किया है और इसके साथ ही साथ एक बहुत अच्छा काम जो महिलाओं, किशोरों एवं बच्चों में चिड़चिड़ापन, मानसिक तनाव आदि के कारण उनकी पहचान एवं ईलाज हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये 68 लाख रूपये का प्रावधान किया है । मैं देख रहा था कि उसमें योग भी करायेंगे उसके अलावा इस प्रकार के ईलाज की जो व्यवस्था कर रहे हैं तो रोगी को भी अच्छा लगेगा और घरवालों को भी अच्छा लगेगा । अस्पताल जाने के बाद उनके माइंड में जो गूंजता रहता है उससे उनकी दूरी होगी और बहुत जल्दी वे स्वस्थ होंगे । इसके लिये आपने बहुत अच्छा कार्य किया है ।

माननीय सभापति महोदय, हमारे आयुर्वेदिक कॉलेज बिलासपुर में भवन के लिये आपने बजट में प्रावधान किया है । हमारे वैशाली नगर के विधायक यहां पर बैठे हुए हैं रिकेश जी । उन्होंने वैशाली नगर विधानसभा में लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल चूंकि वह 50 बिस्तर का है, वे चाह रहे हैं कि वह 100 बिस्तर का हो जाये तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा इसके लिये उन्होंने अपनी बात कही है । माननीय सभापति महोदय, हमारे विधानसभा क्षेत्र में बद्राठा । बद्राठा हमारा उपस्वास्थ्य केंद्र है । उस आसपास के क्षेत्र में हमारा कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, यदि उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अपग्रेड करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा । मैं आपके ध्यान में एक चीज लाना चाहता हूं कि आप जब बिलासपुर से निकलेंगे तो रायपुर तक हमारा जो सरगांव का एरिया है वह एरिया एक्सीडेंट जोन है । वहां पर लगातार एक्सीडेंट होते रहते हैं और रास्ते में भी जब आप बिलासपुर से रायपुर आयेंगे तो देखेंगे कि कई गाड़ियां और कई लोग वहां पर आहत पडे हुए हैं इसलिये मैं चाह रहा था कि हमारा जो सरगांव का अस्पताल है बिल्कुल आपके हाईवे के ऊपर में है । चूंकि हाईवे के ऊपर में जो हमारा अस्पताल है यदि उस अस्पताल को आप ट्रामा सेंटर बनायेंगे तो न केवल हमारे क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा बल्कि जो बाहर से बहुत सारे लोग चूंकि रायपुर-बिलासपुर आपका हाईवे है । वहां बहुत लंबी दूरी की गाड़ियां चलती हैं और गाड़ी पलट गयी या एक्सीडेंट हो गया तो या तो आपको उसको बिलासपुर ले जाना पड़ेगा या रायपुर लाना पड़ेगा । बीच में रोड के किनारे कोई भी अस्पताल की व्यवस्था नहीं है । यदि अस्पताल की कोई व्यवस्था है तो केवल हमारे सरगांव की है इसलिये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को पिछले समय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आपने अपग्रेड किया और अपग्रेड करने के बाद में अब उसको ट्रामा सेंटर यदि बन जाये तो प्रदेश के लिये वह लाभकारी है, वह केवल हमारे क्षेत्र के लिये नहीं है तो निश्चित रूप

से उसका लाभ मिलेगा । इसलिए यदि आप ट्रामा सेंटर बनाते हैं तो अच्छा होगा, क्योंकि 100 किलोमीटर में ऐसा कोई अस्पताल रायपुर-बिलासपुर के बीच में नहीं है। तो इसकी आप जरूर चिंता करेंगे। माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही साथ बहुत सारे कार्य जो हमारे मंत्री जी के द्वारा स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद और इस बजट को देखने के बाद यह लगने लगा है कि ये जो बजट है, वह आम लोगों में उम्मीद और खासकर बहुत सारी जो ऐसी कमियां थीं, उन कमियों को दूर करने के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। आपके पास 20 सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग भी है। उसके क्रियान्वयन और लोगों को उसका लाभ कैसे मिले, इसके लिए कुछ जगह ऑफिस की व्यवस्था की गई है। जहां भवन नहीं है, वहां भवन की व्यवस्था की गई है। राज्य योजना आयोग आगे और सुदृढ़ हो और उसके साथ में उन योजनाओं का क्रियान्वयन हम कैसे अच्छे से करा सकते हैं, उसके लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। आज के इस अनुदान मांगों का मैं समर्थन करते हुए और सभी सदस्यों से आग्रह करते हुए, क्योंकि स्वास्थ्य सभी के लिए आवश्यकता है और सबको उसकी जरूरत है तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो मांग रखी है, उसका सर्वसम्मति से समर्थन करते हुए अनुदान मांगों को पारित करें और आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय :- श्री अटल श्रीवास्तव।

श्री उमेश पटेल :- क्या है धरम भैया, आप पहले वक्ता हैं। बोल रहे थे। पूरा देखिए तो पूरा ट्रेजरी बेंच कैसा है? ट्रेजरी बेंच में तो कोई है ही नहीं। एक अकेले मंत्री जी बैठे हैं।

श्री धरम लाल कौशिक :- वे तैयारी कर रहे हैं।

श्री उमेश पटेल :- इतनी तैयारी करनी पड़ रही है कि पूरा-पूरा बेंच खाली है। देखिए तो।

श्री अटल श्रीवास्तव (कोटा) :- सभापति महोदय, मैं आज स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अनुदान मांगों के विरोध में यहां खड़ा हुआ हूं। माननीय सभापति महोदय, जब देश आजाद हुआ था तो नारा चलता था कि रोटी, कपड़ा और मकान। पूर्ववर्ती सरकारों ने रोटी का तो इंतजाम कर दिया। सबको चावल मिलने लगा। सबको अनाज मिलने लगा। गरीब को खाना नसीब होने लगा। मकानों की भी जहां बात थी तो इंदिरा आवास से लेकर अभी तक लोगों के पक्के मकानों की भी बातें हो रही हैं। कपड़ों की आपूर्ति अपने आप ही हो जा रही है और जो चौथा महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो आम आदमी की जिंदगी को कहीं न कहीं प्रभावित करता है, वह स्वास्थ्य है और मुझे बड़ा दुख है कि स्वास्थ्य के बजट में छत्तीसगढ़ शासन ने बहुत कम बजट रखा है। जोकि उसका बजट बढ़ाया जाना चाहिए था। अभी आदरणीय धरम लाल कौशिक जी डाटा बता रहे थे कि कितने लोगों की कितनी कमी है? जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तब कितने जिले थे और आपकी सरकार जब थी तो 26 जिले थे और आज 33 जिले हैं और 33 जिला अस्पतालों के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। कहीं कंस्ट्रक्शन चालू है, कहीं कंस्ट्रक्शन कम्प्लीट हो चुका है और वहां पर जो मेन पावर्स की जरूरत है, वहां डॉक्टर्स की, नर्सिंग स्टाफ की, बाकी

स्टाफ की जरूरत है, उसकी भी मांग बढ़ती चली गयी है। हमारे यहां लगभग 32 चिकित्सा महाविद्यालय हैं, जिसमें से 21 चिकित्सा महाविद्यालय मेडिकल कॉलेज के रूप में रन कर रहे हैं। 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं और 5 डेंटल के प्राइवेट कॉलेज हैं। नर्सिंग के 8 गवर्नमेंट कॉलेज हैं और 117 प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज चल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हम लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ तो बढ़ रहे हैं, पर मैन पॉवर की जो कमियां हो रही हैं, उसकी तरफ हमारा ध्यान कहीं नहीं है। नये-नये मेडिकल कॉलेज की घोषणाएं हो रही हैं। नये जिलों की घोषणाएं हुई पर उसमें लगने वाले हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो स्टाफ हैं, उसके लिए हमारा क्या रोड मैप है, उसके बारे में हमारी तैयारियां अधूरी हैं। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो मैन पावर्स लगने हैं, आदरणीय धरम लाल कौशिक जी कमियां बता रहे थे कि कहां पर कितनी कमियां हैं, ये कमियां 5 साल की नहीं हैं। ये कमियां छत्तीसगढ़ बनने के बाद की हैं। छत्तीसगढ़ बनने के बाद से लगातार मेडिकल के लाइन पर हमको टेक्नीशियन की और स्टाफ की लगातार कमियां देखने को मिल रही हैं। उन्होंने बताया कि चिकित्सा विशेषज्ञ की 1734 पद की स्वीकृति है, उसमें से हम 1235 पदों की भर्ती किये हैं और अभी भी 2254 पद खाली हैं। आखिर क्या कारण है कि हमारे जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं, वे सरकारी नौकरियों पर नहीं आना चाहते हैं। यह शोचनीय प्रश्न है कि आखिर उनका क्या कारण है? ऐसा नहीं है कि चिकित्सक नहीं हैं। बिलासपुर में अपोलो हॉस्पिटल खुलता है तो दिल्ली से, गुडगांव से, राजस्थान से लोग यहां पर नौकरी करने आते हैं। पर आपकी सरकारी संस्थाओं में विशेषज्ञ चिकित्सक क्यों नहीं आते हैं? इसमें आपको सोचना पड़ेगा। आखिर क्या हम पेमेंट कम करते हैं? क्या हम सुविधाएं कम करते हैं? क्या हमारे अस्पतालों में राजनीति ज्यादा है? क्या उनको वर्किंग atmosphere नहीं मिल पा रहा है। ये सोचने का समय है कि क्या हम उन विशेषज्ञ चिकित्सकों को अपने अस्पतालों तक कैसे लायें, 2,254 पद खाली हैं । सभापति महोदय, चिकित्सा अधिकारी के 187 पद खाली हैं । नर्सिंग स्टाफ के 13,863 पद स्वीकृत हैं जिसमें नर्सिंग सिस्टर, हाऊस कीपर, सीरियर सिस्टर के लगभग 3763 पद खाली हैं । पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं में 5,376 पदों में से 1,572 पद खाली हैं । स्वास्थ्य विभाग में देखने को मिल रहा है कि हम नई-नई घोषणाएं कर रहे हैं । मेडिकल कॉलेजेस बना रहे हैं, जिला अस्पताल बन रहा है किंतु हमारा ध्यान मेनपावर की तरफ नहीं है जो हमें विशेषज्ञ चिकित्सक चाहिए, नर्सिंग स्टाफ चाहिए, उसकी कमी लगातार बढ़ती चली जा रही है । 2000 से 2003 के बीच एक तीन वर्षीय मेडिकल पाठ्यक्रम आया था । इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कहा जाता है कि ग्रेज्युशन करने के पहले आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं, 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम होता है । मेरा ऐसा मानना है कि जितनी कमियां दिख रही हैं उसे सुधारने के लिए 3 वर्षीय पाठ्यक्रम लाना चाहिए ताकि वे गांव में जाकर लोगों की सेवा कर सकें । चार, साढ़े चार साल का एमबीबीएस पढ़ने के बाद डॉक्टर डेढ़ साल का इंटर्नशिप करता है, उसके बाद दो साल पीजी करता है तो गांव जाने की इच्छा खत्म हो जाती है वह शहर में एक नर्सिंग होम खोलता है । अगर गांवों में चिकित्सा सुविधा बढ़ाना है तो

आपको तीन वर्षीय चिकित्सा पाठ्यक्रम लाना होगा तभी आप गांवों में चिकित्सा सेवा को बढ़ा सकते हैं । सभापति महोदय, खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना की बात हुई, जिसमें गरीबी रेखा वालों को 5 लाख और अन्य राशन कार्डों को 50 हजार के इलाज की सहायता मिलती है । इसमें अभी बढ़ोतरी की गई, यह अच्छी बात है । वैसे ही मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना, पिछले तीन महीनों से बीमार आदमी आपनी सांस के लिए, अपने जीवन जीने के लिए किसी का इंतजार नहीं करता, उसको इलाज की जरूरत होती है । किंतु पिछले 3 महीनों से मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना के तहत लोगों को पैसे उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं । उसके क्या कारण हैं, यह मैं नहीं जानता । जो आदमी बीमार पड़ता है, जो आई.सी.यू. में है, जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है, जिसको इलाज की जरूरत है, जिसको पैसे की जरूरत है, यदि उसे सही समय पर पैसा नहीं मिला तो वे पैसा उसके किसी काम का नहीं होता है ।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति जी, प्वाइंट ऑफ ऑडर है । पिछले पांच सालों तक छत्तीसगढ़ की जनता ने मोदी जी के द्वारा स्वास्थ्य योजना में आयुष्मान कार्ड का प्रावधान किया गया है, यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड के नाम पर छत्तीसगढ़ के लोगों को ठगा गया । उस पर विपक्ष के साथी पांच सालों की दुहाई देते नहीं दिख रहे हैं । छत्तीसगढ़ की जनता को स्वास्थ्य के क्षेत्र में रोकाटोकी की गई । लोगों को चिकित्सा लाभ से रोका गया उस पर आज कोई आपत्ति नहीं आती है । नए संशोधनों का उल्लेख बार बार कर रहे हैं । अभी उन्होंने कहा कि खूबचंद बघेल योजना को बढ़ाया गया है । स्वागत् योग्य कदम है तो स्वीकार करें कि स्वागत् योग्य कदम है ।

श्री अटल श्रीवास्तव :- स्वागत् कर रहा रहा हूं सुशांत जी, आप बैठ जाइए । मेरा आशय यह नहीं था कि मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना का लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है ? राजनीतिक कारण है, सरकार बने हुए तीन महीने हुए हैं । मैं चाहता हूं कि इसका भी विकेन्द्रीकरण हो क्योंकि जब आदमी बीमार पड़ता है तो वह अपने लोकल जनप्रतिनिधि के पास पहले पहुंचता है । पहले विधायक के पास जाता है कि मुझे आपकी मदद की जरूरत है । विधायक, मंत्री के पास जाता है कि इसे इलाज की जरूरत है, नहीं तो इसकी जान जा चली जाएगी । इस चक्कर में वह डेढ़-दो महीने घूमता है तो उसकी जान चली जाती है । सभापति जी, आपके माध्यम से मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि विधायकों को जो निधि मिलती है, खासकर अपने क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य के काम के लिए उस निधि को बढ़ाया जाना चाहिए । मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना का कुछ पैसा विधायकों को मिलना चाहिए ताकि जरूरतमंद लोगों को तुरंत सुविधा मुहैया कर सकें ।

माननीय सभापति महोदय, धनवंतरी योजना की बात हुई । धनवंतरी योजना इतनी अच्छी योजना थी, जहां भी शुरू हुई वहां लगभग 65 प्रतिशत से कम दरों पर लोगों को दवाईयां उपलब्ध हो रही हैं । लोगों ने ऐप के माध्यम से लिखा है कि हमारे महीने की दवाईयों का खर्च 3 हजार था, उसमें 65 परसेंट की कमी आई है अब हमको 800 रूपए लगते हैं । जहां धनवंतरी मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं,

उनकी संख्या और बढ़ाई जानी चाहिए । संख्या बढ़ाने से आमजन को सुविधा होगी, क्योंकि हर परिवार में दवाईयों का प्रयोग बढ़ा है । किसी परिवार में बुजुर्ग है, कोई बीमार आदमी है तो उसके कुल बजट का 20 से 25 प्रतिशत स्वास्थ्य सुधार में चला जाता है । धनवंतरी मेडिकल स्टोर खुलने से लोगों को लाभ मिलेगा । सभापति महोदय, मैं स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान सीजीएमएससी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । सी.जी.एम.एस.सी. पर जो खरीदी होती है, इस पर उनके पैमाने लगातार बदलते जाते हैं, आप देखिएगा कि जितने भी छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कार्पोरेशन ने खरीदी की है, उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। जो डी.एम.एफ. के माध्यम से जिलों में खरीदी की जाती है, उन जिलों में उसी दवाई का रेट हर जिलों में अलग-अलग कोड किया जाता है। इसमें जिन लोगों की भी संलिप्तता है, आपको ढूंढना होगा। आज धरमलाल जी कह रहे थे, मैं उसको स्वीकार करता हूं । उसमें जो लोग दवाईयों के मामले में इन्वाल्व हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। एक जिले में वही दवाई 3 रूपए में खरीदी जाती है, कहीं पर दवाईयां 3 रूपये में खरीदी जा रही है, दूसरे जिले में 10 रूपये में खरीदी जा रही है, तीसरे जिले में वही दवाई 20 रूपये में खरीदी जा रही है, आखिर ऐसी दवाईयों में क्या है कि जब वह जिला बदलता है तो उसकी कीमतें बदल जाती हैं। इस पर ध्यान देने की जरूरत है।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, माननीय सदस्य मानने को तैयार हैं कि पूर्ववर्ती सरकार में दवाई में भी भ्रष्टाचार हुआ है।

श्री अटल श्रीवास्तव :- हां मैं मानता हूं कि इसमें अधिकारी जिम्मेदार हैं। ठेकेदार जिम्मेदार हैं। ठेकेदार आपके समय में भी थी।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय, वर्तमान में पूर्ववर्ती सरकार ने 15 साल में क्या किया है, हमने लोगों ने भी देखा है।

सभापति महोदय :- अटल जी आप बोलिए।

श्री सुशांत शुक्ला :- बहन जी, मेरे पास एक दस्तावेज है, पटल पर सार्वजनिक कर दूंगा तो पूर्ववर्ती सरकार सड़क पर आ जाएगी। पिछली सरकार में दवाई खरीदी में कितना भ्रष्टाचार हुआ है।

श्री अटल श्रीवास्तव :- सुशांत जी, नसबंदी कांड की भी बात कीजिए। नसबंदी कांड में 14 लोगों की मौत हुई थी। इसके लिए कौन जिम्मेदार था ? उस नसबंदी कांड का जिम्मेदार कौन था, आपकी सरकार थी ना।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप पटल पर रखिए, हम तैयार हैं।

श्री सुशांत शुक्ला :- 5 सालों में जांच क्यों नहीं कराया। आप अपने गिरेबान में झांकिए, आपने 5 साल जांच क्यों नहीं कराया।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- नसबंदी कांड आपके कार्यकाल में हुआ है।

श्री अटल श्रीवास्तव :- आप तो केवल 5 साल और 50 साल की दुहाई दीजिए। आप अपने पापों को पांच साल में नहीं धो पाओगे।

श्री सुशांत शुक्ला :- आपको जनता ने जनादेश दिया था, आप जांच कराते। आपने जांच क्यों नहीं कराया। आज पुराने कांड की दुहाई दे रहे हैं। न्यायालय के रास्ते खुले थे। आपकी सरकार थी, आप जांच करवाते।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप जांच करवाईए ना। आप सब पर जांच करवाईए, हम तैयार हैं।

सभापति महोदय :- मेरा माननीय सदस्यों से आग्रह है, आपस में बहस ना करें, आपको बात रखनी है तो आसंदी से इजाजत लेंगे।

श्री अटल श्रीवास्तव :- सभापति महोदय, बात उठी है तो जानकारी के लिए बता देता हूं, बिलासपुर में नसबंदी कांड हुआ था। 14 महिलाओं की मौत हुई थी। काम चल रहा था तो बताया गया कि सिप्रोसिन नाम की टैबलेट में जहर मिला हुआ था, चूहामार दवाई मिली हुई थी। जब उसकी जांच आगे भेजी गयी तो बताया गया कि उसमें जो दवाई था वह अमानक थी। उसकी जो पोटेंसी 500 होती है वह कम निकली और जो दूसरी दवाई आइबूप्रोफेन थी, उसके बारे में भी कहा गया था कि वह भी अमानक है, उसमें जहर मिलाया गया है। जब दोनों दवाईयों को जांच के लिए भेजा जाता है तब केवल एक दवाई सिप्रोसिन की रिपोर्ट आती है, उसके उपर एफ.आई.आर. दर्ज कर दिया जाता है, उसके उपर कार्रवाई की जाती है। पर आइबूप्रोफेन जो भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता की हिमाचल प्रदेश की कंपनी थी, आइबूप्रोफेन दवाई को हटा दिया जाता है।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, मेरा प्वाईंट ऑफ आर्डर है। बेजायज विषयों को सदन में रखकर पांच सालों तक सत्ता का लाभ लेने वाले लोग छाती पीठ रहे हैं। पांच साल तक जांच क्यों नहीं कराया गया ? इनके पास सत्ता थी, जांच करा लेते। अवैध दवाई खरीदी करते थे, कालाबाजारी करवाते थे, अवैध संरक्षण था, माईनिंग की अवैध उगाही थी, प्रदेश में दाउद टैक्स की वसूली थी, आज वह वसूली की व्यवस्था बंद हो गयी है तो छाती पीट रहे हैं।

सभापति महोदय :- सुशांत जी, कृपया मांगों पर चर्चा करें। आप विषय को अन्यत्र ना ले जाएं।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय सभापति महोदय, वह मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि किसी भी फॉरेसिंक की जो फाइनल रिपोर्ट होती है, जिसको विसरा रिपोर्ट बोलते हैं, उनमें 14 महिलाओं की विसरा रिपोर्ट में Death due to septicemia आया था। Not Death due to दवाई में जहर। आप देखिए कि जो फाइनल फारेंसिक रिपोर्ट है, वह 14 महिलाओं की रिपोर्ट यह बताती है कि उन महिलाओं की Death septicemia से हुई थी और septicemia का कारण गलत जगह पर आपरेशन, गलत इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाना। यह कहीं न कहीं लापरवाही थी।

माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात आगे बढ़ाना चाहता हूं। हम सबकी बात करते हैं, अन्नदाताओं के लिए, किसानों के लिए एम.एस.पी. हो गया। हमारे जो प्राणरक्षक दाता हैं, जो प्राइवेट नर्सिंग होम, प्राईवेट कॉलेज खोलते हैं, माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि उनके लिए थोड़ा सा साफ्ट कार्नर रखें, कहीं न कहीं सरकारी ईलाज की कमियों के कारण लोग प्राईवेट हॉस्पिटल्स की तरफ बढ़ते हैं। जो आपकी खूबचंद बघेल या आयुष्मान योजना है, उसमें जो रेट्स दिये गये हैं, पिछले 10 सालों से वह रेट नहीं बढ़ाए गये हैं। उसकी कुछ ऐसी योजना बनाई जाए कि प्राईवेट नर्सिंग होम में आदमी अपना ईलाज भी करा ले और नर्सिंग होम वाले का नुकसान भी न हो। क्योंकि अधिकतर यह देखने को मिलता है, कई बार शिकायतें भी आती हैं कि नर्सिंग होम वाले ज्यादा वसूली कर रहे हैं। एक कार्ड को बार-बार यूज कर रहे हैं। कहीं न कहीं चॉक चौबंध व्यवस्था बनानी चाहिए ताकि नर्सिंग होम में ईलाज कराने वाले प्राईवेट नर्सिंग होम में ईलाज कराने वालों को सुविधा का भी लाभ मिल सके और जो नर्सिंग होम चला रहे हैं, उनके लिए भी जो खर्चे हैं, वह हो सके। मेरा आपसे एक और निवेदन है। अभी शायद आपने 10 बैड के नर्सिंग होम को फ्री करने की घोषणा की है। मेरा ऐसा मानना है कि जो पुराने नर्सिंग होम बने हुए हैं और जिनकी क्षमता 30, 40 या 50 बैड की है, वहां पर लाइसेंस प्रथा बंद करनी चाहिए। आप इसके लिए कुछ नियम बना लीजिए। लाइसेंस के नाम पर इतनी अवैध वसूली होती है। अभी बिलासपुर में लगातार नर्सिंग होम पर छापे मारे जा रहे थे और नर्सिंग होम को बदनाम किया जा रहा था। छापे का कारण नहीं मालूम है। वहां से अधिकारी 20 हजार रूपये की फाइन लेकर और 20 हजार रूपये ऊपर से लेकर वापस आ रहे थे। मेरा आपसे निवेदन है कि वह डॉक्टर भी सेवा करते हैं और वह डॉक्टर भी आपकी ही व्यवस्था का एक अंग हैं तो मुझे लगता है कि आपको उन्हें भी कोई न कोई सुविधा देने की व्यवस्था करनी चाहिए। आपके आयुष्मान कार्ड के लिए जरूर एक चाक-चौबंद व्यवस्था होनी चाहिए। ताकि एक आम गरीब आदमी का अच्छे से ईलाज हो।

माननीय सभापति महोदय, हर ब्लॉक में जीवन दीप समिति बनी हुई हैं। मैं चाहता हूं कि जीवन दीप समिति को D.M.F. के माध्यम से जो पैसा मिलता है, उस पैसे की मात्रा को बढ़ाई जानी चाहिए। ताकि वह ब्लॉक स्तर पर अपना निर्णय कर सके। छोटी-छोटी समस्याएं जैसे - कभी कॉटन नहीं होता है, कभी दवाइयां नहीं होती हैं, कभी स्टीचेज नहीं होती हैं तो कम से कम इन सब खर्चों के लिए जीवन दीप समितियों को सही ढंग से फण्डिंग करनी चाहिए। ताकि वह अपना काम कर सके।

माननीय सभापति महोदय, अभी हमारे एक माननीय सदस्य आदर्श चिकित्सालय की बात कर रहे थे। यह एक अच्छी योजना है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी इस पर काम करें कि किसी को आदर्श चिकित्सालय बनाया जाना चाहिए। परंतु ये वैसे न हों, जैसे आदर्श गांव बनाये गये थे। आदर्श गांव केवल पेपरों में हैं। हर सांसद को एक-एक गांव दिया गया था कि आप आदर्श गांव बनाइये। तो वैसे आदर्श गांव की तरह आदर्श चिकित्सालय न बनें और वहां पर सच में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों। अंत में मैं

पुन: कहूंगा कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जितने फण्ड की जरूरत थी, इस बजट में उसको बहुत कम पैसा मिला है। इस प्रदेश में जहां गांव में रहने वाले लोगों को पानी से जनित बीमारियां और पेट से जनित बीमारियां होती हैं, वहां पर उनके ईलाज की समुचित सुविधा के लिए बजट को बढ़ाया जाना चाहिए था। इसलिए मैं इस बजट के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। धन्यवाद। जय हिन्द।

सभापति महोदय :- श्री रोहित साहू जी। श्री प्रणव कुमार मरपची जी।

श्री प्रणव कुमार मरपची (मरवाही) :- माननीय सभापति महोदय, मैं लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा विभाग के बजट के समर्थन में अपनी बात रखता हूं। यह एक महत्वपूर्ण विभाग है। यदि स्वास्थ्य ठीक न हो तो जीवन अति कष्टदायी होता है। स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए जिन-जिन सुविधाओं की आवश्यकता होती है, उन्हें पूरा करने का प्रयास इस बजट में किया गया है। कोविड-19 ने भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की गंभीर समस्याओं को उजागर किया है और यह एहसास कराया है कि यह महमारी किस हद तक सार्वजनिक स्वास्थ्य पर संकट उत्पन्न कर सकती है। जहां स्वास्थ्य के मायने शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण हैं, वही सार्वजनिक स्वास्थ्य का अर्थ ऐसे उपाय हैं जो समाज या राज्य के स्तर पर स्वास्थ्य को बरकरार रखते हैं। कोविड-19 ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। वह एक ऐसी महमारी थी, जिससे लगता था कि मानो पूरा मानव समाज समाप्त हो जाएगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने ऐसी गंभीर परिस्थिति में देश को संभाला और हम सबके जीवन को बचाने में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने राज्य को उच्चतम स्वास्थ्य व सेहत प्रदेश बनाने के लिए आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना प्रारंभ किया है। उसके लिए 1 हजार, 526 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। मैं इसका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी की भूरी-भूरी प्रशंसा भी करता हूं। मुख्यमंत्री शहर स्वास्थ्य कार्य योजनांतर्गत 3 करोड़, 50 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। मैं इसकी भूरी-भूमि प्रशंसा करता हूं और स्वास्थ्य मंत्री जी को बधाई देता हूं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना हेतु 1 हजार, 821 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। मैं इसके लिए भी माननीय मंत्री जी का समर्थन करता हूं। साथ ही इस बजट में जितना भी प्रावधान किया गया है, मैं उसका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं और मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं ।

माननीय सभापति महोदय, इस बजट में जितने भी विषय शामिल हैं, उसके संबंध में हमारे वरिष्ठ साथियों ने अपनी बात रखी है इसलिए मैं सीधे-सीधे अपने विधान सभा क्षेत्र, अपने जिले की बात करूंगा । मेरा जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही लगभग 200 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है । यहां पर सिर्फ तीन ब्लॉक हैं और यहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम लचर है । चारों ओर पहाड़ी क्षेत्र है । यहां

आदिवासी निवास करते हैं । यहां की जनसंख्या विरल है, लेकिन उनको हॉस्पिटल तक पहुंचने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है । सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को अहसास दिलाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि वे इस क्षेत्र की भी चिन्ता करें क्योंकि इस क्षेत्र में निर्धन लोग रहते हैं, अति पिछड़े किसान लोग रहते हैं । यहां की 90 प्रतिशत आबादी आदिवासी है । इस क्षेत्र में सिर्फ दो नगर परिषद हैं, जो अभी नये-नये बने हैं, उसके अलावा कोई बड़ा शहर नहीं है । बिलासपुर शहर मरवाही से लगभग 250 से 300 किलोमीटर की दूरी पर है । उसी प्रकार अगर इस क्षेत्र के लोग कोरबा की ओर देखें तो वह भी लगभग 250 किलोमीटर की दूरी में है। यदि हम मनेन्द्रगढ़ की ओर जाते हैं तो वहां पर चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं है । अगर मैं बगल में मध्यप्रदेश की ओर देखूं तो उधर भी लगभग 150 से 200 किलोमीटर की दूरी में शहडोल है । हमने महसूस किया है कि उस क्षेत्र के लोग मरवाही के छोटे स्वास्थ्य केन्द्रों की ओर से होते हुए बिलासपुर व्हाया रायपुर पहुंचते हैं । आप समझ सकते हैं कि इस क्षेत्र के लोगों को कितनी समस्या है । बजट में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, लेकिन जिला छोटा है । मेरे विधान सभा क्षेत्र और पूरे जिले की जनसंख्या को जोड़ी जाये तो लगभग 4 लाख की जनसंख्या है। अगर इस क्षेत्र में एक, दो डॉक्टर ही इतने लोगों को सम्हालेगा तो पर्याप्त नहीं है। उस क्षेत्र में तीनों प्रमुख स्वास्थ्य केन्द्र और जिला चिकित्सालय के जितने भी अधिकारी-कर्मचारी हैं, जितने भी डॉक्टर हैं, उनको देखने की कोशिश की तो वहां के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एक बी.एम.ओ. है, जो चिकित्सा अधिकारी हैं, और उनके कुछ कर्मचारी, एक, दो नर्स ही सेवा कर रही हैं । इसी प्रकार तीनों सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थिति है । जो जिला चिकित्सालय है, वहां पर कुछ-कुछ विभाग में एक-एक डॉक्टर हैं और लगभग यह स्थिति है कि आधे कर्मचारी न जिला स्तर पर पदस्थ हैं, न तीनों सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में पदस्थ हैं । वहां पर एक हॉस्पिटल के लिए जितनी आवश्यकता होती है, उतने कर्मचारियों की पदस्थापना करने की निवेदन मैं मंत्री जी से करता हूं । मैंने आपको इतने विस्तार से जानकारी दी कि 200-250 किलोमीटर में शहर नहीं है । यह विषय बहुत ही संवेदनशील है जैसा कि मैंने कोविड का ध्यान दिलाया । कोविड के समय में लोग अपनी जान बचाने के लिए छत से कूदते थे, कहीं ट्रेनों से भी कट गए । ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र के लोग अपने आप को कैसे सम्हाले होंगे, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं । इन सबको ध्यान में रखते हुए मैं मंत्री जी से मांग और निवेदन करता हूं कि मरवाही विधान सभा क्षेत्र का जो मुख्यालय है, वहां 100 बिस्तर का हॉस्पिटल स्वीकृत करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं । जय हिन्द, जय भारत ।

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी बालोद) :- माननीय सभापति महोदय, हमारे जीवन में स्वास्थ्य का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्याम बिहारी जायसवाल जी के विभाग की मांग संख्या-19 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मांग संख्या-79 चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा मांग संख्या-50 बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय की चर्चा में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। हमारे

स्वास्थ्य विभाग के मुखिया को बहुत-बहुत बधाई देती हूं। क्योंकि आपने जो अनुदान मांग लाया है, उसमें आप थोड़ी और राशि ले लीजिये, यह निवेदन करते हुए कहना चाहती हूं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से यह विभाग सबके लिए महत्वपूण होता है। हम धन से सब कुछ खरीद सकते हैं, हमारे लिए जो भी आवश्यक सामग्री है, वह सब खरीद सकते हैं, लेकिन एक श्वास नहीं खरीद सकते हैं। सभापति महोदय, हमारे लिए स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। हमारे पूरे छत्तीसगढ़ राज्य और देश को स्वस्थ रखने में हमारे मंत्री जी का बहुत बड़ा सहयोग रहेगा।

आदरणीय सभापति महोदय जी, हमारे यहां डाक्टर और जनता के बीच का अनुपात देखें। मैं जब डाक्टर और जनता के बीच का अनुपात देखती हूं तो हमारे यहां डाक्टर बहुत ही कम हैं। हमारे आदरणीय मोदी जी हमेशा विकसित भारत की बात करते हैं। कहते हैं कि हम विकसित देश की ओर जा रहे हैं, विकसित भारत की ओर जा रहे हैं। मैं उनको बताना चाह रही हूं कि अगर हम विकसित भारत की ओर जा रहे हैं तो हमको क्या-क्या मूलभूत सुविधा की आवश्यकता है। हम स्वास्थ्य की दृष्टि से जनता और डाक्टर का अनुपात में देखते हैं तो आस्ट्रेलिया में प्रति हजार पर 6 डाक्टर हैं। उसी के साथ अगर ब्रिटेन का देखते हैं तो प्रति हजार पर 3 डाक्टर हैं। हम अमेरिका में देखते हैं तो प्रति हजार पर 2.6 डाक्टर हैं। अगर हम भारत में आते हैं, हम अपने देश का अनुपात देखते हैं तो प्रति हजार पर 0.09 डाक्टर हैं। आप सोचिये कि कितने कम डाक्टर हैं। प्रति हजार व्यक्तियों के लिए 0.09 डाक्टर हैं। अगर मैं विधानसभा क्षेत्र के स्तर पर देखती हूं तो संजारी बालोद के छोटे से ब्लाक में जाती हूं तो मेरे गुरूर ब्लाक की डेढ लाख आबादी है। डेढ लाख की आबादी में सिर्फ 4 एम.बी.बी.एस. डाक्टर हैं। सभापति महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की दयनीय स्थिति है, देश की भी दयनीय स्थिति है।

सभापति महोदय, हम विकसित भारत की ओर जा रहे हैं और हम डाक्टरों की चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने में पीछे हैं। हम यह निवेदन करना चाह रहे हैं कि अगर आप विकसित भारत की ओर जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ राज्य को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो डाक्टरों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। जब तक डाक्टरों की संख्या नहीं बढ़ेगी, आप चाहे जितने भी बिस्तर वाला अस्पताल खोल दें, सौ बिस्तर, दो सौ बिस्तर, हजार बिस्तर का अस्पताल खोल दीजिये, यदि वहां डाक्टर नहीं रहेंगे तो मरीजों का ईलाज कौन करेगा ? यहां डाक्टरों की इतनी कमी है।

आदरणीय सभापति महोदय जी, अगर हम दूसरे देश की भी बात करें तो वहां गर्भवती महिलाओं का ईलाज उनके घर जाकर किया जाता है। हमारे यहां गर्भवती महिलाएं डाक्टर के पास जाती हैं तो उसे रेफर कर दिया जाता है। क्योंकि वहां डाक्टर नहीं रहते हैं। सभापति महोदय, डाक्टर के नहीं रहने का एक कारण और भी है। अगर आप विचार करें कि डाक्टर क्यों नहीं हैं तो आप पायेंगे कि एक तो हमारे पास डाक्टर की संख्या कम है। दूसरी बात अगर डाक्टर हैं तो उनको मूलभूत सुविधा प्रदान नहीं किया जाता है। अगर डाक्टर को ज्यादा वेतन दिया जाये, अगर एक डाक्टर का वेतन बढ़ा दिया जाये, उनको

मूलभूत सुविधा प्रदान कर दिया जाये तो वह कहीं बाहर या शहरी क्षेत्र की ओर नहीं जायेगा। अगर एक डाक्टर को मूलभूत सुविधा प्रदान किया जा रहा है, उनको सारी सुविधा दे रहे हैं तो डाक्टर वहां से बाहर नहीं जायेगा। मैं अभी बीच में प्रश्न लगाई थी। मेरे बालोद जिले में एक भी डॉक्टर नहीं है, मेरा बालोद जिला तो नगरीय क्षेत्र में आता है । अगर हम दूरांचल बस्तर की बात करें तो वहां पर डॉक्टर ठहरता ही नहीं है, इसका कारण यह है कि हम उनको फैसिलिटी नहीं दे पा रहे हैं । सरकार को चाहिये कि डॉक्टर के पेमेंट को बढ़ाया जाये, उसके रहने की व्यवस्था की जाये, उनके बच्चों को शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था हो तो वह कभी भी शहरी क्षेत्रों में नहीं भागेगा, अत: मैं निवेदन करूंगी कि इस ओर विशेष ध्यान दें । सभापति महोदय, अस्पतालों की दुर्दशा देखिये कि एक डॉक्टर है, वही पोस्टमार्टम करेगा, वह पेशी में भी जायेगा, उसके द्वारा ईलाज भी किया जायेगा । सरकार का इस ओर ध्यान जाना चाहिये, इसके लिये एक अलग डॉक्टर होना चाहिये, ताकि वह रिपोर्ट को लेकर पेशी में जाये, जिससे कि मरीजों पर पर्याप्त ध्यान दिया जा सके । सभापति महोदय, हमेंशा यह बात आती है कि डॉक्टरों की कमी है, मैं सरकार का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना चाहूंगी कि भारत के 75 हजार डॉक्टर विदेशों में अपनी सेवायें दे रहे हैं । कोई आस्ट्रेलिया में है, कोई न्यूजीलैण्ड में है, भारत के डॉक्टर पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं । सभापति महोदय, यह मेरा विचार है कि यदि हम उनको अच्छी तन्ख्वाह दें, सुविधायें दें तो वह अपने परिवार को छोड़कर बाहर नहीं जायेगा । माननीय सभापति महोदय, हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है । मैं सदन को सूचित करना चाहूंगी कि जो हमारा 5 साल का कार्यकाल रहा है, आरंभ में ही हमारा प्रदेश कोरोना की चपेट में आ गया । हालात ये थे कि पति को कोरोना हो गया तो पत्नी भी सेवा नहीं कर रही थी, यह स्थिति थी । उस हालत में हमारे पूर्व सी.एम.भूपेश बघेल जी ने पूरी व्यवस्था की है और इसका परिणाम यह रहा कि हमारे छत्तीसगढ़ में मृत्यु दर सबसे कम रहा है । प्रदेश में न कभी आक्सीजन की कमी हुई, न बेड की कमी हुई, जबकि हमने ऑक्सीजन दूसरे राज्य को भेजा । प्रदेश में कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई कि कोरोना के ईलाज के लिये उन्हें अन्य राज्य जाना पड़े । सभापति महोदय, हमारे बच्चे जो दूसरे राज्य में फंसे थे, पढ़ने के लिये बाहर गये हुये थे, मुंबई और पूणे जैसे शहरों से हमारे बच्चों को लाने का काम किया है । प्रदेश के मजदूर जो दूसरे राज्य में फंसे थे, उनको लाने का काम हमारी सरकार ने किया है । हालांकि यह छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन हमारी सरकार ने इस दिशा में बहुत प्रयास किया है । सभापति महोदय, मैं हॉट बाजार क्लिनिक के बारे में बताना चाहूंगी कि हमारे बालोद में एक संम्पन्न परिवार के व्यक्ति जिनके यहां ऑडी है, बी.एम.डब्लू. है, वह उस बस से उतर रहे थे । मैंने कहा कि आप यहां कैसे हैं, आप तो बड़े-बड़े हॉस्पीटल में ईलाज करा सकते हो । उन्होंने कहा कि हाट बाजार क्लिनिक सरकार की बहुत अच्छी योजना है, यहां एक गाड़ी में 32 प्रकार के टेस्ट होते हैं, एक गाड़ी में बी.पी., शुगर, सब टेस्ट हो जाते हैं, इस योजना ने इतनी अधिक सफलता प्राप्त की है कि आज भी लोग उसमें ईलाज

कराना पसंद कर रहे हैं । गरीब लोग, जब बाजार जाते हैं तो वहां ग्रामीण तबके के लोग बाजार जाकर सब्जी खरीदते हैं और तुरंत बी.पी., शुगर का टेस्ट कराते हैं, यह इतनी अच्छी योजना है । सभापति महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि इस योजना को आप बिल्कुल बंद मत करिये और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में उसे जरूर जारी रखें । आदरणीय सभापति महोदय जी, जो मितानिन बहने हैं, उनका मानदेय तो पूर्ववर्ती सरकार ने बढ़ाया है, मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि आंगनबाड़ी, मितानिन और खाना बनाने वाली बहनों का लगातार हमारे पास आवेदन आ रहा है कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाये । मैं सरकार से निवेदन करती हूँ, माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि उनका ख्याल रखें, वह दिन-रात काम करती है और जब वह मीटिंग करती है तो किसी के घर में करती है, वह कभी किसी के आंगन को यूज करती है, कभी किसी के चौरा को यूज करती है। मैं आपसे यह मांग करती हूं कि मितानिन बहनों के लिये जिला में और ब्लॉक में भवन दे दिया जाये तो उनकी मीटिंग के लिये बहुत अच्छा होगा। उनकी प्रोत्साहन राशि 04 महीने से रूकी हुई है, वह उनको दे दी जाये तो बड़ी कृपा होगी।

सभापति महोदय, मैं एक मांग रख रही हूं। मेरे विधान सभा में बालोद जिला में गुरूर ब्लॉक में एक दुबचेरा गांव है, जो गुरूर से महज 05 किलोमीटर दूर है। वहां पर एक कबीरपंथी साहब हैं। उन्होंने 50 लाख रूपये का एक हॉस्पिटल बनाकर रेडी कर दिया है। अब वह चाहते हैं कि इस अस्पताल को प्रारंभ किया जाये। वह इतना बड़ा अस्पताल है कि हम उसको प्राईवेट नहीं करवा सकते इसलिये वह उसे शासकीय अस्पताल बनाने की मांग कर रहे थे । यदि उसमें डॉक्टर भेज दिया जाये, स्टॉफ उपलबध करा दिया जाये तो बहुत बड़ी कृपा होगी। सभापति महोदय, हमको पूरा हॉस्पिटल रेडी मिल रहा है, हमको सिर्फ स्टॉफ भेजने की आवश्यकता है। यदि हमारे मंत्री महोदय जी उसमें स्वीकृति प्रदान कर दें तो बड़ी कृपा होगी।

सभापति महोदय, हमारे यहां की बहुत दिनों से एक मांग है कि गुरूर में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें नवीन भवन की आवश्यकता है, वह बहुत जर्जर हो गया है। यदि आप उस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के वॉशरूम को देखेंगे तो बीमार व्यक्ति तो क्या जो स्वस्थ व्यक्ति रहेगा वह भी वहां पर बीमार हो जोयगा। वहां पर नवीन भवन की बहुत आवश्यकता है। साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, लाटाबोर में नवीन भवन की आवश्कता है। पलारी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन करने की आवश्यकता है। मेरे ही जिला की एक मांग आयी है कि जो पूर्ववर्ती सरकार ने 100 बिस्तर अस्पताल के लिये राशि स्वीकृत की है।

श्री राजेश अग्रवाल :- बहन जी, क्या 03 महीने में ही भवन जर्जर हो गये ?

सभापति महोदय :- राजेश जी, आप बैठिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, अनिला दीदी ने स्पेशयली मुझे बोलकर दिया है कि बालोद जिला की एक मांग थी। वहां पर लोहा तो निकाला जा रहा है लेकिन वहां अस्पताल को बंद किया

जा रहा है। उसको चालू कराया जाये। पूर्ववर्ती सरकार ने बजट में 100 बिस्तर अस्पताल के लिये राशि दी थी, यदि आप उसको भी चालू करवा देते तो हमारी अनिला दीदी धन्यवाद दे देती।

सभापति महोदय, मैंने जो मांग की है, उसमें डॉक्टरों का ध्यान दे और यहां से कोई भी डॉक्टर पलायन न कर सके। साथ में हर जिला अस्पताल में डॉक्टर उपलब्ध रहे ताकि वह अपनी फेसिलिटी दे सके।

सभापति महोदय :- संगीता जी, आपने अपनी बहुत मांगे रख ली।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, मैं यह मांग पूर्ववर्ती सरकार से करती आ रही हूं कि वहां सी.टी. स्केन की एक मशीन दे दीजिये। वहां जो नेत्र चिकित्सक होते हैं, उनका प्रमोशन नहीं हो रहा है। कोई भी डॉक्टर कितना भी पढ़ ले, लिख ले, लेकिन डॉक्टर, डॉक्टर ही होता है। वहां उनका प्रमोशन नहीं हो रहा है। आपसे निवेदन है कि उनके पोस्ट बदलने पर ध्यान दें।

सभापति महोदय, इस विभाग के बजट में जो राशि दी गयी है, उसमें और आवश्यकता है इसलिये मैं इसका समर्थन न करते हुए अपनी वाणी का विराम दे रही हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिये धन्यवाद, जय हिन्द।

सभापति महोदय :- माननीय सदस्यों से आग्रह है कि अभी वक्ताओं की लंबी सूची है और आज दो विषयों पर चर्चा होनी है, इसलिये मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि इसके बाद काफी लोग बचे हैं। आप कम शब्दों में, 5-5 मिनट में अपनी मांगों को और बातों को रखें। श्री राजेश अग्रवाल जी।

श्री उमेश पटेल :- राजेश जी, आपका पहला भाषण है।

श्री राजेश अग्रवाल :- नहीं, कल भी था।

सभापति महोदय :- वह पहले भी भाषण दे चुके हैं, आप अनुपस्थित थे।

श्री उमेश पटेल :- आप जिनको हराकर आये हैं, आपका भाषण भी वैसा ही लंबा-चौड़ा होना चाहिए। आपको पता है उनका एक बार भाषण देने का रिकॉर्ड है, श्याम भाई जान रहे होंगे। उनका एक बार का 2.45 घण्टे का लगातार भाषण देने का रिकॉर्ड है।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, वह लंबे-चौड़े थे, यह मोटे-ताजे हैं। (हंसी)

सभापति महोदय :- चलिये, लगता है कि आप ठीक है। राजेश जी, आप बोलिये।

श्री राजेश अग्रवाल (अंबिकापुर) :- मैं इसके लिए आपको धन्यवाद दे रहा हूँ कि यहां मेरे आने की आप लोगों को खुशी है। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय सभापति महोदय, "सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्तु निरामया:" की अवधारणा को लेकर, यह बजट प्रस्तुत किया गया है। मैं माननीय विष्णु देव साय जी और हमारे स्वास्थ्य मंत्री, आदरणीय श्याम बिहारी जायसवाल जी को सीधे-सीधे धन्यवाद दे रहा हूँ कि अंबिकापुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्थापना की जायेगी। इसके लिए 50 करोड़ रूपये प्रावधान किया गया है और मुझे उम्मीद है कि

आने वाले समय में हमारे स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री जी के विशेष आशीर्वाद से एम्स का स्थान लेगा। मैं सरगुजा संभाग की जनता की ओर से इन्हें धन्यवाद दे रहा हूँ। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर में 150 एम.बी.बी.एस. सीटों में वृद्धि और पी.जी. पाठ्यक्रम के लिए 87 पदों का सृजन किया जाएगा, इसके लिए 50 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है मैं, आपको पूरे संभाग की तरफ से इसके लिए बधाई दे रहा हूँ। आज इन अनुदान मांगों की चर्चा में आदरणीय धरमलाल कौशिक जी और हमारे अन्य साथियों ने विस्तार से चर्चा की है इसलिए हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो बजट दिया है। मैं उसके लिए अलग-अलग नहीं बोल रहा हूँ।

माननीय सभापति महोदय, मैं, आपका ध्यान कुछ विशेष बातों की ओर आकृष्ट कर रहा हूँ। पूर्व में ग्रामीण क्षेत्रों में एक बाईक एम्बुलेंस का प्रयोग हुआ था। अगर अति ग्रामीण क्षेत्रों में बाईक एम्बुलेंस की स्वीकृति हो जाए तो मुझे यह लग रहा है कि वह बहुत कारगर होगा और वह हमारे मरीजों के लिए बहुत कम खर्चे में काम आएगा। इसलिए विशेष रूप से उसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है।

समय :

2.47 बजे **(सभापति महोदय (श्री बघेल लखेश्वर) पीठासीन हुए)**

माननीय सभापति महोदय, हमारे अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज को बहुत आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन विशेषज्ञ चिकित्सकों के निवास के लिए पूर्ण विकसित कॉलोनी हो, चाहे आप प्राईवेट को अनुमति दें या स्वास्थ्य विभाग से उनके निवास बनाएं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सक रहना नहीं चाहते हैं। रायपुर से जाकर अंबिकापुर में रहना नहीं चाहते हैं तो वहां उनके लिए पूर्ण विकसित कॉलोनी की सख्त आवश्ययकता है । यहां अति ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों एवं स्टाफ के लिए स्टाफ क्वार्टर की सख्त आवश्यकता है ताकि वह लोग वहां रहें, खासकर हमारे सभापति जी श्री प्रबोध मिंज का क्षेत्र कुन्नी है। कुन्नी में निवास स्थान की कमी की वजह से डॉक्टर नहीं रूकते हैं, वह लखनपुर या अंबिकापुर आते हैं। मैं एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सक रहने लगेंगे तो काफी आराम हो जाएगा।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, अग्रवाल भईया, एक मिनट। यह बहुत गंभीर मामला है। मैं अभी बाहर निकला था। मेरे एक साथी दांत का ईलाज कराने डेंटल कॉलेज गये थे। अभी पता चला कि वहां एक सप्ताह से एक्सरे की मशीन बंद है और एक्सरे की जांच के बगैर उनके दांत का ईलाज हुआ है। माननीय मंत्री महोदय मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि तत्काल वह एक्स रे मशीन सुधरवायी जाये ताकि वहां लोगों को सुविधा मिल सके।

श्री राजेश अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपको उस विषय में एक बात बताना चाह रहा हूँ कि फिर यह कहा जाएगा कि पूर्ववर्ती सरकार की बात कर रहे हैं। उस समय इतनी मशीनें खरीदी

गईं, न उसके ऑपरेटर का कोई ठिकाना था, न उसे कोई चलाने वाला था। प्रतापपुर में कोई एक मशीन बहुत महंगी खरीदी गई है। अभी चुनाव से दो महीने पहले यहां से कड़ाई से कहा गया कि आप किसी को भेजिए। तो एक चपरासी को उसके लिए भेजा गया था जिसके ऊपर काफी विवाद हुआ था। आप लोगों ने केवल मशीनें खरीदीं हैं, उसको चलाने वाले पर ध्यान नहीं दिया है। मैंने आगे इस चीज को लिखा भी है कि यहां महंगी मशीनें खरीदी जाती हैं लेकिन ऑपरेटर नहीं रहने पर, मशीनें रखी-रखीं खराब हो जाती हैं। मेरा यह निवेदन है कि यहां मशीनें खरीदने से पहले उनके ऑपरेटर की व्यवस्था हो। हम विदेशों से महंगी मशीनें मंगा लेते हैं, लेकिन उसके रिपेयरिंग की व्यवस्था नहीं होती है। अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज में एक मशीन की चर्चा आयी थी, वह आप लोगों के कार्यकाल में खरीदी गई थी। उसके रिपेयरिंग का कोई कॉन्ट्रेक्ट नहीं हुआ है। वह मशीन जर्जर अवस्था में पड़ी है। हम लोगों को आप लोगों का यह सब पाप सुधारना पड़ रहा है, हमें जनता ने मौका दिया है।

श्री सुशान्त शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस की सरकार के समय मशीनें जर्जर हो गईं।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अग्रवाल जी, क्या है, अगर हम उदाहरण देने आ में आ जाएं तो 15 सालों के इतने उदाहरण हैं कि आप गिन नहीं पाओगे। आप समझ रहे हैं। आप उदाहरण पर मत जाईये। आपके क्षेत्र की क्या-क्या मांगे हैं, आप माननीय मंत्री जी से बोलिए। माननीय मंत्री जी सुन रहे हैं।

श्री राजेश अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, मैं आरोप लगाने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- भैया, समस्याओं की जड़ स्वयं अग्रवाल जी हैं।

श्री राजेश अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, मैं आरोप लगाने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं। वास्तव में मशीनें खरीदी गईं जिसके ऑपरेटर की व्यवस्था नहीं थी। मैं पक्ष, विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं। स्वास्थ्य के बारे में आप सभी लोग जो चिंता कर रहे हैं, सभी की चिंताओं का समर्थन कर रहा हूं। लेकिन जो मशीनें खरीदी गई थीं उसके ऑपरेटर की व्यवस्था नहीं थी। इसलिए मैं यह मांग रख रहा हूं कि अब आगे जो मशीनें खरीदी जायें, उनके ऑपरेटर पहले से तैयार हो जायें तब वह मशीनें खरीदी जायें ताकि उन मशीनों के आने के साथ उनका सदुपयोग हो। हमारे पूर्ववर्ती डॉ. रमन सिंह जी की सरकार के द्वारा 108 एम्बुलेंस चालू की गई थी। लेकिन पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि उसकी सुविधाओं का समुचित लाभ जनता को नहीं मिल रहा है। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उसको पुन: बढ़िया व्यवस्था में लाया जाये। महोदय, एक और निवेदन था कि हमारे अंबिकापुर जिला अस्पताल के बगल में पी.डब्ल्यू.डी. की एक खाली जमीन है। वहां एक जर्जर कार्यायल टाइप का दिखता है। महिला हॉस्पिटल के बगल में रामानुज क्लब की जमीन है जिसकी लीज अवधि खत्म हो गई है।

शासकीय हॉस्पिटल और महिला हॉस्टिपल में अगर उन दोनों जमीन को मिला दिया जाये तो हमारे पास जो जगह की कमी है, उसकी पूर्ति हो जायेगी। उसके बारें में विभागों से अगर कोई निराकरण हो जाये और वह जगह हमको मिल जाये तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमको जो जगह की कमी हो रही है, वह दूर होगी। उसके बारे में विशेष रूप से ध्यान दिया जाये। चूंकि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने हमारे ऊपर इतनी कृपा की है कि मैं व्यक्तिगत रूप से अलग से कोई अपनी मांग नहीं रख रहा हूं। स्वास्थ्य मंत्री जी, एक मिनट सुन लीजिए। मैं मांग नहीं रख रहा हूं, खाली आपको धन्यवाद दे रहा हूं कि आपने बिना मांगे इतना दिया है, इसलिए मैं मांग नहीं रख रहा हूं। मेरे को लग रहा है कि आप बिना मांगे ही हम लोगों के ऊपर ध्यान रखेंगे। इसके लिए आपको धन्यवाद दे रहा हूं, कोई अलग से मांग नहीं रख रहा हूं।

श्री अटल श्रीवास्तव :- राजेश भैया, चुनाव के बाद से आपका ब्लड प्रेशर ठीक चल रहा है ?

श्री राजेश अग्रवाल :- भगवान की दया से मेरे को कोई बीमारी नहीं है।

श्री सुशांत शुक्ला :- भैया, इनका ब्लड प्रेशर ठीक चल रहा है, किसी और का ब्लड प्रेशर बिगड़ गया है।

श्री राजेश अग्रवाल :- मैं मोटा हूं, आपको लगता होगा कि शुगर की बीमारी होगी। मेरे को कोई बीमारी नहीं है। 50 बार ब्लड डोनेशन किया हूं।

श्री उमेश पटेल :- हमारी दुआ है कि आपको आगे और 50 साल तक कुछ मत हो।

श्री राजेश अग्रवाल :- वह तो मैं महसूस किया कि पूरे कांग्रेस वालों की दुआ है कि मैं हमेशा इस सदन में रहूं, इसके लिए कांग्रेसियों को धन्यवाद दे रहा हूं। (मेजों की थपथपाहट) माननीय सभापति महोदय, मैं इस बजट का पूर्ण समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्री इन्द्रशाह मंडावी जी।

श्री उमेश पटेल :- बृजमोहन जी, वह जहां से आये हैं, उनका रिकॉर्ड आप जानते हैं कि पौने 03 घंटे का है और वह अपने भाषण को पौने 03 मनिट में खत्म कर दयिे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :- पौने 03 घंटे वाले को लोगों ने घर में बैठा दिया और पौने 03 मिनट वालों को सदन में भेजा है।

श्री राजेश अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, मैं एक चीज और भूल गया था।

सभापति महोदय :- आप लिखित में दे दीजियेगा।

श्री इन्द्रशाह मंडावी (मोहला-मानपुर) :- माननीय सभापति महोदय, मैं लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के विभागों से संबंधित अनुदान मांग संख्या 19, 79 और 50 के संबंध में चर्चा करने और इन अनुदान मांगों का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। स्वास्थ्य के संबंध में यह कहना चाहता हूं कि

शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से पूर्णत: स्वस्थ होना ही स्वास्थ्य है। मानव शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। पांचों तत्वों का समागम समान रूप से होगा तो अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य विभाग में पूरे प्रदेश को निरोगमय रखने का प्रयास होता है। अभी हमारे आदरणीय कौशिक जी ने बताया कि यहां पर बहुत सारे पद खाली हैं। जिसमे संचालनालय में 182 पद, विशेषज्ञ डॉक्टर के 1235 पद, डॉक्टर के 187 पद, दंत चिकित्सक के 31 पद, आर.एम.ए. ग्रामीण चिकित्सा सहायक के 168 पद, तृतीय वर्ग व चतुर्थ वर्ग कर्मचारी के 7376 पद रिक्त हैं। वैसे ही नर्सिंग स्टॉफ के भी 3763 पद खाली हैं। ऐसे पद पूरा खाली रहने से स्वास्थ्य विभाग की ग्रामीण क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी चरमरा जायेगी। इसलिए आदरणीय मंत्री जी से मेरा विशेष आग्रह है कि इन पदों की भरपाई जल्दी से जल्दी करें जिससे प्रदेश की पूरी जनता को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले। साथ ही साथ कर्मचारियों के लिए भी क्वार्टर की व्यवस्था करें। मेरा क्षेत्र पूरा ग्रामीण अंचल है, नक्सलाईट बेल्ट है, वहां पर रहने के लिए मकानों की समस्या बहुत ज्यादा रहती है। मैं चाहता हूं कि जहां-जहां जो पदस्थापना है, वहां पर स्टॉफ क्वार्टर बना देंगे तो उससे हमारे क्षेत्र में पूरे स्टॉफ रहेंगे और यदि नहीं रहेंगे तो उसमें कठोर कार्रवाई की व्यवस्था भी की जाये, ऐसा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मानपुर में वर्तमान अध्यक्ष के कार्यकाल में 25 बिस्तर का मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल खोला गया था। जो घोर वनांचल क्षेत्र, नक्सलाईट क्षेत्र है, वहां के लोगों के पास पहनने के लिए भी कपड़े नहीं होते हैं तो वह बाहर जाकर भी ईलाज नहीं करवा सकते। चाहे कोई भी कार्ड हो, वह चाहे आयुष्मान कार्ड हो या चाहे कोई भी कार्ड हो। माननीय मंत्री जी, मेरी बात थोड़ा सुन लेंगे। आप मानपुर में एक 100 बिस्तर का अस्पताल खोल देते तो बहुत मेहरबानी होती, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। साथ ही साथ हमारे यहां से नर्सिंग के लिए रायपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव व बाहर में जाकर पढ़ते हैं। हर साल लगभग 100 बच्चे नर्सिंग के लिए पढ़ने जाते हैं। मोहला-मानपुर नया जिला बना है तो आप नवीन जिला में एक जनरल नर्सिंग कॉलेज खोल देते तो यह भी हमारे लिए बहुत मेहरबानी होती। मेरे यहां बहुत सारे दूरांचल क्षेत्र है, जहां पर 10, 15, 20 किलोमीटर में हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है, जिसमें मण्डावी टोला, देवाड़ी, भनसुला, सिवनी, मदनवाड़ा, दिघवाड़ी, मड़ियानमाड़वी है। मैं यहां पर हॉस्पिटल खोलने की मांग करता हूं। हमारे संगीता जी ने मितानीन के संबंध में बताया कि वहां के मितानीन लोग बहुत मेहनत करते हैं। वहां पर रात-दिन गर्भवती महिलाओं के संबंध में नवजात बच्चों के लिए टीकाकरण, दस्त और जितने भी परेशानियां है, यह लोग पूरा झेलते हैं। चाहे स्लम बस्ती में डेंगू हो, मलेरिया हो, बी.पी. मापने का काम, बहुत सारी बीमारी के काम में यह लोग काम करते हैं। इनका मानदेय बहुत काम है। पिछली सरकार में इनका मानदेय बढ़ाया गया था और यह थोड़ा सा कठिन काम है तो इसमें भी थोड़ा मानदेय बढ़ायेंगे तो मेहरबानी हो जाएगी। वैसे ही एन.एच.एम. में भी बहुत सारे पद रिक्त हैं। इसमें 15,212 पद रिक्त हैं और जिनका संविदा नियुक्ति है, वह लोग पिछले साल बहुत हड़ताल भी किये थे, पर यह केन्द्र और यहां से, दोनों से संबंध है। इसमें भी इनका मानदेय का विशेष

ध्यान रखेंगे और इनको रेगुलकर कर सकते हैं। अभी आपका डबल इंजन का सरकार है तो दो इंजन लगेगा तो बढ़िया बल भी लगेगा तो इनके लिए मेहरबानी हो जाती कि जितने भी एन.एच.एम. के कर्मचारी हैं, उनको काम दे देते और यह लोग ज्यादा दिन नहीं रहते, इन लोगों को थोड़ी-सी परेशानी होती। साथ ही साथ यहां पर जो सबसे बड़ा रोकथाम है, वह तंबाकू के संबंध में है। तंबाकू का सेवन करने के लिए आजकल गांवों में बहुत ज्यादा चाहे जरदा हो, गुटखा हो, बीड़ी हो या चाहे सिगरेट हो, इस संबंध में रोकथाम करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता, गैर सरकारी संगठन, सेमिनार इत्यादि के माध्यम से इस दुष्प्रचार को बचाने के लिए काम करेंगे तो मुंह में जो कैंसर नाम की बीमारी है और जो खाते हैं, उससे अंदर भी जाती है तो अंदर में भी कैंसर व नाना प्रकार की बीमारी भी फैलती है। इसमें भी आप एन.जी.ओ. के माध्यम से, चाहे गैर सरकारी संगठन के माध्यम से कोई अच्छा सा काम करवायेंगे तो मैं समझता हूं कि जो मृत्यु दर है, वह वर्ष 2009 में 53.2 व वर्ष 2016-2017 में 39 प्रतिशत था तो ऐसे बीमार नहीं होंगे और हमारा पूरा छत्तीसगढ़ एक सुखद छत्तीसगढ़ और आप लोगों के साथ में यह जो अभी जो आये हैं, डबल इंजन की सरकार में जितने भी काम हैं, सबको करके हमारे क्षेत्र को बचाने का प्रयास करें। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्री चैतराम अटामी जी।

श्री चैतराम अटामी (दन्तेवाड़ा) :- माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं इस विभाग के अनुदान मांग के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारे विष्णु देव साय जी ने इस स्वास्थ्य विभाग के लिए बजट पेश किया है, इसके लिए मैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारी सरकार द्वारा राज्य को उत्तम स्वास्थ्य एवं सेहतमंद प्रदेश बनाने के लिए आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना प्रारंभ की गई है, इसके लिए बजट में 1,526 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है, जिसके लिए मैं स्वास्थ्य मंत्री को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। हमारा दंतेवाड़ा जिला आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र जिला है । मैं दंतेवाड़ा जिला के संबंध में अपनी बात रखूंगा एवं हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के समक्ष अपनी कुछ मांगें रखूंगा । हमारे दंतेवाड़ा में जिला चिकित्सालय 1 है, एम.सी.एच. 1 है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 5 हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 13 हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र 76 स्वीकृत हैं । जो कि आई.पी.एच.एस. के मानक अनुरूप कम है । जिले की भौगोलिक बनावट पूरा पहाड़ी क्षेत्र है । मानव बसाहट विरल होने के कारण राष्ट्रीय कार्यक्रमों के सफल संपादन व चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में कठिनाई होती है । हमारे दंतेवाड़ा जिला में और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता है । प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 3, शहरी उपस्वास्थ्य केंद्र 5 और स्वास्थ्य केंद्र 26 खोला जाना प्रस्तावित है । दंतेवाड़ा जिला अतिसंवेदनशील क्षेत्र है इसलिये वहां उप स्वास्थ्य केंद्र खोला जाना बहुत ही जरूरी है। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से

दंतेवाड़ा जिला के लिये मांग करता हूं चूंकि बीजापुर, सुकमा जिला और दंतेवाड़ा जिला आता है । दंतेवाड़ा जिले में आये दिन पुलिस जवान और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ होती रहती है । जिसके कारण तत्काल उपचार नहीं मिलने के कारण कई लोगों की जान चली जाती है अत: दंतेवाड़ा जिला में एक एम्स हॉस्पिटल खोला जाना बहुत ही जरूरी है जिससे वहां बहुत सारे लोगों की जान बच जायेगी चूंकि तत्काल रायपुर लाने के लिये उन्हें हेलीकॉप्टर से ही लाना संभव होता है । जिसकी कमी के कारण कई लोगों की जान जाती है । दंतेवाड़ा जिले में मेडिकल कॉलेज खोला जाना बहुत जरूरी है ताकि वहां के लोगों को स्वास्थ्य के लिये हर प्रकार की सुविधा मिले ऐसी मेरी स्वास्थ्य मंत्री जी से मांग है । चूंकि उस जिला चिकित्सालय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कटेकल्याण में नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण डी.एम.एफ. मद से किया जा रहा है परंतु निर्माण कार्य पूर्ण होते तक वर्तमान में संचालित पुराना भवन मरम्मत कार्य किये जाने की आवश्यकता है । लगभग 40 लाख रूपये की जरूरत पड़ेगी । सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुआंकोण्डा, नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जा रहा है परंतु निर्माण कार्य पूर्ण होते तक वर्तमान में संचालित पुराने भवन की आवश्यकता है इसमें भी 60 लाख रूपये राशि की आवश्यकता है । सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किरंदुल में पदस्थ अधिकारी-कर्मचारियों के लिये 8 नग जी-टाईप क्वार्टर की आवश्यकता है । इसमें लगभग 1 करोड़ 20 लाख रूपये की आवश्यकता है । प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पुनदुम में उन्नयन कार्य की आवश्यकता है । लगभग राशि 30 लाख रूपये की जरूरत है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पुनदुम में पदस्थ अधिकारी, कर्मचारियों के लिए 4 नग क्वार्टर की जरूरत है।

सभापति महोदय :- चलिए, अटामी जी, समाप्त करिए।

श्री चैतराम अटामी :- सभी उप स्वास्थ्य केन्द्र में कर्मचारियों को, डॉक्टरों को रूकने के लिए क्वार्टर बहुत ही जरूरी है और मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि दंतवाड़ा जिला मुख्यालय अस्पलात में कोरोनाकाल के दौरान वहां के कर्मचारियों ने अपनी जान को जोखिम में रखकर काम किया है और उनको अतिरिक्त पेमेंट देना था। आज पर्यन्त तक उन कर्मचारियों को पेमेंट नहीं दिया गया। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि उन कर्मचारियों को तत्काल पेमेंट किया जाये।

सभापति महोदय :- चलिए, समाप्त करें। लिखित में दे दीजिएगा।

श्री चैतराम अटामी :- ठीक है, सभापति महोदय, हमारे स्वास्थ्य मंत्री और सभापति को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय :- दिलीप लहरिया जी। 5 मिनट में अपने क्षेत्र की मांग रखें।

श्री दिलीप लहरिया (मस्तूरी) :- माननीय सभापति महोदय जी, मैं लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित अनुदान मांगों के विरोध में खड़ा हूं। माननीय सभापति महोदय जी, स्वास्थ्य सभी के लिए अति आवश्यक है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि प्रत्येक

नागरिक के लिए स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होना चाहिए। सभी नागरिकों को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना सरकार की जवाबदारी है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- गाना-वाना, ददरिया-वदरिया सुना दो।

श्री उमेश पटेल :- बृजमोहन जी, ये जब भाषण देने के लिए पहली बार खड़े थे, तब ये गाना सुनाये थे। आप लोगों ने ही आपत्ति ली थी कि गाना नहीं हो सकता। गाना नहीं हो सकता।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं, वो बाजू वाले के लिए था।

श्री उमेश पटेल :- नहीं, आपने ही लिया था।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैं नहीं लिया था आपत्ति।

श्री धर्मजीत सिंह :- आपत्ति नहीं लिये थे। उसमें हम लोग और कुछ बोल दिये थे, उसमें आप लोग आपत्ति लिये थे। (हंसी)

श्री उमेश पटेल :- क्या है धर्मजीत जी, ये पहली बार चुनकर आये थे। है ना। वो श्याम बिहारी जी को पता है। पहली बार ये चुनकर आये थे तो इन्होंने अपना पहला भाषण गाने में दिया था। तो सब लोगों ने बोला था कि ये नहीं हो सकता। भाषण ही होना चाहिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हम तो शौकीन आदमी हैं। (हंसी)

श्री दिलीप लहरिया :- मैं आपका शौक पूरा कर रहा हूं। (हंसी) मुझे एक शायर की शायरी याद आ गयी। गाना बाद में सुना दूंगा।

वो लूट रहे हैं सपनों को, वो लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाउं,

वो लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाउं,

स्वास्थ्य सुविधा को लेकर लोग परेशान हैं,

खामोश कैसे मैं हो जाउं। खामोश कैसे मैं हो जाउं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- वाह। बढिया।

श्री धर्मजीत सिंह :- वाह।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय सभापति महोदय जी, प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का जो बुरा हाल है, पूरा बुरा हाल है।

श्री अनुज शर्मा :- वो आप लोगों का कमाल है।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, गढ़बो छत्तीसगढ़ का नारा देकर लूटबो छत्तीसगढ़ का अभी इन्होंने शेर पढ़ा । 5 साल तक जो कहा इन्होंने उसकी आज पुनरावृत्ति कर रहे हैं।

श्री उमेश पटेल :- क्या है स्वास्थ्य विभाग 5 साल में गडबड़ा सकता है, बन सकता है, बिगड़ नहीं सकता। समझ रहे हैं आप। 15 साल में आपने जो किया न उसी को फिर से झलोगे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- वो 15 साल में बिगड़ा था। 5 साल में हमने क्लियर किया।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, आप 5 साल भूल गये थे। वो उमेश भैया 5 साल में भूल गये थे।

श्री दिलीप लहरिया :- 15 साल का गड्ढा था महाराज। धीरे-धीरे भरता है।

श्री धर्मजीत सिंह :- सुनो ना भाई। अब ये किसका गड्ढा था, कहां पर पहाड़ है, उसमें मत जाओ। दिलीप लहरिया जी के दो गुणों को आपको बताना चाहता हूं। एक तो आपने सुन लिया। ये बहुत बढिया शेरों शायरी बोलें। इनका एक और बहुत हिट है। कटनी का चूना है, सोच-समझकर छूना है। (हंसी)

श्री उमेश पटेल :- भैया, पीछे गाड़ी तैयार रहती थी।

श्री दिलीप लहरिया :- देखिए, मैं और बोल देता हूं। शर्मा जी,

मेरी राजनीतिक सफर का मतलब तूफानों में राह बनाना है।

मेरी राजनीतिक सफर का मतलब तूफानों में राह बनाना है।

तुम मुझे कोशिश करते हो, रोकने के लिए,

मुझे आगे बढ़ते जाना है, मुझे आगे बढ़ते जाना है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- वाह-वाह।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- धर्मजीत भइया, एक ठन मुहु ला । संगवारी ला पंदौली तो देना पड़ही ।

सभापति महोदय :- निषाद जी बैठिये, उनको बोलने दीजिए ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सपने बेच दिए तो क्या, नींदों को नीलाम न करना ।

श्री धर्मजीत सिंह :- सर, इनको बोलने दीजिए, आज हम लोग भी बहुत मूड में हैं । ये अच्छा बुरा जो बोलेंगे, सब सुनेंगे । ये कलाकार हैं, हम कला की इज्ज़त करते हैं ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- अनुज भाई, सपने बेच दिए तो क्या । नींदों को नीलाम न करना, जीवन की सुमधुर गाथा को सरेआम बदनाम न करना । अगर रही दरिया तो उसमें लहर और तूफान भी होंगे, चिर तक साथ रहे जीवन में साहस को मेहमान न करना, साहस को मेहमान न करना ।

श्री अनुज शर्मा :- कभी सच में ऐसा हो जाता, तुम कहकर मेरे घर आते । झूठों का मुकाबला होता तो तुम पहले नम्बर पर आते ।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, मेरा एक रिक्वेस्ट है । होली भी आने वाली है तो क्यों न पहले होली का समारोह कर लिया जाए और हमारे यहां तो कलाकार भरे हुए हैं, यहां भी कलाकार हैं और वहां भी कलाकार हैं ।

श्री सुशांत शुक्ला :- उमेश भइया, कुछ तय हुआ था, याद है ना ?

श्री उमेश पटेल :- वह भी रहेगा ।

श्री दिलीप लहरिया :- सभापति महोदय, यह चिंता का विषय है कि कोई भी मरीज अस्पताल आता है, चाहे लकवा की शिकायत हो, कैंसर पीड़ित हो, कोई भी मरीज हो, चाहे एक्सीडेंटल मामला हो । उनको तो तत्काल चिकित्सा सुविधा मुहैया नहीं होती, होना चाहिए । मैं कहना चाहता हूं कि वहां तत्काल व्यवस्था हो । जब मरीज का घर बिक गया, जमीन-जायदाद गिरवा रख दिया, ब्याज पर पैसा ले लिया उसके साल भर बाद चाहे मुख्यमंत्री कोष से हो या किसी भी माध्यम से हो, सालों घूमने के बाद यदि पैसा मिलता है तो यह पैसा किसी काम का नहीं है । पैसा तत्काल मुहैया कराया जाए, ऐसी सुविधा की मांग मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से करना चाहता हूं । सारे लोग परेशान हैं, कहीं कोई सुविधा नहीं है, यह दिखावा है । आयुष्मान कार्ड लेकर जाते हैं, हर अस्पताल में तो यह सुविधा नहीं दी गई है । हर अस्पताल को दिया जाए । जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं बनेगी तब तक स्वास्थ्य सुविधा पूर्ण नहीं होगी । सरकार हमारी रहे या आपकी रहे, यह आम जनता का सवाल है । जीवन अनमोल है, इसकी विशेष व्यवस्था की जाए । मैं इन मांगों के विरोध में हूं ताकि उनका बजट बढ़ाया जाए । एक ऐसी व्यवस्था हो जैसा कि हमारे माननीय सदस्य ने भी यह कहा है कि विधायक स्वास्थ्य निधि जारी हो या कलेक्टर के माध्यम से हो, यदि अस्पताल से मरीज का रिकॉर्ड जाता है तो एक लाख, पचास हजार, पचीस हजार बीमारी अनुसार, व्यवस्था अनुसार मिलना चाहिए अन्यथा यह पैसा किसी काम का नहीं है । हम जनप्रतिनिधि हैं, हम जाते हैं तो कहते हैं कि विधायक जी आप स्वास्थ्य संबंधी पत्र लिख दीजिए । पत्र लिखते हैं, इलाज के बाद फाईल बनती है, एक व्यक्ति ने मेरे सामने फाइल को फाड़ दिया । वह थक गया कि इलाज का पैसा कहां जारी होगा, कब जारी, कहां जाऊंगा, कैसे होगा ।

श्री धरमलाल कौशिक :- 6 महीने तक वह थक गया तो फाइल को फाड़ दिया। क्या है, पूरा पांच साल अपन छुच्छा रहेन ।

श्री दिलीप लहरिया :- सुविधा होना चाहिए या नहीं, आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं ? (व्यवधान)

श्री अटल श्रीवास्तव :- बात पांच साल की नहीं, 30 साल की हो रही है ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, हमारे सदस्य बात रख रहे हैं तो ये पूर्व में क्यों जाते हैं, वर्तमान में बात करें ना ।

सभापति महोदय :- आप बैठिये ।

श्री दिलीप लहरिया :- जो सुविधा बड़े लोगों के लिए है वह आम जनता के लिए भी होना चाहिए, कोई गरीब अमीर नहीं है । स्वास्थ्य का मामला है, इसे सबके लिए मुहैया कराया जाए, कानून लाया जाए ।

सभापति महोदय :- अपने क्षेत्र की मांग रखें ।

श्री दिलीप लहरिया :- मांग करूंगा। आप थोड़ा दूसरे सदस्य वाला समय मुझे दे दीजिए। डॉक्टर महंगी-महंगी दवाई लिख देते हैं, इसको बाहर से लाया जाए, डॉक्टर पदस्थ हैं और दवाई बाहर से लाते हैं। यह गलत है। आम जनता परेशान हैं, यहां तक कि मरीज या एक्सीडेंटल मरीज जाता है तो मर्चुरी में भी व्यवस्था नहीं होती है। पूरा दिन भर इंतजार करना पड़ता है, जनप्रतिनिधियों को फोन किया जाता है कि भैया जल्दी पोस्टमार्टम करवा दीजिए। कैसे होगा ? माननीय मंत्री महोदय, आपकी तरफ से निर्देश होना चाहिए, मैं निवेदन करना चाहता हूं, वहां तत्काल व्यवस्था हो, यह संख्या बढ़ती जा रही है, घटना होती जा रही है, आप लोगों का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय सभापति महोदय, एक बात याद दिलाना चाहता हूं। कोरानाकाल में माननीय दिलीप लहरिया जी के परिवार के एक सदस्य अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट थे, जब उनको डिस्चार्ज करने की बात की गयी तो उनको दो दिन तक डिटेन करके रखा गया था कि जब तक पैसा जमा नहीं करोगे तब तक उनको नहीं छोड़ा जाएगा। हम सब लोग कहीं बाहर थे, कोरोनाकाल चल रहा था। इस पर भी कहीं न कहीं बंदिश लगनी चाहिए।

श्री दिलीप लहरिया :- अटल भैया जी, कोरोनाकॉल में मैं भी एडमिट था, मुझे विधान सभा से एक साल, डेढ़ साल बाद पैसा मिला तो जनता को पैसा कब मिलेगा? इसका सरलीकरण किया जाए, मेरा इतना ही निवेदन है, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। स्वास्थ्य मंत्री जी, स्वास्थ्य संबंधी सुविधा को सरलीकरण किया जाए। आप लोग बैठक कर लीजिए, आप लोग अभी ताकतवर हैं, उनका प्रयोग कीजिए।

सभापति महोदय :- चलिए समाप्त करिए।

श्री दिलीप लहरिया :- सभापति महोदय, आज नकली दवाई का भी प्रचलन है, नकली दवाई क्यों मिल रही है, दवाई तो दवाई है ना। मनुष्य वे भी हैं, हम भी हैं तो नकली दवाई कहां से आ गया ? एक कोरेक्स की दवा 7 रूपए में आता है, एक कोरेक्स की दवा 150 रूपए में आता है।

श्री सुशांत शुक्ला :- कोरेक्स याद है। (हंसी)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- तोला याद हे नहीं।

श्री उमेश पटेल :- सुशांत भैया ओला दोनों चीज याद हे।

सभापति महोदय :- अपने क्षेत्र की मांग रखें।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय सभापति महोदय, मेडिकल स्टोर में नकली दवाई का भी प्रचलन है, यह बंद किया जाए। नकली दवाई क्यों आएगा ? या फिर आप लोग उनको एन.ओ.सी. दे रहे हैं, आप लोगों की तरफ से संरक्षण है तभी तो नकली दवाई मिल रही है। गरीब आदमी नकली दवाई क्यों खाएगा ?

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, 60 दिन में ही नकली दवाईयों का सरंक्षण हो गया।

श्री अटल श्रीवास्तव :- नसबंदी कांड में नकली दवाई थी, उसकी बात कर रहे हैं। आप पहले सुनिए ना।

श्री दिलीप लहरिया :- वह मैं 15 साल से देख रहा हूं।

श्री सुशांत शुक्ला :- मैं समझ रहा हूं ना। अभी उमेश पटेल जी कह रहे थे, फागुन का त्यौहार है। मैं एक पंक्ति सुनाता हूं।

तुमने हमको ऐसे लूटा, भरी बीच बाजार में।
चुनरी तक का रंग उड़ गया, फागुन के त्यौहार में।।

श्री दिलीप लहरिया :- आपको होली समय मंच में बुलाया जाएगा। (हंसी)

सभापति महोदय :- चलिए अपनी बात रखिए।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय सभापति महोदय, यह स्वास्थ्य का मामला है, हम सबका मामला है। आदमी जब बीमार पड़ता है तो पैसे के लिए कितना भटकता है, हम फिल्म में देखते थे, वह आज हकीकत में छत्तीसगढ़ और पूरे देश में देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग विशेष बजट और सुविधा दीजिए। विधायक के लिए एक स्वास्थ्य निधि जारी करिए ताकि जनप्रतिनिधि लोग भी उसमें से कुछ राशि दें। हम सी.सी. रोड बनवा रहे हैं, लेकिन हम स्वास्थ्य के लिए हाथ खींच लेते हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। माननीय मंत्री जी, ऐसा कुछ कानून बना दीजिए, इसमें कलेक्टर को भी डी.एम.एफ. से कुछ फंड दे दीजिए, वहां विधान सभा क्षेत्रवार जो बीमार है, उनको तत्काल राशि दी जाए तब तो उसका ईलाज होगा। नहीं तो इधर-उधर अस्पताल ले जाओ बोल रहा है, वह कहां जाएगा ? वह दम तोड़ रहा है, वहां गरीबी में लेकर चला गया, उसकी जान चली गयी। यह जान माल का सवाल है।

सभापति महोदय :- चलिए समाप्त करिए।

श्री दिलीप लहरिया :- सभापति महोदय, मेरे मस्तूरी विधान सभा क्षेत्र की कुछ विशेष मांग है कि ग्राम - पंचमेढ़ी, मल्हार व सीपत में प्राथिमक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाये जाएं। यह मेरा आपसे विशेष निवेदन है क्योंकि वह बहुत बड़ा क्षेत्र है। साथ ही आम जनता के हित में मेरी विशेष मांग है कि महमन, धनगवा और ज्योरा में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाएं। मेरी एक और मांग है, जिसे मैं भूल गया था कि सीपत में अस्पताल खुल चुका है। वहां पर अस्पताल केवल खुला है लेकिन उसका कोई सेटअप नहीं बैठा है। 10 करोड़ रूपये का अस्पताल बनकर तैयार है और वह खण्डहर भी हो चुका है तो उसको व्यवस्थित किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं मितानिन बहनों के लिए कहना चाहूंगा कि उनके वेतन में वृद्धि की जाए। मैंने देखा है कि अब महतारी भवन बनने वाला है तो उसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई हो। एक मितानिन भवन भी हो। वहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाएं। हर गांव में छोटे रूप में मितानिन भवन हों और वहां पर दवाई का स्टॉक रहे। वह लोग घूमकर लोगों की

सेवा करें या यदि जनता को जरूरत है तो वह वहां तक चले जाएं। इसकी व्यवस्था कैसे होगी ? यह मेरी विशेष मांग है।

माननीय सभापति महोदय, मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा कि छोटी-छोटी बीमारियों के उपचार और दूरांचल के लोगों को भी सुविधा उपलब्ध कराई जाए। मैं इसका घोर विरोध करता हूं। इसका नहीं, आपकी अनुदान मांगों का विरोध करता हूं। (हंसी)

सभापति महोदय :- ठीक है। आप बैठिये। पुरन्दर मिश्रा जी।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- आप अपनी मांग का विरोध कर रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप जो मांग कर रहे हैं, उसका ही घोर विरोध कर रहे हैं।

श्री दिलीप लहरिया :- मैं मंत्री जी की अनुदान मांगों का विरोध कर रहा हूं।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- हम आपकी मांगों का घोर विरोध करते हैं।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय सभापति महोदय, पर्याप्त मात्रा में दवाइयां उपलब्ध कराई जाएं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, मैं दिलीप भैया की बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि सीपत में 100 बिस्तर के अस्पताल का भवन बनकर तैयार है। यदि जल्द ही उसका सेटअप मुहैया करा दिया जाए तो उस प्रभावित क्षेत्र को एक अच्छा अस्पताल मिल सकता है।

श्री पुरन्दर मिश्रा (रायपुर नगर उत्तर) :- मैं सोच रहा था कि आप कविता पढ़ रहे हैं।

सभापति महोदय :- मिश्रा जी।

श्री पुरन्दर मिश्रा :- माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए आभार भी व्यक्त करता हूं कि उन्होंने स्वास्थ्यगत कार्यों के लिए खूब बजट दिया है। मेरी स्वास्थ्य मंत्री जी से छोटी-छोटी 2-3 मांगें हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। यहां 11 सांसद, 90 विधायक, 13 मंत्री सहित मुख्यमंत्री व राज्यपाल महोदय के निवास हैं। मुझे लगता है कि मेरे छोटे भाई उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को बजट देते-देते रायपुर को भूल गये हैं। छत्तीसगढ़ बनने के पहले और रायपुर के राजधानी बनने के पहले यहां पर स्वास्थ्यगत कारणों से 700 बिस्तर अस्पताल बना था। वह अस्पताल मेरे विधान सभा क्षेत्र में आता है। मैंने 1-2 बार उसका भ्रमण किया है। पूर्ववर्ती सरकार उसमें एकाध बैड भी नहीं लगा पाई है। मेरा निवेदन है कि उस 25 साल पहले के 700 बिस्तर अस्पताल में कुछ बैड लगा दें। ताकि मरीज उसमें आराम से अपना ईलाज करा सकें। हर यूनिट में छोटी-छोटी अल्ट्रा साऊंड मशीन और एक्स-रे मशीन भी देनी चाहिए। पूर्ववर्ती सरकार उस अस्पताल के लिए पेट स्कैनर मशीन खरीदी थी, लेकिन वह अभी डिब्बे में pack है और खुल नहीं पाया है। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि आप हम विधायकों को बुलाकर उसका उद्घाटन कर दें। मैं आपसे एक और निवेदन करता हूं कि रायपुर

में हम लोग चार विधायक हैं और रायपुर में बहुत सारे विधायक रहते हैं। पूर्व में अस्पतालों में भोजन की व्यवस्था की गई थी। आप उसे एक बार खाकर देख लें कि जो मरीज आता है, वह भोजन उसके खाने योग्य है या नहीं, उस भोजन को खाने से वह और बीमार पड़ जाएगा या उस भोजन को करने से वह ठीक हो जाएगा, इसकी ओर मेरा छोटा भाई चिन्ता कर ले । दूसरा, छत्तीसगढ़ में सिकलसेल की बीमारी हर समुदाय में बहुत है । रायगढ़, अंबिकापुर से लेकर जशपुर तक और जगदलपुर से लोग यहां आते हैं । यहां पर करीब-करीब पॉच साल से सिकलसेल का एक्सपर्ट नहीं है । मेरा निवेदन है कि आज मंत्री जी घोषणा करें कि एक्सपर्ट विशेषज्ञ की पोस्टिंग करेंगे।

सभापति महोदय, मैं दूसरा यह निवेदन करता हूं कि रायपुर में 700 बिस्तर का अस्पताल है, डी.के. अस्पताल है । डी.के. अस्पताल के लिए भी 2 करोड़ रूपए की छोटी सी राशि का प्रावधान किया गया है, यह इतना बड़ा राजधानी है, पूरे छत्तीसगढ़ को संचालित करता है, उसके लिए राशि बहुत कम है । उसको भी बढ़ाने का आग्रह है। पंडरी में एक जिला अस्पताल है, जो मेरे विधान सभा क्षेत्र में आता है । उसको अपग्रेड करने की आवश्यकता है । स्वास्थ्य मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि उसको भी अपग्रेड करें । दूसरी समस्या डॉक्टरों की है । हमारे आयुष में संविदा डॉक्टर हैं । जो संविदा डॉक्टर हैं, उनकी तनख्वाह 90 हजार रूपए है और जो आयुष में संविदा में हैं, उनकी तनख्वाह 50 हजार रूपये है । पिछले कई सालों से उनका इंक्रीमेंट नहीं बढ़ा है। 2019 में वेतन बढ़ा था, उसके बाद अभी तक उनका वेतन नहीं बढ़ा है । मेरा निवेदन है कि उनकी भी तनख्वाह बढ़ाई जाये । अभी वे 1688 रूपए प्रतिदिन के हिसाब से पाते हैं, जो रेग्युलर लेबर से 3 गुना ज्यादा है । मॉ-बाप बच्चे को बड़े प्यार से पढ़ाते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाये, कुछ कमाए तो हमको भी दे । वह उतनी तनख्वाह में परिवार नहीं चला पा रहा है । पूर्ववर्ती सरकार ने ध्यान नहीं दिया। मेरा छोटा भाई मंत्री है, मैं अधिकार से उन्हें कह सकता हूं कि उस ओर ध्यान दे और उनके तनख्वाह में वृद्धि करे, क्योंकि दूसरे डॉक्टरों के वेतन में वृद्धि हुई है तो आयुष वाले डॉक्टरों के वेतन में भी वृद्धि करे । मेरी तीसरी मांग है, सब कोई अपने-अपने हिसाब से मांगते हैं । मैं ब्राह्मण हूं, मुझे मांग में देगा तो पुण्य पाएगा, मेरा इतना ही निवेदन है । सभापति महोदय, आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद देता हूं और एडवांश में मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री उमेश पटेल :- मिश्रा जी, आपने ब्राह्मण दक्षिणा मांग ही ली ।

श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी (भानुप्रतापपुर) :- सभापति महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत मांग संख्या-19, 79 और 50 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अनुदान मांगों के विरोध में बोलने के लिए मैं खड़ी हुई हूं ।

सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की बागडोर सम्हालने वाले मितानीन बहिनों के मानदेय में अगर वृद्धि होगी तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन बजट में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया

गया है । मैं माननीय मंत्री जी का ध्यानाकर्षित कराना चाहूंगी कि मितानीनों को चार माह से मानदेय नहीं मिला है, मितानीन और एमटी लोगों को भी सितम्बर, 2023 से क्षतिपूर्ति राशि अभी तक नहीं मिला है, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है । अत: उनके मानदेय की व्यवस्था तत्काल की जाये । साथ ही मितानीन एमटी को क्षतिपूर्ति की राशि 13250 रूपए प्रतिमाह मिलना है, लेकिन केवल 8250 रूपए मिल रही है । शेष अंतर की राशि का भुगतान शीघ्र किया जाये तो बहुत अच्छा होगा ।

सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में बीमार होने पर लोग अपना ईलाज उप स्वास्थ्य केन्द्रों में ही करवाते हैं । ऐसी स्थिति में उन केन्द्रों में कम से कम एक विशेषज्ञ डॉक्टर की नियुक्ति होनी चाहिए । स्वास्थ्य विभाग में बहुत से कर्मचारी संविदा में या दैनिक वेतन भोगी के रूप में वर्षों से कार्य कर रहे हैं, जिन्हें नियमित किया जाये, ताकि वे दोगुनी उत्साह से अपना कार्य करें । मेरे विधान सभा क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में महिला और पुरूष विशेषज्ञ डॉक्टरों की भी नियुक्ति की जाये । बहुत से उप स्वास्थ्य और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में जितने भी भवन हैं, वे भी जर्जर और अति जर्जर स्थिति में या कोई भवन, भवनविहीन है, उस ओर भी माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगी कि जिनमें मरम्मत एवं नये भवन की आवश्यकता है, उसे बजट में शामिल करें। मेरे पास मांग की सूची है, जिसमें बहुत सारी मांगे हैं, मैं आपको वह सूची उपलबध करा रही हूं। मैं अनुदान मांगों का विरोध करते हुए अपनी वाणी को विराम दे रही हूं। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री दीपेश साहू (बेमेतरा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं स्वास्थ्य विभाग की अनुदान मांगों के समर्थन में अपनी बात कह रहा हूं। स्वास्थ्य विभाग का बजट सराहनीय रहा है। माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार ने एक-एक व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता की है। चाहे वह गरीब आदमी हो, आम आदमी हो, किसान हो, मजदूर हो, चाहे अधिकारी-कर्मचारी क्यों ना हो, हर वर्ग की चिंता की है। यहां बहुत अच्छा बजट प्रस्तुत हुआ है। हम सभी जानते हैं कि एक गरीब आदमी एक मजदूर आदमी जितना कमाता है उससे ज्यादा खर्च अपने स्वास्थ्य के ऊपर कर डालता है। इससे गरीब आदमी और गरीब हो जाता है। लेकिन पिछली सरकार ने स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से ऐसा कोई कार्य नहीं किया है, जिससे गरीब के जीवन में कुछ विकास हो सके। लेकिन माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार ने इस बजट में गरीबों के लिए, गरीब को आगे बढ़ाने के लिए, गरीबो की समृद्धि और विकास के लिए और गरीबों के स्वास्थ्य के लिए चिंता की है। यदि एक-एक व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, उसी ढंग से इस बजट से पूरे प्रदेश का छत्तीसगढ़ शासन का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। हमारी सरकार द्वारा राज्य को सेहतमंद बनाने के लिए आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ-साथ शहीद वीरनारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना प्रारंभ किया गया है। इसके लिए 1,526 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर के लिए नये भवन का निर्माण किया गया है। अम्बिकापुर में सुपर स्पेशियालिटी हास्पिटल की स्थापना हेतु हमारे भाई राजेश अग्रवाल जी ने कहा है। मनेन्द्रगढ़ में 220 बिस्तर अस्पताल की स्थापना की जायेगी। साथ ही राज्य के अस्पतालों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक सर्टिफिकेशन दिया जायेगा। इससे बजट में 12 करोड़ रूपया का प्रावधान किया गया है। जिले के सभी एवं अन्य अस्पतालों का पुन: विकास होगा। गरियाबंद, कवर्धा, रायगढ़ मुंगेली, बैकुंठपुर, जशपुर एवं नारायणपुर के जिला चिकित्सालयों को आदर्श चिकित्सालय के रूप में विकसित किया जायेगा। इस हेतु बजट में 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। डी.के.एस. सुपर स्पेशायालिटी हास्पिटल में फिजियोथैरेपी, महाविद्यालय रायपुर में छात्रावास भवन का निर्माण किया जायेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना हेतु 1,821 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में मोबाइल से या अन्य कार्यों की वजह से हमारे महिलाओं, किशोरों और बच्चों में चिड़चिड़ापन एवं मानसिक तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। उसे दूर करने के लिए ईलाज हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भी 68 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। चूंकि बजट में सब कुछ है। हर एक जिले की चिंता की गई है। लेकिन माननीय मंत्री महोदय जी, पूरे बजट भाषण में बेमेतरा वंचित रहा है। बेमेतरा जिले में, बेमेतरा विधानसभा में कई वर्षों तक जिला चिकित्सालय की मांग रही है, लेकिन वह आज भी पूरा नहीं हो पाया है। तो मैं बेमेतरा में मेडिकल कालेज की मांग रखूंगा। वर्तमान में बेमेतरा में मात्र एक जिला अस्पताल है, जो केवल रेफर सेन्टर बनकर रह गया है। वहां ना डाक्टर की सुविधा है ना पर्याप्त संख्या में स्टाफ है, ना नर्स है, ना ही किसी प्रकार का आधुनिक उपकरण है। वर्तमान में जो स्वास्थ्य अधिकारी होते हैं, वे भी रिटायर हो चुके हैं और अभी प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं, जो पूरी तरह से मनमानी कर रहे हैं। सभापति महोदय, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। जब हमारी माताओं-बहनों की डिलिवरी का समय आता है तो उनको शासकीय अस्पताल के बजाय निजी अस्पताल जाना पड़ता है। केवल यह प्रसव विभाग की बात नहीं है। बल्कि हर विभाग की यही स्थिति है। पूरे बेमेतरा में बदहाल स्थिति है । सभापति महोदय, चूंकि बेमेतरा एक कृषि आधारित जिला है, वहां अधिकतर लोगों का सामान्य जीवन है, किसान है, मजदूर हैं, आम आदमी हैं । अगर उनका पूरा पैसा स्वास्थ्य में लग जायेगा तो मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगए का आर्थिक विकास हो पायेगा । मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूँ कि इस बजट में बेमेतरा के लिये एक जिला अस्पताल को शामिल किया जाये । चूंकि यह बजट पूरा सराहनीय है, यह बहुत अच्छा बजट है, इससे पूरे प्रदेश के साथ-साथ बेमेतरा भी स्वस्थ हो जायेगा, हम आपसे यह उम्मीद करते हैं । मैं इस बजट के समर्थन में अपनी बात समाप्त करता हूँ, धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- श्रीमती शेषराज हरवंश जी ।

श्रीमती शेषराज हरवंश सिंह (पामगढ़) :- सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 19, 79 और 50 के विरोध में खड़ी हुई हूँ । हमारे प्रदेश में गरीबी बहुत है और गरीब बीमार भी ज्यादा होते हैं । आर्थिक अभाव के कारण यह लोग शासकीय चिकित्सालयों पर भी निर्भर रहते हैं, परन्तु सरकारी अस्पतालों में अक्सर यह देखा जाता है कि अस्पतालों की सेवाओं से जनता संतुष्ट नहीं हो पाती है । आज आवश्यकता इस बात की है कि सभी शासकीय चिकित्सालयों को अधिक सुविधा संपन्न बनाया जाये और चिकित्सकों और अन्य स्टॉफ के पदों को भरा जाये । इस विभाग की सबसे बड़ी समस्या चिकित्सकों का अभाव है । सभापति महोदय, मैं पामगढ़ विधान सभा से आती हूँ, मैं अपने विधान सभा की बात रखना चाहती हूँ । जीवनदीप समिति की बैठक में प्राप्त जानकारी में विकासखंड पामगढ़ के स्वास्थ्य विभाग के सेट अप की जानकारी के अनुसार पामगढ़ विकासखंड के अंतर्गत दो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पामगढ़ तथा खरौद संचालित है, जिसमें पृथक-पृथक खंड चिकित्सा अधिकारी तथा खण्ड विस्तार एवं प्रशिक्षण अधिकारी बी.ई.टी.ओ. का पद स्वीकृत है, जबकि दोनों पद विकासखंड स्तरीय पद है । सामुदायिक स्वास्थ्य केनद्र, पामगढ़ विकासखंड मुख्यालय में संचालित है तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खरौद विकासखंड पामगढ़ के ही अधीन है । सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पामगढ़ में प्रभारी खण्ड चिकित्सा अधिकारी पदस्थ हैं तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पामगढ़ में विस्तार एवं प्रशिक्षण अधिकारी भी पदस्थ हैं, जबकि खरोद में पद रिक्त हैं । एक ही विकासखंड के अंतर्गत दो बी.एम.ओ. तथा खंड विस्तार एवं प्रशिक्षण अधिकारी का पद हो । यह शासन के नियमानुसार से उचित नहीं है, अत: सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खरौद के चिकित्सा अधिकारी एवं खंड विस्तार एवं प्रशिक्षण अधिकारी के पद को विलोपित कर सेट अप में सुधार करने का कष्ट करें । माननीय सभापति महोदय जी, मेरे विधान सभा पामगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केनद्र में प्रतिमाह लगभग 65 महिलायें प्रसव के लिये आती हैं, परन्तु वहां पर सेट अप नहीं है और आज हर 10 गर्भवती महिलाओं में से 8 महिलायें सिजेरियन प्रसव होना बताया जा रहा है । पामगढ़ अस्पताल में सिजेरियन की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हैं, उनको बिलासपुर के रिफर किया जाता है । ऐसी बहुत सी गर्भवती महिलायें हैं जो रास्ते में ही दम तोड़ देती है । यह बहुत गंभीर समस्या है । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि स्वास्थ्य केन्द्र बारगांव में बने काफी समय हो गये हैं, परन्तु अभी तक सेट अप स्वीकृत नहीं हुआ है, कृपया स्वीकृत करने का कष्ट करें । सभापति महोदय, वैसे ही ग्राम ससहा है, ग्राम मुख्यालय सी.एस.सी. और पी.एस.सी. से 20 किलोमीटर की दूरी पर है । पामगढ़ से रायपुर को जोड़ने वाली रोड पर है, वहां लगभग 5 हजार की आबादी है, वहां पर पी.एस.सी.खोलने की अत्यन्त आवश्यकता है, इन परिस्थितियों में आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें नहीं मिल पा रही है । आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन है कि क्षेत्र की जनता को जल्द ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त हो । इन मांगों पर तत्काल स्वीकृति प्रदान करें । सभापति महोदय, इसके साथ ही निवेदन है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लगभग 15 हजार

स्वास्थ्य कर्मियों को पूर्व के बजट में स्वीकृत संविदा कर्मियों के एकमुश्त वेतन में 27 प्रतिशत की राशि का लाभ अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है । कृपया इन अल्प वेतन में सेवा भाव से कार्य करने वाले कर्मचारियों को 27 प्रतिशत वेतन का लाभ दिलाने की कृपा करें । माननीय सभापति महोदय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पामगढ़ में चिकित्सा अधिकारी के 4 पद चाहिये । वहां पर इतने एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन एक्सीडेंट में सबसे ज्यादा हमारे शरीर का हड्डी ही प्रभावित होता है, वहां पर एक भी आर्थोपेडिक्स नहीं है । एक एक्स-रे मशीन है, लेकिन आर्थोपेडिक्स नहीं है, एक एक्स-रे मशीन है, एक्स-रे कर भी लेंगे तो उनको बिलासपुर भेजा जाता है । कभी-कभी गंभीर एक्सीडेंट होने पर रास्ते में दम तोड़ देते हैं । गरीबी अपनी जगह है। वह जैसे-तैसे आनन-फानन में प्राईवेट अस्पताल में जाते हैं। वे पामगढ़ की और मस्तुरी की सीमा को पार करते हुए बिलासपुर के तोरवा से लगे हुए जो नजदीक अस्पताल आते हैं, वह लोग उसमें आनन-फानन में भर्ती हो जाते हैं और एक दिन का बिल 50 हजार रूपये का आता है। गरीब आदमी कहां से भुगतान कर पायेगा ? इसके लिये वहां पर सभी विशेषज्ञों, जैसे अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ, मेडिसीन विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ का होना बहुत जरूरी है। वैसे ही वहां पर स्वास्थ्य केंद्र में ड्रेसर, वार्ड ब्वाय, वार्ड आया, चपरासी, सुरक्षा कर्मी भी नहीं है। वहां पर सुरक्षा कर्मी की बहुत आवश्यकता है। अभी तीन दिन पहले रात में दो बाईक सवार पूरे नशे में हॉस्पिटल में घुस गये थे, हम समझ सकते हैं कि उन लोगों ने वहां पर क्या उत्पात मचाया होगा। वहां पर मरीजों के लिये सुरक्षा की बहुत आवश्यकता है। वहां फील्ड में चार ए.एन.एम. और आर.एच.ओ. एप की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, वैसे ही मेरे विधान सभा में मुलमुला उप स्वास्थ्य केंद्र है, जो जर्जर है। मैं माननीय मंत्री जी से वहां पर नये भवन की मांग करती हूं। जैसा मैंने अभी बोला है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पामगढ़ में डिजिटल एक्स-रे मशीन नहीं है, वह मशीन खरौद में है। वहां भी एक ही मशीन है और उसकी भी हालत बिगड़ी हुई है। इसलिये पामगढ़ में भी एक्स-रे और सोनोग्राफी मशीन की आवश्यकता है। साथ में रेडियोलॉजिस्ट की भी आवश्यकता है क्योंकि गांव की प्रेगनेंट महिलाएं कहां जायेंगी, उसके लिये भी बहुत जरूरी है। वहां पर एक भी आई.सी.यू. नहीं है और आई.सी.यू. ही नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वहां पर आई.सी.यू. का स्टॉफ भी नहीं है, इसकी भी बहुत आवश्यकता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खरौद का भवन भी बहुत जर्जर हो गया है और वहां पर स्टॉफ क्वार्टर भी नहीं है। मैं इसकी भी मांग करती हूं। जिला चिकित्सालय जांजगीर में भी रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, जिसकी वजह से वहां जो हमारी प्रेगनेंट महिलाएं जाती है, उनके लिये बहुत दिक्कत होती है। जिला अस्पताल, जांजगीर में तो अफसरशाही बहुत हावी है क्योंकि वहां सी.एस. के रिगार्ड में 35 डॉक्टर हैं और जिनकी सैलरी डी.एम.एफ से जाती है और एन.एच.एम. से लाखों रूपये की सैलरी जाती है और वहां पर कई डिपार्टमेंट के तो 6-6 विशेषज्ञ हैं।

माननीय सभापति महोदय, संविदा आयुष चिकित्सकों का वेतन वर्ष 2017 के बाद से आज दिनांक तक नहीं बढ़ा, जबकि अन्य विभाग में कार्यरत् संविदा कर्मचारियों की वर्ष 2019 एवं वर्ष 2023 में दो बार वेतन वृद्धि हो चुकी है। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि आयुष विभाग के संविदा चिकित्सकों की वेतन वृद्धि की जाये। आयुष विभाग के अंतर्गत जांजगीर जिला में अधिकारी के पद स्वीकृत है, जिसमें सिर्फ आयुर्वेदिक चिकित्सकों को ही लाभ मिलता है, जबकि आयुष विभाग के अंतर्गत होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सक भी आते हैं। इन चिकित्सकों को जिला अधिकारी के पद का लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्यों न जिला आयुर्वेदिक अधिकारी की जगह जिला आयुष अधिकारी का पद सृजित कर होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सकों को भी इसका लाभ दिया जाये। माननीय सभापति महोदय, जिला आयुष अधिकारी के पद से संबंधित फाईल सामान्य प्रशासन विभाग में पेंडिंग है।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करें।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- माननीय सभापति महोदय, इस बजट सत्र में सिर्फ आयुर्वेदिक औषधालय के लिये पद सृजित किये गये हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि होम्योपैथी और यूनानी औषधालायों के लिये भी पद सृजित किये जाये । मैं आयुष्मान कार्ड के विषय में निवेदन करना चाहूंगी, उसमें बहुत दिक्कत हो रही है। वह बहुत अस्पतालों में संचालित नहीं है। लेकिन जिनमें संचालित हैं, उसमें सिर्फ मरीजों की दिक्कतें नहीं है, बल्कि डॉक्टरों की भी परेशानी है कि उनको पेमेंट नहीं मिलता है। वे जिन मरीजों का ईलाज करते हैं, कई समय से उनके करोड़ों रूपये की राशि रूकी हुई है। इसलिये वह लोग भी आयुष्मान कार्ड में इलाज करने के लिये घबरा रहे हैं। आपको उसका नाम बदलना है तो आप बदल दीजिये। आपको उसको जिस योजना में ले जाना है, उसको ले जाईये और उसको चालू करिये क्योंकि बहुत से मरीजों को परेशानी हो रही है। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि हमारे जांजगीर जिला में दो साल पहले हमारे ही कार्यकाल में जिला चिकित्सालय की घोषणा हुई थी, आप उसको जल्द से जल्द पूरा करवायें।

माननीय मंत्री जी, मैं सारे सेटअप के लिये आपका ध्यान पामगढ़ विधान सभा की ओर आकर्षित कराना चाहूंगी। पामगढ़ बहुत छोटी जगह है। यह हमेशा से उपेक्षित रहा है क्योंकि पामगढ़ की तकदीर ही ऐसी रही है कि उसको ज्यादातर सत्ताविहीन विधायक मिला है। इस बार भी वैसे ही हुआ है। मेरा आपसे स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में निवेदन है कि वहां अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो एक्सपर्ट नहीं है, एक्सपर्ट है तो इक्विपमेंट्स नहीं है। मैं इन सब के लिये आपसे निवेदन करती हूं कि कम से कम अस्पताल को सर्वसुविधायुक्त बनाया जाये। अभी पामगढ़ में एक अस्पताल का भवन बन रहा है, जो अभी निर्माणाधीन है और 30 बिस्तर का है, मैं उसके लिये 50 बिस्तर की मांग करती हूं।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करिये।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- सभापति महोदय, मैं इतना कहते हुए अपनी बात समाप्त करती हूं। धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम जी।

श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम (पाली-तानाखार) :- माननीय सभापति महोदय, आपको धन्यवाद्।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-2025 की अनुदान मांगों पर अपनी बात रखना चाहता हूँ। सरकार का उद्देश्य, प्रदेश के सभी नागरिकों को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है, परन्तु मैंने जिस तरीके से माननीय सदस्यों का उद्बोधन सुना। ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं इस स्वास्थ्य अमला में जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करना होगा। जिस तरीके से हमारे देश के ऋषि मुनियों ने जो सात सुख बतायें हैं उन 7 सुखों में पहला सुख निरोगी काया की बात कही गई है और जब हम स्वस्थ रहेंगे तो यह प्रदेश स्वस्थ रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, इस प्रदेश में शासन की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। बच्चों, माताओं और यहां तक की जो सभी वर्गों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए, प्रदेश शासन उस पर काम कर रहा है। शासन की योजना से प्रदेश की आम जनता को लाभ तो मिल रहा है, परन्तु स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टरों की कमी है, उसके साथ विशेषज्ञों की कमी के कारण से स्वास्थ्य लाभ से वंचित हो जाते हैं। आपके माध्यम से पाली तानाखार क्षेत्र में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, पौड़ी पोड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सा विशेषज्ञ नहीं है। मैं वहां के लिए चिकित्सा विशेषज्ञ की मांग करता हूँ। उसके साथ ही साथ सर्जरी विशेषज्ञ नहीं हैं। मैं सर्जरी विशेषज्ञ की मांग करता हूँ। वहां पर शिशुरोग विशेषज्ञ नहीं हैं, मैं शिशुरोग विशेषज्ञ की मांग करता हूँ। इसके साथ ही साथ पर निस्चेतना विशेषज्ञ जो बहुत महत्वपूर्ण है उसकी भी कमी है, उस कमी को दूर करने के लिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मांग करता हूँ। उसके साथ ही साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पाली पर एक सर्वसुविधायुक्त लैब की मांग करता हूँ। मैं वहां औषधि के रखरखाव, औषधि कक्ष के भण्डारण के लिए मांग करता हूँ। वहां इसके साथ ही साथ एक ब्लड बैंक की स्थापना के लिए मांग करता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के पौडी-पौड़ा में 10 उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरूष की कमी है। उन 10 उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर महिला ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक की कमी है। 16 उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर महिला ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक की कमी है। उसके साथ ही साथ 19 उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरूष की कमी है। आज मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से यह मांग करता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो स्वास्थ्य सुविधाओं की जो कमियां हैं, वहां जल्द से जल्द स्वास्थ्य विभाग की कमियां दूर हों।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

सभापति महोदय :- श्री धर्मजीत सिंह जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, अभी धर्मजीत सिंह जी होली की चिंता में है।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- माननीय सभापति महोदय, अभी होली का त्यौहार आने वाला है, उसमें कई प्रकार की दवाईयों का इस्तेमाल होना है। उसकी चिंता में मैं बहुत परेशान था। मैं सबसे वरिष्ठ मंत्री से बोला कि माननीय होगा क्या, फिर दूसरे वरिष्ठ मंत्री जी को बुलाया। अभी मैं फैसले में पहुंच नहीं पाया था और आपने नाम ले लिया। अब उसका फैसला कर लेंगे।

माननीय सभापति महोदय, स्वास्थ्य विभाग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है और यह विभाग हमारे प्रदेश के गरीबों की जिंदगी को बचाने वाला विभाग है। जब इतना बड़ा सेट अप है। दुरस्थ अंचल में भी हमारे उप-स्वास्थ्य केन्द्र काम कर रहे हैं, दुरस्थ अंचल में भी स्वास्थ्य की सुविधाओं को पहुंचाने के लिए सरकार प्रयासरत है। मैं यह बिल्कुल नहीं कहता कि आपकी सरकार ने कोई काम नहीं किया है। आपको जैसे 3 महीने में सारी खामियॉ दिख गई, वैसी बात मैं नहीं करना चाहता। मैं जब वहां बैठता था तो मैं श्री भूपेश बघेल जी से बोला था कि सारा ताली वाला विभाग आप अपनी तरफ रखे हो। ताली वाला मतलब बढ़िया-बढ़िया विभाग जिसमें कोई आलोचना ज्यादा नहीं होती, बुराई नहीं होती और सारा गाली वाला विभाग आप इधर रखे हैं। जो स्वास्थ्य मंत्री होता है, वह अपनी जान भी दे देगा लेकिन लोग खुश नहीं हो सकते। वह इसलिए खुश नहीं हो सकते कि एक सीमित संसाधन में हमको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना होता है। जब हम अपोलो जाते हैं, अपोलो के अस्पताल में हम गुटखा या पान जितना भी खाकर जायें, वहां के गलियारे में कोई थूकता नहीं। लेकिन अगर हम सिम्स मेडिकल कॉलेज में जायेंगे तो हर कोने में चाहे वहां भगवान की, अपनी फोटो या और किसी की फोटो रख दो, लोक पच से थूक देते हैं। यह थोड़ा सोच में भी अंतर लाने के लिए हमको जनजागरण पैदा करना होगा। हमारे अस्पताल में अगर डॉक्टर को आने में थोड़ी सी देरी हो गई तो लोग मारपीट में अमादा हो जाते हैं। अस्पताल में हमको अपने नागरिक दायित्वों का क्या निर्वहन करना चाहिए, उसके बारे में भी हम नहीं सोचते हैं। मैं जब ये कह रहा हूं तो यह नहीं कह रहा हूं कि अस्पताल में सब ठीक हो गया है। उसमें सुधार की बहुत जरूरत है और यह जरूरत छोटे लेवल से लेकर के बड़े लेवल तक है। अभी बोल रहे थे कि नकली दवाईयां बिक रही हैं। 2 महीने में कौन सी दवाई पैदा करने के लिए, आपको ही बोलूंगा कि नकली दवाई बना दो तो आप नही बना सकते। यह हर युग में बंबई, दिल्ली, कलकत्ता, बिलासपुर, रायपुर हो, नकली दवाई बनाने वाले बनाते हैं। सरकार उसको पकड़ती है। सरकार अपनी तरफ से बेस्ट से बेस्ट मेडिसिन लेने का प्रयास करती है। इन सब चीजों में ज्यादा बुराई करने से हमारे वहां काम करने वाले डॉक्टरों का हौसला गिरता है। लेकिन मैं अपने स्वास्थ्य मंत्री को बहुत ज्यादा बधाई देना चाहता हूं कि वह मंत्री बनने के साथ ही धड़ाधड़ सब अस्पतालों में जा करके सरप्राईज विजिट किये हैं।

माननीय सभापति महोदय, अजीत जोगी जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो उनकी बड़ी दिली इच्छा थी कि मेरे बिलासपुर में सिम्स मेडिकल कॉलेज खुले और उन्होंने आनन-फानन में जिला अस्पताल में ही मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराई। यह एक उनका कितना सराहनीय प्रयास था कि जब उन्होंने वहां पर ये काम किया। लेकिन सिम्स अस्पताल बढ़ते गया, बढ़ते गया, उसका दायरा भी बढ़ा, डॉक्टर भी बढ़े, faculties भी बढ़ीं, मरीज भी बढ़े, पर जगह तो उतनी थी। फिर भी आप वहां पर जा करके जब चेक रहे थे तो मैं आपके साथ था। आप एक-एक मरीज की तकलीफ को पूछ रहे थे। उसको दूर करने का प्रयास कर रहे थे। मुझे इस बात की खुशी है कि आपने इस बजट में बिलासपुर में सिम्स के मेडिकल कॉलेज भवन के लिए पैसा दिया, उसके लिए मैं आपकी तारीफ करता हूं, आपको बधाई देता हूं। (मेजों की थपथपाहट) पर इतना बड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर तो वहां पर भी है। मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जब सिम्स का मेडिकल कॉलेज वहां से हटे तो छत्तीसगढ़ में Eye का कोई हॉस्पिटल नहीं है। आप अपने बड़े अधिकारियों के साथ बैठकर यह विचार जरूर करियेगा कि क्या हम शंकरा नेत्रालय के समान छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा Eye हॉस्पिटल खोल सकते हैं? अगर वह Eye हॉस्पिटल फ्रेंचाईजी ले लीजिये, उनसे टाईअप कर लीजिये या जैसा भी करना हो, उसको करके अगर एक Eye का हॉस्पिटल खोलेंगे तो यह न केवल छत्तीसगढ़ के लिए वरदान होगा बल्कि मध्य प्रदेश के लिए भी वरदान होगा, झारखण्ड के लिए भी वरदान होगा और आज हम जो शंकरा नेत्रालय में जाते हैं, वह हम बिलासपुर के Eye हॉस्पिटल में रहेंगे। उसमें आपके क्षेत्र का भी भला होगा। आप तो बहुत ही दुर्गम इलाके के हैं। आप चिरमिरी, मनेन्द्रगढ़ के इलाके के हैं, जहां के कोयला खदानों में रहने वाले लोग बिमारी से ग्रसित रहते हैं। मरवाही के मरपची जी कहां चले गये? वह बहुत अच्छा बोल रहे थे। मरवाही में तो भालू भी आदमी को नोच कर विकृत कर देता है। मरवाही, मनेन्द्रगढ़, बिलासपुर यह सब जुड़ा हुआ क्षेत्र है और जब आप वहां के विधायक के रूप में स्वास्थ्य मंत्री हैं तो मैं समझता हूं कि आपके ऊपर हमारा अधिकार भी है और आपको हमको प्राथमिकता से सोचना भी चाहिए क्योंकि इस प्रदेश में और मध्य प्रदेश में जो भी स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, वह स्वास्थ्य मंत्री अपने क्षेत्र में एक न एक बड़ा काम करके जाता है ताकि जब वह मंत्री दूसरे विभाग के भी हो जाते हैं या उस विभाग के मंत्री नहीं भी रहते हैं तो लोग उनको याद करते हैं। जैसे डॉ. श्रीधर मिश्रा जी जब वर्ष 1971 में स्वास्थ्य मंत्री थे तो सिम्स का जो दो-तीन मंजिल का वार्ड है, उसको उन्होंने ने ही बनवाया था। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे, उन्होंने वहां के सिम्स अस्पताल का भूमिपूजन किया था। लोग अच्छे कामों को याद रखते हैं। शायद आपके चिरमिरी, मनेन्द्रगढ़ में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत है, ऐसा पिछली सरकार में बताते हैं। अभी क्या पोजिशन है, वह मुझे नहीं मालूम है। लेकिन यदि वह हो सकें तो वहां व्यवस्था कराईये और नहीं हो सके तो मनेन्द्रगढ़ में एक बेहतरीन अस्पताल खोलवाईये और अगर अपने क्षेत्र में अस्पताल नहीं खोलवायेंगे तो वहां की जनता भी आपके लिए बहुत खुश नहीं होगी। इसलिए पहले तो आप उसी काम को कराईये। पहले अपने

विधान सभा क्षेत्र को देखिये। जैसा कि एयरोप्लेन में कहते हैं न कि यह मास्क अपने आप ही आ जाएगा और किसी को मदद करने के पहले आप स्वयं खींचकर लगा लीजिये। आप उसी से प्रेरणा लीजिये और अपने क्षेत्र में पहले उसको करिये और हमारे बिलासपुर में भी कर दीजिये। आप बिल्डिंग बनवा दीजिये। कोई कैंसर हॉस्पिटल के बारे में भी प्रश्न हुआ था तो आपने कहा था कि हम लोगों को ले जायेंगे, दिखायेंगे, बात करेंगे तो आप मेडिकल कॉलेज का बिल्डिंग का स्पॉट इंस्पेक्शन भी करियेगा और वहां के Eye हॉस्पिटल के लिए विचार करियेगा और कैंसर हॉस्पिटल बिलासपुर में खुले, उसके लिए आप कृपापूर्वक अपना विशेष समय हम लोगों को देंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं।

अध्यक्ष महोदय जी, अभी-अभी इस सदन में सीपत के विधायक दिलीप लहरिया जी एक मांग कर रहे थे। सीपत में अस्पताल नहीं है, बिल्डिंग जर्जर है। भाई, मान लीजिये कि बिल्डिंग बन गया तो जिस सीपत को हमने जमीन दी। सीपत में नेशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का सबसे बड़ा प्लांट लगा हुआ है, जिसकी गिनती हिंदुस्तान के बड़े प्लांटों में होती है। उसको जमीन देने का काम हम लोगों ने कलेक्ट्रेट में बैठकर किया। पानी देने का काम हम लोगों ने किया। कोयला हम लोग दे रहे हैं तो जब सीपत में एन.टी.पी.सी. प्लांट है और एक विधायक चिंता कर रहे हैं तो वहां पर न केवल मजदूर हैं, आदिवासी है, गांव के किसान है तो सीपत के जनरल मैनेजर को बुलवाकर आप बात करिये और एन.टी.पी.सी. में करोड़ों रूपये की कमाई करने वाली संस्था है, उनको बोलिये कि इस अस्पताल को स्वयं चलाओ और वहां पर सारी सुविधा मिलनी चाहिए। बिल्डिंग दे आप दे दीजिये और चलायेंगे वह। जैसा अपोलो की बिल्डिंग एस.सी.सी.एल. का है और उसको प्रताप रेड्डी का ग्रुप का अपोलो चलाता है। आप बात करिये न। सीपत में हॉस्पिटल क्यों नहीं खुलना चाहिए। हमारी धरती, हमारी जमीन है। हम वहां का प्रदूषण हम झेल रहे हैं, वहां का पाल्युशन हम सफर करते हैं, वहां के खेतों में वहां का डस्ट, दुनियाभर का राखड़ जाता है। अध्यक्ष महोदय, वहां के लोग एक अस्पताल के तरसेंगे और वहां के विधायक को यहां पर बोलना पड़े कि मेरे यहां बिल्डिंग है, अस्पताल नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से उम्मीद करूंगा कि आप और मुख्यमंत्री जी बैठकर उनको बोलिये कि एक अस्पताल खोलने से एन.टी.पी.सी. न तो गरीब हो जाएगा और अस्पताल नहीं खोलने से अमीर भी नहीं हो जाएगा इसलिये वहां पर खोलना चाहिए । आप इसके लिये पहल करिये और आप जरूर करेंगे । मैंने आपके वर्किंग को 2, 4, 6, 10 दिनों से देखा है । मंत्री जी, मैं आपसे बड़ा इम्प्रेस्ड हूं कि आपमें काम करने की ललक है । आप किसी भी विषय को गंभीरता से लेते हैं । मैं कल आयुर्वेदिक प्राईवेट कॉलेज की बच्चियों को लेकर आया, आपने उनकी प्रॉब्लम भी सुनी । जब गवर्नमेंट कॉलेज के लोगों को स्टायफण्ड मिलता है तो आप प्राईवेट कॉलेज के लोगों को भी स्टायफण्ड दे दीजिये न, उनको स्टायफण्ड देने में क्या दिक्कत है ? वे भी तो इसी छत्तीसगढ़ के लोग हैं । प्राईवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं लेकिन वह सेवा करेंगे, उनको भी 2 साल की ड्यूटी दीजिये ताकि वे लोग अपना काम करें और यहां की सेवा कर सकें ।

माननीय सभापति महोदय, मैकाहारा अस्पताल में चूंकि मेरे पास पिछले कई सालों से लोग आते हैं कि साहब आप विधायक हैं, आप एक चिट्ठी लिख दीजिये तो हमारा ईलाज नि:शुल्क हो जायेगा । अच्छा लगता है कि कम से कम मैकाहारा में विधायक की इतनी कद्र तो है कि मेरी एक चिट्ठी से किसी गरीब का ईलाज हो सकता है। आप एक जनरल स्टेंडिंग ऑर्डर जारी करिये कि किसी भी मेडिकल कॉलेज में अगर उस क्षेत्र के किसी भी परिचित लोगों को, गरीब लोगों को अगर हम चिट्ठी लिखते हैं, उस चिट्ठी को इतनी कद्र देने का काम जो आप मैकाहारा में कर रहे हैं वही काम सिम्स में होना चाहिए, वही काम सरगुजा में होना चाहिए, वही काम दुर्ग में होना चाहिए, वही काम बस्तर में होना चाहिए । जनप्रतिनिधि जो चिट्ठी लिखते हैं उनकी चिट्ठी के आधार पर यदि नि:शुल्क रूप से उनकी सेवा करने का काम अस्पताल करे तो उससे हम सब लोगों की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी । (मेजों की थपथपाहट) हम लोगों की इज्जत भी बचेगी और हम लोगों की सेवा कर सकेंगे । इसमें क्या तकलीफ है ? आपको एक जनरल ऑर्डर निकालना है इसमें कोई बजट प्रोविजन नहीं करना है । आप तो अपने प्रभाव का प्रयोग करिये कि जनता तक कैसे सुविधा पहुंचे उसकी एक कड़ी यह भी है जिसमें हमारे सारे विधायकों की चिट्ठियों को महत्व मिले। उसमें यह बिल्कुल नहीं देखना चाहिए कि यह कौन सी पार्टी का विधायक है, यह कौन सी पार्टी का विधायक नहीं है क्योंकि जनता छत्तीसगढ की है । विधायक छत्तीसगढ़ विधानसभा के हैं, उनकी चिट्ठी मतलब स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा निर्देशित चिट्ठी है । चूंकि इसमें आपका भी नाम होगा और उससे हमारे विधायकों को सेवा करने का अवसर मिलेगा ।

माननीय सभापति महोदय, जनभागीदारी समिति जो जीवनदीप वगैरह होती है। मैं बहुत मीटिंग लेता हूं । उसकी कोई बहुत बड़ी कमेटी नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि मैं वहां बैठूं और डॉक्टरों की समस्या पूछूं और उनकी क्या समस्या हो सकती है उसको दूर करूं । मैंने तो कई अपने जनभागीदारी के अस्पताल में, लोरमी के अस्पताल में सोनोग्राफी के लिये भी पैसा दिया है तथा और भी जो बोलते हैं तो मैं मदद करने के लिये तैयार रहता हूं । मैं उनके लिये कहीं पर भी जाकर पैसा मांगने से नहीं शर्माता । यदि कलेक्टर के यहां भी मिलता है तो मैं मांगता हूं । चूंकि जब हम उस जनभागीदारी को मजबूत करेंगे तो हमारा अस्पताल प्रबंधन ठीक होगा । अस्पताल प्रबंधन ठीक होगा तो छोटे-छोटे कर्मचारी जिन्हें बहुत कम तन्ख्वाह में रखकर वहां की व्यवस्था ठीक की जाती है, चाहे वह सफाई कर्मचारी हो, चाहे वह कोई और अन्य कर्मचारी हो । उससे हमारे अस्पताल का ग्रेड बढ़ता है और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि लोरमी के अस्पताल को हिंदुस्तान के सबसे बढ़िया अस्पताल के रूप में प्राईज भी मिल चुका है । (मेजों की थपथपाहट) उसमें केवल एक तकलीफ है । उसके लिये भी एक आदेश जारी करवाईये । मैं बोलता हूं कि देखो डॉक्टर, एस.डी.एम. और विधायक यह तीनों तो आ ही जाते हैं । विधायक, अध्यक्ष है। एस.डी.एम., सचिव और डॉक्टर तो वहां का डी.एम.ओ. है ही । पी.डब्ल्यू.डी. के एस.डी.ओ. को आना चाहिए, फॉरेस्ट के एस.डी.ओ. को आना चाहिए, इरीगेशन और क्या-क्या दुनिया भर के और अधिकारी

हैं । ये बिल्कुल नहीं आते । ये बहुत गर्मी में रहते हैं, इनको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है कि अस्पताल ठीक होगा । अस्पताल में अगर सफाई कराना है तो नगरपालिका का अगर सी.एम.ओ. नहीं आयेगा तो कौन साफ करेगा और जब ये सफाई करेगा तो पैसा नहीं लगेगा । अगर पी.एच.ई. का एस.डी.ओ. आयेगा तो पीने के पानी की व्यवस्था करायेगा । विधायक बोल तो सकता है । मीटिंग में रहेगा तो हम बता सकते हैं तो इस जनभागीदारी को अधिकारियों की उपस्थिति और भागीदारी के लिये आप अधिकारपूर्वक, दबावपूर्वक और प्रशासन की सख्ती के साथ आदेश करिये और अगर कोई अधिकारी नहीं आता तो एकाध-दो को सस्पेंड करिये ताकि अगली बार की मीटिंग में सारे अधिकारी आयें और जितने विधायक हैं, वे सब जनभागीदारी समिति, अपने-अपने क्षेत्र में जीवनदीप के अध्यक्ष होते हैं । सबको काम करने की इच्छा होती है। मैं तो बोल रहा हूं कि मैं तो खुद देना चाहता हूं। विधायक निधि से 100 वाहन देना चाहता हूं। मैं एम्बुलेंस देना चाहता हूं, पर उसका मेन्टेनेंस कैसे होगा? उसकी सुरक्षा कैसे होगी? वो चलेगा कैसे? तो जनभागीदारी करिए न। जो समाजसेवी संस्थाएं हैं, उन्हें जीवनदीप से जोड़कर उनके जिम्मे लगा दीजिए ताकि वे चलाएं और आपको दुनियाभर की बातों से कोई लेना-देना नहीं रहे, लेकिन वो आपके कंट्रोल में रहे। अस्पताल से फोन जाए, वहां भेजेंगे। किसी की डेड बॉडी पहुंचानी है, वह करेंगे। ये भी एक पुण्य का काम है और यह भी एक सुविधा है। ये भी हमारे छत्तीसगढ़ के लिए अच्छा साइन हो सकता है कि हम किसी की डेड बॉडी को सम्मान से वहां पहुंचा सके। अध्यक्ष महोदय, जेनेरिक दवाई, प्रधानमंत्री भी चाहते हैं। पिछली सरकार ने भी प्रयास किया है। आप भी उसमें प्रयास करिए। मैं यह कहना चाहता हूं। मैं कोशिश भी कर रहा हूं, पर मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही है तो मैं आपके अधिकारियों से यह कहना चाहता हूं कि ये कुलदीप जुनेजा जी ने यहां पर कोई मुफ्त में दवाई देने का या गरीबों को दवाई बांटने का कोई एक मेडिकल दुकान खोला था। वह कैसे चलता है? किस सिस्टम में चलता है? उसके लिए फंड का इंतजाम कैसे कर सकते हैं? आप बताइए न। हम करना चाहते हैं। हम करना चाहते हैं कि अगर हमारे क्षेत्र के बी.पी.एल. कार्डधारियों को हम मुफ्त में दवा दे सकते हैं तो उसी के लिए तो विधायक बनकर आये हैं, साहब। आप हमें थोड़ा रास्ता बता दीजिए। और आप एक मीटिंग करा दीजिए। अपने यहां के अधिकारियों को निर्देशित कर दीजिए, वो हमें बता दें। उसी तर्ज पर हम लोग भी अपने ब्लॉक में एक-एक ठोक खोल देंगे। क्या दिक्कत है? ये विधायक निधि का पैसा सिर्फ सी.सी. रोड बनाने के लिए नहीं है। ये विधायक निधि का पैसा हर उस व्यवस्था को करने का है जो जनता को तकलीफ से मुक्ति दिला सके। गांवों में आप अस्पताल खोलने का प्रयास कर रहे हैं। आप डॉक्टर भेजने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मंत्री जी, आप जरा एक बात सोचिए कि अब अस्पताल की बिल्डिंग भी बन गई है। एक लेडी डॉक्टर मान लो आपने किसी गांव में भेज दिया। उस गांव में उसे रहने के लिए जगह नहीं है और हम अगर उससे उम्मीद करें कि वह वहां रहे तो यह तो संभव है नहीं और अगर संभव नहीं भी है तो उसको बहुत तकलीफ होगी। तो हर जगह अस्पताल बनने के साथ आप

एक प्रोविजन कर दीजिए न कि एक लेडी स्टाफ के लिए वहां पर एक रहने का एक कमरे का छोटा सा मकान भी बनाया जायेगा। क्या दिक्कत है? जहां 10 लाख का बन रहा है, वहां 15 लाख का बनेगा। लेकिन आप उसको रहने के लिए जगह नहीं देते। वह गांव में रहे तो रहे कहां? वह कुछ काम करना चाहती भी है तो करे कैसे? तो इसमें अस्पताल बिल्डिंग के संग एक महिला डॉक्टर या वहां के जो भी दूसरे नंबर पर पदस्थ लोग हैं, उनके रहने के लिए प्रोविजन करिए। लड़के तो कहीं पर भी रह लेंगे। मोटर साइकिल से आ जायेंगे। चले जायेंगे। जैसा चाहेंगे, वैसा कर लेंगे। मंत्री जी, एक डॉक्टर को बनाने के लिए करोड़ों रूपया आप देते हैं। हमारी सरकार देती है। हमारे अधिकारी देते हैं। यहां की सरकार देती है और जब तक वह डॉक्टर नहीं बना रहता है, तमाम देशभक्ति और जनसेवा का उपदेश आप उन्हीं से सीख सकते हैं और डॉक्टर बनते ही वो क्या करते हैं? वे गांव में जाते नहीं है। मैंने यहां एक प्रश्न पूछा था। बहुत काबिल मंत्री टी.एस. बाबा साहब थे। मैंने बोला कि ये डॉक्टरों को compulsory गांव में जाने के लिए आपने क्या प्रोविजन किया है? तो बोले कि हम देते हैं अगर नहीं है तो फाइन लगा देते हैं। बड़े-बड़े घर के लड़के 15 लाख रूपया, 10 लाख रूपया फाइन पटा देते हैं । लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। इस देश के ग्रामीणों की स्वास्थ्य की सुविधा की चिंता सिर्फ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और विधायकों और अधिकारियों भर की नहीं है। माननीय मंत्री जी, इसमें समाज के सभी लोगों को आगे आना होगा और इसमें जो कड़े कानून बना सकते हैं, बनाइए। करोड़ों रूपये खर्च करके जनता के पैसे से सरकार उनको पढ़ाती है और गांव से उनकी दूरी बढ़ जाती है और वे गांव की ओर नहीं जाते हैं, इसलिए आप उन्हें गांव में भेजने के लिए प्रयास करिए। माननीय मंत्री जी, अभी हमारे अटल श्रीवास्तव जी बोल रहे थे कि आप प्राइवेट अस्पताल को तंग करते हैं। मैं नहीं जानता कि कौन तंग कर रहा है या नहीं कर रहा है?

सभापति महोदय :- चलिए, समाप्त करिएगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- जी। बस हो रहा है। 1 मिनट। प्राइवेट डॉक्टरों से व्यक्तिगत रूप से किसी को कोई तकलीफ नहीं है, वे हमारा भी इलाज करते हैं । लेकिन सभापति महोदय, कभी कभी अमानवीय घटना भी होती है । मैं बोलना तो नहीं चाहता था लेकिन अब उन्होंने कह दिया है इसलिए मैं उस बात का जिक्र कर देता हूं । कोरोना के समय में एक लड़के के परिवार के लोगों का फोन आया कि हमने परसों अस्पताल में बच्चे को भर्ती किया था । 3 लाख रूपया नगद पटा दिया था और उसकी डेथ हो गई है अब डेड बॉडी देने के लिए 2 लाख रूपया और मांग रहे हैं । मजबूरी में मुझे कलेक्टर साहब को फोन करना पड़ा और बोलना पड़ा कि आप कृपा करके इस अमानवीय कार्य का सख्ती से विरोध करवाकर कार्रवाई कीजिए । मैं उन कलेक्टर साहब को धन्यवाद् दूंगा कि उन्होंने एस.डी.एम., सी.एम.एच.ओ. सबको भेजकर उस अस्पताल से उस बच्चे की डेड बॉडी मुफ्त में दिलवाया । दो दिन में ही तीन लाख का बिल पांच लाख का हो गया था । अब आप लोग कहते हो कि डॉक्टर्स से बदले की भावना से काम

करते हो । आपके ही समय की बात बोल रहा हूं, इसमें समय से मतलब नहीं है । आप लोगों ने नहीं किया था और न ही मुख्यमंत्री जी ने कहा था । लेकिन यह इंसानियत के बारे में सोचने और अपने दिल में संवेदनशीलता रखने की बात है । जहां इस प्रकार की कार्यवाही हो, वहां सख्ती रखिए और किसी डॉक्टर से किसी को कोई विरोध नहीं है । सब सेवा कर रहे हैं, सेवा करें किंतु लूट-खसोट कोई न करे ।

सभापति महोदय, दो बात कहकर समाप्त करूंगा । मंत्री जी मैं पहली बार तखतपुर से विधायक बनकर आया हूं । इसके पहले मैं चार बार लोरमी से विधायक था । तखतपुर में मुझे एक 50 बिस्तर का अस्पताल आप दे देते तो बड़ी कृपा होती। मैं चाहता हूं आप बड़ा-बड़ा काम आप दे दीजिए, उप-स्वास्थ्य केन्द्र वगैरह तो आप वैसे ही खोल देंगे । इस साल नहीं कर पाए हैं तो सप्लीमेंट्री में कर दीजिए । मैं तो पढ़ रहा था कि शायद मेरा भी होगा, मैंने चिट्ठी तो दी थी । चलिए कोई बात नहीं, अभी कई परेशानियां और कई जरूरतों के कारण नहीं कर पाए होंगे, उसको अगले साल जब भी होगा देख लीजिएगा । एक गांव में भाषण देकर आया हूं, मैंने कहा था कि मैं उप स्वास्थ्य केन्द्र का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनवा दूंगा । उस गांव का नाम है मुरू, विकासखंड तखतपुर । मुरू गांव के लोगों से मैं जाऊं तो बोलूं कि श्री श्याम बिहारी जायसवाल साहब हमारे लोकप्रिय स्वास्थ्य मंत्री जी ने विधान सभा में घोषणा की है कि आपके मुरू को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देंगे । MURU ब्लॉक तखतपुर, आप इसकी घोषणा कर ही दीजिएगा । उप-स्वास्थ्य केन्द्र ऑलरेडी है, उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाना है । कृपा करके, यह कर दीजिएगा । आपका प्रयास अच्छा चल रहा है । आपकी समझ को भी मैं समझ रहा हूं कि आप डीप स्टडी करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके कुशल नेतृत्व में इस प्रदेश की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था, इस प्रदेश में छिन्न-भिन्न स्वास्थ्य व्यवस्था, इस प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था चुस्त-दुरूस्त भी होगी और हम गरीबों तक पहुंचकर उनकी सेवा कर पाएंगे । लोग अपनी तरफ से प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन आप और हम सब मिलकर इसको ठीक करेंगे और इसमें आप सबका भी सहयोग लेना चाहते हैं । दिलीप लहरिया जी, यहां आकर केवल बुराई करना और गलती निकालना ठीक नहीं है। मैं आपके बारे में बोल रहा हूं कि सीपत में एनटीपीसी के ऑफिसर्स को बोलकर वहां बढ़िया अस्पताल खुलना चाहिए, नहीं तो एकाध दिन उसका पानी-वानी बंद करवाओ, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से बोलकर उसको कोयला वगैरह बंद करवाइए । आपके पड़ोस में और हमारे बहुत सज्जन मंत्री बैठे हैं, उद्योग और श्रम, वहां केवल श्रम उल्लंघन हो रहा है, उद्योग मंत्री जी थोड़ा श्रम वालों को भेज दीजिए वहां तो वे अपने आप ही अस्पताल खोल देंगे, आप खुलवाइए ना । ऐसे ही एनएमडीसी है, ऐसे ही कोल इंडिया है, ऐसे ही एनटीपीसी कोरबा में है।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- ऐसे ही बीएसपी का भी है, संगीता जी ने दल्ली राजहरा का बताया होगा, उसको भी 100 बिस्तर का करना है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मंत्री जी, आपके पास बहुत उद्योग हैं। ऐसा नहीं है कि मैं यही पांच उद्योग बता रहा हूं। ऐसे बड़े-बड़े उद्योग हैं जो वहां पर गंदगी फैलाने, प्रदूषण फैलाने के सिवाय कुछ नहीं करते। उनको बुला-बुलाकर बोलिए कि इस प्रदेश के स्वास्थ्य सुविधा को भी ठीक करना है और इस गांव के छोटे-छोटे स्कूलों में भी जो जरूरत है, उनकी भी व्यवस्था करना है। आप यह सब चीज करिए ना। जब वे सरकार का सब कुछ ले रहे हैं तो सरकार के कहने से कुछ सेवा भी करना चाहिए। मंत्री जी, सेवा ही परम धर्म होता है और आप उनको धर्म की शिक्षा दीजिएगा। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी मांग पर भी विचार करेंगे। हम आपको पूरा समर्थन दे रहे हैं, आगे भी देंगे, कोई कमीवेशी होगी तो आपको बताएंगे। हम सिर्फ आलोचना नहीं करते हैं, हमको मालूम है कि स्वास्थ्य विभाग को लोकप्रियता मिलती ही नहीं है। मुझे आशा है, आप अच्छे से करेंगे। धन्यवाद।

श्रीमती रायमुनी भगत (जशपुर) :- सभापति महोदय, मैं जब-जब जशपुर जाती हूं, मैं उस दुखी मां को देखती हूं तो मुझे बहुत पीड़ा होती है जिसका कमोड में बच्चे का प्रसव हुआ था और बच्चे की मौत हो गयी थी। वहां पर जो डॉक्टर ड्यूटी में थे, उन पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई है, वो मां मुझे जब-जब देखती है, रोती है। मैं आदरणीय मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि इन पर कड़ी कार्रवाई हो। वह दर्द में प्रसव कक्ष से फ्रेस होने के लिए निकलकर जाती है, उस समय ऐसा लगता है, लोगों को समझ में नहीं आता है कि मुझे बाथरूम लग रहा है, टॉइलेट लग रहा है, समझ में नहीं आता है। वहां दो घंटे तक बेहोश पड़ी रही, उन लोग खोजने पूछने तक नहीं आए। तब तक कमोड में प्रसव हो जाता है और स्वस्थ लड़का का जन्म होता है, उस बच्चे का सर कमोड में घूस जाता है। वहां शिशु की मृत्यु हो जाती है। ऐसे डॉक्टरों के उपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं माननीय मंत्री महोदय से चाहूंगी कि इन पर कड़ी कार्रवाई हो। दूसरी बात, जिला चिकित्सालय में 12 करोड़ का घोटाला हुआ है, बिना निविदा के फर्जी खरीदी की गयी, उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। धन्यवाद।

श्री संपत अग्रवाल (बसना) :- आदरणीय सभापति महोदय, मैं बसना विधान सभा से हूं, वहां पर सिर्फ 30 बिस्तर का अस्पताल है, वह बहुत बड़ा क्षेत्र है, वहां पर ट्रामासेंटर भी होना चाहिए। मैंने पहले भी 100 बिस्तर अस्पताल की मांग की थी। स्वास्थ्य के लिए बजट में बहुत कुछ दिया गया है, मैं उस बजट की सराहना करता हूं। हमारे जितने पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, वहां के हॉस्पिटल सिर्फ रिफर सेंटर बनकर रह गये हैं। पुराने शासनकाल में पिथौरा में 50 बिस्तर हॉस्पिटल की नयी बिल्डिंग बनी है, वह जर्जर है, चालू भी नहीं हो पाया है, टाईल्स उखड़कर गिर रहे हैं, जो एक्स-रे मशीन वगैरह दी गयी हैं, वह सब आधी अधूरी हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं, वहां डॉक्टरों की भी कमी है, मशीनों की भी कमी है, एम्बुलेंस भी नहीं है, बी.एम.ओ. के लिए गाड़ियां भी नहीं हैं, उनकी व्यवस्था की जाए। धन्यवाद।

सभापति महोदय :- मंत्री जी को लिखित में दे दीजिए।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल (डोंगरगढ़) :- माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देती हूं। आप छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य को एक नई दिशा देंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं मांग पत्र 19 पर बोलना चाहती हूं।

सभापति महोदय :- हर्षिता जी, आप अपने क्षेत्र की मांग रखियेगा।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2016-2017 में राजनांदगांव में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किया गया था। परंतु अत्यंत दु:ख की बात है कि मेडिकल कॉलेज प्रारंभ होने के सालों बाद भी वहां पर मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है। ऐसी स्थिति में वहां पर शिकायत का माहौल बना हुआ है। वहां पर जो भी patient जाते हैं, उनको हमेशा रिफर कर दिया जाता है। कुछ patients का वहां पर ईलाज नहीं हो पा रहा है, इसलिए वह प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना ईलाज करवाते हैं। वहां पर अभी एक case सामने आया है। जिसपर मैं आपका ध्यानाकर्षित करना चाहती हूं कि राजनांदगांव शहर के चिखली में एक संजीवनी हॉस्पिटल है। जहां शिकायतकर्ता-श्री रितेश सगोड़े, पिता-श्यामलाल सगोड़े, निवासी-ग्राम अछोली, विकासखण्ड-डोंगरगढ़ की पत्नी को प्रसव हेतु वहां पर भर्ती कराया गया। उस महिला का वहां पर ऑपरेशन हुआ, लेकिन कुछ देर बाद महिला-विद्या को बहुत ज्यादा दर्द हुआ। दर्द होने पर सिस्टर द्वारा उसे एक इंजेक्शन लगाया गया। उसके इंजेक्शन लगाते ही उसका पूरा शरीर काला पड़ गया। उसको बाथरूम लगने पर बाथरूम ले जाया गया। वह बाथरूम में बंद हो गयी और वहीं पर गिर गई। उस बाथरूम को कैसे भी करके खुलवा कर उसको बाहर लाया गया। वह बहुत ज्यादा तकलीफ में थी। जब उसका चेकअप और सोनोग्राफी कराया गया तो बताया गया कि उसका प्लेटलेट्स घट गया है और इनको दूसरे हॉस्पिटल में रिफर करना पड़ेगा। फिर उसको एम्स रिफर किया गया, परंतु उनको एम्स में भर्ती नहीं लिया गया। फिर उसको ममता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। लगातार 48 घण्टे तक ईलाज करने के बाद भी ठीक नहीं होने की स्थिति में उसको ममता हॉस्पिटल से भी रिफर कर दिया गया। फिर उसको N.M.Narayan में रिफर किया गया।

सभापति महोदय :- हर्षिता जी, आप अपनी यह बात मंत्री जी को लिखित में दे दीजिएगा। यदि आपकी क्षेत्र से संबंधित कोई मांग हो तो उसे यहां रखियेगा।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- जी, सभापति महोदय। मैं अपने क्षेत्र की मांगें भी रखूंगी। यह मेरे ही विधान सभा क्षेत्र की विषम परिस्थिति है, इसलिए मैं इस ओर मंत्री जी का ध्यानाकर्षित करना चाहती हूं कि किस तरह से उस बेचारी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है। जब N.M.Narayan उसका पूरा चेकअप हुआ तो पता चला कि वह लीवर इन्फेक्शन, कीडनी इन्फेक्शन, लंग्स इन्फेक्शन, पीलिया, पसलियों में पानी भरना, हार्ट की समस्या, खून का कम होना जैसी बहुत सारी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो चुकी थी। पीड़िता के परिवार वाले उसका ईलाज करा-कराकर कर्ज में डूब गये। उस स्थिति में उनके द्वारा

उक्त संजीवनी हॉस्पिटल के खिलाफ एक case दर्ज कराया गया और F.I.R. हुआ। परंतु उस गरीब की सुनवाई कहीं नहीं हुई। उस हॉस्पिटल की ऊपर तक पहुंच थी, इसलिए वह मामला वहीं पर दब गया।

सभापति महोदय :- आप समाप्त कीजिए।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- माननीय सभापति महोदय, कृपया मुझे अपनी पूरी बात रखने दीजिए।

सभापति महोदय :- आप मंत्री जी को लिखित में दे दीजिएगा।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- माननीय सभापति महोदय, उनको मुआवजे की राशि दी जाए। गलत ईलाज के कारण उसकी दोनों कीडनी फेल हो चुकी हैं। उसको रिफर नहीं करना था। उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने का एक नतीजा भुगतना पड़ा है। मरीजों के सामने इस तरह की स्थिति नहीं आनी चाहिए। मैं आगे अपनी बात रखना चाहूंगी कि स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत नगर पालिका डोंगरगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु नवीन भवन बनाया गया है जो कि अछोली में बना है। पुराना भवन पूर्ण रूप से जर्जर हो चुका था, इसलिए पिछली सरकार के कार्यकाल में नया भवन बना है। उसकी वजह से शहर की जनता को 2-3 किलोमीटर बाहर जाने में असुविधा होती है। उस कारण से वहां पर ईलाज नहीं हो पा रहा है। इसलिए अधिकतर लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। मैं आपसे यही मांग करना चाहती हूं कि वहां पर City Dispensary खोला जाए। पुराने भवन के बगल में एक छोटी सी बिल्डिंग है, जहां पर City Dispensary खोला जा सकता है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में घुमका ब्लॉक है। घुमका ब्लॉक में उप स्वास्थ्य केन्द्र की बिल्डिंग पूर्ण रूप से जर्जर हो चुकी है। वहां की जनसंख्या 40,000-50,000 के आसपास है।

सभापति महोदय :- हर्षिता जी, आप मंत्री जी को लिखित में दे दीजिएगा। शुक्ला जी।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- माननीय सभापति महोदय, दो मिनट। मुझे अपनी बात रखने दीजिए। मैं घुमका में 100 बिस्तर के नवीन भवन की मांग करती हूं। साथ ही घुमका में स्टाफ की कमी है। वहां डॉक्टर की कमी है । डोंगरगढ़ के अस्पताल में भी स्टॉफ और डॉक्टर की कमी है, जिसके कारण वहां पर असुविधा बनी हुई है । उस असुविधा को दूर करिए । उप स्वास्थ्य केन्द्र, कोठीटोला का भवन जर्जर हो गया है, उसके लिए मैं नवीन भवन की मांग करती हूं । उप स्वास्थ्य केन्द्र, डूंडेरा का भवन जर्जर हो गया है, उसके लिए मैं नवीन भवन की मांग करती हूं । उप स्वास्थ्य केन्द्र, बेलगाव का भवन जर्जर हो गया है, उसके लिए मैं नवीन भवन की मांग करती हूं । कुछ काम हमारी सरकार ने किया है, कुछ काम आप करेंगे । इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूं । आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद ।

श्री सुशांत शुक्ला (बेलतरा) :- सभापति महोदय, मेरे मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न बहुत दिनों से कौंध रहा है कि 500-700 करोड़ रूपए की सरकारी अस्पतालें और 25-30 करोड़ की निजी अस्पताल के मुकाबले बौने क्यों नजर आते हैं, इस विषय पर सरकार को मंथन करना चाहिए । बिलासपुर के कोनी में एक बहुत बड़ा सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल खोला जा रहा है, जो मेरे विधान सभा क्षेत्र में आता है । इंटरव्यू में अधिकतम सुपर स्पेशियलिटी विभाग में कोई भी डॉक्टर नहीं आये हैं । आने वाले समय में इसकी हालत हाईटेक रेफरल सेन्टर के रूप में कन्वर्ट न हो जाये, जबकि आज की तिथि में इसका उद्घाटन भी नहीं हुआ है । अगर वहां पर गेस्ट्रोलॉजी विभाग के डॉक्टर ज्वाईन नहीं करेंगे, क्योंकि दवाइयों के बाद सबसे बड़ा रिएक्शन जो शरीर में होता है, वह गैस के माध्यम से होता है । सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करूंगा कि वहां पर गेस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट स्थापित किया जाये और उस विभाग के डॉक्टर की पदस्थापना की जाये ।

सभापति महोदय, बेलतरा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम लिमहा में एक उप स्वास्थ्य केन्द्र का ढांचा बनकर कई वर्षों से पड़ा हुआ है । वह सिर्फ ढांचा है, न पलस्तर है, न पोताई है, न खिड़की है । सेट-अप की तो दूर तक कोई बात ही नहीं है। वही हाल जो बाकी उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं, मेरा ऐसा मानना है और मेरी ऐसी मान्यता है कि उन क्षेत्रों में कम से कम डिलीवरी का केन्द्र बने, वहां महिलाओं के प्रसव की व्यवस्था सुनिश्चितता के साथ हो सके, ऐसी कोई व्यवस्था कर सकते हैं । लखराम में रेड क्रास सोसायटी का विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिए, जो सिर्फ जिला में सिम्स और जिला अस्पताल में होते हैं । रेडक्रास में 50 प्रतिशत कम राशि में दवाइयां उपलब्ध होती हैं । मेरा आपसे आग्रह है कि अनुविभागीय दण्डाधिकारी कार्यालय, मुख्यालय में प्रांत में जो भी उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं, वहां पर रेड क्रॉस सोसायटी की दुकान स्थापित की जावे । सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री प्रबोध मिंज (लुण्ड्रा) :- माननीय सभापति महोदय, पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने बोलने का अवसर दिया । चूंकि बहुत सारे सदस्यों ने बात रखी है, मैं केवल अपनी मांग रखूंगा । हम चर्चा में सुन रहे थे और माननीय धर्मजीत जी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है । वे हर मांग के प्रस्ताव में अपनी बात रखते हैं और हर मंत्रियों से धीरे-धीरे बड़े प्यार से बात करके अपने मांग की घोषणा करा देते हैं । मुझे भी उनसे कुछ प्रेरणा मिली है इसलिए मैं माननीय मंत्री जी का ध्यानाकर्षित करूंगा । यह स्वास्थ्य विभाग का मामला है, बहुत गंभीर विषय भी है । मेरे लुण्ड्रा विधान सभा क्षेत्र में ऐसे-ऐसे जंगल हैं, पहाड़ों के क्षेत्र हैं, जहां उप स्वास्थ्य केन्द्र और स्वास्थ्य केन्द्र भी खुले हैं, वहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और कई अस्पतालों के लिए अनुबंधित डॉक्टरों की नियुक्ति भी हुई है और उनके माध्यम से एम.बी.बी.एस. डॉक्टर गए हुए हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डॉक्टरों की एकदम कमी है । हमारे क्षेत्र में कुन्नी स्वास्थ्य केन्द्र हैं,

जहां एक भी डॉक्टर नहीं हैं । 25 किलोमीटर दूर में लखनपुर में एक स्वास्थ्य केन्द्र है, वहां पर थाना है । थाना कुन्नी में भी है, लेकिन वहां डॉक्टर नहीं होने के कारण यदि किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई बीमार हो जाता है तो वहां पोस्टमार्डम तक के लिए लाश को ढोकर लखनपुर लाना पड़ता है । ऐसे जंगल, पहाड़ वाले क्षेत्र है, जो लगभग 40 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है । वहां आज भी एक डॉक्टर नहीं है । लोकल स्तर पर सी.एम.एच.ओ. व्यवस्था करते हैं, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं जाता । वहां सी.एम.एच.ओ. ने डॉक्टर की मांग भी की थी, अलग-अलग स्वास्थ्य केन्द्रों में अनुबंधित डॉक्टर वहां पहले भी गए हैं, लेकिन उन डॉक्टरों का अनुबंध समाप्त हो गया है तो वे वापस चले गए हैं, कई डॉक्टर पी.जी. करने के लिए चले गए हैं तो पूरे जगह खाली है । दरिमा में भी दो पद खाली है, बरकेला में एक पद है, लेकिन वहां डॉक्टर नहीं है । सुखरी में डॉक्टर नहीं हैं, सीतापुर में दो डॉक्टर नहीं हैं। कुन्नी में एक डॉक्टर नहीं है । पटोरा में एक डॉक्टर नहीं है, ढौरपुर में दो डॉक्टर नहीं है, लुण्ड्रा में एक डॉक्टर नहीं है, रघुनाथपुर में एक डॉक्टर नहीं है, लेकिन अनुबंधित डॉक्टरों की पोस्टिंग के लिए जो सूची आई थी, वहां एक भी डॉक्टर की पोस्टिंग नहीं हो पाई । सभापति महोदय, ऐसे में उस क्षेत्र के लोगों का स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा, लोगों को कैसे सुविधाएं मिलेंगी ? मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आप उन क्षेत्रों में तत्काल डाक्टरों की व्यवस्था करेंगे। धर्मजीत जी बहुत अच्छी बात कहते हैं। धर्मजीत जी, मैं आपसे बहुत कुछ प्रेरणा लिया हूं। आप सब मंत्रियों से कुछ-कुछ घोषणा करवा लेते हैं। सभापति जी, मैं दो शब्दों में कहना चाहूंगा कि सरगुजा संभाग से 14 की 14 सीट जीते और हमारी सरकार बनी। सरगुजा से विष्णु जी जैसे अवतार को मुख्यमंत्री बनाया गया। मंत्रिमण्डल में राम और श्याम का साथ मिला है। उसके साथ साथ लक्ष्मी जी का भी सरगुजा में वास है।

सभापति महोदय :- हो गया, सब बातें आ गईं। अभी दूसरा विभाग लेना है। बस हो गया।

श्री प्रबोध मिंज :- सभापति महोदय, राशि की, पैसे की कोई कमी नहीं होगी, मैं मानता हूं। सुदामा जी को बिना मांगे सब कुछ दे दिया था, मैं माननीय मंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा।

सभापति महोदय :- लिखित में दे दीजियेगा।

श्री प्रबोध मिंज :- सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र में बरगीडीह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है और कुन्नी स्वास्थ्य केन्द्र है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में घोषणा कर देते तो क्षेत्र के लोगों के प्रति बड़ी मेहरबानी होती। उसके साथ-साथ 30 बिस्तर का अस्पताल भी मिल जायेगा, डाक्टर भी उपलब्ध हो जायेंगे। जंगल पहाड़ क्षेत्र में डाक्टरों के रहने की भी सुविधा होगी, ताकि वहां डाक्टर टिक पायेंगे और सब का ईलाज हो पायेगा। मैं इतना कहते हुए माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि कृपया इसके लिए जरूर घोषणा करेंगे। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री पुन्नू लाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय सभापति महोदय, मैं सिर्फ मांग की ही बात करूंगा। मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि मुंगेली जिला में आदर्श चिकित्सालय है, वहां मेडिकल कालेज खोला जाये। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दशरंगपुर है उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाया जाये। चकरभाठा में टेमरी है, वहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाये और सुरेठा में उप स्वास्थ्य केन्द्र दिया जाये, ऐसी मैं माननीय मंत्री जी से आशा करूंगा।

सभापति महोदय :- चलिये, मंत्री जी को लिखकर दे दीजियेगा।

श्री ब्यास कश्यप (जांजगीर-चांपा) :- सभापति महोदय, स्वास्थ्य विभाग में एन.एच.एफ. के अन्दर लगभग सौ की संख्या में दंत चिकित्सक 10 वर्ष पूर्व से ही सेवा दे रहे हैं। परन्तु उनका वेतनमान बहुत ही कम है। उनसे कहीं अधिक वेतन वहां के काम करने वाले नर्सों का है। माननीय मंत्री महोदय, कृपा करके इस पर भी विचार करें।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, को लिखकर दे दीजियेगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति जी, सब लिखकर दिए हैं। अगर इस सदन में नहीं बोलेंगे तो जनता कैसे जानेगी कि हम लिखे हैं और बोले भी हैं। तो कम से कम थोड़ा बोलने दीजिये। बोलेंगे तो वहां इज्जत बचाने के लिए काम आयेगा।

श्री भोलाराम साहू (खुज्जी) :- माननीय सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र खुज्जी एक अच्छा बड़ा गांव है। वहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अस्पताल का निर्माण हो चुका है। अस्पताल भवन बन चुका है। सेटअप नहीं हुआ है। माननीय मंत्री जी, वहां सेटअप करने की व्यवस्था करेंगे, ऐसा निवेदन है। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद।

श्रीमती भावना बोहरा (पंडरिया) :- माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले बहुत कम शब्दों में दो ही लाईन बात करूंगी। मैं तो पहले माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करूंगी कि जब वह कवर्धा जिला अस्पताल आये थे तो मुझे उनके साथ जाने का अवसर मिला। उन्होंने वहां की असुविधा को देखते हुए तुरन्त 50 बिस्तर अस्पताल की घोषणा की तो मैं पूरे कवर्धा जिले की तरफ से उनका बहुत अभिनन्दन और धन्यवाद करती हूं। उनकी संवेदनशीलता के कारण ही मुझमें हिम्मत आई कि थोड़ा और कुछ मांग लिया जाये। मैं अपने पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत कुंडा, कुकदुर और रणवीरपुर में 50 बिस्तर अस्पताल की मांग करती हूं। साथ में इंदौरी में 30 बिस्तर का अस्पताल है, उसके उन्नयन के लिए भी मांग करती हूं। मेरे विधानसभा क्षेत्र का पंडरिया एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। वहां पर एक भी महिला डाक्टर नहीं है और शिशु रोग विशेषज्ञ नहीं है। मैं इन दोनों चीजों की मांग करती हूं। बाकी विषयों के लिए मंत्री महोदय जी को पत्र के द्वारा मांग सौंप दूंगी। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, धन्यवाद।

श्रीमती गोमती साय (पत्थलगांव) :- माननीय सभापति महोदय जी, आज सब कोई अपने क्षेत्र के लिए मांग ही रहे हैं तो हम भी क्यों पीछे रहे। मैं खाली मांग रख रही हूं। मैं, हमारे मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। क्योंकि इस बजट में कुछ लाये हैं तो सबके लिए लाये हैं। खाली मेरे विधानसभा क्षेत्र पत्थलगांव में ग्राम बागबाहर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पहले से है, लेकिन वहां बिस्तर बढ़ाया जाये, वहां कम से कम 50 बिस्तर किया जाये और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन करें। साथ ही साथ कोतबा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है, वहां भी 50 बिस्तर दिया जाये। वह आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। लोगों को उसका लाभ मिलेगा। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, धन्यवाद।

श्री आशाराम नेताम (कांकेर) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी के लिए मेरी मांग और ध्यान आकर्षण है। हम बस्तर के द्वार कांकेर में रहते हैं। क्योंकि कांकेर इधर नारायणपुर और कोण्डगांव से जुड़ता हुआ है। बस्तर का द्वार कांकेर स्वास्थ्य चरम सीमा में है। छत्तीसगढ़ के लिए संजीवनी 108 संकट मोचन बना, डाक्टर रमन सिंह की सरकार ने 19 जून, 2016 को 108 संजीवनी एक्सप्रेस दिया था। आज 108 और 102 बहुत ही जरूरी है। जो पुराना गाड़ी कंडम हुआ है, इसे नये सिरे से ...।

सभापति महोदय :- चलिये, लिखित में दे दीजिए । माननीय मंत्री जी ।

श्री आशाराम नेताम :- और वहां की जो समस्या है...।

सभापति महोदय :- लिखित में दे दीजिएगा ।

श्री आशाराम नेताम :- सभापति महोदय, थोड़ा बोलने का मौका दें, मंत्री जी को भी बधाई देता हूँ कि कद काठी ऊंचा और स्वस्थ मंत्री हैं । वह सब को देने वाले हैं, मैं भी चाहता हूँ कि कांकेर के लिये भी कुछ दें ...।

सभापति महोदय :- बहुत हो गया, रहने दीजिएगा । मंत्री जी । आप लिखित में दे दीजिएगा । मंत्री जी ।

श्री आशाराम नेताम :- और एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की भी जरूरत है बेवरती में ....। स्वास्थ्य मंत्री जी उसको भी दें ।

श्रीमती चातुरी नंद :- सभापति महोदय, आप सबो झन मांगथव, महु एक ठन मांग लेथंव कथौं । मैं पहली भी कह चुके हंव के सरायपाली अऊ बसना विधान सभा में एके ठन गायनिक डॉक्टर हे, मैं हमर सरईपाई और बसना में एक-एक ठन गायनिक डॉक्टर के व्यवस्था करे जाये एखर निवेदन करथंव ।

श्री आशाराम नेताम :- मंत्री जी, हंसते-हंसते दे रहे हैं, खुशी-खुशी दे रहे हैं, मांगने के लिये भी हम लोग ...।

सभापति महोदय :- लिखित में दीजिए । लिखकर देने से भी देंगे ।

श्री आशाराम नेताम :- सभापति महोदय, उसी से मांगे, जो खुशी से दे सके ।

श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े :- सभापति जी, मोरो एक ठन मांग हावय ।

श्री आशाराम नेताम :- सभापति जी, हमारे यहां जो हॉस्पीटल में स्टॉफ की कमी है, उसको देना है ।

सभापति महोदय :- लिखित में दे दीजिएगा ।

श्री आशाराम नेताम :- जी । सभापति महोदय जी धन्यवाद और मंत्री जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि हमने अपनी बात को रखा है ।

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- माननीय सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- चलो बधाई हो, बहुत-बहुत बधाई हो ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- सभापति महोदय, आज मंत्री के रूप में मेरे जीवन का पहला बजट भाषण है, ऐसा विभाग जो एक-एक व्यक्ति से जुड़ा है, इस बजट भाषण पर जो बोलने के लिये आपने अवसर दिया है, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ । माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-19 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिये 4,413 करोड़ 16 लाख 5 हजार रूपये, मांग संख्या- 79 चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय के लिये, 1,788 करोड़ 86 लाख 12 हजार रूपये तथा 20 सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय के लिये 4 करोड़ 49 लाख 35 हजार रूपये तक की अनुदान मांग की राशि के लिये मांग कर रहा हूँ । माननीय सभापति महोदय, इस बजट भाषण में हमारे माननीय सदस्य भले ही कम शब्द में बोले हों, इसमें माननीय 27 सदस्यों ने भाग लिया है । यह दर्शाता है कि स्वास्थ्य के प्रति हमारे सभी सदस्य कितने जागरूक हैं । मैं हद्य से सभी सदस्यों का अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अमूल्य सुझाव दिये हैं । माननीय सभापति महोदय, मैंने सभी सदस्यों के एक-एक सुझाव को बड़ी गंभीरता से नोट किया है । माननीय कुंवर सिंह निषाद जी, माननीय धर्मलाल कौशिक जी, माननीय अटल श्रीवास्तव जी, माननीय प्रणव कुमार मरपच्ची जी, माननीय संगीता सिन्हा जी, माननीय राजेश अग्रवाल जी, माननीय इन्द्रशाह मंडावी जी, माननीय चैतराम अटामी जी, माननीय दिलीप लहरिया जी, माननीय पुरंदर मिश्रा जी, माननीय सावित्री मंडावी जी, माननीय दीपेश साहू जी, माननीय शेषराज हरवंश जी, माननीय तुलेश्वर हीरासिंह मरकाम जी, माननीय धर्मजीत सिंह जी, माननीय हर्षिता स्वामी बघेल जी, माननीय रायमुनि भगत जी, माननीय संपत अग्रवाल जी, माननीय सुशांत शुक्ला जी, माननीय प्रबोध मिंज जी, माननीय पुननूलाल मोहले जी, माननीय व्यास कश्यप जी, माननीय भावना बोहरा जी, माननीय भोलाराम जी, माननीय गोमती साय जी, माननीय आशाराम नेताम जी, माननीय चातुरी नंद जी । सभी लोगों ने अमूल्य सुझाव दिये हैं...।

श्री रिकेश सेन :- मंत्री जी, रिकेश सेन छूट गया । (हंसी)

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय रिकेश सेन जी, इनका भी विशेष रूप से सभी का सुझाव आया है ।

श्री बालेश्वर साहू :- बालेश्वर साहू घलो छूट गे हे ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- सभापति महोदय, सभी सदस्यों को जिन्होंने सुझाव दिये हैं, मैं एक बार हद्य से बधाई देता हूँ (मेजों की थपथपाहट) माननीय सभापति महोदय, स्वास्थ्य चूंकि सभी लोगों से जुड़ा हुआ विषय है, आज हिन्दू कैलेण्डर माघ शुक्ल पक्ष चतुर्दशी है, विक्रम संवत माघ 28, 2000 की तिथि है और पुष्य नक्षत्र है और ऐसा लगता है कि इस दिन जो बजट पारित हो रहा है, उस नक्षत्र में सभी शुभ कार्य होते हैं। हमारे लिये आज बहुत ही विशेष दिन है।

समय :

04.40 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)**

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। आप यहां उपस्थित हैं। मैं आज अपनी बात कविवर रामधारी सिंह दिनकर जी की कालजयी रचना, रश्मिरथी के एक दृष्टांत से प्रस्तुत करते हुए अपनी बात आरंभ कर रहा हूं।

"वसुधा का नेता कौन हुआ ?
भूखण्ड-विजेता कौन हुआ ?
अतुलित यश क्रेता कौन हुआ ?
नव-धर्म प्रणेता कौन हुआ ?
जिसने न कभी आराम किया,
विघ्नों में रहकर काम किया।"

इस राज्य के बनइया, पोसइया, खेवइया, परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के, जिन्होंने इस छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया, उनको स्मरण करते हुए डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी के महान नीति सिद्धांतों पर चलते हुए प्रशासनिक विकेंद्रीकरण एवं सांस्कृतिक असमिता को अक्षुण्य रखने के जो उद्देश्य से यह छत्तीसगढ़ को लगातार संवारने और पोषणे का काम वर्ष 2003 से वर्ष 2018 तक, विगत 15 वर्षों तक हमारी सरकार ने किया। किंतु पिछले 05 वर्षों से राहुकाल की तरह अविश्वास, भ्रष्टाचार, बिगड़ती कानून व्यवस्था एवं शासकीय धन के निरंतर दोहन का कुचक्र चला, जिसका परिणामस्वरूप जनमानस नें पुन: सुशासन की आकांक्षा से प्रधानमत्री, माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में अमृतकाल को साक्षी मानकर हमें फिर से स्थापित किया एवं जैसे अर्जुन को सारथी कृष्ण मिले, वैसे हमारे छत्तीसगढ़ को सारथी विष्णु जी मिले। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं "सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्तु निरामया", की भावना से प्राचीन भारत से ही स्वास्थ्य को महान मानते हुए व्यक्तियों की शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक कल्याण के रूप में परिभाषित किया जाता रहा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में पूर्व में लगातार एक महत्वपूर्ण चिकित्सकों में जिनका नाम चलता है, वह सुश्रुत जी का नाम है, जो सुश्रुत शल्य चिकित्सा के जनक माने जाते हैं। हमारे भारत में चरक व बाणभट्ट जैसे प्रसिद्ध महान डॉ. हुए, जिनसे हम लोगों ने इस आयुर्वेद को बढ़ाया और हमारे यहां पतंजलि जैसे महान आयुर्वेदाचार्य हुए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी कहा है कि स्वास्थ्य ही वास्तविक धन है। सोने और चांदी के टुकड़े का कोई महत्व नहीं है। इसी प्रकार विन्सटन चर्चिल ने भी कहा है कि स्वस्थ नागरिक ही देश की सबसे बड़ी संपत्ति है। ऐसे में आधुनिक परिप्रेक्ष्य में नोबेल पुरस्कार विजेता अमर सेन जी ने भी बताया है कि स्वास्थ्य एक सामाजिक वस्तु है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य ने ढेर सारे स्वास्थ्य मंत्रियों को देखा है और एक तरह से जिस प्रकार छत्तीसगढ़िया मानुष स्वावलंबी होते हैं, संतोषी होते हैं और जरा-सी मदद करने के लिये जान लुटा देते हैं। बस यही गलती हुई कि 05 वर्षों में इस स्वभाव को लाचारी मान लिया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मिर्जा गालिब ने फर्माया है कि :

"उनके देखने से जो आ जाती है मुंख पर रौनक
वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है"

पांच साल ऐसा ही हुआ है और आज स्वास्थ्य की जो स्थिति है, उसके बारे में आपसे कुछ छिपा नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बस ऐसे ही छत्तीसगढ़ की जनता को पांच वर्षों में सुविधा, सहायता और सौभाग्य का छद्म वातावरण बनाकर छला गया। लेकिन मैं अब यह सब होने नहीं दूंगा। हालांकि स्वास्थ्य की सेवा प्रणाली ऐसी है जैसा कि माननीय धर्मजीत सिंह जी ने कहा कि कोई स्वास्थ्य मंत्री जान भी दे दें तो भी वह किसी को खुश नहीं कर सकता। लेकिन मैं इन सारी जटिलताओं के बावजूद भी हमारे माननीय विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में, माननीय नरेन्द्र मोदी जी की डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में, यहां अभी की स्थिति में न तो हमारे पास पर्याप्त वित्त पोषण है, न स्वास्थ्य कर्मी है, न पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहां रोगियों के अनुपात में चिकित्सक भी नहीं है। इसके बावजूद भी मेरा लक्ष्य है कि स्वास्थ्य में वन हेल्थ दृष्टिकोण की ओर आगे बढ़ते हुए, जिस दिन अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को अमीरों जैसा समृद्धतम स्वास्थ्य सुविधा दे पाने का सपना पूरा होगा, उस दिन यह लगेगा कि हम लोगों के काम का मिशन सफल हो गया। जिस दिन सरकारी अस्पतालों की दिवारों में सीलन मुक्त होगी, जिस दिन रोगी का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा, हमारे पास उसके देखभाल के

लिए सुविधा होगी, जिस दिन हॉस्पिटलों में व्ही.आई.पी. लोगों की थाली जैसा भोजन हम दे पाएंगे, उस दिन यह स्वास्थ्य का जो हमारा अभियान है, यह पूरा होगा। जिस दिन मरीज अपनी कौंसलिंग के लिए आशा भरी नजरों से सरकारी हॉस्पिटलों की ओर देखेंगे, जिस दिन कोंटा से तातापानी तक और मोहला से सोहेला तक एक एनर्जेटिक और पॉजिटिव एटीट्यूट के डॉक्टर, हॉस्पिटल, स्टाफ, ओ.पी.डी. की सुविधाएं होंगी। उस दिन मेरा संकल्प पूरा होगा। मैंने रूकना और थमना नहीं सीखा है। इसलिए उम्मीद का बजट बनाना, इसे लागू करना और पहल करना, यह मेरा पहला कदम होगा।

"तट पर बैठे-बैठे तेरे हाथ वहां कुछ आएगा।
रत्न मिलेंगे तुझको अब सागर के तह में जाएगा।
कुछ न आये हाथ में तो समझना डुबकी अभी अधूरी है
चाहे कितनी भी मुश्किल हो, पहला कदम जरूरी है।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं, आपके समक्ष विभागवार अपने विषयों की जानकारी प्रस्तुत करता हूँ। मुझे स्वास्थ्य के ही दो विभाग और 20 सूत्रीय विभाग का जिम्मा है। मैं इस बजट से पूर्व पिछले 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और 5 सालों के पिछले कार्यकाल का थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन बताता हूँ, चूंकि माननीय सदस्य काफी नये और थोड़े जागरूक भी है इसलिए मैं यहां थोड़ी जानकारी रखना चाहूंगा। जब पिछले 15 सालों में डॉ. रमन सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। मैं तब की स्थिति बताना चाहूंगा कि उस समय स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे प्रदेश में न तो कोई स्वास्थ्य की सुविधा थी, मेडिकल कॉलेज की स्थिति लगभग दो थी, यहां एक भी एम्स नहीं था। जिला अस्पताल आधे अधूरे थे, प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र नहीं थे, यहां बहुत कम संख्या में थे, लेकिन 15 सालों में जिस प्रकार से हमारी सरकार ने इस छत्तीसगढ़ में एक गरीब व्यक्ति के आत्मविश्वास जीतने का प्रयास किया, पूरे प्रदेश में मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल और सरकारी अस्पतालों में जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के आयुष्मान भारत और आरोग्य जन योजना का लाभ इस छत्तीसगढ़ प्रदेश को मिला। 108 संजीवनी एक्सप्रेस का संचालन हुआ, हमने 102 को महतारी एक्सप्रेस प्रारंभ किया, जिससे हमारे प्रदेश की माता-बहनों और गरीब जनता को लाखों की संख्या में ईलाज का लाभ मिला। आज तक वही योजनाएं इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में चल रही हैं। आज मैं, आपके सामने उस विशेष योजना को रखना चाहूंगा। 14 अप्रैल, 2018 का दिन है उस समय आप मुख्यमंत्री के रूप में थे और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी थे। भारत के दूरस्थ अंचलों के लिए जो योजनाएं हैं, पूरे देश और बस्तर के सुदूर क्षेत्र में एक जांगला नाम का ग्राम है वहां से उन्होंने इस योजना की शुरूआत की थी और इस योजना का नाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से प्रचलित था। जिसके अंतर्गत प्रदेश में 5373 उप स्वास्थ्य केन्द्रों और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को उन्नयन करके, आयुष्मान आरोग्य मंदिर में करने का किसी ने काम किया है तो हमारी पिछली सरकार ने किया

था। आज उसका सुपरिणाम है कि नीचे से नीचे तबके में वहां एक वार्ड आया, नर्स, एक ग्रामीण चिकित्सक, डॉक्टर मिलते हैं। इसी प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने पी.एम. जनमन योजना के रूप में पिछड़ी जनजाति परिवारों के लिए कई योजनाएं चालू की हैं जिसमें अगर उनकी 100 लोगों की बस्ती है तो वहां उनके घरों तक सड़क पहुंचाना, उनके लिए पक्का मकान बनाना, पेयजल की सुविधा बनाना और इसी कड़ी में स्वास्थ्य की दिशा में पूर्ण रूप से सर्वसुविधायुक्त उनके घरों तक हॉस्पिटल के रूप में एक बस जायेगी और वहां खड़े होकर उनका ईलाज करेगी, सभी चेकअप करेंगे, दवाईयां देंगे और उनकी बीमारी का निदान करेंगे। इस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ में 57 नई मोबाईल मेडिकल यूनिट की इस बजट में स्वीकृत प्रदान की गई है जिससे हमारे गांव के दुरस्थ अंचलों के जरूरतमंद परिवारों को लाभ मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में वर्ष 2003 में जहां 2 मेडिकल कॉलेज थे, वहीं विगत हमारी 15 साल की सरकार में 10 मेडिकल कॉलेज हो गये। प्रदेश में हालत यह है कि हमारे कामों का केवल पत्थर लगाने का काम हुआ है। यदि विश्वास नहीं है तो कोई अंबिकापुर जाकर देख ले। हमने जो हमारे समय में मेडिकल कॉलेज चालू किया था, उसमें पिछली सरकार के द्वारा पत्थर लगाने के अलावा कोई काम नहीं हुआ। अंबिकापुर में मुझे कहते हुए दुःख हो रहा है, मैं सरगुजा से आता हूं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री भी उस समय सरगुजा के थे। लेकिन आज भी अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल पैसों के अभाव में सालों से अधूरा है। उसके लिए भी 119 करोड़ रुपये की राशि इस बजट में दी गई है। सरगुजा के पहले मेडिकल कॉलेज का भवन बनेगा। (मेजों की थपथपाहट) हमने हमारी पिछली सरकार में 15 साल के कार्यकाल में हमने कई योजनाओं को बढ़ाया था। वर्ष 2003 में जहां 513 पी.एस.सी. थे, वह 15 सालों में हमने 280 पी.एस.सी. की और वृद्धि की। राज्य में उप-स्वास्थ्य केन्द्र 3818 थे, उसको हमने 15 साल में 5200 तक पहुंचाया, सीधे-सीधे डेढ़ गुना से ऊपर वृद्धि की थी। 2003 में जहां एक भी नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज नहीं थे, वहां हमने 15 सालों में 124 किये थे। इस प्रकार से ऐसी कई योजनाओं को 15 सालों में विस्तार हुआ था, लेकिन विगत 05 सालों में कोई भी विकास नहीं हुआ। हमारे ग्रामीण अंचलों में काफी सदस्यों ने मेडिकल कॉलेज की भी मांग की है। चूंकि मेडिकल कॉलेज खोलना केन्द्र का विषय होता है और केन्द्र से अनुमति मिलती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि पूरे जिलों में एक-एक मेडिकल कॉलेज खुले। लेकिन मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए वहां बेड की संख्या, सुविधाओं की संख्या, डॉक्टरों की संख्या आवश्यक होती है। हमने उसी पहल के साथ ऐसे दूरस्थ अंचलों के हॉस्पिटल हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने अपना एक विचार रखा है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो। लेकिन मेडिकल कॉलेज जैसा वातावरण बनाने के लिए प्रदेश के ऐसे 6 हॉस्पिटलों को "आदर्श जिला हॉस्पिटल" में उन्नयन कर रहे हैं। उसमें सभी प्रकार की सुविधायें देंगे। उसको एक पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में कर रहे हैं। जिसमें सरगुजा संभाग का कोरिया जिला, गरियाबंद के

हमारे विधायक जी मांग कर रहे थे, माननीय धर्मजीत जी सुपेबेड़ा क्षेत्र के बारे में बोल रहे थे कि वहां सुविधाओं की आवश्यकता है तो उसके लिए हमने गरियाबंद को लिया है। वहां स्वास्थ्य सुविधायें विकसित हो सकें। हम वहां भविष्य में मेडिकल कॉलेज स्थापित कर सकें। उसके लिए एक वातावरण तैयार कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे ही हम कवर्धा में कर रहे हैं। मुंगेली में माननीय पुन्नूलाल मोहले जी के क्षेत्र में हम लोग कर रहे हैं। ऐसे सभी संभागों में हमने रायगढ़ को भी लिया है। इस प्रकार से हम प्रदेश के 6 जिला चिकित्सालय को एक आदर्श जिला चिकित्सालय के रूप में उन्नयन कर रहे हैं, इसके लिए भी हमने बजट का प्रावधान किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकारों ने जिला तो बनाया लेकिन जिला के अलावा कागज में उसने कुछ भी नहीं दिया। कहीं आई.टी.आई. में जिला कार्यालय चल रहा है, कहीं प्राथमिक शाला में जिला हॉस्पिटल चल रहा है, कहीं प्राइवेट भवन में चल रहा है। लेकिन हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार ने पूरे जो 5 नये नवीने जिले बने हैं, सक्ती, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़, इन पांचों जिलो में मुफ्त चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के लिए 165 पद का सृजन के साथ उसको हमने नया किया है। इसी प्रकार से हमने मनेन्द्रगढ़ और कुनकुरी में 20 बेड का नया हॉस्पिटल दिया है ताकि हम उन ट्राईबल क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की सुविधाओं को बढ़ा सकें। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी बजट में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खड़गवां, यह मेरे स्वयं के गृह ग्राम का ब्लॉक है। लेकिन कोई यह मत समझे कि मैं स्वास्थ्य मंत्री हूं तो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन कर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मैं विभागीय समीक्षा कर रहा था तब अपने अधिकारियों से पूछा तो उन्होंने बोला कि हमारे यहां पूरे ब्लॉक मुख्यालय में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है। लेकिन मैंने कहा कि मैं स्वयं स्वास्थ्य मंत्री हूं और मेरे ब्लॉक में नहीं है, इसलिए उसका उन्नयन किया है और मुझे यह लगता है कि यह छत्तीसगढ़ का पहला ही ब्लॉक मुख्यालय होगा जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं था। इसलिए हमने खड़गवां को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन किया है। इसी प्रकार से जो उच्च न्यायालय है। चूंकि माननीय न्यायधीश और उनके परिवार भी हमारे एक महत्वपूर्ण कार्य में देश के लिए लगे रहते हैं और वह आम जनता से सेपरेट ही रहना चाहते हैं और ऐसी परंपरा रही है। इसलिए हमने इस बजट में माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में उनके आवासीय परिसर के अंदर नई सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने निर्णय लिया है। इसी प्रकार से हमने कुरूद के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को 50 बिस्तर से 100 बिस्तर में उन्नयन किया है। स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने की दृष्टि से इस बार प्रदेश में 18 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोड़ा, खाम्ही, अखरार, डिनडोरी, जिला मुंगेली, गोलावन, जिला कोण्डागांव, कोरियाकाल्दी, ग्राम सेवारी, जिला बलरामपुर, ग्राम पोड्डा गुफा एवं चिंतापुर, जिला बस्तर, ग्राम मुरमा, जिला बैकुण्ठपुर, ग्राम पंचायत कदरेगा, ग्राम पेटामारा, ग्राम गंजियाडीह, ग्राम केराडीह एवं सीरमकोला, जिला

जशपुर के साथ-साथ इन जगहों में बहुत ही रिपोट एरिया है। इनमें स्वास्थ्य केन्द्र बहुत सख्त जरूरत थी और इसमें 18 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलना था, इसलिए हमने ऐसे 18 जगहों में प्राथमिक शोध का उन्नयन किया है जो बस्तर के क्षेत्र, जशपुर के क्षेत्र में अति आवश्यक था, वहां हमने नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का काम किया है। साथ ही साथ इस बजट में रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, जगदलपुर के एयरपोर्टों में विश्वास केन्द्र खेलना का प्रस्ताव लिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि 6 जिला अस्पताल, जिनमें गरियाबंद, कवर्धा, मुंगेली, रायगढ़, बैकुण्ठपुर और नारायणपुर है। मैं नारायणपुर जिला का नाम नहीं ले पाया था। अध्यक्ष महोदय, वैसे जब आप मुख्यमंत्री थे। मैं अभी बस्तर गया था। मेरे मन में कल्पना थी कि वहां स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत पिछड़ी होगी, लेकिन मैं जितने जिलों में गया था, मैं सुकमा जिला गया तो मेरे को वहां सबसे अच्छा व्यवस्था लगा, फिर मैंने पता किया तो पता चला कि पूरे बस्तर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जब आप मुख्यमंत्री थे तो वहां कनेक्टिविटी, शिक्षा और स्वास्थ्य में बड़ा काम हुआ है और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, लेकिन हम नारायणपुर का जिला अस्पताल को एक मॉडल जिला अस्पताल के रूप में उन्नयन कर रहे हैं। यह हमारे लिए बड़ा सौभाग्यश का विषय होगा। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी काफी सदस्यों ने नशामुक्ति के लिए भी सुझाव दिया। आज के युवा पीढ़ी गांजा, शराब, नये-नये प्रकार के जो नशीली दवाईयां और तमाम ऐसे दवाओं का भी सेवन कर लेते हैं, जिससे न केवल उनका शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक संतुलन भी बिगड़ रहा है। हमने इस बजट में एक प्रयास शुरूआत किया है कि एक मनोरोग के दृष्टि से और मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रदेश के सभी शहरी स्वास्थ्य केन्द्रों में, जिनमें ऐसे लोग जो वात रोग से पीड़ित हैं, जो नशे में जी रहे हैं, ऐसे लोगों के काउंसलिंग और परामर्श के लिए उसमें एक फीजियोथेरेपिस्ट, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ एवं नशा मुक्ति काउंसलिंग के साथ योगा परामर्श देने के उद्देश्य से हमने इस बजट में शामिल किया है ताकि आने वाले समय में स्वस्थ युवा निकल सके। अध्यक्ष महोदय, चूंकि हम अपनी पीठ अपने हाथ से नहीं थपथपा सकते हैं, उसके लिए प्रमाण देना पड़ता है। उसके लिए हेल्थ की दृष्टि में राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक होता है । माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने इस बार प्रदेश में एक बड़ा लक्ष्य लिया है । 12 जिला अस्पताल को और 95 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को हमने केंद्र के राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक में शामिल किया है ताकि जो स्टेण्डर्ड हेल्थ सेंटर हैं उनको हम चैलेंज के साथ पूरा कर सकें इसके लिये हमने बजट में 12 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है । जरूरत पड़ेगी तो अभी अनुपूरक बजट में और लेंगे लेकिन मानक में छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य खरा उतरेगा । इसी प्रकार से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चूंकि लैब टेक्निशियन की बहुत दिक्कत आती है और जब तक हम बीमारी डिटेक्ट नहीं करेंगे, कितने ही डॉक्टर क्यों न हों तो हम उसकी दवाई क्या देंगे ? इसलिये ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में हमने 393 लैब टेक्निशियन की पोस्ट का इसमें सृजन किया है जिससे गांव-गांव में

लोगों के खून, मूत्र इत्यादि की जांच हो पायेगी । (मेजों की थपथपाहट) बीमारी का परीक्षण हो पायेगा और लोगों को लाभ मिलेगा ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे समय का ही हमने जो आयुष्मान कॉर्ड प्रारंभ किया था । उसको माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कॉर्ड जो प्रारंभ किया है, उसको शहीद वीरनारायण जी जो हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सैनानी और हमारे जनजाति समाज के गौरव हैं उनके नाम से शहीद वीरनारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना हम चालू कर रहे हैं । (मेजों की थपथपाहट) उसमें 5 लाख रूपये तक के लोगों के ईलाज की सुविधा होगी और काफी सदस्यों ने चिंता जाहिर की है लेकिन मैं इस सदन में जिम्मेदारी से यह आश्वासन दे रहा हूं, मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि अब भारतीय जनता पार्टी के माननीय विष्णुदेव साय जी नेतृत्व में कोई भी व्यक्ति आयुष्मान कॉर्ड लेकर जायेगा, जिस बीमारी के लिये वह ईलाज होगा, जिस हॉस्पिटल में उसका रजिस्ट्रेशन होगा, हॉस्पिटल वाले को पूरे के पूरे ईलाज के साथ उसका ईलाज करना होगा । (मेजों की थपथपाहट) मरीज का एक रूपया नहीं लगेगा । यदि कोई ऐसा करते हुए पाया गया तो हम उसका लाईसेंस कैंसिल कर देंगे, उसकी रिकवरी करेंगे और उसके हॉस्पिटलों को सीज कर देंगे । मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं । (मेजों की थपथपाहट) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि आने वाले समय में हम इसके लिये 5 राज्यों में चूंकि मैंने जिस दिन स्वास्थ्य विभाग की पहली बैठक ली और मैं जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं । मैं जानता हूं कि आयुष्मान का लाभ किस प्रकार से पिछले समय में एक बड़ा यानी यहां किस प्रकार से चल रहा था तो 5 राज्यों में हमने टीम भेजने का निर्णय उसी दिन लिया था । उसमें 5 राज्य केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्यप्रदेश और दिल्ली ऐसे राज्यों की हमने आयुष्मान की समीक्षात्मक रूप से पूरी रिपोर्ट मंगवा ली है । उसको जल्द ही नये रूप में, आम जनता को कैसे सुलभ अच्छा हो सके, आम जनता को कैसे उन बड़े हॉस्पिटलों में भी ईलाज मिल सके । उसके लिये हम लोग जल्दी ही नयी पॉलिसी लाकर आम जनता को देंगे इसके लिये 1424 करोड़ रूपये का प्रावधान है और इसमें जितने भी पैसे की आवश्यकता होगी उसे माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार देगी । यह टोकन के रूप में हमने रखा है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य के साथ-साथ हम लोग स्वास्थ्य सुविधाओं की बढ़ौत्तरी में ध्यान दे रहे हैं । चूंकि आमजन की भाषा में स्वास्थ्य और जो चिकित्सा शिक्षा है, दोनों एक ही लगते हैं लेकिन चूंकि दोनों अलग-अलग हेड हैं इसलिये मैं उसका अलग से ही जिक्र कर रहा हूं । हमने चुनाव में भी घोषणा-पत्र में माननीय नरेन्द्र मोदी जी की गारंटी के रूप में यह कहा था कि हम हर संभाग में एम्स के जैसा सुविधा वाला सिम्स बनायेंगे तो हमने उस दिशा में कदम बढ़ा दिया है। मुझे सदन को बताते हुए बहुत हर्ष है कि माननीय नरेन्द्र मोदी जी की गारंटी के रूप में हमने 4 संभागों में उसकी तैयारी कर ली है और उसमें पहला जो हमने कहा था सरगुजा संभाग में, चूंकि मैंने अभी केवल हॉस्पिटल की चर्चा

की थी । हॉस्पिटल को तो बनायेंगे ही उसके लिये 118 करोड़ रूपये हमने बजट में प्रावधान किया है लेकिन एम्स की तर्ज में Institute of Medical Science Super Speciality चिकित्सालय अंबिकापुर में बनाने जा रहे हैं । (मेजों की थपथपाहट) उसके लिये अभी 50 करोड़ रूपये का हमने इस बजट में प्रोविजन किया है । इसको सर्वसुविधायुक्त बनायेंगे क्योंकि वह बॉर्डर ईलाका है । झारखण्ड, मध्यप्रदेश और यू.पी. से भी लगता है। वहां 400 किलोमीटर तक कोई हॉस्पिटल नहीं है। इसलिए सरगुजा के लिए एक बड़ी गारंटी पूरी कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार बिलासपुर संभाग में जिसको बड़े विस्तार से माननीय धर्मजीत सिंह जी ने उल्लेख किया, मैं ध्यान से सुन रहा था कि किस प्रकार से माननीय अजीत जोगी जी का सपना था और आगे हॉस्पिटलों का लोड बढ़ता गया, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, उसे माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सोच के अनुरूप उसमें जो आप सोच रहे थे कि हॉस्पिटल अलग बनेगा। मेडिकल कॉलेज अलग बनेगा। रहेगा एक ही जगह। एकदम टोटल फेयर होंगे और आपके मन में जैसा है वैसे ही बनने जा रहा है। दूसरा, सिम्स की गारंटी बिलासपुर संभाग में पूरा करने जा रहे हैं। उसके लिए 700 करोड़ रूपये का बजट में प्रावधान किया है। (मेजों की थपथपाहट) इसी प्रकार से रायपुर की चिंता हमारे वरिष्ठ मंत्री माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी भी मेरे से कर रहे थे। हमारे विधायकगण भी हमसे कर रहे थे। सभी लोगों की चिंता है। यह राजधानी रायपुर हमारे पूरे प्रदेश का, हम लोगों का एक केंद्र है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आखिरी में विश्वास रहता है कि रायपुर में हमारा इलाज होगा, लेकिन जैसे कि हमारे सदस्य चिंता कर रहे थे कि एक ओर जहां 25 लाख का हॉस्पिटल और एक ओर जहां हमारा 25 करोड़ का हॉस्पिटल, हम बौने नजर आते हैं। इस बात की मुझे मंत्री बनने के साथ पीड़ा हुई कि आज हम रेफर सेंटर बनकर रह जा रहे हैं, लेकिन मैंने संकल्प लिया है कि जो जिस स्तर का हॉस्पिटल होगा, वहां रेफर नहीं होगा, वहीं हम इलाज करायेंगे। (मेजों की थपथपाहट) इसके लिए सतत् प्रयास करेंगे। चूंकि रायपुर में साढ़े 600 बेड हैं, 700 बेड माननीय सदस्यगण बोल रहे थे। अभी हमारे माननीय पुरंदर मिश्रा जी बोल रहे थे, इनकी चिंता थी और सारे सदस्यों ने चिंता की है । अब हम साढ़े 600 से 1200 बेड करने जा रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट) इसके लिए 778 करोड़ रूपये की राशि के साथ मेकाहारा में नया भवन बनेगा। वहां बेड संख्या बढ़ेगी। मरीज के अटेंडर्स के रहने के लिए होगा और हमारा प्रयास होगा कि पूरे छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख हॉस्पिटलों में से एक हो और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे पास धनराशि की कमी नहीं है। वहां पर जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी, जिन मशीनों की भी आवश्यकता होगी, मैं दो बार मेकाहारा जा चुका हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे विधायकों को भी आमंत्रित करता हूं कि आप लोग पूरे परिवार सहित वहां इलाज कराइए। वहां एम्स जैसी सुविधा देने का हम विचार कर रहे हैं। आप लोग जो भी सलाह देंगे, सारे उपकरण और मशीन हम लोग वहां देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से हमारा जो बस्तर संभाग है चूंकि मन में लगता है कि पिछड़ा है, लेकिन मैं देख आया हूं और इसलिए

आत्मविश्वास भी है । वहां हम चौथा सिम्स की तर्ज पर शुरू करने जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके ही कार्यकाल में चालू हुआ था, जो सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल है, वह आज तक वैसी ही है। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि 6 महीने के अंदर हम जगदलपुर के सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल को चालू करने जा रहे हैं और मोदी जी की गारंटी के अनुरूप संभाग का यह चौथा सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल है, 6 महीने के अंदर प्रारंभ करने जा रहे हैं।

श्री बघेल लखेश्वर :- एक मिनट।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- जी सर, बोलिए।

श्री बघेल लखेश्वर :- इतना बड़ा काम कर रहे हैं और पुण्य का काम कर रहे हैं। मेरा आपसे एक निवेदन है कि मानसिक चिकित्सालय भी खोल देते तो अच्छा रहता।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चलिए आपने बोल दिया तो बताना चाहूंगा कि हमने सेंद्री के मानसिक चिकित्सालय को विशेष priority में लिया है। (मेजों की थपथपाहट) और वहां हमारे अधिकारियों को दो बार दौरा हो चुका है। मैं आपके जगदलपुर में और चिरमिरी में क्योंकि ये दो संभाग में उधर हो जायेगा और रायपुर में इन 3 जगहों पर हम केन्द्र से मांग किये हैं और केन्द्र सरकार अगर मंजूरी नहीं भी देगी तो आने वाले समय में मानसिक चिकित्सालय खोलेंगे। (मेजों की थपथपाहट) चूंकि प्रदेश में बहुत मानसिक अवसाद बढ़ रहा है। वैसे माननीय केन्द्रीय मंत्री जी से मैंने मांग की है कि केन्द्र सरकार उसमें देगी, यदि नहीं भी होगी तो आगे बजट में हम उसे करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे डी.के.एस. सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल, ये हम लोगों के लिए सुपर स्पेशिलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केन्द्र है। यहां के चिकित्सकों की रहने की मांग थी, जब मैं वहां दौरे में गया था । चूंकि कई सदस्यों ने चिंता जाहिर की है कि हमें अगर डॉक्टर को स्थायी करना है तो उनके रहवास की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसलिए उनके आवासीय हॉस्टल के लिए, डॉक्टरों के रहने के लिए 16 करोड़ 30 लाख रूपये की इस बजट में हमने मांग की है और यह हमारे लिए बड़ा काम होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से अभी अखबारों में और टी.वी. में सुनते होंगे कि ड्रोन दीदी बनने जा रहे हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी हमारा यह सौभाग्य है कि अंबिकापुर का राजमाता देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में ड्रोन सेवा के लिए पायलट प्रोजेक्ट में भारत सरकार ने इसको शामिल किया है । आप सभी सदस्यों को यह बताना चाहूंगा कि यह ड्रोन टेक्नॉलॉजी रिमोट एरियाज़, जहां गाड़ियों की सुविधा कम है, समय ज्यादा लगता है जैसे लखनपुर से अंबिकापुर आने में एक से डेढ़ घंटा लग जाएगा, जबकि हाईवे रोड है, यदि जाम होगा तो दो घंटे भी लग सकते हैं । उसके लिए ड्रोन से ही ब्लड और अन्य सेम्पल हॉस्पीटल्स से जांच केन्द्रों तक आएंगे । उसका रेंज अभी 40 किलोमीटर है । अगर यह सफल हो जाता है, हमारे विभाग के लोगों ने भारत सरकार के लोगों के साथ ट्रायल कर लिया है और वह सफल है, हम उसी टेक्नॉलॉजी का बस्तर

और सरगुजा क्षेत्र में उपयोग करके ड्रोन सिस्टम को लागू करेंगे (मेजो की थपथपाहट) यूज ऑफ ड्रोन टेक्नॉलॉजी इन हेल्थ सर्विस । अध्यक्ष महोदय, चूंकि एक विभाग पर और चर्चा होनी है, इसलिए संक्षिप्त करूंगा । मैं सदन में एक चीज और बताना चाहता हूं । डॉक्टर्स के रहने के लिए हम आने वाले बजट में पूरी प्लानिंग के साथ, माननीय सदस्यों ने नीचे से नीचे स्तर की चिंता की है, उनके रहने के लिए व्यवस्था करेंगे । क्योंकि जब तक मकान नहीं होगें तब तक डॉक्टर वहां नहीं रहेंगे । डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, हम उनकी तनख्वाह और मानदेय की भी चिंता कर रहे हैं । किस रूप में, जो उनकी इच्छा हो, जैसा कि वे प्रायवेट में प्राप्त करते हैं, ऐसा करेंगे। यदि इसके बावजूद भी नहीं मिलते हैं तो मैं आपके सामने बोलना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में रोबोट टेक्नॉलॉजी से रोबोट डॉक्टर लाकर यहां के लोगों का इलाज कराऊंगा, उस दिशा में मैं जल्द ही प्रयोग करने जा रहा हूं (मेजो की थपथपाहट) छत्तीसगढ़ में रोबोट टेक्नॉलॉजी से भी आने वाले समय में इलाज होगा ।

श्री विक्रम मंडावी :- मंत्री जी, ये रोबोट वाली बात बता रहे हैं, यह कब तक हो जाएगा ?

श्री श्यामबिहारी जायसवाल :- रोबोट वाला, हम पायलट प्रोजेक्ट में जल्द ही ला रहे हैं । यदि आचार संहिता देर से लगी तो उसके पहले ही मंजूरी करेंगे । वहां दिल्ली और विदेश से लोगों से बात कर ली गई है उनको हमने डेमोस्ट्रेशन के लिए बुलाया है । हम वही बोलते हैं जो कर सकते हैं और भगवान न करे आपको जरूरत हो लेकिन आप देखिएगा रोबोट टेक्नॉलॉजी चालू होगी ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप बहुत ज्यादा उत्साहित हो रहे हैं, किसको रोबोट की जरूरत है ?

श्री विक्रम मंडावी :- मंत्री जी बता रहे हैं इसलिए पूछ रहे हैं कि कब तक हो जाएगा ।

श्री श्यामबिहारी जायसवाल :- अध्यक्ष महोदय, आयुष चूंकि हमारे भारत की बहुत ही प्राचीनतम् पहचान है । अध्यक्ष महोदय, मेडिकल एज्युकेशन में एक बड़ी चीज छूट गई थी । अध्यक्ष जी, हम लोगों ने पिछले कार्यकाल के 15 सालों में जो मेडिकल कॉलेज खोले थे उसको चालू किया था, कुछ काम किया । लेकिन पिछली सरकार ने 4 मेडिकल कॉलेज केवल मंत्र पढ़ने जैसी घोषणा की थी । मनेन्द्रगढ़, जांजगीर-चांपा, कबीरधाम और दंतेवाड़ा । ये कहीं धरती पर नहीं था, पता नहीं कौन से कागज पर था। चूंकि ये महत्वपूर्ण मेडिकल कॉलेज थे । सरकार गठन के बाद हमने जमीन खोजना शुरू किया और तीन जगहों पर हम जमीन खोज पाए हैं । अभी भी दंतेवाड़ा क्षेत्र के माननीय विधायक होंगे तो जमीन को जल्दी करवाइए ।

श्री धर्मजीत सिंह :- जहां जहां उन्होंने मेडिकल कॉलेज की घोषणा की, सब जगह विधान सभा का चुनाव हार गए हैं ।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- जांजगीर जीते हैं और पूरी 6 विधान सभा जीते हैं।

श्री चैतराम अटामी :- दंतेवाड़ा की जमीन मैं बहुत जल्दी दे दूंगा, जैसे ही जाऊंगा ।

श्री श्यामबिहारी जायसवाल :- क्योंकि जनता जान चुकी थी । लेकिन मैं आज सदन में घोषणा करना चाहता हूं कि मनेन्द्रगढ़, जांजगीर-चांपा, कबीरधाम और दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज खुलेंगे और इनके लिए 50-50 करोड़ रूपए इस बजट में हम लाए हैं (मेजो की थपथपाहट) । उसके लिए आचार संहिता के पहले ही टेंडर लगाने जा रहे हैं । इसको चालू करेंगे ।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- धन्यवाद् मंत्री जी ।

श्री श्यामबिहारी जायसवाल :- आप लोगों के नहीं, हमारे ही कार्यकाल में हम फीता काटें, इस दृष्टि से काम करने जा रहे हैं ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय मंत्री जी बालोद जिले में भी एक दे देते, वहां भी नहीं है ।

श्री श्यामबिहारी जायसवाल :- आपके बालोद जिले के लिए भी एस्टीमेट है, अलग सब बताऊंगा ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- जी ।

श्री श्यामबिहारी जायसवाल :- अध्यक्ष महोदय, आयुष चिकित्सा पद्धति भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति रही है । मैंने जैसा शुरू में कहा चरक, सुश्रुत, पतंजलि ऐसे महान आयुर्वेदाचार्य हुए । जिनका कीर्तिमान पूरे विश्व में रहा । चूंकि आयुर्वेद एक ऐसी पद्धति है जो बीमारी को जड़ से खत्म कर देता है और आप भी उसके डॉक्टर रहे हैं । इसलिए मैं आपके इतना तो नहीं जानता लेकिन मेरी इच्छा यह थी कि कम से कम आयुर्वेद का इस राज्य में विस्तार हो और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए पहल कर रहे हैं। इसके लिए हमने 442 करोड़ का प्रावधान किया है। यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस बजट में हमने 7 आयुर्वेदिक चिकित्सालय, 12 आयुष पॉली क्लीनिक और 692 आयुष औषधालयों को जनभागीदारी के माध्यम से उन्नयन करने जा रहे हैं। इसके लिए 212 लाख का बजट में प्रारंभिक प्रावधान किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय बिलासपुर के भवन निर्माण के लिए 100 लाख का प्रावधान किया है। इसी प्रकार से सूरजपुर जिला में 100 बेड का आयुष पॉली क्लीनिक प्रारंभ करने जा रहे हैं, इसके लिए 131 लाख का प्रावधान है। हम चार आयुर्वेद जिला कार्यालय भी खोलने जा रहे हैं। इसमें चिरमिरी, मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, सूरजपुर, कोण्डागांव एवं बलरामपुर में स्थापना करने जा रहे हैं, इसके लिए 129 लाख का प्रावधान किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 15 साल बाद हम छत्तीसगढ़ में 6 नये आयुर्वेदिक औषधालय खोलने जा रहे हैं। ग्राम-रतनपुर विकासखंड खरगवां जिला-कोरिया, ग्राम-सेमरिया, विकासखंड आरंग, जिला-रायपुर, ग्राम-निकुम विकासखंड जिला-दुर्ग, ग्राम-चित्रकोट, विकासखंड डौंडीगुड़ा जिला-बस्तर में खोलने जा रहे हैं जिससे आमजन को इससे लाभ मिलेगा। साथ ही जो सुपेबेड़ा है, फिर से नाम है, वहां हम आयुर्वेदिक औषधालय खोल रहे है ताकि वहां स्थायी रूप से ब्लड से संबंधित, किडनी से संबंधित जो ईलाज है, वहां लोगों को सर्च कर सके, हम उनको सुविधा दे सकें। इसी प्रकार से ग्राम रैरूमाखुर्द, विकासखंड धरमजयगढ़, जिला रायगढ़ में खोलने जा रहे हैं। इसी प्रकार से राज्य के 13 जिलों में आयुष पॉली

क्लीनिक हेतु चिकित्सीय उपकरण क्रय किये जाने हेतु 195 करोड़ का प्रावधान है। इस प्रकार से हमारे बजट में सभी चीजों का समावेश है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ में माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में बजट की कोई कमी नहीं है, हम लोग मिलकर इस छत्तीसगढ़ को गढ़ने का, संवारने का काम करेंगे, जिस उद्देश्य के साथ माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। हम लोग संवारने का काम करेंगे।

श्री रिकेश सेन :- माननीय मंत्री जी, मेरा विधान सभा छूट गया है, मेरा बी.पी., शुगर बढ़ गया है। अभी तक आपने घोषणा नहीं की है।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि इतना काम है, मुझे लगता है कि..।

श्री रिकेश सेन :- नहीं-नहीं, वह काम आवश्यक है।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- मैंने सभी कामों को लिख लिया है।

श्री रिकेश सेन :- आप एक बार बोल देते। वैशाली नगर विधान सभा बहुत बड़ा विधान सभा है। लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल को 100 बिस्तर करना है।

अध्यक्ष महोदय :- आपने बोल दिया, मंत्री जी ने नोट कर लिया।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- अध्यक्ष महोदय, एक दो सदस्यों की घोषणा करना ठीक नहीं है। मैं परीक्षण कर लूंगा। बजट की उपलब्धता और आवश्यकता अनुरूप इसकी घोषणा करूंगा। मैं एक चीज की घोषणा करने जा रहा हूं। इसमें बजट में नहीं आ पाया है। इसको लेंगे। रायपुर से बिलासपुर हाईवे में कोई भी ट्रामासेंटर नहीं है। इसके लिए जहां भी आवश्यकता होगी, मैं ट्रामासेंटर खोलने की घोषणा करता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

श्री अनुज शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा, मैं जमीन देख चुका हूं, मैं 10 एकड़ जमीन की व्यवस्था कर चुका हूं, आप हमारे धरसींवा में दे दीजिए। नेशनल हाईवे पर जमीन है।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- हम लोग उसका परीक्षण करेंगे। बाकी सभी सदस्यों की जो मांग है, उसका परीक्षण कर बजट के अनुसार व्यवस्था करेंगे।

श्रीमती रायमुनी भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जशपुर गये थे तो मेडिकल कॉलेज की घोषणा की थी, मैं चाहूंगी कि जशपुर में भी एक मेडिकल कॉलेज हो।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- अभी जशपुर को 220 बेड दिए हैं। उसका आगे करेंगे।

श्रीमती रायमुनी भगत :- कुनकुरी कर लिए, जशपुर दीजिए। पंडरापाट से दूर पड़ जाता है।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- चलिए आएंगे तो उसको देखेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अंत में माननीय अटल जी के उन पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा जो इस छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता हैं।

पुष्प कंटकों में खिलते हैं, दीप अंधेरों में जलते हैं।
आज नहीं, प्रह्लाद युगों से, पीड़ाओं में ही पलते हैं।।
किन्तु यातनाओं के बल पर, नहीं भावनाएँ रूकती हैं।
चिता होलिका की जलती है, अन्याय कर ही मलते हैं।
भरी दुपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा।।
अंतरतम का नेह निचोड़ें, बुझी हुई बाती सुलगाएँ।
आओ फिर से दिया जलाएँ, आओ फिर से दिया जलाएँ,
आहुति बाकी यज्ञ अधूरा।। अपनों के विघ्नों ने घेरा,
अंतिम जय का वज्र बनाने। नव दधीचि हड्डियां गलाएँ,
आओ फिर से दिया जलाएँ, आओ फिर से दिया जलाएँ । (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- बहुत बढ़िया।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैंने प्रयास किया कि मैं पूरा कर सकूं। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- मैं पहले कटौती प्रस्तावों पर मत लूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि मांग संख्या - 19 एवं 79 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जायें।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय :- अब मैं मांगों पर मत लूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

मांग संख्या - 19 **लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिये -** चार हजार चार सौ तेरह करोड़, सोलह लाख, पांच हजार रूपये,

मांग संख्या - 79 **चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय के लिये -** एक हजार सात सौ अठासी करोड़, छियासी लाख, बारह हजार रूपये तथा

मांग संख्या - 50 बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय के लिये - चार करोड़, उनचास लाख, पैंतीस हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में स्वीकृत राशि के अनुदान की मांगों के बारे में प्रस्ताव। कृषि मंत्री, श्री रामविचार नेताम जी।

कृषि मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- ठीक है। अभी सब लोग टेबलेट ले रहे हैं। मंत्री जी, आप सबको चूरन बांट दीजिए।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- बांट देते हैं। (हंसी)

श्री रामविचार नेताम :- तहुं ले ले भाई।

अध्यक्ष महोदय :- सदस्यों से आग्रह है कि आप अपने आसन में बैठें। यह परंपरा उचित नहीं है। आप अपने स्थान में मेज थपथपाकर स्वागत कर सकते हैं और बाद में मंत्री जी को बधाई दे सकते हैं क्योंकि मंत्री अपने विभाग की चर्चा के लिए खड़े हुए हैं इसलिए कृपया अपने आसन में बैठें। माननीय कृषि मंत्री, श्री रामविचार नेताम जी। (मेजों की थपथपाहट)

(2) मांग संख्या - 15 अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

मांग संख्या - 33 आदिम जाति कल्याण

मांग संख्या - 41 अनुसूचित जनजाति उपयोजना

मांग संख्या - 42 अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल

मांग संख्या - 49 अनुसूचित जाति कल्याण

मांग संख्या - 53 अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

मांग संख्या - 64 अनुसूचित जाति उपयोजना

मांग संख्या - 66 पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास

मांग संख्या - 68 अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन

मांग संख्या - 82 अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

मांग संख्या - 83 अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

मांग संख्या - 13 कृषि

मांग संख्या - 54 कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय

कृषि मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 31, मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

मांग संख्या - 15 **अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिये -** दो सौ चौदह करोड़, पैंतीस लाख, पांच हजार रूपये,

मांग संख्या - 33 **आदिम जाति कल्याण के लिये -** सात हजार दो सौ बयानवे करोड़, आठ लाख, छिहत्तर हजार रूपये,

मांग संख्या - 41 **अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिये -** इकतीस हजार सात सौ चौबीस करोड़, पनचानवे लाख, उनचालीस हजार रूपये,

मांग संख्या - 42 **अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल के लिये -** एक हजार पांच सौ सोलह करोड़, पैंसठ लाख, दो हजार रूपये,

मांग संख्या - 49 **अनुसूचित जाति कल्याण के लिये -** दो करोड़, पचासी लाख, नब्बे हजार रूपये,

मांग संख्या - 53 **अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिये -** एक सौ तीस करोड़, उनयासी लाख, उनचालीस हजार रूपये,

मांग संख्या - 64 **अनुसूचित जाति उपयोजना के लिये -** दस हजार दो सौ छः करोड़, तिहत्तर लाख, तेईस हजार रूपये,

मांग संख्या - 66 **पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास के लिये -** तीन सौ पांच करोड़, इंक्यानवे लाख, बत्तीस हजार रूपये,

मांग संख्या - 68 **अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन के लिये -** दो सौ सतासी करोड़, सत्तावन लाख, नौ हजार रूपये,

मांग संख्या - 82 **अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिये -** चार सौ तिरपन करोड़, इकतालीस लाख, चौबीस हजार रूपये,

मांग संख्या - 83 **अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिये -** एक सौ पैंसठ करोड़, तिरानवे लाख, तिरसठ हजार रूपये,

मांग संख्या - 13 **कृषि के लिये -** छः हजार नौ सौ अस्सी करोड़, सैंतालीस लाख, पचपन हजार रूपये तथा

मांग संख्या - 54 **कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय के लिये -** चार सौ बीस करोड़, पंद्रह लाख, बीस हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे । कटौती प्रस्ताव की सूची पृथकत: वितरित की जा चुकी है । प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जाएंगे ।

मांग संख्या - 33

आदिम जाति कल्याण

1.	श्री लखेश्वर बघेल	28
2.	श्री इन्द्रशाह मण्डावी	7
3.	श्री कुंवर सिंह निषाद	1
4.	श्री संदीप साहू	2

मांग संख्या - 41

अनुसूचित जनजाति उपयोजना

1.	श्री कुंवर सिंह निषाद	2

मांग संख्या - 49

अनुसूचित जाति कल्याण

1.	श्री कुंवर सिंह निषाद	1

मांग संख्या - 66

पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण

निरंक

मांग संख्या - 13

कृषि

1.	श्री लखेश्वर बघेल	9
2.	श्रीमती संगीता सिन्हा	5
3.	श्री इन्द्रशाह मण्डावी	3

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

4.	श्री कुंवर सिंह निषाद	5
5.	श्रीमती शेषराज हरवंश	1
6.	श्रीमती चातुरी नंद	2
7.	श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल	3
8.	श्री बालेश्वर साहू	1

मांग संख्या - 54

<u>कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय</u>

1.	श्रीमती संगीता सिन्हा	1
2.	श्री कुंवर सिंह निषाद	1
3.	श्रीमती चातुरी नंद	1

अध्यक्ष महोदय :- उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए ।

अब मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी.

श्री लखेश्वर बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, हमारा छत्तीसगढ़ आदिवासी प्रदेश है, इस प्रदेश में सबसे अधिक आदिवासियों की संख्या है । लेकिन मैं देख रहा था कि आदिवासी विभाग के बजट में सबसे कम 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह बड़े दुख की बात है । अब इसमें क्या चर्चा करना ? 2 प्रतिशत के लिए 2 घंटा माथा पच्ची करना ठीक नहीं है । दोनों तरफ से एक-एक, दो-दो सदस्यों को बुलवाकर समाप्त कर देते हैं, यह मेरा निवेदन है ।

श्री रामविचार नेताम :- यह आपका भाषण है क्या ?

श्री लखेश्वर बघेल :- यह मांग है ।

श्री रामविचार नेताम :- हम जवाब देंगे न ।

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची के पद क्रमांक 4 के पद (2) का कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की जाये, मैं समझता हूं कि सभा सहमत है ।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.

श्री विक्रम मण्डावी (बीजापुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के बजट के विरोध में अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है । पूरे देश में छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है । यहां पर खेती किसानी की बात हो, चाहे गांव की बात हो, इसे बड़े स्वरूप में लिया जाता है । मैं बजट प्रतिवेदन पढ़ रहा था । जिस तरह से हमारे वरिष्ठ सदस्य आदरणीय लखेश्वर बघेल जी कह रहे थे कि हमारा प्रदेश आदिवासी बाहुल्य भी है

तो कृषि और आदिवासी विभाग को बढ़-चढ़कर बजट मिलना था, वह बहुत कम बजट मिला है । मैं माननीय मंत्री जी से भी अनुरोध करता हूं कि इन दोनों विभागों को और ज्यादा बजट देने की जरूरत है । माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों की चिन्ता सभी करते हैं । उनकी चिन्ता आज पूरा देश कर रहा है, उनकी चिन्ता पूरा प्रदेश चिन्ता कर रहा है कि किसान कैसे आगे बढ़ें, किसानों को कैस उचित मूल्य मिले, उन्हें कैसे एम.एस.पी. सपोर्ट मिले, यह चिंता पूरा प्रदेश और देश कर रहा है। इसी बात को लेकर हमारी पिछली सरकार ने पिछले 5 साल के शुरूआती साल में ही किसानों पर जोर दिया था। किसानों को केन्द्र में रखकर 2500 रूपया धान का समर्थन मूल्य देने का वादा किया था, और 2500 रूपया समर्थन मूल्य दिया था। आप देख रहे होंगे कि पिछले 5 सालों में किसानों की जिस प्रकार से उन्नति होना चाहिए था, प्रगति होना था, वह पहले की अपेक्षा बहुत बेहतर ढंग से हुआ है और आज हमारे किसान आगे बढ़े हैं। उनकी आय में लगातार वृद्धि हुई है, जिससे किसान ही नहीं, उनका पूरा परिवार आगे बढ़ा है। पिछले 5 सालों में किसानों के लिए कैसे बेहतर से बेहतर कार्ययोजना बन सके, कैसे बेहतर से बेहतर काम हो सके, उसको केन्द्र में रखकर हमारी सरकार ने काम किया और 2500 रूपया समर्थन मूल्य बढ़ाकर अंत समय में 2640 रूपये धान का समर्थन मूल्य दिया था।

सभापति महोदय, इसके साथ ही साथ, हमने वादा किया था कि जब हम सरकार बनायेंगे तो कर्ज माफ करेंगे। हमने वह कर्ज माफी का वादा सरकार बनते ही शुरूआत में ही किया और पूरे किसानों का कर्ज माफ किया था। इससे आगे बढ़कर किसानों की बेहतरी के लिए गाय, गोबर की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, उनको गौठान के माध्यम से जोड़ने का काम किया था। गौठान बनाया ताकि वहां पूरे किसान आयें, किसानों से संबंधित, गांव से संबंधित बहुत सारा काम हो। गौठान बना, वहां जो हमारे किसान भाई हैं, ग्रामीण भाई हैं, वहां गोबर बेचने का काम किया। इसके साथ ही साथ गौठान के माध्यम से आजीविका के साधन को आगे बढ़ाने का काम हुआ। वहां जो स्व-सहायता समूह की महिलाएं हैं, उन्हें मजबूत करने का काम हमारी सरकार ने पिछले 5 सालों में किया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं बजट में देख रहा था कि कृषक उन्नति योजना के तहत 12 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस 12 हजार करोड़ में से 10 हजार करोड़ रूपये का जो प्रावधान है, उससे कहीं न कहीं यह लग रहा है कि आने वाले समय में बहुत कम किसानों का धान लेंगे और जो धान खरीदने का लक्ष्य रखा है, वह कम होगा। सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि किसानों के लिए बजट और प्रशासकीय प्रतिवेदन में जो योजना और कार्य आया है, मैं उसको पूरा पढ़ रहा था। उसमें जिस तरीके से चिंतन होना था, वह बहुत कम है। और भी बेहतर ढंग से खेती-किसानी को, पारम्परिक कृषि को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उस पर माननीय मंत्री जी और सरकार को चिंता करने की जरूरत है। ऐसे बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, जहां पर कोदो-कुटकी, विशेषकर हमारे बस्तर की बात करू, वह वहां पर होता है। उसको और कैसे बेहतर ढंग से आगे बढ़ाया जाये, कोदो-कुटकी की जो खेती है, वह

मरान और पठार क्षेत्र में होता है, वहां उनको जमीन का पट्टा नहीं मिलता है। किसान लोग उसको वैसे ही पैदा करते हैं। उसको कैसे अच्छे ढंग से आगे बढ़ाया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है, इस दिशा में भी पहल करने की जरूरत है। इस पर सरकार को सोचना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के समय बड़ा-बड़ा वादा किया था कि हमारी सरकार बनने के बाद 2100 रूपया की दर से बोनस देंगे। वर्तमान समय में भी जो कर्ज माफ की बात कही गई थी, वह भी नहीं हुआ है। हमने बोनस की बात की थी कि हम वर्ष 2016-17 और वर्ष 2017-18 का बोनस देंगे लेकिन आप 2014-15 और वर्ष 2015-16 का बोनस दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं किसानों को ठगने का काम किया है। अभी के चुनाव में किसानों ने बढ-चढ़कर आपका समर्थन किया है, जनादेश दिया है और आप सरकार में बैठे हैं और सरकार चला रहे हैं। 3100 रूपया कब मिलेगा, यह बात अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि जल्द से जल्द 3100 रूपया किसानों को मिले। आज किसान परेशान हो रहे हैं, बैंकों में जा रहे हैं तो उनका पैसा नहीं मिल रहा है, उनको लिमिट में पैसा मिल रहा है, हमारे किसान भाईयों को ऐसी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। माननीय मंत्री जी को भी इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। आपने पिछले चुनाव में जो भी वादा किया था, घोषणा-पत्र के अनुरूप किसानों का कर्ज माफ हो, समर्थन मूल्य 3100 रूपया हो, चाहे बोनस की बात हो, उनकी सभी मांगों को किसानों के समर्थन में पूरा करने की मांग आपसे करता हूं। हमारा प्रदेश किसानों का प्रदेश है। किसानों के हित में ज्यादा से ज्यादा कैसे बेहतर काम कर सकते हैं, बेहतर निर्णय ले सकते हैं, उस दिशा में काम करने की जरूरत है। अंत में कहना चाहूंगा कि हमारे बीजापुर जिले में अभी तक कृषि महाविद्यालय अभी तक नहीं है, यहां तक कि बस्तर में भी नहीं है, प्रदेश के सभी जिलों में कृषि महाविद्यालय हो चुका है, यह वर्ष 2007 में बना हुआ पुराना जिला है । मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि बीजापुर में कृषि महाविद्यालय की मांग पूरे जिलेवासियों की ओर से करता हूँ । सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी को आदिम जाति विकास विभाग के बारे में कहना चाहता हूँ कि बस्तर और सरगुजा जो हमारा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, आपके विभाग के अधीन बहुत से काम वहां होते हैं, जैसे स्कूल है, आश्रम है, प्री मिट्रिक छात्रावास है, बालक छात्रावास है, जो पूरे 85 विकासखंड आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत आते हैं, वहां पर इस विभाग के लिये जो मद है, जो बजट देना चाहिये, वह बहुत कम है, यह बहुत चिंताजनक है, कृपया आप इसे बढ़ायें । सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि बीजापुर में क्रीड़ा परिसर की स्वीकृति प्रदान करें । सभापति महोदय, आपने बस्तर में विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिये पूर्ववर्ती सरकारों ने जो काम किया है, बीजापुर में जो अबूझमाड़िया के नाम से जाने जाते हैं, वहां पर भी निवासरत् हैं, उनकी ओर भी ध्यान देने की जरूरत है, आज भी अबूझमाड़िया जैसी विशेष पिछड़ी जनजातियों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है, वह मूलत: हमारे बीजापुर जिले में रहते

हैं, इनके लिये भी काम करने की जरूरत है । सभापति महोदय, मौजूदा समय में जो आश्रम, छात्रावास, प्री-मैटिक, पोस्ट मैट्रिक जो छात्रावास है, जो बहुत पहले से जब पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश की सरकार थी, उसी समय से दर्ज संख्या बढ़ाई गई है । वर्तमान समय में भी जनसंख्या के अनुपात में आश्रम, छात्रावास, प्री-मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक छात्रावास को भी बढ़ाने की जरूरत है । जहां-जहां इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही है, वहां पर इसे बढ़ाया जाये । सभापति महोदय, वर्ष 2005 में सलवा जुडूम शुरू होने के बाद में बहुत सारे आश्रम, छात्रावास, जो ट्रायवल के विस्थापित हुये हैं, उसकी पुर्नस्थापना आज तक नहीं हुई है, इससे छात्र-छात्राओं को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है । मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि वे जो भी छात्रावास हैं, उसे वापस उन गांवों में, पंचायतों में भेजा जाये । वहां वर्तमान में स्थिति सामान्य हो रहे हैं, उन्हें वहां भेजना ज्यादा उचित रहेगा । सभापति महोदय, जिस तरह से हर चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे आदिवासी बच्चों के छात्रवृत्ति और शिष्यवृत्ति में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, उसमें भी बढ़ोतरी करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है । सभापति महोदय, हमारे बस्तर में देवगुड़ी आस्था का केन्द्र है, यहां पर ट्राईवल विभाग से सिर्फ 1 लाख रूपये ही मिलता है, यह बहुत ही कम है, पिछली बार भी सरकार के समक्ष हमने अपनी बात रखी थी, वहां उसे व्यापक रूप में मनाया जाता है, हमारे बहुत से आदिवासी देवगुड़ी में छत नहीं बनाया जाता है, कहीं-कहीं छत भी बनाते हैं, उसको देखते हुये कम से कम 10 लाख की राशि देवगुड़ी, मातागुड़ियों में दिया जाये तो ज्यादा बेहतर होगा । सभापति महोदय, हमारे प्रदेश के आदिवासी बच्चे, जो छत्तीसगढ़ आदिवासी वित्त विकास निगम के माध्यम से लोन लेते हैं, स्वरोजगार से जुड़ते हैं, इससे उन्हें रोजगार मिलता है, विभिन्न जिलों में उनकी संख्या बहुत कम है, जैसे ट्रेक्टर ऋण लेना है तो उसकी संख्या जिले में एक या दो है, यही आंकड़े आते हैं । आदिवासी क्षेत्रों में यहां के युवाओं को स्वरोजगार से अधिक से अधिक जोड़ने का प्रयास होना चाहिये । सभापति महोदय, पिछली बार भी ऐसा प्रयास हुआ था कि अधिक से अधिक संख्या में आदिवासी युवा स्वरोजगार से जोड़े जायें, लेकिन जनसंख्या के अनुपात में इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है । मैं माननीय मंत्री जी से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जो परियोजना मद होता है, जो 175 के अंतर्गत हमें केंद्र शासन से मिलता है। जब हम पहली बार विधायक बने तो हमने देखा कि इस परियोजना मद में कम से कम स्थानीय स्तर पर कार्ययोजना बननी चाहिए। लेकिन इसकी कार्ययोजना स्थानीय स्तर पर न बनकर ऊपर स्तर पर, केंद्र या राज्य स्तर पर, ज्यादातर राज्य स्तर पर बनती है। उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे वहां पर जो उस राशि का सदुपयोग होना चाहिए, वह नहीं हो पाता है। स्थानीय स्तर पर क्या बेहतर हो सकता है, आदिवासी क्षेत्रों के लिये, आदिवासी गांवों के लिये, आदिवासी ग्रामीणों के लिये, चाहे बेहतर पेयजल के लिये हो, चाहे स्वास्थ्य सुविधाएं हों, चाहे अन्य जैसी भी सुविधाएं हैं, उसमें उनके लिये क्या कर सकते है। क्योंकि परियोजना मद में बड़ी राशि आती है, लेकिन हम वहां पर उसका लाभ नहीं दे पाते हैं। उसकी जो कार्ययोजना बननी है, वह परियोजना स्थानीय स्तर

पर न बनकर राज्य और केंद्र स्तर पर बनती है। इस पर भी रोक लगाते हुए परियोजना मद की कार्ययोजना स्थानीय स्तर पर बने, मैं माननीय मंत्री जी से ऐसा कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- श्री नीलकंठ टेकाम।

श्री नीलकंठ टेकाम (केशकाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आदिम जाति विकास विभाग और कृषि विभाग की जो बजट की मांग है, उसके समर्थन में बात करने के लिये खड़ा हुआ हूं और मैं सबसे पहले यह कहना चाहता हूं कि जैसे माननीय लखेश्वर बघेल जी बोल रहे थे कि इसको दो-चार मिनट में खत्म कर दिया जाये। जबकि यह जो विभाग है, यह न केवल आदिवासियों के विकास का विभाग है, बल्कि अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक लोगों से संबंधित विभाग है। इसका मतलब यह पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में निवास करने वाले लगभग 85 प्रतिशत जनसंख्या को देखरेख करने वाला विभाग है और इस पर विस्तार से चर्चा करना बहुत जरूरी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बार इस देश में आदिवासियों के विकास के लिये आदिवासी मंत्रालय बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। कांग्रेस ने कई वर्षों तक आदिवासियों का हितैषी बनकर पूरे देश में रहने वाले आदिवासियों को गुमराह करने का काम किया लेकिन वास्तव में उनकी जिंदगी में बदलाव लाने का जो काम हुआ, वह माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के माध्यम से हुआ और उनकी कल्पना में जब छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की गयी उसके पीछे भी यहां के आदिवासी, यहां के अनुसूचित जाति और यहां के पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के कल्याण की बात निहित थी। मुझे यह कहते हुए गर्व है कि मैं इस गौरवशाली पार्टी का हिस्सा बनकर आज आपके समक्ष इस विभाग की मांग के समर्थन में बात कर रहा हूं। जैसा कि बजट के शुरूआती भाषण में ही बता दिया गया था कि बस्तर और सरगुजा की तरफ देखना भी इस सरकार की सबसे बड़ी भूमिका रहेगी। न केवल देखना, बल्कि अर्जुन की आंख की तरह देखना, यह बहुत मायने रखता है। वैसे तो आदिवासियों के विकास के बारे में काफी लंबे समय से चर्चा होती रही लेकिन फायदा किसको मिला ? एक ऐसा वर्ग, जिसको हम अति पिछड़ी जनजाति के नाम से जानते हैं, वहां तक फायदा पहुंच ही नहीं पा रहा था। पहली बार इस बजट में अति पिछड़ी जनजातियों के संरक्षण के लिये, उनके अधोसंरचना के विकास के लिये, उनकी आजीविका के लिये, उनको फोकस में लेकर इस बजट में प्रावधान किया गया है। मैं कहता हूं कि यह सबसे ज्यादा वजन रखने वाला बजट है कि हम हमारे यहां के जो अति पिछड़ी जनजाति है, चाहे वह बैगा हो, चाहे बिरहोर हो, चाहे भुजिया हो, चाहे पंडो हो, ऐसी बहुत सारी जनजातियां, जिन तक अभी-भी विकास नहीं पहुंच पा रहा था, उनको टार्गेट में लिया गया है और उनके विकास की बात कही जा रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक बजट का सवाल है तो बजट की कोई कमी नहीं है। जैसे कि अभी हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी बता रहे थे ठीक उसी प्रकार से हमारे इस विभाग के बड़े ही वरिष्ठ मंत्री जो कि रामविचार नेताम जी हैं उनकी बहादुरी और कौशल की चर्चा पूरे राज्य में होती रहती है। सागर की तरह गंभीरता से बात करने वाले मुख्यमंत्री माननीय विष्णु देव साय जी के मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में रहने वाले आदिवासियों, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग और अल्प संख्यक वर्ग के लोगों का कल्याण होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं यह बताना चाहता हूँ कि इस बजट में खास बातें क्या है। इसमें सबसे खास बात यह है कि जो आदिवासी बेरोजगार हैं, उनको स्वरोजगार कैसे उपलब्ध कराया जाये। यह हमारी सबसे बड़ी चिंता है। इसके लिए अलग-अलग प्रकार के पाठ्यक्रम को शामिल किया गया है। जिसमें यहां प्रशिक्षण की बात कही गई है जैसे नर्सिंग, हॉस्पिलिटी और होटल मैनेजमेंट का प्रशिक्षण है। यहां बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से कोचिंग देने का काम हो रहा है। जवाहर उत्कर्ष योजना है, यहां विशेष कोचिंग केन्द्र खोलने की बात हुई है। हमारी बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से इस वर्ग के लोगों को फायदा पहुंचाने का काम करने का लक्ष्य रखा गया है। जिसमें अन्त्य व्यवसाय, सहकारी वित्त निगम है, यह अन्त्य व्यवसाय अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के लिए स्वरोजगार की योजना है। इसके अलावा यहां बहुत सारी योजनाएं आदिवासियों की संस्कृति कला, उनकी भाषा और उनकी जीवन शैली को संरक्षित करने के बारे में भी रखा गया है। जैसा कि पूर्व में हमारे वित्त मंत्री जी ने भी बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में गोंडी, हल्बी, कुरूग भाषा आदि आदिवासी भाषाओं को पाठ्यक्रम में शामिल करने के उददेश्य से इस पर बजट की व्यवस्था की गई है। अभी हमारे मण्डावी जी देवगुड़ी के बारे में बता रहे थे कि देवगुड़ी आदिवासियों की आस्था का सबसे बड़ा स्थल होता है। मैं भी चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आना चाहिए कि हमारे जितने 85 विकासखण्ड है, उनके प्रत्येक गांवों में बड़े ही स्थायी किस्म के देवगुड़ियों, घोटुल की स्थापना हो और वहां पर संचालित होने वाली जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, उनको प्रोत्साहन देने की जरूरत है। ताकि वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में विशेषकर बस्तर में नक्सलवाद और धर्मान्तरण का खेल चल रहा है उस पर स्थायी रूप से विराम लगाया जाये। अगर आदिवासी अपने जीवन शैली, अपनी सांस्कृतिक गतिविधियां हैं उनके साथ जुड़कर रहेंगे तो उन्हें कोई भी ताकत, उनकी जो सनातनी विचारधारा है उसे इधर उधर हटाने की कोशिश नहीं करेगी। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे कुछ सुझाव हैं जो मैं माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूँ। जो सबसे बड़ी बुनियादी आवश्यकता है वह शिक्षा है और अनेक विभागों के जो प्रतिवेदन आए हुए हैं उसके अनुसार हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 54 लाख विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं, जो पहली से लेकर कॉलेज तक के हैं।

समय :

5.50 बजे

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए)

सभापति महोदय, इसमें मैं एक चीज ध्यान में लाना चाहूंगा, कॉलेज में पढ़ने वाले हमारे बच्चों की संख्या लगभग 3 लाख है, जबकि प्राइमरी स्तर पर पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 54 लाख है और यह कॉलेज पहुंचते-पहुंचते 3 लाख की संख्या में पहुंच जाते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में एक बहुत बडी drop out की समस्या है। इसको कैसे दूर किया जाये, इसके बारे में चिंतन करने की जरूरत है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि प्राइमरी स्तर पर बच्चों की संख्या 54 लाख होती है, जब मीडिल स्कूल स्तर पर आते हैं तो यह संख्या 54 लाख से कम हो करके 25 लाख में चली जाती है, हाईस्कूल स्तर में यह संख्या 14 लाख के स्तर में चली जाती है और जब यह हायर सेकेण्डरी स्कूल में आते हैं तो मात्र 8 लाख बच्चे रह जाते हैं। यह जो drop out की समस्या है, इस drop out को कम करने के लिए आज हमारे पास आश्रम और छात्रावास की व्यवस्था है। उसकी क्षमता मात्र 2 लाख बच्चों को रखने की है। जबकि हमको कम से कम 10 प्रतिशत बच्चों को हॉस्टल और आश्रम में रखने की व्यवस्था करने की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए 2 लाख से बढ़ा करके हमारे आश्रम, छात्रावासों की क्षमता को कम से कम 5 से 6 लाख बच्चों को रखने के लिए करना पड़ेगा। इस बात की मुझे खुशी है। मैं माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं इस बजट में अनेकों प्री. मेट्रिक और पोस्ट मेट्रिक छात्रावासों को निर्माण करने की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक संभागीय मुख्यालय में छात्रावास की व्यवस्था की गई है। इस बजट में सरगुजा संभाग में लगभग सारे भवनविहीन छात्रावासों के लिए छात्रावास का बंदोबस्त किया गया है और इसका फायदा आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, कुछ बातें जो आदिवासियों के द्वारा सोच तो ली जाती है लेकिन वह बोल नहीं पाते हैं। जैसे अति पिछड़ी जनजाति है, इन अति पिछड़ी जनजातियों को विकसित भारत के साथ जोड़ने का जो लक्ष्य रखा गया है, इसको माननीय नरेन्द्र मोदी जी की जो गारंटी है, उस गारंटी के साथ उनके हाथों तक यह पहुंचाने की जरूरत है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इन सारी अति पिछड़ी जनजातियों को शत-प्रतिशत पक्के मकान की व्यवस्था, पीने के साफ पानी की व्यवस्था, वहां पर पढ़ने के लिए स्कूल की व्यवस्था, उनके लिए आश्रम की व्यवस्था, प्रशिक्षण की व्यवस्था, स्वरोजगार की व्यवस्था, अगर यह सुनिश्चित कर दी जाती है तो मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ राज्य बनाने के पीछे हमारे महापुरूषों की जो मंशा थी, वह निश्चित तौर पर पूरी हो सकेगी। हमारी यह जनजाति जो लगभग विलुप्त होने की कगार पर है, कुपोषण की शिकार है और यह लगातार पलायन की स्थिति में रहते हैं, अभावों में जिंदगी जीते हैं, उनको एक नया अवसर मिल सकेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मात्रात्मक त्रुटि की वजह से कुछ जनजातियों को 75 सालों के बाद फिर से आदिवासी समाज में, समुदाय में जुड़ने का मौका मिला है। मेरा यह निवेदन रहेगा कि इनके बारे में भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाये। क्योंकि इनके निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र बनाने का काम, स्वरोजगार का काम अभी किस स्थिति में है, इसके बारे में कह पाने में बड़ी ही दिक्कत होगी। सभापति महोदय, मैं बस्तर से आता हूं। बस्तर को पिछले 03 दशक से नक्सलवाद के दंश को झेलना पड़ा है। आज हमारे बस्तर में रहने वाले 30 साल के नौजवान के दिल-दिमाग में नक्सलाईट एक विषय के रूप में दिखाई देता है। आये दिन हमारे बस्तर क्षेत्र में मीडिया, चौक-चौराहों में, पान की दुकानों में केवल और केवल नक्सलवादियों के बारे में बात की जाती है। जबकि बस्तर ऐसा नहीं है। बस्तर का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, बस्तर का जो प्राकृतिक संसाधन है और वहां के लोगों की जो मासूमियत है, उसको आगे बढ़ाने का काम करने का बीड़ा हमारी सरकार ने उठायी है औ मैं पूरा भरोसे के साथ कह सकता हूं कि अभी तक में बस्तर यह जो नक्सल वाद का जो दंश झेलने को मिल रहा था, उमसें आने वाले समय में हम सबको मिल-जुलकर एक विकास की धारा में हमको आगे बढ़ने की जरूरत है और उसमें हमको सफलता मिल सकती है। विषय बहुत सारे हैं। बहुत देर तक बात की जा सकती है, लेकिन मैं अपनी बातों को बहुत संक्षिप्त में रखते हुए यह कहना चाहता हूं कि आदिवासी क्षेत्रों में जो पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, जहां के जल, जंगल और जमीन के मुद्दे हैं, इन पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में स्थानीय भर्ती का मुद्दा है, यहां पर रहने वाले आदिवासियों के आरक्षण का मुद्दा है, इनके नौकरियों में स्थायीकरण करने का मुद्दा है, इनकी जो संविदा की नौकरियां हैं, उनको नियमित करने का मुद्दा है, उनका प्रमोशन में आरक्षण का मुद्दा है। जिन मुद्दों के बदौलत छत्तीसगढ़ राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इन सारे मुद्दों पर हमें पूरी ईमानदारी के साथ और एक टाईम बांड प्रोग्राम बनाकर इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए काम करना पड़ेगा ताकि भारतीय जनता पार्टी और हमारे सरकार के प्रति आदिवासियों में जो विश्वास जागृत हुआ है, वह चिरस्थायी हो सके। मुझे पूरा भरोसा है कि राम विचार नेताम जी, जो राम की तरह विचार रखते हैं, जो सोचते हैं, जो पूरे 24 घंटे समाज के विकास के बारे में, समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। (मेजों की थपथपाहट) हम उनके मार्गदर्शन में उनके दल में रहकर उनके साथ कंधे-से-कंधे मिलाकर यह सारे लक्ष्य को पूरा करने में क्षमता से ज्यादा आगे बढ़कर काम करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं कृषि के बारे में कहना चाहता हूं। माननीय नरेन्द्र मोदी जी जैसा कहते हैं कि वन डिस्ट्रीक्ट, वन प्रोडक्शन। इस पर तत्काल छत्तीसगढ़ राज्य में भी 33 जिलों को लेकर 33 प्रकार के फसलों को लेकर अपना एक एजेंडा तय करने की आवश्यकता है ताकि उसके Field preparation का, Production का, इक्योरमेंट का, उसके Processing का और उसके Marketing का एक

स्थायी व्यवस्था बनायी जा सके, Value addition कराया जा सके और लोगों को उसका सही दाम मिल सके। माननीय सभापति महोदय, आज भी आदिवासी क्षेत्रों के बाजारों में ..।

श्री बघेल लखेश्वर :- नीलकंठ जी, एक मिनट। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2022 में किसानों का दोगुना आय करने की बात आई, उसके बारे में थोड़ा बता दीजियेगा।

श्री नीलकंठ टेकाम :- सभापति महोदय, मैं माननीय वरिष्ठ सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक बार ईमानदारी से देख लीजिये कि आज से दस साल पहले हमारा खेती-किसानी का जो आय था और आज का जो आय है, उसमें कितना वृद्धि हुआ है?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, अगर पांच साल में कृषि के क्षेत्र में देखा जाए तो लोग 15 साल में पलायन की ओर थे। 15 साल में लोग पलायन कर रहे थे और दूसरी तरफ कृषि से आय इतना माइनस हो रहा था। पांच साल में लोग कृषि की ओर आकर्षित हुए हैं और कृषि किए हैं। आज कृषि के क्षेत्र में या चाहे सब्जी के क्षेत्र में हो, सब क्षेत्र में उत्पादन बढ़ा है।

श्री नीलकंठ टेकाम :- मैं भी यही कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय :- संगीता जी, लखेश्वर जी पहले बोल रहे थे कि जल्दी समाप्त करें और आप लोग ऐसे टोका-टाकी करेंगे तो कैसे समाप्त होगा? नीलकंठ जी, आप जल्दी समाप्त करेंगे।

श्री नीलकंठ टेकाम :- यह कमाल इसलिए हुआ है, माननीय सदस्य, मैं इसमें कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 0% ब्याज पर ऋण की व्यवस्था दिया। (मेजों की थपथपाहट) जिसकी वजह से आज लोगों में खेती के प्रति और हमारे सहकारी समितियों के प्रति विश्वास बढ़ा है।

श्री लखेश्वर बघेल :- जीरो परसेंट का नहीं बल्कि 2500 का कमाल है ।

सभापति महोदय :- लखेश्वर जी, उनको बोलने दीजिये ।

श्री नीलकंठ टेकाम :- माननीय सभापति महोदय, अब 3100 के हिसाब से पेमेंट होगा तथा उनकी आर्थिक स्थिति में और अधिक बदलाव एवं सुधार आयेगा ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- पैसा ला कब दूहू, बता दे ?

श्री नीलकंठ टेकाम :- माननीय सभापति महोदय, इस बजट में Agriculture Engineering की बात कही गयी है । हम परम्परागत तरीके से खेती करते आ रहे हैं । किस जमीन की क्या क्वालिटी है, उसका Health Checkup कराने से ही पता चलेगा कि उसमें कितना क्षार है, कितना अम्ल है, उसमें किस तरह के खाद की जरूरत है ? उसमें किस तरह के Chemical की जरूरत है तो पहली बार इस बजट में प्रावधान किया गया है और मिट्टी के किस्म को ध्यान में रखते हुए Agriculture Engineering की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास किया गया है । हम पंजाब और हरियाणा में जैसा देखते हैं कि लोग अपनी जरूरत के हिसाब से मशीनों का निर्माण करते हैं । आने वाले दिनों में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में भी उसी तरीके से Agriculture को बढ़ाने का काम किया जायेगा । प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किये जायेंगे जिससे निश्चित

तौर पर हमारी खेती का विकास होगा । मैं इतना ही कहकर अपनी बातों को समाप्त करना चाहता हूं । मैं इस बजट की सभी मांगों का अक्षरश: समर्थन करते हुए अपनी बातों को समाप्त करता हूं । माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने हेतु समय प्रदान किया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री ब्यास कश्यप (जांजगीर चांपा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं स्वयं किसान हूं । मुझे हमारे दल ने कृषि के क्षेत्र में अपनी बात रखने का अवसर दिया है। हम बचपन से ही बैलगाड़ी से खेती किसानी कर रहे थे और आज हम ट्रैक्टर में खेती कर रहे हैं । एक किसान के नाते हमारे यहां बैलगाड़ी, गाड़ा रहता था तो बाहर से परदेशिया लोग जो आये रहते थे उनको हम मेला घूमाने के लिये चाहे मदनपुरगढ़ हो, चाहे पीथमपुर हो । उनको ले जाने के लिये हमारे गाड़ा की उपयोगिता थी लेकिन आज हम गाड़ा से बमुश्किल ट्रेक्टर तक आ पाये और जो हमारे गाड़ा पर जाते थे, वे आज जहाज में घूम रहे हैं, छत्तीसगढ़ का ऐसा विकास हुआ है । निश्चित रूप से डॉ. रमन सिंह जी की सरकार में जब 300 रूपये बोनस देने की बात आयी थी, किसानों की प्रगति हुई लेकिन 2 वर्ष का बोनस नहीं मिल पाया । खेती-किसानी की ओर से किसान पीछे हट रहे थे लेकिन जब माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार आयी और 2500 रूपये में धान के प्रति क्विंटल खरीदने की बात आयी । किसानों की बेचने की संख्या, उत्पादन की संख्या लगातार बढ़ती गयी और आज उसी को देखकर आप लोग भी कृषि उन्नति योजना के तहत् 15 को 21 किये और 25 को 31 किये हैं लेकिन अभी मिला नहीं है । निश्चित रूप से यह छत्तीसगढ़ प्रदेश किसानों का प्रदेश है । पूर्ववर्ती सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार के द्वारा किसानों के हित के लिये जो काम किया जा रहा था । देश के नंबर एक की सरकार की रेटिंग में भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ के किसानों को आगे बढ़ाने के लिये प्रयास किया है । वर्तमान में पूर्व से ही छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है । छत्तीसगढ़ मुख्य रूप से खरीफ फसल यानी की वर्षा ऋतु से आधारित हमारा यह राज्य है जिसमें 83 प्रतिशत क्षेत्र में खरीफ, रबी मात्र 17 परसेंट क्षेत्र में है । छत्तीसगढ़ में कृषि भूमि 1 लाख 38,000 हैक्टेयर है । जिसमें फसल उत्पादन का क्षेत्र 40.51 लाख हैक्टेयर यानी कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 34 प्रतिशत क्षेत्र ही कृषि उपयोग के लिये है । हमें इस बात की खुशी है कि हम किसान जब अन्न उत्पादन करते हैं उसमें राज्य के घरेलू उत्पादन यानी कि जी.डी.पी. में हम 25 परसेंट की भागीदारी निभाते हैं और इस बात की भी खुशी है कि हम किसान इस छत्तीसगढ़ के मजदूर को 50 परसेंट से अधिक मजदूरी का भी लाभ यहां से किसानी के आधार पर पा रहे हैं तो यह हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है जिसमें 50 परसेंट से अधिक के मजदूर अपनी मजदूरी करके अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं । मैंने एक चीज देखी है कि छत्तीसगढ़ के विकास के लिये निश्चित रूप से पूर्ववर्ती सरकार हो, वर्तमान सरकार हो । लगातार आप सभी प्रयास करेंगे। सरकारी एवं प्राइवेट कॉलेज मिलाकर यहां 31 सरकारी और 15 प्राइवेट कॉलेज हैं, जिसमें बी.एस.सी. की पढ़ाई करके हमारे छात्र आज बेरोजगार घूम रहे हैं। एम.एस.सी. की पढ़ाई करने के लिए सीटों की संख्या

कम होने के कारण वो अन्य राज्यों की ओर पलायन कर रहे हैं, पर पढ़-लिखकर तो आ जाते हैं, पर हम उन्हें यहां पर शिक्षा नहीं दे पाते। उनके लिए कम से कम सरकारी नौकरी की व्यवस्था हो जाये ताकि वे गांवों में जाकर खेती-किसानी की उन्नत तकनीकी उन्हें हम बता सकें और कम से कम अभी माननीय बृजमोहन भैया जी ने जो 33 हजार शिक्षकों की भर्ती की बात की है, उसमें कम से कम शिक्षक स्नातक को भी अगर वे स्वावलंबी बनेंगे, खेती-किसानी के बारे में पढ़ेंगे तो नौकरी को भूलकर जो ज्ञान रहेगा, उसे अपने खेती-किसानी पर भी वे उपयोग करेंगे। कृषि के क्षेत्र में बहुत सुधार की आवश्यकता है। माननीय मंत्री महोदय, इसमें मैं कुछ बिंदु आप लोगों के सामने रख रहा हूं। कृषि उपकरण है, उसमें आज भी जी.एस.टी. लगता है। कृपा करके उनको कर मुक्त कर दिया जाये। उन्नत कृषि यंत्रों में सब्सिडी देकर किसानों को लाभ दें। कम ब्याज दर पर को-ऑपरेटिव बैंक से किसानों को लोन दिया जाये ताकि हम अपनी फसल बेचते ही उस लोन को जिस प्रकार से हम के.सी.सी. लोन लेकर हम हमारे कर्ज को छूटते हैं, उसी प्रकार उन्नत कृषि यंत्रों को जब हम अपने पास लोन के माध्यम से लेंगे तो हम समय-सीमा पर उसको हम छूट पा जायेंगे। मैं पेस्टिसाइड के विषय में अनुभव करता हूं कि खुद किसान हूं। बगैर बताये पता नहीं कौन सी कंपनी का, लोकल कंपनी का हम लोगों को पकड़ा दिया जाता है। कमीशन के खेल में विभागों के द्वारा लोकल एवं अमानक गुणवत्तायुक्त दवाई की सप्लाई की जाती है। गुणवत्ता नहीं रहता, उसकी सप्लाई होती है। ब्रांडेड एवं उच्च गुणवत्ता की दवाइयों की सप्लाई हम किसानों को होनी चाहिए। किसी कंपनी के खिलाफ अगर कहीं पर शिकायत किसान करते हैं या विभाग में वह पकड़ा जाता है तो उनको ब्लैक लिस्टेड किया जाये। कृषि में उपयोग होने वाली दवाई को कर मुक्त होने चाहिए। फसल उत्पादन में लागत कम होगी। इसमें भी जी.एस.टी. लगता है। जब हम दुकान में जाते हैं तो रेट लिखा रहता है। व्यापारी से पूछते हैं कि भैया इसकी कीमत तो बोलते हैं कि क्या करोगे भैया, इसमें भी जी.एस.टी. है। जी.एस.टी. से कम से कम कृषि उपकरण और हमारी कृषि के लिए फसल को बचाने के लिए जो दवाई लेते हैं, उसमें जी.एस.टी. को खत्म किया जाये। मैं छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से आग्रह करूंगा कि हमारी बातों को केन्द्र सरकार तक वह पहुंचाये। रबी फसल में फसल चक्र में परिवर्तन हेतु अभी हमारे माननीय टेकाम साहब बोल रहे थे जिला स्तर पर, मैं तो बोलता हूं जिला ही नहीं, वरन् ब्लॉक स्तर पर इस हेतु कमेटी बनाई जाये और कमेटी के आधार पर कौन से क्षेत्र पर क्या फसल हो सकती है, इसके लिए हमें चिंता से विचार करनी चाहिए, क्योंकि भौगोलिक वातावरण अलग जिला ही नहीं, वरन् ब्लॉक में भी परिवर्तन हो जाता है और जब नियम बनाये तो जबर्दस्ती नहीं थोपे। मैं अभी अनुभव करता हूं। चाहे सरकार किसी की भी हो किसान के नाते अगर हमें मिनी किट दिया जाता है, चाहे गेहूं का हो, चना का हो, सरसों का हो, उड़द का हो, लगाने का समय नवंबर-दिसंबर, अक्टूबर से लेकर प्रारंभ होता है। वो मिनी किट हमें जनवरी, फरवरी में मिलते हैं और जनवरी-फरवरी में किसान उसे कहीं पर भी उपयोग नहीं करते और वे सीधे व्यापारी के पास जाते हैं। ये किसान अन्न के

रूप में भोजन ग्रहण करते हैं। मैं आग्रह करूंगा कि समय-सीमा में भी हम लोगों को देना चाहिए ताकि इसका लाभ हम सब किसानों को मिलना चाहिए। रबी फसलों को बढ़ावा देने के लिए समर्थन मूल्य में अभी मंडी क्षेत्र में व्यवस्था होनी चाहिए। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के कुछ मंडियों में इसकी व्यवस्था हो। परंतु अगर मंडी कृषि के क्षेत्र में आता है तो ऐसे मंडी में भी अगर समर्थन मूल्य पर छत्तीसगढ़ सरकार खरीदेगी तो निश्चित रूप से अभी धान, धान और धान की ओर अग्रसर हैं तो आने वाले समय में समर्थन मूल्य अगर मिल जायेगा तो निश्चित रूप से हर क्षेत्र में..।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय, मेरी स्पीच नहीं है, बस मैं एक मांग कर रही हूं।

सभापति महोदय :- आप ही के माननीय सदस्य बोल रहे हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, समर्थन मूल्य की बात के बीच में ही बोल रही हूं कि हमारे गन्ना उत्पादन के लिए समर्थन मूल्य के लिए किसी ने बात नहीं की। बालोद जिला में एक गन्ने की फैक्ट्री है और वहां पर गन्ना उत्पादक है, उसके लिए समर्थन मूल्य की राशि 262 रूपये थी, जो पूर्ववर्ती सरकार ने 292 रूपये दिया। तो मैं इस सरकार से निवेदन करना चाह रही हूं कि उसे बढ़ाकर अगर 500 कर देते । गाड़ी से आने-जाने में वहां डीजल, पेट्रोल सब खर्च लगता है, महंगाई बढ़ गयी है। तो वह समर्थन मूल्य दे देंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- कल मैं टेलीविजन में देख रहा था कि 315 रूपये का 340 रूपये कर दिया गया है। कल रात में मैं गन्ने का समर्थन मूल्य टी.वी. में देख रहा था। 315 रूपये प्रति क्विंटल को 340 रूपये कर दिया गया है। कल रात मैं गन्ने का समर्थन मूल्य देख रहा था। 315 रूपया प्रति क्विंटल को 340 रूपए कर दिया गया है ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- महोदय जी, उसको 500 रूपए कर देते, डीजल, पेट्रोल और बढ़ती मंहगाई को देखते हुए ।

श्री ब्यास कश्यप :- ठीक है बहन जी, आपकी मांग हो गई हो तो कृपा करके हमें भी अवसर दे दो ।

सभापति महोदय :- ब्यास जी आपका समय आपके ही सदस्य समाप्त कर रहे हैं ।

श्री ब्यास कश्यप :- मंडी बनी हुई हैं, मंडी में कर्मचारी ऑलरेडी काम कर रहे हैं । चूंकि मैं चुनाव पूर्व सवा साल तक मंडी अध्यक्ष था । कर्मचारी और स्टाफ की कमी नहीं है, शेड बने हुए हैं । जिस जिस क्षेत्र में रबी फसल हो रही है, आपने समर्थन मूल्य का निर्धारण किया है । मंडियों में रबी फसल की खरीदी की व्यवस्था की जाए । छत्तीसगढ़ में फसल बढ़ाने के लिए अभी कुछ ही क्षेत्र में नहरों से सिंचाई हो पाती है । किंतु नदी व नरवा के किनारे विशेषकर विद्युत सप्लाई करें ताकि रबी क्षेत्र में अपना अनाज के साथ-साथ हार्टीकल्चर के क्षेत्र में आगे बढ़ पाएं । अभी वर्तमान में धान का कटोरा होने

के कारण हम खेतों का बड़ा हिस्सा पानी रोकने के लिए मेढ़ बनाकर रखते हैं । उन मेढ़ों के लिए भी हमें समुचित व्यवस्था करनी चाहिए । आज छत्तीसगढ़ में 19 प्रतिशत हिस्से को केवल मेढ़ ने घेर रखा है । जिसकी उपयोगिता हम वर्तमान में नहीं कर पा रहे हैं, मेढ़ो के विकास के लिए, उसमें फलदार वृक्ष हों या कि इमारती लकड़ी हों । इन चीजों के लिए भी प्रोत्साहन करना चाहिए । मैं आग्रह करता हूं कि यह बात हमें आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार के द्वारा देखने को मिलेगा ताकि किसान उन्नति की ओर आगे बढ़े । जांजगीर-चांपा जिला में हार्टीकल्चर को बढ़ाने के लिए एन.एच.एम. नेश्नल हार्टीकल्चर मिशन में शामिल किया जाए, यह मांग लम्बे समय से है । रामविचार जी जिस समय जिला पंचायत में मेरी धर्मपत्नी थी हम आप लोगों के पास आते थे, आग्रह करते थे कि इसको शामिल करा लिया जाए । मैं मानता हूं कि यह आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है, किंतु कृपा करके जांजगीर-चांपा जिला को नेश्नल हार्टीकल्चर क्षेत्र में जुड़वाने के लिए केन्द्र सरकार को पत्र प्रेषित करें ताकि हमारे किसान उद्यानिकी फसल की ओर भी आगे बढ़ें ।

सभापति महोदय :- ब्यास जी, 12 मिनट हो गए हैं ।

श्री ब्यास कश्यप :- सभापति महोदय, कुछ समय तो हमारे ही साथियों ने ले लिया । मैं जल्दी समाप्त कर रहा हूं । जांजगीर-चांपा जिले में कृषि अभियांत्रिकी कार्यालय की मांग लम्बे समय से चली आ रही है । हमको बिलासपुर आना पड़ता है। हमको लोन लेना पड़ता है, आवेदन लगाना पड़ता है तो बिलासपुर आना पड़ता है । ठीक है, ऑनलाईन होता है किंतु ऑनलाईन कितना भी कर लें । बार-बार हमें बिलासपुर कार्यालय आकर चक्कर लगाना पड़ता है इसलिए जांजगीर में इसकी व्यवस्था हो जाए । सभापति जी, मिलेट्स कैफे की बात, मोदी जी हों या सभी करते हैं । कोदो, कुटकी, रागी ये भी हमारे वनवासी भाई पर्याप्त मात्रा में उगाते हैं । इनकी खरीदी की व्यवस्था भी कृषि के क्षेत्र में होनी चाहिए । मैं बीज निगम की बात कर रहा हूं कि किसानों को प्रोत्साहन की राशि बढ़ाई जाए । वर्तमान में जब से आपने 3100 रूपया किया है, लोग बीज निगम की ओर नहीं जा रहे हैं । बीज निगम में पंजीयन नहीं करा रहे हैं क्योंकि उनको भरोसा है कि आप 3100 रूपया देंगे । मैं भी 20-25 वर्षों से खेती करके बीज निगम में पंजीयन कराता हूं । बीज निगम की आज यह हालत हो गई है। मैंने मेरा देवभोग धान नवम्बर में दिया है, नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी आ गया आज तक ग्रेडिंग नहीं हुआ है । भले ही मुझे उसका पैसा मिल गया है लेकिन ग्रेडिंग नहीं हो पाया है इसलिए क्योंकि संख्या ज्यादा होने के कारण । विधान सभा की एक टीम जांजगीर गई थी, उस समय हमने आग्रह किया था कि सक्ती अभी नवनिर्मित जिला है सक्ती में रचगा फार्महाऊस है । उस फार्महाऊस में एक बीज प्रक्रिया केन्द्र खोल दिया जाए ताकि किसानों की भीड़ वहां कम हो । मैं मांग करूंगा कि सक्ती जिला के रचगा में एक कार्यालय खोला जाए । मैं मंडी को मजबूत करने के लिए अपनी बात कहूंगा । अभी पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा मंडी अध्यक्षों की नियुक्ति की गई थी । बहुत लम्बे समय से वहां धनराशि पड़ी थी । सभापति जी मैं

माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । जब हम लोग वहां पर गये, हमने उस धनराशि का सदुपयोग किया। चाहे किसान कुटीर का निर्माण हो, चाहे बाउंड्रीवाल का निर्माण हो, हमने काम किया। परंतु उस समय हमारे जांजगीर नैला मंडी में बाउंड्रीवाल का टेंडर हो गया था, आचार संहिता लगते ही वह खुल नहीं पाया और सरकार बदलने के कारण वर्तमान में वह रूक गया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि पूरे प्रदेश में जितने भी किसानों के हित के लिए मंडी के द्वारा टेंडर का काम कराया जा रहा था, उसे पुन: प्रयास करके चालू कर दिया जाए। उसमें समीक्षा कर लीजिए, अगर उपयुक्त नहीं है तो मत कराईए पर किसानों के हित में अगर धान खरीदी केन्द्रों का बाउंड्रीवाल हो जाएगा तो कम से कम पशु से और चोरों से भी हम किसानों का फसल बचेगा। मैं यह आग्रह करता हूं।

सभापति महोदय, अनुसूचित जाति, जनजाति के विषय में यह कहना चाहता हूं कि जांजगीर चांपा जिला अनुसूचित जाति...।

श्री धर्मजीत सिंह :- ब्यास जी, एक मंडी अध्यक्ष हमारे तखतपुर में भी थे, वह सिर्फ दस्तखत करता था। वहां की विधायक पूरा माल लेकर चली जाती थी। जांच करा दूंगा तो वह जेल चली जाएंगी।

श्री ब्यास कश्यप :- स्वागत है। कहीं पर भी अन्याय हो, चाहे किसी की भी सरकार हो, जांच होनी चाहिए और कार्रवाई भी होनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, जांजगीर चांपा जिला में अनुसूचित जाति की बहुलता है। पूरे प्रदेश में कहीं पर ज्यादा संख्या में अनुसूचित जाति के लोग निवास करते हैं तो महानदी के दोनों खड़ पर निवास करते हैं, उसमें जांजगीर चांपा जिला भी आता है। इसके विकास के लिए मैं विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि उनको जितनी भी राशि मिलनी चाहिए, वह विशेष रूप से मिले। पहले राशि मिलती थी या नहीं मिलती थी, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, मैं नया विधायक आया हूं, कृपा करके जनसंख्या के अनुपात में राशि दे दीजिए। आपका जो भी रेशियो आता है, उस रेशियो का सदुपयोग करें, दुरूपयोग न हो। क्योंकि यह देखने में आता है कि अधिकारी गलत-गलत चीजों के लिए जाते हैं, वहां जनप्रतिनिधि बैठ करके, चाहे उसमें जिला पंचायत हो, जनपद पंचायत हो, चाहे विधायक हो, उसको देखें और उस विषय पर उस राशि का सदुपयोग हो। खासकर हमारे यहां पूजनीय जैतखंभ है, रहसबेड़ा में हमारे सूर्यवंशी भाई है, वे अनुसूचित जाति में आते हैं, उनके विकास के लिए धार्मिक आयोजन होते हैं, परंतु सुख सुविधा का अभाव रहता है, वहां पर उनको सामुदायिक भवन या छतदार चबूतरा भी अनुसूचित जाति के लिए होना चाहिए।

सभापति महोदय :- ब्यास जी 15 मिनट हो गए, समाप्त करिए।

श्री ब्यास कश्यप :- सभापति महोदय, समाप्त कर रहा हूं। जिले में आज भी छात्रावास की कमी है, जो छात्र पढ़ना चाह रहे हैं, वह पढ़ नहीं पाते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान में इस वर्ग का विकास करने के लिए पर्याप्त समय मिला है। पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं, इनकी शिक्षा का

स्तर सुधर रहा है, इसमें बड़ा आयोजन आश्रम और छात्रावासों का है। मैं आग्रह करूंगा कि मांग के अनुरूप छात्रावास का निर्माण हो ताकि होनहार बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़ा सकें।

सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र में जनजाति कम संख्या में है। हमारे जिले में भी लगभग 5 प्रतिशत की आबादी आती है, भाई रामकुमार जी ने भी कहा और मैंने भी यह विषय उठाया था कि जो सबरिया गोड़ जाति के लोग लिखते हैं, आप उनके लिए एक निरीक्षण और परीक्षण करा लें, अगर वे वास्तव में आते हैं, तो उनको प्रमाण पत्र दे दीजिए। कई लोगों को जाति प्रमाण पत्र मिल गया है, बाप को मिल गया है, बेटा को नहीं मिला है या बेटा को मिल गया है तो बाप को नहीं मिला है। ग्राम पंचायत में ग्राम सभा करके इनको अनुमति दे दी गयी है, परंतु वे लाभ से वंचित हैं। कई लोग तो प्रमाण पत्र पाकर जनपद पंचायत और जिला पंचायत सदस्य बन जाते हैं, सरपंच बन जाते हैं, कई लोग प्रमाण पत्र के अभाव में दर-दर से भटक रहे हैं । सबरिया इसलिए कहते थे कि वे साबर लेकर पशु का वध करने के लिए जाकर अपने जीविकोपार्जन करते थे, इसलिए उन्हें सबरिया कहा जाता है, वे भी आदिवासी श्रेणी में आते हैं। मैं आग्रह करूंगा कि इस विषय पर भी आप ध्यान दें। विकास की बात आयी है तो हमारे यहां दो आदिवासी गांव करमंदी और तेंदूभाटा हैं, इनके बीच को जोड़ने के लिए एक नाला है और सड़क का अभाव है। उस पर मड़वा पॉवर प्लांट का बड़ा-बड़ा हाईवा भी चलता है पर सड़क नहीं बन पाया है। कृपा करके इस विकास योजना के अंतर्गत तेंदूभाटा और करमंदी के बीच को जोड़ा जाए। ताकि ये दोनों आदिवासी गांव शिक्षा के क्षेत्र में या विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें।

सभापति महोदय, मैं पिछड़ा वर्ग से आता हूं, पिछड़ा वर्ग विकास के लिए विधान सभा में सर्वानुमति से प्रस्ताव पास हुआ था। पूर्ववर्ती सरकार में 27 प्रतिशत आरक्षण की बात कही गयी थी। मैं उस वर्ग से आता हूं। अनुसूचित जाति, जनजाति, सब अपना-अपना लाभ ले जाते हैं, सामान्य वर्ग को 10 प्रतिशत मिलता है, हम पिछड़ों की चिंता करने वाला कोई नहीं है। आप सबकी सहमति से इसी विधान सभा से 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव पास हुआ है, मैं इस सरकार से भी मांग करूंगा कि उसको पुन: चालू कराकर, राज्यपाल से दस्तखत कराकर, केन्द्र सरकार से अनुमति लेकर हमारी भी चिंता दूर की जाए। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद।

सभापति महोदय :- अभी 10 सदस्य शेष हैं। माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि आप समय का थोड़ा ध्यान रखेंगे। माननीय धर्मजीत सिंह जी।

श्री धर्मजीत सिंह (तखतपुर) :- माननीय सभापति महोदय, इस सदन के बहुत ही वरिष्ठ विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, राज्य सभा के सदस्य रहे हैं और अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ऐसे श्री रामविचार नेताम जी, जो कृषि और आदिम जाति कल्याण विभाग के मंत्री हैं। मैं उनके विभाग की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है क्योंकि यदि हम हमारे प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग सबकी आबादी को काउंट करे तो

लगभग 90 प्रतिशत के आसपास की आबादी आपके विभाग से लाभान्वित भी होगी और उनके विकास की बात भी आप कर पाएंगे। हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। मैं पहले कृषि की ही बात करना चाहता हूं। मैं आपको एक बात बता दूं कि रामविचार नेताम जी हंसमुख और मिलनसार हैं, लेकिन बहुत जिद्दी भी हैं। मैं आपको आज से 21 वर्ष पहले की एक बात बता रहा हूं। अजीत जोगी जी की सरकार थी। रामविचार नेताम जी सामने बैठते थे। सनावल के आसपास एक बीमारी से लोग मर रहे थे तो यह भूख हड़ताल में बैठे थे। अजीत जोगी ने मुझे भेजा था कि आप वहां पर जाइये। जब मैं इनसे मिलने गया तो ये अपने गांव में ही भूख हड़ताल करते बैठे थे। मैंने इनको समझाया कि बड़े-बड़े लोग आ रहे हैं। उस समय डॉ. रमन सिंह जी राज्य मंत्री (उद्योग) थे। वह भी आये थे और आपके घर में बाबा नंद कुमार साय जी भी थे। यह जिद्दी हैं और यदि यह ठान लेंगे तो अपने विभाग में हर काम को बहुत जिद से ही पूरा कराएंगे। यह मिलने में भी बहुत अच्छे हैं। ब्यास कश्यप जी मण्डी बोर्ड की बात कर रहे थे, उनके आने के बाद मैं उसकी बात करूंगा। अभी कहा गया कि बीज की गुणवत्ता खराब है, इसको ठीक करना चाहिए। इस सरकार के बनने के बाद अभी न किसी फसल का समय है और न किसी फसल के लिए बीज दिया गया है। यदि बीज की गुणवत्ता खराब है तो वह आपके समय का है। मैं तो वहां पर बैठकर बोलता था कि दाल तड़का बेचने वाला बीज की सप्लाई करता था। निषाद जी, किस सरकार में? आपकी सरकार में दाल तड़का का धंधा करने वाला, जिनका होटल था। वह बड़े आदमी हैं तो उनका इस बीज से कोई लेना-देना नहीं है। बीज कैसे पैदा होता है, कहां से आता है और कहां भेजना है? ये सारे फैसले वही करते थे। न कृषि मंत्री करते थे और न कृषि विभाग के सचिव करते थे। महासमुंद रोड में स्थित एक होटल से बीज के सारे फैसले होते थे। यदि खराब बीज मिल रहा है तो उसमें किसी का क्या दोष है? क्योंकि फैसला वहां से होता था। अब यह नहीं चलने वाला है। रामविचार नेताम जी, आप बीज की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देंगे। पिछले 5 सालों में बीज में बहुत धंधेबाजी और गोरख धंधा हुआ है। इनके एक नेता, जिनका मैं नाम नहीं लूंगा। वह बोलते थे कि आलू को ऐसे मशीन में डालोगे तो इधर से सोना निकल जाएगा। वह ऐसी कौन सी मशीन है? ऐसी मशीन कहां पर बनती है कि यहां से आलू डालेंगे तो यहां से सोना निकलेगा। यदि कोई ऐसी मशीन हो तो पता कराइये। इनके एक नेता बोलते थे कि छत्तीसगढ़ का किसान जहां भी जाएगा तो यदि वह अपनी फसल को हमारे फूड पार्क और फूड प्रोसेसिंग प्लांट में देगा तो उसको नगद पैसा मिलेगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप मुझे बताइयेगा कि 3 दिसम्बर के पहले तक यहां कितने फूड पार्क थे? कितना फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगा और उसमें क्या-क्या प्रोडक्शन हुआ, इसकी जानकारी आप सदन को जरूर दीजिएगा। लैलूंगा में टमाटर पैदा होता है । राठिया जी, आप तो वहीं के हो । आपने टोमेटो केचप के लिए प्लांट क्यो नहीं खोला ? वहां के लोग तो टमाटर को सड़क में फेंककर जाते हैं, प्लांट खुलना चाहिए था न । सरगुजा में कटहल बहुत होता है । कटहल को सेफ करके उसका डब्बा पैक करके अगर पूरे हिन्दुस्तान में बेचते तो आपको क्या तकलीफ

थी ? कोई भिलाई स्टील प्लांट खोलना था क्या ? कटहल को खरीदकर काटना था और उसको सेफ करके भेज देना था । तखतपुर, मुंगेली, नांदघाट के पास बिही बहुत होता है । एकाध बिही को प्रिजर्व करने का प्लांट खोलते । हमारे कवर्धा, बेमेतरा और नवागढ़ तरफ गन्ना बहुत होता है । अगर गन्ने का जूस सेफ करके भेजने का प्लांट खोलते तो क्या तकलीफ थी ? मेरा मतलब यह है कि आपने पांच साल सिर्फ सब्जबाग दिखाया । किसानों की आर्थिक तरक्की के लिए सिवाय 25 सौ रूपये प्रति क्विंटल धान का देने के अलावे दूसरा कोई सब्सिट्यूट, दूसरा कोई पैरलल अरेंमेंट आपने नहीं किया । मंत्री जी, आपको करना होगा । धान खरीदी का श्रेय लेने के पहले यह मत भूलिए कि यहां धान की खरीदी के लिए सबसे पहला काम अजीत जोगी जी ने किया था । उन्होंने धान खरीदी का काम शुरू किया, उससे कोई भी सरकार पीछे नहीं हट सकती क्योंकि धान की खरीदी का मुद्दा इस प्रदेश की तकदीर, तस्वीर और राजनीति की दिशा और दशा को तय करने वाला मुद्दा है । अगर आप पीछे हटने की कोशिश करेंगे तो आप खत्म हो जाएंगे । अगर हम पीछे हटने की कोशिश करेंगे तो हम खतम हो जाएंगे । इसलिए किसानों के धान को खरीदना है, 31 सौ रूपए देना है । अभी और आगे जरूरत होगी तो आगे और भी बात बढ़ सकती है और आगे जा सकती है । इसलिए 2100, 2500, 3000 कहने से आप बच नहीं सकते, पर किसान की तरक्की के लिए दूसरा इंतजाम आपको करना ही होगा और माननीय कृषि मंत्री जी, उसके लिए आप फूड पार्क को प्रमोट करिए।

सभापति महोदय, हमारे प्रदेश में एक से बढ़कर एक चांवल होता है । उस प्रोडक्ट को हमारे किसान आगे क्यों नहीं बढ़ा सकते ? अगर वे ढेंकी का चांवल बनाकर बेचना चाहेंगे तो बाजार में बिक सकता है, पर उन्हें सरकार का संरक्षण चाहिए, उनके प्रोडक्ट को सरकार की तरफ से संरक्षण चाहिए । कोई एकाध ब्राण्ड, एकाध कम्पनी से आपका एग्रीमेंट होना चाहिए कि हमारे इस प्रोडक्ट को आप बिकवाईए । उसके लिए जरूरी नहीं है कि 5 करोड़ की राईस मिल खोली जाये । इन सब चीजों की तरफ भी हमें विचार करना होगा ।

सभापति महोदय, नकली खाद, कालाबाजारी हुई । भाजपा की सरकार बनने के बाद अभी तक तो खाद का वितरण नहीं हुआ है । नकली खाद की बात इस सदन में आती रहेगी । नकली खाद आखिर बन कैसे जाएगा । नकली खाद को बनाने के लिए अगर सरकार कड़ाई से पेश आ जाये तो इसे बनाने वाले नकली खाद नहीं बना सकते, लेकिन सरकार में बैठे हुए लोग नरम हो जाएंगे तो नकली खाद क्या है, वह कुछ भी नकली बनाकर बेच सकते हैं और बेचते ही हैं । इस पर भी कड़ाई से रोक होना चाहिए । खाद की गुणवत्ता की जांच के लिए आपने प्रयोगशाला भी खोलने का प्रावधान किया है । नकली दवा भी बिक रही है । मंत्री जी, आपको इसकी भी जांच करवानी चाहिए । आपको कैश क्राप को प्रमोट करना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए । जब छत्तीसगढ़ में पहली सरकार बनी थी तो 9 महीने के अंदर भोरमदेव में शक्कर कारखाना खोला गया और उस शक्कर कारखाना के शिलान्यास से लेकर उद्घाटन तक हम

लोग वहां थे और उसके बाद जो बाकी शक्कर कारखाने खुले, वह डॉ. रमन सिंह साहब ने खोला और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि उन शक्कर कारखानों में जो शक्कर का रेट फिक्स होता है, गन्ने से ज्यादा में आता है, उसमें सबसे ज्यादा गुणवत्ता युक्त गन्ना और शक्कर का प्रोडक्शन हमारे कारखाने से हो रहा है। प्रोडक्शन में उसका रस निकालने के बाद जिससे शक्कर ज्यादा बनता है, उसको कृषि की भाषा में जो भी बोलते हों, कुल मिलाकर अर्थ यह है कि हमारा गन्ना अच्छा है, कारखाना भी ठीक है, शक्कर का उत्पादन अच्छा हो रहा है। तो क्यों नहीं खुलना चाहिए ? महाराष्ट्र में कैसे गांव-गांव में शक्कर कारखाना है, यहां खोला जाना चाहिए। मैंने तो मांग किया था कि मुंगेली के पास सेतगंगा में खोल दीजिये। कुण्डा, सेतगंगा, लोरमी, पथरिया, नवागढ़ में खोल दीजिये, लेकिन कोई नहीं सुना। डॉ. रमन सिंह साहब ने पण्डरिया में कारखाना खोला। तो इस दिशा में भी विचार करना चाहिए। अब एथेनॉल का प्लाण्ट लगाओ, एथेनॉल का प्लाण्ट लगाओ। तो भाई, हर जगह एथेनॉल का प्लाण्ट लगेगा नहीं, वह बहुत कीमती प्लाण्ट होता है। वह प्लाण्ट लगे, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपको कैश क्राप के लिए भी देखना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, इस पूरे विभाग में सबसे बेस्ट विभाग उद्यानिकी है। उद्यानिकी विभाग में जशपुर में चाय की पैदावार हो रही है। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हो तो रहा है। अच्छा हो रहा है। जब यहां का क्लाइमेट अच्छा है तो हम चाय क्यों पैदा नहीं कर सकते। उनको रिसर्च करवाकर, वहां की मिट्टी, वहां के खेत को, वहां के अधिकारी, वहां के नेता, सब मिलेंगे तो चाय भी होगा। पहले तो हम सुनते थे कि सिर्फ असम में चाय होता है। मैं तो ऊटी गया था, ऊटी में भी चाय हो रहा है तो अगर हमारे जशपुर और बस्तर में चाय की पैदावार हो सकती है तो क्यों नहीं होना चाहिए ? आपको इस दिशा में भी सोचना पड़ेगा। सिर्फ धान और समर्थन मूल्य और बोनस में ही मामला अटका रहेगा, तो बाकी सब फसलों की तरफ हमारा ध्यान नहीं जायेगा और हमारी तरक्की नहीं हो पायेगी।

माननीय सभापति महोदय, मसालें की खेती होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में प्याज भी नासिक से आ रहा है। यह तो छत्तीसगढ़ को कुदरत का वरदान है कि छत्तीसगढ़ की धरती में गोभी हो सकता है, टमाटर भी हो सकता है, प्याज भी हो सकता है, लहसुन भी हो सकता है, चाय भी हो सकता है। आम, बिही, संतरा भी सब फसल यहां हो सकती है तो हम यहां पर प्याज का उत्पादन क्यों नहीं बढ़वायें। प्राकृतिक आपदा आ जाती है, फसल में नुकसान होता है, आपने उसके लिए बीमा का प्रावधान किया है। उसको ठीक से कराईये। ये बीमा कम्पनियां भी बहुत फर्जी रहती है। एक बीमा के नाम से कुछ भी लिख-पढ़ लेते हैं, ठीक टाइम में किसी को 11 रूपया, किसी को बारह आना, किसी को 3 रूपया देते हैं। यह गलत है, ऐसे लोगों को तत्काल जेल भेज देना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैंने उद्यानिकी के बहुत से नर्सरी देखे हैं। मैं जहां 20 साल तक विधायक था, वहां पर उद्यानिकी का सरहरा नर्सरी बहुत बढ़िया है। मैं उस नर्सरी में जाता भी था। वहां

पर गांव के बहुत से लोग पौधा लेने के लिए आते थे। यहां उद्यानिकी का नर्सरी खोलना चाहिए, ताकि गांव में लोग अपने खेत पर, मेड़ पर, आप बोल रहे थे, आप मेड़ में वृक्ष लगाने की बात कह रहे थे, मैं वही बात बोल रहा हूं। उद्यानिकी विभाग से मेड़ों के लिए फलदास वृक्ष दिए जायें। हर बात सरकार से नहीं हो सकता। लेकिन अगर हमको सहुलियत से मिल जाये तो हम भी अपने मेड़ में नीबू लगा देंगे, हम अपने मेड़ में कोई और फसल लगा लेंगे। वैसे भी हम लोगों के यहां मेड़ में राहर लगाते ही हैं। पहले नया मेड़ बनाते हैं तो उस पर राहर डाल देते थे। अभी कम से कम फलदार वृक्ष तो लगा सकते हैं। तखतपुर विधानसभा क्षेत्र, जहां से मैं पहली बार विधायक बना हूं, जब मैं वहां गांव में दौरा कर रहा था, वहां अधिकांश 30 प्रतिशत एरिया में लोग सब्जी और भाजी पैदा करते हैं। बिलासपुर शहर की पूरी आपूर्ति वहां के किसान करते हैं। सभापति महोदय, जब हमारे बड़े-बड़े नेता आते है, कोई कार्यक्रम होता है तो फूल कहां से आता है, फूल आता है बंगलौर से, फूल आता है कलकत्ता से । यहां अगर फूल होगा, यहां अगर यह तय हो जाये कि रायपुर, दुर्ग और भिलाई में खपेगा, हमारे लोग फूल नहीं लगायेंगे ? गेंदा फूल लगाने में, चमेली, जूही लगाने में क्या फर्क पड़ता है ? यह तो बाड़ी में भी लग सकता है, कहीं पर भी लग सकता है ? हम उसको कामर्शियल तरीके से पैदा करायेंगे तो उनकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी । अध्यक्ष महोदय, हम बड़ी-बड़ी बात कर लेते हैं, आज भी अण्डा और मछली हैदराबाद से आता है । अण्डा और मछली हैदराबाद से आना यानी दो बातों की ओर इंगित करता है कि या तो हम किसानों को उस दिशा में ठीक से प्रेरित नहीं कर पाये हैं या हम उनको देखकर प्रेरित नहीं हो सके हैं । सभापति महोदय, हम क्या समझते हैं कि बहुत बड़े-बड़े तालाबों में जहां 5 फीट, 10 फीट पानी भरा होगा, वहां मछली पलेगा । अध्यक्ष महोदय, टेक्नॉलाजी हैदराबाद में सिखवाईये, छोटे से मेड़ में डेढ़ फीट पानी में बड़ा-बड़ा मछली पैदा करते हैं और एक-एक दो-दो महीने के रोटेशन में पैदा करते हैं और वही मछली यहां आती है । सभापति महोदय, मैं तो खुड़िया बांध का विधायक रहा हूँ, वहां साल भर के लिये पांच मिनट भी पानी कम नहीं होता है । वहां मरने-डूबने तक का पानी भरा रहता है । हर जगह वैसा बांध तो हो नहीं सकता है, लेकिन किसान का जो परिया जमीन है, खाली जमीन है, आप इसका डिमान्सट्रेशन कराईये । हालांकि डिपार्टमेंट आपके पास नहीं है ...।

श्री गजेन्द्र यादव :- सर, वह ऑलरेडी हमारे भारत सरकार से ला रहे हैं । गवर्नमेंट का पानी टंकी में मछली पालन का स्कीम चल रहा है । छोटे-छोटे जगहों पर मछली पालन की योजना है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, हमारे घर में हर एरिया में एक रखा है, मछली बड़ा हो जाता है तो उसको मार के खा थोड़ी जायेंगे ? नांदघाट के पास है एक मंडल का, आप जाईये ना दिखवाईये किसानों को ? उसका टर्न ओव्हर कितने करोड़ का है जरा पूछिये ? अपने लोगों को अवसर दीजिए ना, दिखाईये, बताईये, समझाईये, सिखाईये । परिया खेत में पानी डालेगा, चारा बन रहा है, उसको लाकर खिलाना है, दो बार पानी को हिलाना है, उससे बच्चा दोड़ता है, उसका ग्रोथ होता है, इसके

बहुत से तरीके हैं । चाय के फसल के लिये बड़े-बड़े वैज्ञानिक आपके पास रहते हैं, बता दें कि कहां होगा, कौन सी जमीन होगा, कैसे होगा, चाय लगवाईये ? रकबा बढ़वाईये। जब शक्कर फैक्ट्री खुला तो हम लोग किसान गोष्ठी किये, फैक्ट्री नौ महीने में खुलने वाला है, लोगों को बोले कि इस साल गन्ना लगाओ, माननीय मंत्री जी, अब इतना गन्ना हो गया है कि वह फैक्ट्री वाला नहीं खरीद पा रहा है तो गुड़ फैक्ट्री लगाये, वह लोग खरीदते हैं । माननीय मंत्री जी, आप थोड़ा बढ़ाइये ना, थोड़ा प्रोत्साहन दीजिए तो सब ठीक हो जायेगा । सभापति महोदय, मैं कुछ बातें और बता देता हूँ, मंत्री जी के विभाग में आज बोल ही देता हूँ, बाकी तो जनरल भाषण हो ही जायेगा। सभापति महोदय, कृषकों को सिंचाई संयंत्र स्थापना हेतु लघु एवं सीमान्त कृषकों को 55 प्रतिशत और बड़े कृषकों को 45 प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान है । वर्ष 2023-2024 में ड्रिप सिंचाई के लिये 46 करोड़ का प्रावधान था, वर्ष 2024-2025 में ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई संयत्र स्थापना हेतु 54 करोड़ का प्रावधान है, जिसमें लगभग 7 हजार हेक्टेअर में ड्रिप स्प्रिंकलर संयंत्र की स्थापना संभव हो सकेगी । माननीय सभापति महोदय, यह स्प्रिंकलर भी बहुत अचछा है । छोटे से खेत में स्प्रिंकलर लगा दीजिए, इसमें छूट मिल रहा है, इससे पानी कम लगता है, फसल अच्छी होती है, इसमें बरबादी नहीं होती है, इसमें थोड़ा सा पारदर्शिता से काम करने की आवश्यकता है । सभापति महोदय, कोल्ड स्टोरेज का अपना महत्व है । आलू, प्याज जो भी लायेंगे, जब कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे, बाद में समय आयेगा तो रेट अच्छा मिलेगा, चिरौंजी, चार, महुआ, सब बस्तर में तो रहता है ना, बस्तर में तो एक नंबर काजू की खेती होती है, उसी को दिखाकर सीखा दो कि दूसरे लोग भी काजू लगा लें । 65 कोल्ड स्टोरेज के निर्माण हेतु 91 करोड़ 89 लाख का अनुदान दिया जा चुका है, जिसकी भंडारण क्षमता 320 लाख मिट्रिक टन है । आपने वर्ष 2024-25 में 14 कोल्ड स्टोरेज के निर्माण हेतु राशि 25 करोड़ रूपये के बजट का प्रावधान किया है। आप बेरोजगार लड़कों को बोलिये कि वे कोल्ड स्टोरेज खोले। छत्तीसगढ़ के बेरोजगार लड़के कोल्ड स्टोरेज खोले। ब्यास जी, आप कोल्ड स्टोरेज खोलिये। इसमें 25 करोड़ रूपये का प्रावधान है।

श्री ब्यास कश्यप :- भैया, प्रावधान तो है। लेकिन जब हम आवेदन लगायेंगे तो वह इतना ज्यादा नियम कानून बता देंगे कि हम किसानों को उसका लाभ नहीं मिल पायेगा। वहीं कोई उद्योगपति आवेदन लगायेंगे तो उनको तत्काल उसका लाभ मिल जायेगा, यह भी विषय है।

श्री बालेश्वर साहू :- धर्मजीत जी, मैं कोल्ड स्टोरेज खोलूंगा। आप मुझे दिलवा दीजिये। मैंने कोल्ड स्टोरेज के बारे में लिखा भी है।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप चलिये ना। आप दोनों पहल करिये। आप दोनों इस सदन के सम्मानित विधायक हैं। आपसे कोई नेतागिरी और कायदा-कानून नहीं दिखायेगा।

श्री बालेश्वर साहू :- सभापति महोदय, मैंने लिखा भी है। आप मेरे बम्हनीडीह ब्लॉक में दिलवा दीजिये। मैं खोलने के लिये तैयार हूं।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप सुनिये तो, मैं बोल रहा हूं। आपको कोई कायदा कानून नहीं दिखायेगा, आप कायदे कानून बनाते हैं। मेहनत करने वालों की कभी..

श्री बालेश्वर साहू :- हार नहीं होती।

श्री धर्मजीत सिंह :- और नहरों से डरकर कभी नौका ..।

श्री बालेश्वर साहू :- पार नहीं होती।

श्री धर्मजीत सिंह :- इसलिये आप तैयार रहिये।

श्री बालेश्वर साहू :- धन्यवाद। हम जरूर आवेदन लगायेंगे और अपेक्षा है कि सरकार हमें अतिशीघ्र उसकी अनुमति प्रदान करें।

श्री गजेन्द्र यादव :- सर, उसमें यह है कि..।

सभापति महोदय :- गजेन्द्र यादव जी, इसके बाद आपका भाषण है। आप भी वक्ता में शामिल है। धर्मजीत जी को बोलने दीजिये, वह समाप्त करेंगे।

श्री गजेन्द्र यादव :- जी।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, मैं काम की बात को पढ़ रहा हूं। यहां सब के ज्ञान को बढ़ा रहा हूं।

सभापति महोदय, उद्यानिकी फसलों का बीमा भी हो रहा है। इसमें रबी मौसम हेतु टमाटर, बैंगन, पत्तागोभी, फूलगोभी, प्याज एवं खरीफ मौसम हेतु केला, पपीता, अमरूद, टमाटर, बैंगन, मिर्च, अदरक का बीमा भी हो रहा है। मेरा मतलब यह है कि यदि यह horticulture के माध्यम से खेती करेंगे तो आपको बीमा भी मिलेगा। राज्य निर्माण के समय छत्तीसगढ़ में कुल रकबा 2.02 लाख हेक्टेयर था, अब यह बढ़कर 112.46 लाख मीट्रिक टन प्रोडक्शन हो गया है और इसमें जो टार्गेट था, उसमें 317 प्रतिशत की वृद्धि हो गयी है। रोपणी विहीन विकासखण्डों में शासकीय उद्यान रोपणियों की स्थापना हो रही है। मंत्री जी, पहले तो मैं एक बात बोल दूं फिर दूसरी बात बोलूंगा। मैंने हमारे तखतपुर में आपसे सिर्फ एक काम मांगा है कि आप तखतपुर में एक उद्यानिकी महाविद्यालय खोलने की कृपा करें। वहां अधिकांश लोग फल, सब्जी, भाजी का प्रोडक्शन करते हैं और आप एक उद्यानिकी नर्सरी बनाने की घोषणा कर देंगे तो मैं वहां अपने लोगों को इन सब योजना का लाभ दिलाने का प्रयास करूंगा। आप तखतपुर में उद्यानिकी महाविद्यालय और एक उद्यानिकी नर्सरी खोलेंगे। अब ब्यास जी, आप मंडी बोर्ड के बारे में बोल रहे थे । जब हम विपक्ष में बैठते थे और मंडी बोर्ड के काम के लिये गये थे तो ऐसा करके हमारे कागज को फेंक दिये थे। (कागज फेंका गया।)

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से कुछ कहना चाहूंगा। मैं कहना चाहता हूं, आप मेरी बात सुन लीजिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप नहीं थे।

श्री ब्यास कश्यप :- मैं नहीं था परंतु मैं सवा साल तक मंडी अध्यक्ष था। मुझे भी मंडी बोर्ड से एक नया पैसा नहीं मिला। उसमें जो भी कार्य हुए, वह हमारी लोकल निधि, मंडी निधि से हुआ है।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, मैं 25 साल पहले मंडी अध्यक्ष था। आप तो अभी रहे होंगे। मैं मार्केटिंग का अध्यक्ष भी रह चुका हूं, मुझे मंडी के बारे में मालूम है। मेरे कागज को मंडी में ऐसा फेंक दिया गया। मैं समग्र विकास के लिये बहुत आशा भरी निगाहों से आवेदन लेकर गया कि मुझे दे दीजिये। ऐसा, ऐसा और ऐसा कागज को फेंक दिया गया। बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए। जब आपके पास पॉवर रहे तो आपको थोड़ा सोचना चाहिए कि सबको देखो। मैंने कैसे कहा कि जब इलाज के लिये कोई भी विधायक चिट्ठी लिखें, तो सबका सम्मान होना चाहिए क्योंकि विधायक, विधायक होता है। (मेजों की थपथपाहट) जब मंडी में आप पैसा मांगें तो आपको भी मिलना चाहिए, क्योंकि आप भी विधायक हों और भी कोई अवसर हो तो आपकी बातों का भी सम्मान होना चाहिए क्योंकि आप और हम सब जनता से चुनकर आये हैं। यह तो एक संवैधानिक व्यवस्था है कि हम सरकार में एक बहुमत के आधार पर बैठे हैं और आपको विपक्ष का धर्म मिला है तो आप विपक्ष में बैठे हैं। लेकिन माननीय, सम्मान आपका हैं। आप अगर कुछ करना चाहेंगे तो आपकी बात को कोई नहीं टालेगा।

श्री ब्यास कश्यप :- इसीलिये चूंकि आपने प्रश्न कर दिया तो मैं माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न करना चाहूंगा कि ..।

सभापति महोदय :- यह प्रश्नकाल नहीं है। पहले आप अपनी बात रख चुके हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, 1 फरवरी को जांजगीर में एग्रीटेक कृषि मेला हुआ था। मण्डी बोर्ड की स्वीकृति और माननीय कलेक्टर महोदय के अनुशंसा से सबने कराया। आज भी वहां 19 लाख रूपये का भुगतान नहीं हो पाया है। मुझे उसकी स्वीकृति नहीं मिल पायी है और मैं उसके लिए दर-दर भटक रहा हूं। वहां पर टेंट, भोजन, छोटे-छोटे मजदूर और कलाकार बोल रहे हैं कि हमें पेमेण्ट नहीं हुआ है, हमें तकलीफ है। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा । मैं उस समय गिड़गिड़ा कर परेशान हो गया था। कम से कम आज गिड़गिड़ाने की स्थिति न आये, जो वास्तव में काम हुआ है, कलेक्टर ने अनुमोदन करके भेजा है, उन मजदूरों को वह राशि मिलनी चाहिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं तो आपकी बात उठा रहा था। आप लोगों ने रीपा चलाया था। यहां आप लोग औद्योगिक क्रांति ला रहे थे। उसमें कई सरपंच आत्महत्या करने वाले हैं मैं पहले ही सदन में बता चुका हूँ। उनका लाखों रूपये पेमण्ट नहीं हुआ है। वह कोई भी दिन चिट्ठी लिखकर आत्महत्या करेंगे तो मैं यहां उनकी चिट्ठी बताऊंगा। मैं तो यहां पहले ही बता चुका हूँ। वही लोग रहेंगे, आप थोड़ी होंगे। उनके नाम से चिट्ठी बनेगी।

माननीय सभापति महोदय, माननीय टेकाम साहब ने आदिम जाति कल्याण विभाग में अति पिछड़ी जनजाति बैगा का जिक्र किया। मेरा बैगा लोगों से बहुत नजदीक का रिश्ता रहा है। वह मेरे समधी तो नहीं, मेरा परिवार है। मैं उनको इस दुनिया का जिंदा देवता मानता हूँ। वह इतने भोले-भाले अच्छे लोग होते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी बहुत तकलीफ दायक होती है। आजादी के 75 सालों बाद, शिक्षा के क्षेत्र में इतना परिवर्तन आया कि उसमें से भी बहुत से पढ़े-लिखे बच्चे आ गये हैं और यह शासन का नियम है या नहीं, मैं यह नहीं जानता, लेकिन मैं यह चाहता हूँ कि यह बिहोर, पण्डों हों, चाहे बैगा हो, कमार हों जो कम से कम 12 वीं या बी.ए. पास हों, कम से कम इनको सीधे गुरूजी की नौकरी में भर्ती कर दीजिए। जब यहां 3 हजार भर्ती होने ही वाली है तो इनको जरूर सीधे नौकरी दे दीजिए। हर कलेक्टर का ऑर्डर करके बाकी की भर्ती करवाईये। इनके लिए कोई परीक्षा नहीं और कोई सिफारिश नहीं। इनकी जाति सर्टीफिकेट वेरीफाई करिये और इन्हें नौकरी दे दीजिए। ताकि कम से कम उनकी जिंदगी में भी उजाला आये। नहीं तो वह कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं मैं आपको क्या बताऊं। मैं जब कोरोना के समय एक गांव गया था तब मैंने उस गांव में पूछा कि आप लोगों को सरकार का चावल मिल रहा है तो उन्होंने बताया कि आपकी सरकार में हमें चावल मिल रहा है। मैंने उनसे पूछा कि आप इसे कैसे खाते हैं तो उन्होंने बताया कि हम इसे इस तरह खाते हैं हम चावल बनाते हैं हम टमाटर को उबालते हैं और नमक डालकर, उसी में मिलाकर खाते हैं। क्योंकि उनके पास काम भी नहीं है। वह जंगल के दूरस्थ ग्रामों में रहते हैं और उनको कोई काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है। वह जितनी तकलीफ में रहते हैं उतनी तकलीफ की कल्पना तो यहां कोई बैठा आदमी न कर सकता है, न देखा है और देख सकता है।

श्री आशाराम नेताम :- हमारे एरिया में भी है अभी जनमन के माध्यम से उनका बहुत ही अच्छा विकास हो रहा है। जो उनके आवास के लिए 2 लाख तक की राशि की गई है। वहां 8 वीं पास को सीधे नौकरी भी मिल रही है। आप जो बोल रहे हैं, वह बहुत ही सराहनीय बात है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, आप वहां ऐसी करवा दीजिए। आपने वहां देवगुड़ी बनवाया है। वहां पर कितने देवगुड़ी बने हैं, यह मैं बता देता हूँ। देवगुड़ी आस्था का केन्द्र है और नक्सली एरिया में तो देवगुड़ी और बनना चाहिए। क्योंकि नक्सली एरिया में उनके स्मारक बनते हैं, लेकिन अगर उसके नजदीक के गांव में देवगुड़ी बना है तो वहां के देवी-देवता जो लोकल आदिवासी समाज के लोग उनकी पूजा अर्चना करते हैं। वह स्मारक रहता है। हमारे संस्कार, संस्कृति, आस्था, आराध्य को बचाने वाला देवगुड़ी ही होता है। मैं जहां तक पढ़ा हूँ मुझे याद है कि आप देवगुड़ी की मरम्मत और देवगुड़ी के निर्माण के लिए 5 लाख रूपये तक देते हैं। इसकी संख्या और बढ़ा दीजिए। हर उन आदिवासी गांवों में जहां आदिवासी समाज के लोग रहते हैं इस बजट में उनके देवगुड़ी के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रावधान होना चाहिए। कलेक्टर के पास जो भी जनप्रतिनिधि देवगुड़ी की मांग करें, उन्हें आप देवगुड़ी देने का

काम करिये। क्योंकि आदिवासियों के आराध्य देवगुड़ी हैं । आपको बताऊं कि जब आपकी सरकार थी, बैलाडीला के पास नंदीराज पर्वत है, नंदीरात पर्वत तक को एन.एम.डी.सी. को उत्खनन के लिये दे दिया गया था। वह पर्वत सिर्फ लोहे का पर्वत नहीं था, वहां पर आदिवासियों के देवता विराजे हैं, वहां पर रहते हैं। क्यों टेकाम साहब, आप तो उधरी के हैं, आप जानते हैं, थोड़ा नजदीक के हैं। नंदीराज पर्वत को औद्योगिक समूहों के सामने में उनके देवी-देवताओं को भी परोस दिया गया था। इसे छत्तीसगढ़ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे वह आदिवासी समाज का हो या आदिवासी समाज का न हो। हमारे यहां के सभी समाज के सभी देवी-देवता हमारे आराध्य हैं। उन्हीं की ताकत से आज छत्तीसगढ़ पूरे हिन्दुस्तान में जाना जा रहा है। नंदीराज पर्वत तक को आप नहीं बख्शे थे। लेकिन हमारे माननीय मंत्री रामविचार नेताम जी देवगुडी के माध्यम से देवताओं की पूजा करवाना चाहते हैं। वैसे आपकी भी सरकार में हुआ है, हम यह नहीं बोलते हैं कि आपने कुछ नहीं किया है। लेकिन अब यह करना चाहते हैं तो आप इनको सहयोग करिये। अगर कोई गलती हो आप बताईये। आपकी बात कैसे नहीं सुनेंगे। लेकिन सिर्फ बुराई, आलोचना करने के लिए.. ।

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय सभापति महोदय, 2 प्रतिशत अधिक बजट प्रावधान रखे हैं, इतने बजट में वह क्या-क्या करेंगे, आप सलाह दे रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- पिछली के बार के आपके बजट से ज्यादा बजट प्रावधान है। कितने प्रतिशत ज्यादा है, मैं अभी वह कागज नहीं लाया हूं नहीं तो मैं आपको बता देता। मेरा पास आंकड़ा था। मैं जब अपना बजट में भाषण शुरू किया था तो आंकड़े को पढ़कर बताया था कि पिछले साल के बजट से इस साल इस विभाग में इतना है, इस विभाग में इतना-इतना प्रतिशत बढ़ा है। अब आपको वह पुराना आंकड़ा दिख रहा है तो बघेल साहब मैं क्या करूं। आप तो हमारे पुराने दोस्त हो, हम तो आपके क्षेत्र में घूमे हैं। हम हमारे संग वही दाल-भात, साग भी खिलाये हैं। हम पहले तो आपके ही संग थे न। आप इतना जल्दी मत भूलिये न।

सभापति महोदय :- धर्मजीत जी, आपको फिर खिलायेंगे।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- और क्या-क्या खिलाये हैं, अभी नहीं बता रहे हैं।

सभापति महोदय :- चलिये, धर्मजीत जी, बहुत समय हो गया।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति जी, मैं यह कह रहा था कि एक बहुत ही काबिल मंत्री के पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवेदनशील विभाग है। मैं अगर बोलना चाहूं तो अभी इसमें इतने प्रकार के प्रोजेक्ट हैं, योजनाये हैं कि मैं उनका जिक्र करूंगा। लेकिन आप सबसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि सदन में हम लोग भी जनप्रतिनिधि निर्वाचित हो करके आये हैं। अगर सरकार की कोई योजना है, उसमें बजट का प्रावधान है, उससे हमारे लोगों को फायदा हो सकता है, हमारे किसानों को कोई सहूलियत मिल

सकती है। जैसे आप यंत्र देने की बात करते हैं। आप ट्रेक्टर दीजिए, पानी डालने की मशीन दीजिए, धान कटाई की मशीन दीजिए, लेकिन अध्यक्ष महोदय, पिछली बार ट्रेक्टर के बंटवारे में भी बहुत घपला हुआ है। क्योंकि कृषि के लिए जितने भी यंत्र, बीज, खाद और अन्य जितने भी प्रकार के थे, वह सब न तो मंत्रालय से होते थे, न डायरेक्ट्रेट से होते थे, न मंत्री जी के पास अधिकार था। वह अधिकार ऐसी जगह में था जिसका बीज से, किसानी से कोई लेना देना नहीं है। अब उसमें से कुछ लोग अभी ई.डी. में भी आ रहे हैं, कुछ लोग अभी सी.डी. में भी जायेंगे, कुछ लोग अभी आई.टी. में भी आयेंगे। यह सब चक्कर न पालें। ऐसे बहुत से लोग तालाब खुदा नहीं है, मगर इस कृषि विभाग के इसी प्रकार के बहुत से मगरमच्छ घूमना शुरू कर दिये हैं। मंत्री जी, आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मगरमच्छ से सावधान रहियेगा। क्योंकि यह मगरमच्छ अलग-अलग वेष-भूषा बना करके आते हैं। जैसे बहुरूपिया किसी दिन थानेदार बनकर आता है, किसी दिन कुछ बनकर आता है, वैसे ही यहां इस प्रदेश में चल रहा है। इनसे जरा बचिये। 05 साल तो हमने बहुत से लोगों को देखा है। ऐसा हवा में उड़ते देखा है। ऐसी बात करते देखा है और सुना है। ऐसा लगता था कि पता नहीं हम लोग कीड़े-मकोड़े हैं, क्या हैं, लेकिन चलिये छोड़िये, कल की बात चली गई। अब आने वाले कल की आपको, हमको, सबको मिलकर चिंता करनी है। हमको अपने खेती, किसानी और किसान लोगों की रक्षा करनी है। आप इस विभाग को पूरी संवेदनशीलता से चलाईये। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अनुभवी नेता हैं, पुराने मंत्री रह चुके हैं। आप उस जमाने से एम.एल.ए. हैं, जब हम लोग एम.एल.ए. नहीं थे। आपके अनुभव का लाभ हमको मिलेगा। व्यास कश्यप जी, मैं बहुत दु:खी हूं। आप जैसे तेजतर्रार नेता को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। आपमें बहुत क्षमता है । आप अपनी क्षमता का प्रयोग करिये और लोगों की मदद करिये। अध्यक्ष जी, आपने मुझे विशेष रूप से समय दिया। मुझे अच्छा लगा। मैं चाहता था इन सब विषयों पर थोड़ा-थोड़ा बोलूं और मेरा बोलने का आशय सिर्फ यह है कि हमको अपने किसानों और उनकी भलाई के लिए, उनकी खेती के लिए काम करना है और थोड़ा दुनिया के दौड़ में हमको भी दूसरे प्रदेश के साथ दौड़ना पड़ेगा तो आप उसमें मदद करियेगा। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- माननीय कृषि मंत्री जी के विभागों के अनुदान मांगों पर चर्चा के लिए दो घंटे का समय निर्धारित किया गया है। अभी लगभग 9 सदस्यों के द्वारा अपने विचार रखे जाने है, सभी वक्ता सदस्यों से अनुरोध है कि अपनी क्षेत्र की मांगों को 10-10 मिनट में रखने का कष्ट करेंगे। माननीय श्रीमती गोमती साय जी।

श्री रायमुनी भगत :- माननीय सभापति महोदय जी।

सभापति महोदय :- गोमती साय जी का नाम है।

श्री रायमुनी भगत :- दो मिनट अपनी बात रखना चाहती हूं।

सभापति महोदय :- गोमती साय जी को बोलने दीजिये। उनको लिस्ट में नाम है। गोमती

श्रीमती गोमती साय :- आदरणीय सभापति महोदय।

सभापति महोदय :- गोमती जी, इन्द्रशाह मंडावी जी बोलेंगे। इसके बाद आप बोल लीजियेगा।

श्री इन्द्रशाह मंडावी (मोहला-मानपुर) :- माननीय सभापति महोदय, आज मैं श्री राम विचार कृषि मंत्री के विभागों से संबंधित 15, 33, 41, 42, 49, 53, 64, 66, 68, 82, 83, 13 एवं 54 से संबंधित अनुदान मांगों का विरोध करते हुए अपनी मांग रख रहा हूं। आरदरणीय श्री राम विचार नेताम जी आदिवासी एवं कृषि मंत्री हैं। माननीय सभापति जी, मंत्री जी राम भी हैं और विचार भी हैं। मंत्री जी, आप राम भी हैं और विचार भी हैं। आपका दोनों ही काम है और आदिवासी के हित के संबंध में और पूरे प्रदेश के हित में कृषि के संबंध में विशेष ध्यान रखेंगे और भगवान राम को सुमिरन कर, विचार कर, पूरे प्रदेश को और प्रदेश के आदिवासियों को भलता मतलब अच्छा ज्यादा आशीर्वाद देंगे, ऐसा मैं सोचता हूं और मेरे क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा फायदा दिलाने का कोशिश करेंगे क्योंकि आप मेरे सगा भी हैं। (हंसी)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सम्धी नो हे का?

श्री इन्द्रशाह मंडावी :- सम्धी ही हे। माननीय सभापति जी, चाहे सरकार कोई भी, हम आदिवासी के हित में पांचवीं अनुसूची, छठवीं अनुसूची की बात करते हैं पर उनके हितों का सही ढंग से ध्यान नहीं रख पाते हैं और हमारा जो प्रतिशत है, वह पूरे प्रदेश में 67 प्रतिशत है और हमारा जनसंख्या भी 32 प्रतिशत है और अनुसूचित क्षेत्र 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है, उसके बाद भी आज अभी हमारे माननीय लखेश्वर बघेल जी बता रहे थे कि 16 जिला और विकासखण्ड 85 है और आदिवासी परियोजना 19 है। आदिवासियों के साथ रोज अन्याय हो रहा है। कल-परसों मानपुर के औंधी में ब्लॉक में एक व्यक्ति को उठाकर ले आये कि आप नक्सली हो, तो ऐसे अत्याचार पहले से भी होता रहा है और अभी भी होता जा रहा है तो मैं यही चाह चाहता हूं कि नक्सलियों के साथ हमारे आदिवासी लोग डर कर जाते हैं। रात में नक्सली लोग आते हैं और दिन में पुलिस वाले जाते हैं तो वहां जाये तो जाये कहां? वह दोनों के बीच में फंसता है। वह मजबूरी में साथ देता है और दिन में इनको साथ देते हैं। उसी की वजह से हमारा क्षेत्र आगे नहीं बढ़ पा रहा है, लेकिन मैं वही सोचता हूं कि अभी हमारे मंत्री जी आए हैं। कई पुलिस वाले हैं, जो प्रमोशन के चक्कर में आदिवासियों को मारते हैं और वह प्रमोशन ले लेते हैं। वह सिर्फ एक वर्षीय प्रमोशन के चक्कर में तीन-चार लोगों को मारा और बाद में स्वयं भी काल के ग्रास में क्रास फायरिंग में खत्म हुआ। ऐसे टाईप का काम हमारे यहां चल रहा है तो मैं यही चाहता हूं कि आदिवासी मंत्री होने के नाते आदिवासियों के साथ में अत्याचार न हो, क्योंकि वह जंगल में रहते हैं और वहीं पर अपना पूरा जीवन-यापन करते हैं। अभी माननीय अध्यक्ष जी के कार्यकाल में हमारे यहां एक थाना खुला है, जिसका पाटन में वहां के लोग बहुत स्वागत किए हैं। दूसरा एक और थाना है, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र से संबंधित है, इसलिए मैं इसको कह रहा हूं। दूसरा थाना एक गोटाटोला में स्वीकृत हुआ है, उसको भी जल्दी खोलवा दीजिये। आदिवासी क्षेत्र का थाना है तो मैं उसमें भी थोड़ा निवेदन करना चाह रहा हूं कि उसको खोलवा

देंगे तो हमारे आदिवासियों का भला हो जाएगा और वह लोग उस तकलीफ से बचेंगे। आदिवासियों का अपना परंपरागत वेशभूषा, रहन-सन, देवी-देवता, यह सब रहता है, लेकिन उसके साथ में कभी भी खिलवाड़ न किया जाए। अभी एक डौंडीलोहारा ब्लॉक में वैसे ही खिलवाड़ किये थे और जिसका वहां पर आदिवासियों ने घोर विरोध किया था । अभी आदरणीया अनिला भेंडिया जी नहीं हैं तो मैं यही चाहता हूं कि इन सभी चीजों को देखा जाये । आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में अभी एक भी काम नहीं आ रहा है, आप केंद्र में रहे हैं, शासन में रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप उपयोजना क्षेत्र में केंद्र से भी लायें । वहां पैसा बहुत रहता है लेकिन उपयोजना क्षेत्र में वहां जो भी अधिकारी-कर्मचारी बैठते हैं, केवल खरीदी के लिये वह गांधी जी के नाम से ज्यादा करते हैं । वहां जो मूलभूत सुविधा है उसका सही ढंग से उपयोग नहीं होता है । मैं अभी वहां 5 साल रहा तो कोई काम तो नहीं दिखा । 19 उपयोजना है लेकिन उसमें किसी काम का महत्व नहीं है तो मैं चाहता हूं कि इसको भी आप ध्यान रखें ।

माननीय सभापति महोदय, आदिवासी वनांचन क्षेत्र है जिसमें कहने के लिये अभी तक उठाने का प्रयास तो कर रहे हैं पर वास्तविकता धरातल में कहीं काम नहीं हो रहा है । चाहे कहीं भी आदिवासी क्षेत्र हो तो वहां पर एक कार्ययोजना, चूंकि आज बहुत सारे आदिवासी कर्मचारी भी बैठे हैं तो मैं सोचता हूं कि कार्ययोजना बनाने के लिये इनको थोड़ा सही ढंग से आप मार्गदर्शन करेंगे । मेरे क्षेत्र में स्कूल भवन नहीं है। वहां पर बहुत दूर-दूर में स्कूल हैं तो वहां पर हॉयर सेकेण्डरी स्कूल बने, उन्नयन करने के लिये मदनवाड़ा, सीतागांव, वासरी, टोहे गांव है । वैसे ही छात्रावास के लिये भी बहुत दिक्कत हो रही है तो मैं आज आपसे छात्रावास के हित में मांग कर रहा हूं। जिसमें पोस्टमैट्रिक बालक छात्रावास मानपुर भवन की मांग है, प्रीमैट्रिक बालक छात्रावास मानपुर भवन की मांग है, प्री मैट्रिक बालक छात्रावास नेडगांव यहां पर खोलने की मांग है और नवीन छात्रावास जो पूरा नक्सलाईट क्षेत्र है । मंत्री जी, आप स्वयं जानते हैं । आप वहां गये हैं कि नहीं गये हैं, मैं तो नहीं जानता लेकिन वहां पर पोस्टमैट्रिक कन्या छात्रावास औंधी वहां पर एक भी छात्रावास नहीं है तो वहां पर कॉलेज की मांग कर रहा हूं । पी मैट्रिक कन्या छात्रावास मदनवाड़ा जहां पर चौबे जी का काण्ड हुआ था कोरगट्टी तो वह बहुत घोर नक्सली क्षेत्र है तो वहां पर अगर आप इन 3-4 मांगों को कर देंगे । प्रीमैट्रिक कन्या छात्रावास सीतागांव और एक पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास कंदाड़ी इन चारों छात्रावास को उधर भी ईशारा कर देंगे तो लिख लेंगे ।

कृषि मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- हो रहा है ।

श्री इन्द्रशाह मण्डावी :- माननीय मंत्री जी, कृपया इन चारों छात्रावास को स्वीकृत कर देंगे तो मुझे भी शांति मिलेगी और वहां के सभी लोग आपको भी दुआ देंगे । मैं चाहता हूं कि इसको स्वीकृत करवा दें, अभी उसमें जो भी जुड़ेगा । वहां पर काफी लोगों को वनपट्टा भी नहीं मिला है । वे दर-दर भटक रहे हैं । मेरा ऐसा सोचना है कि वनपट्टा के लिये भी आप थोड़ा निर्देशित कर देंगे तो वनपट्टा भी मिल जायेगा । कृषि के क्षेत्र में चूंकि पूरा छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान प्रदेश है और सबकी निगाहें आपके

ऊपर है कि कृषि के क्षेत्र में कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे 3100 रूपये दिलवायेंगे ? वहां पर धान खरीदी केंद्र चूंकि माननीय खाद्य मंत्री जी भी हैं, आप दोनों हैं तो धान खरीदी केंद्र के लिये भी हमारे यहां काफी लंबा-लंबा जाना पड़ता है और आप लोग 3100 रूपये देंगे, हम लोगों ने कम दिया था इसलिये थोड़ा कम खुला है लेकिन 15 साल में नहीं खुला था जिसको हमारे माननीय भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में लगभग 10 धान खरीदी केंद्र में खुलवाया नहीं तो 7-7 दिन वहां पर सोना पड़ता था तो मैं अलग से आवेदन दे दूंगा । मेरे यहां 7 धान खरीदी केंद्र बहुत जरूरी हैं जिसको खोलने के लिये आप लोग अभी से कार्यवाही कर देंगे तो अगले साल में सोसायटी बन जायेगी और खुल भी जायेगा तो अभी जो 3-4 दिन की लाईन लगानी पड़ती है वह नहीं लगानी पड़ेगी । अभी भी जहां पर चल रहा है वहां पर जगह नहीं होने के कारण उसको दूसरी जगह ट्रांसफर किये हैं । कुछ के चक्कर में धान खरीदी उठाव भी नहीं हो रहा था उसका भी ध्यान रखते हुए थोड़ा सा विशेष ध्यान देंगे । मंत्री जी, मैं आपसे एक विशेष मांग कर रहा हूं कि खड़गांव में कृषि महाविद्यालय की, जगह वगैरह भी देख लिये हैं । लगभग 50 एकड़ की मांग बताये थे, 50 एकड़ देख लिये हैं तो उसको विशेषकर ध्यान देंगे तो वहां पर हमारे आदिवासी बच्चे और पिछड़ा वर्ग के बच्चे जितने भी हैं, कृषि करने की अभी जो तकनीक है उसको आधुनिक तकनीक से करने का प्रयास करेंगे । वनांचल क्षेत्र में आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और सबसे बड़ी चीज है कि आपका नाम भी रहेगा कि कौन से मंत्री के कार्यकाल में, कौन से मुख्यमंत्री के कार्यकाल में खुला था? तो आप इसका विशेष ध्यान रखें। जिला बनने के बाद एक कृषि विज्ञान केन्द्र खुलता है। तो जो नवीन जिला है, वहां पर कृषि विज्ञान केन्द्र भी खुलवाने का प्रावधान रखा जाये। अभी हमारे ब्यास कश्यप जी और हमारे आदरणीय धर्मजीत सिंह जी बोल रहे थे कि गांव-गांव में नकली बीज कृषि केन्द्र खोलकर साल भर में भाग जाते हैं और उधारी भी डूब जाता है तो ऐसे ही हमारे यहां कुछ प्रकरण आये थे तो मैंने केस बनवाकर उन्हें पेनाल्टी किये थे। पर इसमें भी आप कृषि अधिकारियों को ग्राम सेवकों को आदेशित करेंगे तो गांव-गांव में जाते हैं तो जो-जो लाइसेंसधारी हैं और लाइसेंसधारी भी नकली बेचते हैं। पिछले कार्यकाल में ऐसा ही हुआ था। एक हमारे जिला पंचायत सदस्य हैं। चूंकि भा.ज.पा. के थे और मैंने कभी परेशान नहीं किया, पर रोज मेरे बारे में बोलते थे मैंने उनके बारे में वैसे ही रिपोर्ट कर दिया। उसके यहां 2 लाख जुर्माना हो गया है। तो अभी चुनाव के पहले बोल रहे थे कि आप तो जीतेंगे, आप मुझे परेशान मत करना। अभी भी जिला पंचायत सदस्य हैं।

सभापति महोदय :- मंडावी जी, समाप्त करिए।

श्री इंद्रशाह मंडावी :- माननीय सभापति जी, सबको मिल रहा है। थोड़ा बहुत हम भी बोल रहे हैं तो हमें भी मौका दीजिए।

सभापति महोदय :- आप बोलकर समाप्त करिए।

श्री इंद्रशाह मंडावी :- सभापति जी, नहीं-नहीं, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं। आप चेहरा देखकर मत दिया करें। सभी को समान रूप से दिया करें। हम लोग भी चुनकर आये हैं। बाकी सभी लोग चुनकर आये हैं। कोई सीनियर है तो कोई जूनियर है। तो आप ध्यान रखने का प्रयास करें।

सभापति महोदय :- मैं आपको समय के हिसाब से बोल रहा हूं।

श्री इंद्रशाह मंडावी :- नहीं, समय तो सभी को 10 बजे, 2 बजे, सबेरे तक हो जाता है, ऐसा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे। मंत्री जी, मैंने 2-3 मांग की है, उसका विशेष ध्यान रखते हुए मेरी मांग को पूरा करने का प्रयास करें जिससे हम भी वहां जाते हैं तो हमें सब चीज देखने को मिले और आप ही को ले जाकर उद्घाटन करवायेंगे तो मैं ज्यादा नहीं कहता, इतना कह कर अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। सभापति महोदय, आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्रीमती गोमती साय जी।

श्रीमती गोमती साय (पत्थलगांव) :- सभापति महोदय जी, धन्यवाद। आज अनुदान मांगों पर चर्चा करने के लिए आदरणीय मंत्री महोदय जी और हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देती हूं। आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, कृषि विकास, किसान कल्याण संबंधी अनुदान मांगों पर चर्चा करने के लिए और सहयोग करने के लिए मैं खड़ी हुई हूं। महोदय जी, ये दोनों विषय कृषि और जनजाति मेरे दिल के करीब वाले विषय हैं। जनजाति वर्ग के लोगों के विकास कार्य के लिए यह बजट बहुत ही कारगर साबित होगा। हमारे छत्तीसगढ़वासियों के लिए हमारी सरकार, राज्य के जनजाति और सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए दृढ़-संकल्पित है। माननीय सभापति महोदय जी, इसके लिए हमारे बजट में पर्याप्त पैसा है कि किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक दृष्टि से हमारे जनजाति समुदाय विकास करे, इसलिए यह बजट हमारे छत्तीसगढ़वासियों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो यह पैसा पर्याप्त है। आदरणीय, यहां पर रायगढ़ जिला में भी आवासीय विद्यालय खोला गया है जो उस क्षेत्र के बच्चों के लिए अति आवश्यक है। आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर परिवार होता है और आने-जाने में अक्षम होता है, उसके लिए आवासीय विद्यालय होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए इस बजट में भी प्रावधान है। आदरणीय महोदय जी, बलरामपुर में 100 सीटर आदिवासी क्रीड़ा परिसर स्थापना भवन के लिए भी 3 करोड़ रूपया, 10 लाख का बजट लिया गया है। यह भी बहुत ही अच्छा कार्य है। उसके लिए हमारे मंत्री महोदय जी को और मुख्यमंत्री को मैं बहुत-बहुत बधाई देती हूं और धन्यवाद भी देती हूं और मैं इसी विषय को लेकर अपनी मांग भी रखती हूं कि मेरा विधान सभा क्षेत्र पत्थलगांव भी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और बलरामपुर के साथ-साथ जशपुर जिला, पत्थलगांव में भी इसकी स्थापना हो जाये तो बड़ी कृपा होगी। क्योंकि पढ़ाई के साथ-साथ क्रीड़ा करना शारीरिक और मानसिक रूप से जरूरी है । हम लोगों को इसका ध्यान रखने की आवश्यकता है । आदरणीय महोदय

जी, मेरी मांग है । यहां पर आदिवासी बच्चे होते हैं वे पढ़ लिखकर और आगे जाना चाहते हैं उनकी हौसला अफ़जाई के लिए शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक संग्रहालय हेतु प्रावधान है। आदिवासियों का संग्रहालय खुले ताकि आदिवासी अपनी संस्कृति, अपनी बोली-भाषा, अपने घर, अपने रहन-सहन के बारे में जान सकें । मैं भोपाल गई थी, मैं देखकर आई हूं कि आदिवासियों का संग्रहालय कैसा होता है । सभी समाज का अपना अपना घर कैसा होता है, उनका पहनावा कैसा होता है, उनका घर कैसा रहता है, उनकी क्रीड़ा कैसे होता है, उनकी हर चीज को प्वाइंट टू प्वाइंट चिन्हांकित किया गया है । ऐसे ही हमारे छत्तीसगढ़ में भी हो और बस्तर, सरगुजा में तो होना ही चाहिए । जिससे कि हमारे आदिवासी अपनी संस्कृति को न भूलें और इसी संस्कार को लेकर आगे जाएं । इसी दृष्टि से हमारे बस्तर और सरगुजा में तो बनना ही चाहिए, दो-तीन जगहों पर तो हो । हमारे आदिवासी बच्चे वहां जाकर देखें और सीखें और उस संस्कृति को आगे बढ़ाएं । हॉस्पीटैलिटी और होटल मैनेजमेंट को शामिल किया गया है जिससे कि हमारे बच्चे पढ़ लिखकर इन दोनों कामों में लग जाएं तो बौद्धिक विकास के साथ आर्थिक विकास भी होगा इसके लिए इस बजट में प्रावधान रखा गया है । सभापति महोदय, नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग पाठ्यक्रम, नि:शुल्क अध्ययन सुविधा योजना ये सब इस बजट में लिया गया है । इस बजट में जवाहर उत्कृट योजना भी है । जिसके लिए इस बजट में 15 करोड़, 70 लाख का प्रावधान है । हमारे गरीब बच्चे कठिनाई से पढ़ लिख तो जाते हैं किंतु जब कोचिंग का विषय आता है तो बहुत ही महंगी फीस के चलते कोचिंग नहीं कर पाते हैं इसके लिए भी बजट में प्रावधान रखा गया है । विशेष कोचिंग केन्द्र योजना, आदिवासी क्षेत्रों में विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, वाणिज्य जैसे विषय के शिक्षकों का अभाव बना रहता है जिसके कारण छात्र विषय में कमजोर रह जाते हैं इसके लिए भी हमारी सरकार ने पर्याप्त मात्रा में बजट प्रावधान रखा है । उसके लिए मैं माननीय मंत्री महोदय को बहुत बहुत बधाई देती हूं। सभापति महोदय, जिस तरह से हमारे आदिवासी वर्ग के लोग सोचते तो बहुत हैं और मन में अपना गणित तो बहुत बनाते हैं किंतु अपनी इच्छा को जाहिर नहीं कर पाते हैं । उसके लिए भी हमारी सरकार ने अंत्यवसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम से प्रावधान रखा है । सभापति जी, देवगुड़ी की बात हो रही थी । वाकई आदिवासी संस्कृति की बहुत बड़ी धरोहर है, जिसको हम लोगों को भुलाने की आवश्यकता नहीं है। धीरे-धीरे भूल जा रहे हैं लेकिन जैसे घड़ी का कांटा घूम फिर कर फिर से 12 पर आता है उसी प्रकार प्रकृति का भी नियम वही है और हमारे समाज का भी नियम वही है । देवगुड़ी के लिए 5 लाख का प्रावधान पर्याप्त नहीं है । हमारे माननीय मंत्री महोदय से मैं विशेष करके निवेदन करती हूं कि इसको बढ़ाया भी जाए और हर गांव में देवगुड़ी बनना चाहिए क्योंकि हर गांव में सरना है । सरना के माध्यम से अपने गांव के जो देवी देवता होते हैं, खुड देवता होते हैं, उसका पूजा पाट करते हैं, इसीलिए सरना में भी देवगुड़ी बने। ऐसा प्रावधान तो है ही लेकिन इसका कैसे विस्तार किया जाए, इस विषय में हम लोगों को सोचना है और आप भी इस विषय में सोचेंगे। आदरणीय सभापति महोदय, जिस

तरह से हमारे आदिवासी विकास के लिए हमारी आदिवासी मंत्रालय काम कर रही है, हमारे पास पर्याप्त बजट भी है, हमारे आदिवासी बच्चे, पढ़े लिखें और आगे बढ़ें, आर्थिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से भी हर क्षेत्र में आगे बढ़ें, ऐसा इस बजट में प्रावधान है। समय की अपनी मर्यादा है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल रही हूं, बोलना के लिए बहुत कुछ है। यह मेरा अपना विषय है। मैं बचपन से ही कृषि करती आ रही हूं, यह मेरा पसंदीदा विषय है। मैं कृषक परिवार से आती हूं, मैं मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं, हमारे मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने कृषि के विकास के लिए बजट दिया है। हमारी सरकार ने कृषि, विज्ञान कल्याण एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग के लिए 13438 करोड़ रूपए का इस वर्ष बजट प्रावधान किया है। जिस तरह से किसान खेती करता है और अपनी खेती को देखकर प्रसन्न होता है वैसे ही एक मां और बाप अपने बच्चे को देखकर खुश होते हैं। किसानों को उपज का उचित दाम मिलना चाहिए, किसानों को उचित दाम नहीं मिलने के कारण वे दुखी हैं, मैं पहले भी इस विषय को कई बार बोल चुकी हूं। मैं सदन में भी बोलती थी कि अगर कोई आत्महत्या कर लेता है और सबसे ज्यादा आंकड़ा गिना जाए तो किसान का आंकड़ा है। क्योंकि किसान की फसल अच्छी होती है तो वह बहुत उत्सुकता के साथ खेती करता है। अगर किसान की फसल एक बार नष्ट हो जाती है तो सारी जीवन की पूंजी लगाकर खेती करता है, वह नष्ट हो जाता है। उनके पास आत्महत्या करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहता है। आज जिस तरह से बजट में प्रावधान किया गया है....।

सभापति महोदय :- गोमती जी, मांग होगी तो रखिए।

श्री राजेश अग्रवाल :- जशपुर वाला देहे वाला है, मांगे वाला थोड़ी न है।

श्रीमती गोमती साय :- सभापति महोदय, मैं मांग ही रख रही हूं। इसमें 20 नर्सरी का प्रावधान रखा गया है तो पत्थलगांव में भी एक अच्छी नर्सरी हो, उसके लिए मैं मंत्री जी से मांग करती हूं। मंत्री जी वहां फूड प्रोसेसिंग केन्द्र जरूर खोल दीजिए, क्योंकि वहां टमाटर की खेती होती है, वहां दलहन की खेती होती है, वहां तिलहन की खेती होती है, वहां धान की खेती होती है, हमारे जशपुर पाट में चले जाएंगे तो वहां मिर्ची की खेती होती है, वहां नाशपत्ती की खेती होती है, वहां एस्ट्रावेरी की खेती होती है, वहां तमाम तरह की खेती होती है। मेरे हिसाब से हर विकासखंड में फूड प्रोसेसिंग केन्द्र होना ही चाहिए। वहां कोल्ड स्टोरेज की भी व्यवस्था की जाए, ताकि हमको खेती करने के बाद उसको फेंकने की आवश्यता न हो। उसको कोल्ड स्टोरेज में रखने के लिए जगह मिल जाए। फूड प्रोसेसिंग केन्द्र में उसका अच्छा रेट मिल जाए। हमारे कृषि क्षेत्र में ऐसा प्रावधान हो। हमारे मंत्री जी बड़े दिलदार भी है, बड़े अनुभवी भी हैं, मैं तो समझती हूं कि जो मांगों वह मिल जाए। जो मांग दे वह मिल जाए, हमारे बड़े भाई साहब भी हैं और मेरे मार्गदर्शक भी हैं। खासकर हमारे वरिष्ठ मंत्री भी रहे हैं, गृहमंत्री रहे हैं, मेरे जिले के प्रभारी रहे हैं, मैंने इनके साथ काफी मंच भी साझा किये हैं, हम लोगों को इनके अनुभव का लाभ मिलता रहा है, दिलदार मंत्री हैं और निश्चित ही हमारे बड़े भी भैया हैं। आप हर विकासखण्ड में फूड

प्रोसेसिंग केन्द्र खोलियेगा। नर्सरी की भी अच्छी व्यवस्था हो जाए, ताकि नर्सरी को देख-देखकर सीखकर हमारे कृषक कृषि भी करें और फल उत्पादन भी करें। मैं 2-3 चीजों की मांग कर रही हूं। कृपया आप इनको नोट कर लीजिएगा। चूंकि समय की मर्यादा है तो मैं ज्यादा नहीं बोलती। जब समय मिलेगा तो हम बहुत सारे विषयों पर बात करेंगे। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय मंत्री जी को पुन: बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। मंत्री जी, हम लोगों ने आपके समक्ष जो भी मांगें रखी हैं, उनपर आप जरूर ध्यान देंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ, माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

सभापति महोदय :- बालेश्वर साहू जी।

श्री लखेश्वर बघेल (बस्तर) :- माननीय मंत्री जी, बहुत सारी मांगें आ गई हैं और जहां तक हमारे माननीय सदस्य अपनी सारी बातें रख चुके हैं। हमारे तरफ के 1-2 सदस्य शेष हैं। हम लोग 1-1 मिनट में आपकी सारी मांगें मानने के लिए तैयार हैं तो हम न बोले तो अच्छा रहेगा। हम लोग आपसे निवेदन करते हैं और आपकी अनुदान मांगों का समर्थन करते हैं। आप थोड़ा देख लीजिए।

श्री बालेश्वर साहू (जैजैपुर) :- माननीय सभापति महोदय, जांजगीर-चांपा और सक्ती जिला कृषि से संबंधित है। जिसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। आज धान के समर्थन मूल्य 2,500 रूपये और 3,100 रूपये में लगातार बढ़ोतरी होने से हमारे क्षेत्र के किसान अन्य फसल जैसे- गन्ना, चना, गेहूं और अन्य प्रकार की सब्जियों की खेती से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन यदि मेरे क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था परिपूर्ण हो जाए तो मेरे क्षेत्र में नदी के किनारे ऐसे बहुत से स्थान हैं, जिसको हम लोग अपने क्षेत्र में अमरइया भी बोलते हैं। जिसमें गन्ना, सब्जी, गेहूं व चना आदि लगा सकते हैं। मैं ज्यादा कुछ न बोलकर मंत्री जी से एक कोल्ड स्टोरेज की मांग करता हूं।

सभापति महोदय :- बालेश्वर जी, वह बोल रहे हैं कि आप उनके बगल में बैठकर सब कुछ मांग लिये थे।

श्री बालेश्वर साहू :- नहीं, मैं केवल पहुंचा था।

सभापति महोदय :- आप बोलिये।

श्री बालेश्वर साहू :- माननीय सभापति महोदय, जांजगीर-चांपा और सक्ती जिले में इस बार नहर को पानी नहीं मिल पाया है और लगभग 40 प्रतिशत से अधिक कृषकों ने गर्मी की फसल और धान की बोआई की है। तालाब सूख गये हैं, नदियां सूख गयी हैं व बोर सूख गये हैं। अभी ठण्डी थी, लेकिन अब गर्मी का समय आ गया है तो जानवरों के लिए भी समस्या है। क्षेत्र में पानी के सूखने की वजह से खेत में पानी देने के लिए किसानों को लगातार बोर चलाना पड़ रहा है। मैं कृषि मंत्री महोदय से नहर में पानी छोड़वाने की मांग करता हूं। मेरे पास छोटे से छोटे और बड़े से बड़े किसान का रोज सुबह फोन आता है कि आप कम से कम एक हफ्ते के लिए नहर में पानी छोड़वा दीजिए। आपके घोषणा पत्र

में उल्लेख था कि हर 3 गांव में एक धान खरीदी केन्द्र खोला जाना है। लेकिन आपके बजट और घोषणा में इसका वर्णन नहीं है। मैं माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उन 3 ग्राम पंचायतों में धान का उपार्जन व खरीदी हो और उस खरीदी केन्द्र में खाद, बीज, धान और K.C.C. का वितरण हो। चूंकि मैं जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र का विधायक हूं इसलिए जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र के लिए मांग कर रहा हूं, लेकिन यह सुविधा पूरे प्रदेश में दी जाये । अगर हमारे किसान भाई इन तीन गांवों में धान बेचने जाते हैं, के.सी.सी. लेने जाते हैं तो खाद-बीज की समस्या दूर हो जाएगी । मैं राजस्व मंत्री जी से भी मांग करना चाहता हूं कि जैजैपुर विधान सभा में एस.डी.एम. कार्यालय नहीं है तो किसानों को अपनी खेती का काम छोड़कर 80 से 90 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है । राजस्व मंत्री भी बैठे हुए हैं, मैं उनको भी अवगत कराना चाहता हूं कि जैजैपुर विधान सभा में जैजैपुर में ही अगर एस.डी.एम. कार्यालय के लिए बजट में प्रावधान कर देंगे तो किसान को अपनी खेती बाड़ी छोड़कर 80-90 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ेगा । एस.डी.एम. कार्यालय खुलने से किसानों को राहत मिलेगी, उस क्षेत्र में खुशी की भी लहर रहेगी। सभापति महोदय, 3100 रूपये में धान खरीदी की घोषणा की गई है ।

सभापति महोदय :- आप अनुसूचित जाति, जनजाति और कृषि विभाग से संबंधित बोलिए, अपनी मांग रखिए न ।

श्री बालेश्वर साहू :- सभापति महोदय, मैं कृषि विभाग पर ही बोल रहा हूं । सरकार के द्वारा 3100 रूपये प्रति क्विंटल में धान खरीदी की घोषणा की गई है, उसका समर्थन मूल्य किसानों के खाते में जा चुका है । किसान पूछते हैं कि हमने कई जगहों से कर्ज लिया है, शादी-ब्याह का समय भी आ गया है । जो अंतर की राशि है, उसे कब तब देंगे, तिथि बता देंगे जो बहुत अच्छा होगा ।

सभापति महोदय, आपकी घोषणा पत्र में यह बिन्दु था कि ग्राम पंचायतों में एक मुश्त पैसा देंगे । अगर किसान जिला सहकारी बैंक में जाते हैं तो 5 हजार, 10 हजार, 20 हजार लेने के लिए सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं । मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो किसान बैंक पहुंच जाते हैं तो उसे बैंक या गांव के माध्यम से एक मुश्त पैसा देने की घोषणा कर दें, ताकि किसानों को बैंक से पैसा लेने के लिए भीड़ न लगानी पड़े ।

सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी से मेरी मांग भी है कि सक्ती नवीन जिला है और मेरे हिसाब से वहां के लिए बजट में कुछ प्रावधान नहीं किया गया है । हमारा क्षेत्र कृषि का क्षेत्र है तो सक्ती जिले और जैजैपुर विधान सभा में कृषि महाविद्यालय की स्थापना की जाये और वहां प्रशिक्षण भी दिया जाये, ताकि सभी कृषक परिवारों को कृषि क्षेत्र में उन्नत जानकारी हो सके, जिससे कृषि उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी, किसानों का जीवन स्तर ऊंचा होगा । सक्ती जिले के किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद और बीज उपलब्ध करायी जाये । फरवरी महीने में 1 फरवरी से आर.ओ., डी.डी. कटने का काम शुरू होता है, समिति में स्टॉक भण्डारण होना रहता है, लेकिन आज दिनांक तक यहां से आदेश नहीं किया

गया है, न आर.ओ. कटा है, न डी.डी. कटा है, न खाद का स्टॉक हुआ है । मार्च के बाद के.सी.सी. का भी वितरण किया जाना है । खाद-बीज का परमिट कटना है । मैं कृषि मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि किसानों के लिए खाद बीज, के.सी.सी. की उपलब्धता समितियों में करा दी जाये, ताकि किसानों को नकली खाद का सामना न करना पड़े। किसानों को खेती के समय में रोपाई, बियासी करना होता है, जल्दबाजी में किसान ठगी के शिकार हो जाते हैं । मैं इतना ही मांग करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं । सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत प्रणाम, मंत्री जी को भी प्रणाम। धन्यवाद ।

श्री पुन्नू लाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय सभापति महोदय, मैं कृषि विभाग तथा आदिम जाति विभाग की मांगों का समर्थन करता हूं। कृषि समग्र विकास योजना में माननीय मंत्री जी ने 10 हजार करोड़ से अधिक राशि का प्रावधान किया है, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं। माइक्रो मायनर सिंचाई योजना में 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। किसान समृद्धि योजना में 11,600 करोड़ रूपये का प्रावधान है। 2850 नलकूप खनन का भी प्रावधान किया गया है। शाकम्भरी योजना में 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कृषि यंत्रों के अनुरूप अनुदान के लिए भी 9 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, एकीकृत वाटर शेड प्रबंधन में 15 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री जी कृषि सिंचाई योजना के लिए 11,087 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 18 करोड 25 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। फसल पर्यन्त प्रशिक्षण सब्जी रकबा में कृषि करने हेतु 5 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। कृषि परिवार को ताजा फल जैविक संतुलित एवं पोषण आहार हेतु उपलब्ध कराने हेतु 75 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि कृषि यंत्र में जो राशि दी जाती है, उसमें 30 प्रतिशत की छूट है। उस राशि की छूट आम लोगों को नहीं मिलता। राशि समय पर नहीं आता, बाद में आता है। कृषि यंत्र के लिए उसे गर्मी के पहले दिया जाये। ट्यूबवेल में 40 हजार रूपये का छूट दिया जाता है। अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग को 35 हजार एवं अन्य को 25 हजार रूपये का छूट दी जाती है। इस 40 हजार रूपये की राशि को कम से कम 50 हजार तक किया जाये, जिससे उनको समय में फायदा मिले। समय में पंप भी नहीं मिलता, तो समय पर पंप नहीं लगता है। जब तक एन.ओ.सी. नहीं दिया जाता, तब तक पंप नहीं लगता है। कृषि विभाग और अन्य विभाग, या बिजली विभाग का है, उनका एन.ओ.सी. मिलता है, तभी पंप लगता है। इसके लिए माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि दोनों विभाग की ज्वाइंट करने के बाद तत्काल वेरीफिकेशन होना चाहिए। ऋण नहीं मिलता है। समय पर किसानों को ऋण नहीं मिलता। तो तीनों विभाग और बैंक में समन्वय होना आवश्यक है ।

माननीय सभापति महोदय, सब्जी बाड़ी के लिए भी, खेती के लिए भी, खरीफ फसल और रबी फसल दोनों के लिए शासन के द्वारा अनुदान राशि का प्रावधान किया गया है। रबी फसल के आने के पहले कि कौन किसान कौन सा फसल लेगा, इनकी जानकारी नहीं होती है। जब फसल हो जाता है तब किसान को आखिरी में अनुदान दिया जाता है। तो उसके लिए कमेटी भी हो, रबी फसल या अन्य फसल हो, उसमें अनुदान राशि वितरण हो। क्षेत्रवार वितरण हो, जिलेवार वितरण हो, मैं ऐसा आपसे अनुरोध करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, स्वदेशी प्रोत्साहन राशि के लिए भी वित्तीय व्यवस्था है। स्वदेशी वस्तुओं को अपने जिला स्तर या ब्लाक स्तर में भी निर्धारित किया जाये, मैं ऐसी आशा करता हूं। गुणवत्ता युक्त प्रमाणित बीज, प्रमाणित बीज का तो अनुदान दिया जाता है। परन्तु अनुदान के लिए पहले प्रमाणित बीज के लिए रजिस्ट्रेशन कराया जाता है कि कौन किसान बीज बेचेगा। जब उसके बाद दे देता है, उसके बाद बाजार में जाता है, तो बहुत से बीज अप्रमाणित हो जाते हैं। तो ऐसे कार्य करने वालों के लिए कार्यवाही की जाये। ऐसे अधिकारियों को लिखित में दिया जाये कि किस कारण आपका बीज प्रमाणित नहीं है या सही बीज नहीं पाया गया है। क्योंकि उससे पांच सौ-हजार रूपये की छूट मिलती है। कृषि की उच्च गुणवत्ता एवं प्रमाणित बीज के लिए, प्रमाणीकरण के माध्यम से जोखिम में आजीविका के साधन के लिए भी सहायता दिया जाता है। कोई किसान है, अगर वह जोखिम का काम करता है, ओला, पानी गिरने से, अत्यधिक वर्षा, सूखा पड़ने से, ऐसे में राशि छूट दी जाती है। तो उनके लिए फसल बीमा योजना लागू है। सरकार किसान को प्रोत्साहन राशि देती है। तो फसल बीमा पहले कराया जाये। एक केन्द्र सरकार की तरफ से होता है, दूसरा राज्य सरकार की तरफ से होता है। राज्य सरकार प्रीमियम पटाती है। तो प्रीमियम का फीस कितना देगा, वह किसानों की जानकारी में हो। जैसे 26 लाख पंजीकृत किसान में से 24 लाख किसानों ने धान बेचा तो पंजीयन कराने वाले किसान को एक साथ प्रीमियम मिल जाये। क्योंकि प्रधानमंत्री बीमा योजना और राज्य की बीमा योजना है। बीमा कम्पनी एक बार जांच कर लेती है, फिर भी उसका 3 बार जांच होता है। 3 बार जांच करने की आवश्यकता नहीं है। इससे बीमा कंपनी नहीं दे पाता है, क्योंकि नियम ही खराब है । ऐसे नियम को बदले जायें, एक ही बार में नियम बने, एक बार में जांच हो, तब उनको सूखे का, ओले का या अन्य जितनी क्षति होती है, उसका राशि मिलेगा, इस प्रकार का नियम यदि बना रहे तो राशि नहीं मिलती है । राशि पास हो गई तो एक साल बाद कम मात्रा में राशि मिलता है, जबकि उसको तीन गुना देने का है । बीमा के राशि में पानी गिरने से, ओला पड़ने से, खरही में करपा रखने पर, जलने पर, बहने पर, सब में मिलता है, यह किसानों के लिये अति आवश्यक योजना है, इस योजना को भी सरकार ध्यान दें।मैं ऐसी आशा करता हूँ कि पहले यह सब काम हो जाये, सर्वे होता नहीं है, राजस्व विभाग सर्वे करता है । कृषि विभाग का भी अधिकारी उसमें संलग्न रहे, जिससे उन किसानों को लाभ मिले । सभापति महोदय, जहां तक

मिट्टी की गुणवत्ता की बात है, सबसे पहले किसानों के लिये मिट्टी परीक्षण आवश्यक है । कौन से पोषक तत्व की कमी है, किसान को लिखित में दे और जो ग्राम सेवक है, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी है, उनको बताया जाये कि कृषि को उन्नत बनाने के लिये, डबल फसल लेने के लिये, उसे उपजाऊ बनाने की आवश्यकता है । इसमें सर्वे भी किया जाता है, बीज भी दिया जाता है, सरकार के द्वारा ऋण भी दिया जाता है, अगर सहकारी कमेटी के द्वारा खाद भी दिया जाये, किसान समय पर खाद ले सके, पोषक तत्व प्राप्त कर सके, उसे खेत में डाले । सभापति महोदय, कई किसान ऐसे खेती करते हैं, कीट ज्यादा हो जाते हैं, पोटाश की कमी हो जाती है, अमोनिया की कमी हो जाती है, जैसे आदमी बीमार पड़ता है तो विटामिन बी 12 की जरूरत पड़ती है, वैसे ही भूमि को आवश्यकता है, अत: जो-जो पोषक तत्व की आवश्यकता है, उसे प्रदान किया जाये और इन बातों की ओर हम ध्यान दें । सभापति महोदय, अगर हम सिंचाई का पम्प ले लिये, सब हो गया, पास हो गया, समय पर उसको बिजली नहीं मिल पाती है, बिजली विभाग से उसे कनेक्शन नहीं मिल पाता है, चाहे वह प्रायमरी स्टेज पर कनेक्शन होता है और एक स्थायी कनेक्शन होता है । अस्थायी कनेक्शन अनिवार्य हो, तब किसानों को इससे लाभ मिलेगा । खेतों में सूखा पड़ गया तो किसान के बीज बोने पर धान खराब हो जाता है, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ । मुझे इसमें और अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं है, मैं सीधा अनुसूचित जाति प्राधिकरण पर आ जाता हूँ। सभापति महोदय, अनुसूचित जाति प्राधिकरण के बारे में कहना चाहूंगा कि अन्त्यावसायी निगम, वित्त विकास निगम है, उसमें पैसा ही नहीं आता है । कृपा करकें उसमें राशि दें, ऐसी मैं आशा करता हूँ । अन्त्यावसायी निगम में अगर राशि मिलता है तो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को बहुत फायदा होगा । यह केन्द्र से भी मिलता है, राज्य से भी मिलता है, ट्रेक्टर के लिये हो या अन्य सुविधाओं के लिये, आवागमन के लिये हो, बस लेने के लिये हो, इसमें स्प्रिंकलर मशीन लेने का है, यहां तक कि दुकान करने का है, अन्य व्यवसाय भी करने का है । माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि इन बातों को जरूर ध्यान दें । सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि मुंगेली विधान सभा क्षेत्र में 37 ऐसे गांव है, जहां 25 परशेंट और 40 परशेंट से ज्यादा आदिवासी रहते हैं । उन गांवों का विकास नहीं हो पाता है, ऐसी परिस्थिति में उसे मद प्राधिकरण क्षेत्र में शामिल करेंगे । आपने जो आश्वासन दिया है, उसकी घोषणा भी करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ । सभापति महोदय, दूसरा है अर्न्तजातीय विवाह । अर्न्तजातीय विवाह में जाति प्रमाण पत्र मानते हैं, यहां तक कि विधायक की सिफारिश मांगते हैं, इसमें कई लोग देते नहीं है । यहां ऑलरेडी जाति प्रमाण पत्र है, एक कोर्ट में भी अर्न्तजातीय विवाह होता है । यहां दो प्रमाण पत्र लेने के लिये पैसा देना होता है, उसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिये, इसके लिये इधर-उधर घूमते रहते हैं, इसकी भी आवश्यकता है । सभापति महोदय, अनुसूचित जाति, जनजाति महाविद्यालय के छात्रों के लिये मैं कहूंगा कि जो गरीब हैं, ऐसे लोगों के पास जहां आवागमन की सुविधा नहीं होती है, अपने घर से पढ़ाई करते हैं, उसको स्कूटी

दिया जाये, जिससे उन लोगों को लाभ मिलेगा । सभापति महोदय, देवगुड़ी की तर्ज पर बाबा गुरूघासीदास जी के प्रतीक चिन्ह के रूप में जयस्तंभ है, जयस्तंभ निर्माण के लिये पूर्व में हमारे मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह जी की सरकार थी तो उन्होंने राशि का प्रावधान किया था । आप जैसे देवगुड़ी के लिये 5 लाख रूपये का प्रावधान कर रहे हैं, मैं आपसे ऐसी आशा करता हूं कि आप वैसे ही प्रत्येक गांव में जय स्तंभ निर्माण के लिये 5-5 लाख रूपये की राशि का प्रावधान करेंगे।

सभापित महोदय, मंडी बोर्ड की राशि के संबंध में कहूंगा। पिछली सरकार ने मंडी बोर्ड की राशि का बंदरबांट किया है। इन्होंने पिछले समय सब जगहों के लिये राशि दी, मुंगेली जिले में भी राशि दी परंतु मुंगेली विधान सभा में राशि नहीं दी। आप उसमें शेड का निर्माण, पुल-पुलियों का निर्माण, सी.सी. रोड का निर्माण और अन्य कार्यों के लिये राशि देंगे, जिसमें पिछली सरकार ने पूरा एस्टिमेट और प्राक्कलन बनने के बाद, वहां पर स्वीकृति के बाद भी केस को वापस ले लिया गया। मैं आपसे ऐसी आशा करता हूं कि आप इस केस को पुन: स्वीकृति देंगे।

सभापति महोदय, मैं आपसे ऐसी मांग करता हूं कि मुंगेली विधान सभा क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज हो। वहां पर सोयाबीन की ज्यादा खेती होती है, इसलिये वहां सोयाबीन का कारखाना हो। वहां पर गन्ना की भी खेती होती है, जैसे हमारे पूर्व वक्ता, श्री धर्मजीत सिंह जी ने कहा था। इसी स्तर से आप कहते हैं कि अन्य फसल हो इसलिये चाहे मुंगेली में हो या लोरमी में 60 एकड़ जमीन भी है, मैं आशा करता हूं कि गन्ने की खेती को बढ़ावा देने के लिये यह कार्य करें। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इन बातों पर जरूर ध्यान दें।

सभापति महोदय, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों को जो 1200 रूपये की राशि मिलती है, उस राशि को भी बढ़ायें क्योंकि समय के अनुसार महंगाई भी बढ़ रही है जिससे उनको लाभ नहीं मिलता । जहां तक उनका आवास है और मुंगेली जिले में क्रीड़ा परिसर है, उसमें बालक पढ़ते हैं। बालक छात्रावास में सीटों को बढ़ाकर 100 सीट किया जाये। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति छात्रावास तो है। हमारे मुंगेली में भी आदिवासी छात्रावास नहीं है, इसलिये मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि प्रॉपर मुंगेली में आप आदिवासी छात्रावास की स्वीकृति देंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति छात्रावास के 50-50 सीट है, मैं आपसे ऐसी आशा करता हूं कि उनको 100-100 सीट किया जाये। मुझे आशा ही नहीं भरोसा भी है कि आप जरूर इस ओर ध्यान देंगे।

सभापति महोदय, मैं इतना ही कहते हुए आप सब को धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।

सभापति महोदय :- श्रीमती चातुरी नंद जी।

श्रीमती चातुरी नंद (सराईपाली) :- सभापति महोदय, मैं अनुदान मांग के विरोध में बोले बर खड़े होये हव। मे हा मांग संख्या 15 में बोलना चाहथव। अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत गरीबी रेखा

के नीचे रहने वाले मनखे मन ला आर्थिक विकास बर परिवार उन्मुखी योजना के तहत जो लाभ दिये जाथे, ओ योजना के कोई उल्लेख नइ होये हे। मे हा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहत हव कि आप जानत हव कि मे हा सराइपाली क्षेत्र के उड़ीसा से लगे हुए क्षेत्र से आथव। वहां ज्यादा से ज्यादा संख्या में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगन मन रहिथे। ओ मन अपन आजीविका कमाये बर हमेशा पलायन करथे। काबर कि ओ मन करा रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं रहेन, तेखर सेती ओ मन पलायन करथे अउ खाये कमाये बर जाथे तो एला हमन रोक सकथन। मंत्री महोदय से निवेदन है कि मोर क्षेत्र के मनखे मन ला विशेष केंद्रीय सहायता योजना के तहत 100 प्रतिशत अनुदान दिया जाये। मैं हा ऐसे निवेदन करथव कि ओ मन के कौशल विकास बर जो अनुदान मिलथे, ओ अनुदान हर 100 प्रतिशत हो।

सभापति महोदय, मे हा मांग संख्या 33 में बोलना चाहथव। मोर क्षेत्र सराईपाली विधान सभा मा बालक-बालिका आदिवासी छात्रावास के निर्माण करे बर ये बजट में कोनो उल्लेख नइ होय हे। क्योंकि मे हा पहले भी कह चुके हव कि मोर क्षेत्र आदिवासी अउ अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र हे अउ इहा के लइका मन बहुत दूर-दूर ले आथे। लइका मन लगभग 30-40 किलोमीटर के दूरी तय करके पढ़े बर आथे। अउ ओ मन बर न आये जाये के कोनो सुविधा हे, न रहे बसे के कोनो सुविधा हे। मे हर मंत्री महोदय से ये क्षेत्र मा आदिवासी बालक छात्रावास अउ बालिका छात्रावास खोले के निवेदन करथव। साथ ही आवासीय विद्यालय के प्रस्ताव बजट मा नइ हे, मे हर मंत्री महोदय से आवासीय विद्यालय खोले बर भी निवेदन करथव।

सभापति महोदय, मे हा मांग संख्या 41 में बोलहू। मोर विधान सभा क्षेत्र में बहुत सारा अइसे जगह हे, जहां के मनखे मन धान बेचे बर दूरिया-दूरिया जाथे। अइसने एक जगह हे संदरहा पतेरेपाली। ओ मन ला अपन धान बेचे बर अतका दूरिया जाये बर लागथे कि ओ मन हर बहुत ज्यादा परेशान होथे। वहां न आवागमन के साधन हे, न ओ मन करा कोनो अउ साधन हे, जेकर से ओ मन धान ला अतका दूरिहा ले जा सके। तो मैं वहां पर चाहत हौं कि नवीन धान उपार्जन केन्द्र खोले जाए। एखर अलावा दो ठन गांव हे, बड़े पंधी अउ बिलाईगढ़, एमन के नजदीक में धान उपार्जन केन्द्र जोगनीपाली हावए, लेकिन ओ ला पार करके एमन हर केंजुआ धान बेचे बर जाथे। लगभग 4 किलोमीटर ओ मन हा ओ ला पार करके जाथे। तो मैं निवेदन करत हौं कि ए ग्राम बड़े पंधी के अउ बिलाईगढ़ के हमर किसान मन ला जोगनीपाली धान उपार्जन केन्द्र में धान बेचे के स्वीकृति प्रदान करे के विशेष कृपा करहि। एखर अलावा सरायपाली क्षेत्र में मात्र 3 ठन सहकारी बैंक हे। एक सरायपाली, एक टोरेसिम्हा अउ एक भंवरपुर में हे। सिंघोड़ा क्षेत्र लगभग बहुत सारा किसान सिंघोड़ा क्षेत्र में आथे। मात्र 3 ठन जिला सहकारी बैंक होए के कारण अतना ज्यादा भीड़ हो जथे कि लोगन मन ला रात ले लाईन लगाए बर पड़थे। उहां रात को हमर किसान भाई मन बोरिया बिस्तर धर के आथे अउ वहां पर सोथे। तब जाके दूसरा दिन ओ मन ला पईसा

मिलथे। मैं यह निवेदन करत हौं। कि छुहीपाली गांव में एक जिला सहकारी बैंक खोले के महती कृपा हमर माननीय महोदय कर दिही तो मोर माननीय रामविचार नेताम जी से विशेष निवेदन हे। आप मोर बात ला थोड़ा ध्यान देवव। मोर एक विशेष निवेदन हे कि छुहीपाली में जिला सहकारी बैंक खोले के निवेदन करत हौं। काबर कि हमर इहां के किसान बहुत ज्यादा परेशान हे। ए परेशानी ला अपन आंख से देखे हौं। ओमन करा में रात के गे हौं। ओ मन के परेशानी ला देखे हौं ता मैं निवेदन करत हौं। मांग संख्या 49 में अनुसूचित जाति कल्याण के बात करे गे हे तो मोर विधान सभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति अउ जनजाति के बच्चा मन बेहतर शिक्षा बर कोनो प्रावधान नहीं करे गे हे। अत: अनुसूचित जाति के बच्चा मन बर सिंघोड़ा क्षेत्र मा आवासीय विद्यालय खोले के स्वीकृति प्रदान करे के विशेष कृपा करहू। मांग संख्या 66 में पिछड़ा वर्ग के कल्याण बर कोनो प्रावधान नइ करे गे हे। जब पिछड़ा वर्ग के बच्चा मन सरायपाली पढ़े बर आथे। हमर सरायपाली में प्रिमेट्रिक अउ पोस्ट मैट्रिक छात्रावास तो हे। जेमे हमर आदिवासी अउ अनुसूचित जाति के लइका मन पढ़ लेथे, लेकिन जो पिछड़ा वर्ग के लइका, बालिका मन पढ़े बर आथे। ओ मन बर कोनो सुविधा नइ होए के कारण ओमन शिक्षा से थोड़ा से दूरिहा होवत जावत हे। मैं निवेदन करत हौं कि सरायपाली क्षेत्र मा पिछड़ा वर्ग के लइका मन बर हॉस्टल खोले के कुछु व्यवस्था करे जाए। मांग संख्या 13 के अनुसार विधान सभा क्षेत्र में उद्यानिकी फसल के भण्डारण बर वातानुकूलित भण्डारगृह निर्माण के भी व्यवस्था नइ हे। मैं निवेदन करत हौं कि वातानुकूलित भण्डारगृह निर्माण के स्वीकृति दे। उहां कोल्ड स्टोरेज फैसलिटी हो, आये दिन बाजार में सब्जी जोन सब्जी सड़ जथे, ओ सब्जी ला फेंक देथे। ओकर से बहुत सारा गंदगी उत्पन्न होथे। मैं चाहत हौं कि सब्जी स्टोरेज बर कोल्ड स्टोरेज फैसलिटी के अगर उहां निर्माण हो जतिस तो बहुत अच्छा होतिस। मैं माननीय मंत्री जी से एखर बर निवेदन करत हौं। एखर अलावा मांग संख्या 54 के अनुसार प्रदेश में संचालित दूध प्रसंस्करण उद्योग के आधुनिकीकरण के कोनो उल्लेख नइ होए हे। एखर साथ ही मोर क्षेत्र में बहुत समय से कृषि महाविद्याल के मांग उठत रिहिस हे। मोर क्षेत्र के लइका मन कृषि के क्षेत्र में अपन जीवन बनाना चाहत हे। तो माननीय मंत्री जी से एखर बर निवेदन करत हौं कि सरायपाली में कृषि महाविद्यालय खोले के महती कृपा करही। अतकी कहिके में अपन वाणी ला विराम देवत हौं।

माननीय सभापति महोदय, आप मोला बोले के मौका देव, ओखर बर आप ला बहुत-बहुत धन्यवाद्। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।

श्री सम्पत अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, वैसे इनका क्षेत्र बसना है। अगर आप सरायपाली में न करके, बसना में भी कर देंगे तो वह खुश हैं। ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री गजेन्द्र यादव (दुर्ग शहर) :- माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। आज मैं आपके माध्यम से वार्षिक बजट 2024-25 के आदिम जाति कल्याण विभाग, कृषि विभाग के समर्थन में बोलने के लिए खडा हुआ हूं। बचपन में हम लोगों का ध्यान जाता था तो हमारे शहरों में आदिम जाति कल्याण विभाग

के प्री-मेट्रिक, पोस्ट मेट्रिक छात्रावास लिखा हुआ बोर्ड नजर में आता था। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। पूर्व में हमारे माननीय मंत्री जी भाजपा की पहली सरकार में ट्राइवल विभाग के मंत्री थे। उस समय आपने एक बहुत अच्छी परिकल्पना की थी, एकलव्य विद्यालय प्रारंभ कराया था। आपने विज्ञान विकास केन्द्र ट्राइवल बच्चों के लिए खोला है जहां नक्सल प्रभावित बच्चे, सलवा जुडूम आपने ही चालू करवाया था, सलवा जुडूम के बच्चों को दुरस्थ वनांचल से शहरों लाकर पढ़ाने की आपने जो परिकल्पना की थी, उस परिकल्पना से विज्ञान विकास केन्द्र नाम का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। वह विज्ञान विकास केन्द्र दुर्ग में स्थापित है, मुझे बताते हुए बहुत हर्ष होता है कि उसमें लगभग 270 के आस-पास बच्चे राज्य प्रशासनिक सेवा में चयन हुए हैं। इसके लिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं।

समय :

7.51 बजे **(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)**

माननीय सभापति महोदय, जब से विज्ञान विकास केन्द्र प्रारंभ हुआ, आदिवासी बच्चों की शिक्षा में निरंतर विकास की ओर बढ़ते जा रहा है। मैं उसके लिए आभार व्यक्त कर रहा हूं। उसके और आगे बढ़ाते आपने बजट में हॉस्पिलिटी, होटल मैनेजमेंट, नर्सिंग पाठ्यक्रम में जो तमाम प्रकार की सुविधायें इस बजट में की है, उसके लिए भी मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने जवाहर उत्कर्ष योजना को प्रारंभ करके, निजी बड़े विद्यालयों में हमारे गरीब बच्चे नहीं पढ़ सकते, उसमें हमने इस योजना के तहत एस.सी./एस.टी. के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो 15 करोड़ 70 लाख रुपये का बजट लगाया है, उसके लिए भी मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। विशेष कोचिंग केन्द्र योजना, मैं दंतेवाड़ा गया था, वहां पर छू लो आसमान या उड़ान अलग-अलग नामों से हम शिक्षा के क्षेत्र में ट्राइवल बच्चों को ऊंचाई प्रदान करते हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। पिछले समय जब मैं दिल्ली गया तो दिल्ली में जाकर बड़ा सुखद अनुभव हुआ कि हमारे छत्तीसगढ के ट्राइवल अंचल के बच्चे दिल्ली में जाकर I.A.S., I.P.S., NEET और JEE के एक्जाम की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करते हैं, उसके लिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने दूरस्थ अंचल के आदिवासी बच्चों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण उनके विकास की योजना शुरू की है। मैं माननीय मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं दुर्ग जिले का सबसे पुराना हमारा प्री एवं पोस्ट मेट्रिक आदिवासी छात्रावास है। एक ही परिसर में 7 छात्रावास संचालित होते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि चूंकि बच्चों की संख्या बढ़ रही है, स्थान छोटा हो रहा है। दुर्ग में और नये छात्रावास भवन बनाने की आवश्यकता है। आज मैं आपके माध्यम से

माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि दुर्ग में नये भवन के लिये स्वीकृति प्रदान करेंगे। आपसे आग्रह करता हूं कि उसमें छात्रावासों की संख्या बढ़ाई जाये और नई बिल्डिंग बनाने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, हम आदिवासी ट्राइवल संस्कृति की बात करते हैं। हमारे आदिवासी कल्चर की सुरक्षा के लिए चूंकि क्रिश्चियनी बहुत बढ़ रही है, आस्था का प्रश्न है और आस्था को बढ़ाते हुए आपने देवगुड़ी निर्माण और मरम्मत के लिए जो बजट में प्रावधान किया है, उसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं जैसा कि पूर्व में माननीय सदस्य ने कहा कि आदिवासी अंचल में देवगुडी है लेकिन जो नगरीय क्षेत्र हैं, मध्यम मैदानी एरिया है, वहां के लिए भी आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि सतनामी समाज के लिए सतनाम जैतखाम के लिए भी बजट में प्रावधान करें। देवगुड़ी के साथ-साथ हम लोग शहरों में जानते हैं कि हम लोग गौरा-गौरी बैठाते हैं और पूजा करते हैं। उसको किसी भी प्रकार की राशि देने का प्रावधान नहीं है। आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि गौरा-गौरी हमारे यादव समाज की लोक परंपरा है, उसमें सब लोग आदिवासी, यादव और सभी समाज के लोग मिलकर गौरी-गौरा का त्यौहार मनाते हैं। आपसे आग्रह है कि आदिम जाति कल्याण एवं पिछड़ा वर्ग विभाग के द्वारा इसमें भी राशि दें तो बहुत कृपा होगी। यदि किसी कारण से हम पैसा नहीं दे पाये तो कम से कम विधायक निधि से राशि जारी हो, ऐसा आप कलेक्टर को निर्देशित करें। वह योजना मंडल के प्रावधान में नहीं है। उससे हम हर जगह गौरी-गौरा चौक, चौराहा में मना सकते हैं। ऐसा आपसे आग्रह है। माननीय मंत्री जी ने आदिवासी सांस्कृतिक दलों को जो 10 हजार रूपये प्रति नर्तक दल को देने के लिए वाद्ययंत्रों के लिए दिया है, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ हम लोग छत्तीसगढ़िया लोग हैं, छत्तीसगढ़ में राउत नाचा, गुदूम बाजा, यह बहुत पुरानी संस्कृति है। आज लोग ध्वनि प्रदूषण कर डी.जे. बजा रहे हैं। उसका कारण है कि कहीं न कहीं राउच नाचा विलुप्त की कगार पर है। मैं चाहता हूं कि आदिम जाति विकास एवं पिछड़ा वर्ग विभाग द्वारा आप राउत नाचा का प्रशिक्षण का प्रावधान करेंगे तो हमारी छत्तीसगढ़ की मूल संस्कृति वाद्य यंत्रों का बढ़ावा होगा और अत्याधुनिक डी.जे. संसकृति से हमको छुटकारा मिलेग, ऐसा मैं आपसे आग्रह करता हूं। सभापति महोदय, जहां तक एग्रीकल्चर की बात आती है, किसानों की बात आती है। आपने उद्यानिकी विभाग में जो एक एकड़ से पांच एकड़ तक के किसानों के लिए सोलर पैनल से सामूहिक चैनल फेंसिंग के लिए अनुदान का प्रावधान किया है, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि नरवा, गरवा, घुरूआ, बाड़ी के अपार असफलता के बाद रोका-छेका अभियान हरेली तिहार से चालू किया गया था। यह रोका-छेका का साईड इफेक्ट यह रहा कि गावों का किसान, गांवों के चरवाहा, गांवों के मवेशी पालक, अपने सारे मवेशियों को सरकार के भरोसे में छोड़ दिये। उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि वह सारे मवेशी जितने भी चारागाह को छोड़ एक-एक धान या जो भी फसल है, उसको चरने का और पूरा सत्यानाश करने का काम किया है, उससे बचाने के लिए आपने सामूहिक जो

तार का झटका बोलते हैं, जो सोलर चैनल से संचालित के लिए प्रावधान किया है। सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इसको आप सामूहिक न करके अगर कोई किसान व्यक्गित भी लगाना चाहता है। सब किसान चाहते हैं कि वह खेतों में झटका तार सोलर पैनल से लगाये, उसके लिए भी अगर आप प्रति हेक्टेयर अनुदान देंगे तो बहुत कृपा होगी। आदरणीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने छत्तीसगढ़ के प्रमुख नदी, शिवनाथ, महानदी, अरपा, पैरी, केलो, सोंढूर, मांढर, इन सब नदियों के किनारे में प्रवाह स्थल के जो रेत घाट थे, उस रेत स्थान में ग्रीष्मकाली में हम लोग पहले जो खरबूजा, कलिंदर, केकड़ी का हमारा धंधा बहुत प्रचलित था। उसकी शिवनाथ नदी के तट में खेती हुआ करती थी, लेकिन रेत माफियाओं के कारण या लगातार एनीकट बनने के कारण अब वह खेती लगभग समाप्ति के कगार पर है। आपने उसकी भी चिंता इस बजट में की है, उसमें लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ आपसे आग्रह करता हूं कि हमारी पूर्व सरकार में, डॉ. रमन सिंह जी की सरकार में उस समय माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी कृषि मंत्री थे, आपने शाकम्भरी योजना लागू की थी। सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि हमारा जो पटेल मरार समाज है, उनको वापस फिर से नदी के तटों पर जो खरबूजा, ककड़ी, तरबूज और गांवों में जो कलिंदर बोलते हैं, वह खेती के लिए आप प्रोत्साहित करेंगे तो हमारी पुरानी परंपरा और हमको शुद्ध फल मिलेगा, ऐसा मैं आपसे आग्रह करता हूं।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं कहना चाहूंगा, चूंकि दुर्ग जिला कृषि प्रधान जिला है। दुर्ग का टमाटर और शिमला मिर्ची का खासियत यह है कि वह 15 दिन भी खराब नहीं होता है। हमारा दुर्ग जिला में धमधा है, जहां टमाटर का गढ़ है। वहां की टमाटर की खासियत यह है कि वहां की टमाटर का चमड़ी इतना मोटा रहता है कि वह 15-20 दिन खराब नहीं होता है, उसका कारण यह है कि यहां का टमाटर पश्चिम बंगाल से लेकर, दिल्ली से लेकर, बैंगलोर तक जाता है। साथ ही साथ पूरे दिल्ली में जो शिमला मिर्ची की सप्लाई होती है, वह मारे दुर्ग जिले से होती है। सभापति महोदय, मैं आपसे इसमें सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे भा.ज.पा. सरकार ने दुर्ग में बहुत अच्छा मण्डी बनायी है। वहां पर एक बड़ा कोल्ड स्टोरेज हो और जो बीरेभाट, अहिवारा नदी में जो एयर स्ट्रीप है या हमारा नया रायपुर में जो विवेकानंद एयरपोर्ट है, वहां जो पुराना एयरपोर्ट है, वहां आप कारगो फ्लाईट की व्यवस्था दें, जिसके कि हमारे यहां के किसान सब्जी को ट्रकों से बाहर-बाहर भेजते हैं, उसमें कई प्रकार की दुर्घटनाएं और कई फरेब हो सकती है।

सभापति महोदय :- समाप्त करिये।

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, एक मिनट। मैं उसके लिए चाहता हूं कि आप यहां से एक कारगो सर्विस भेजे, जिससे कि किसानों को बहुत अच्छी सुविधा मिल सकती है। मैं अंत में एक और आग्रह करना चाहता हूं कि हमारा जो दुर्ग कृषि मण्डी है, वह बहुत बड़ी मण्डी है । मैं आपके माध्यम से

माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि उसमें हम कई अलग-अलग फूड प्रोसेसिंग के प्लांट भी लगा सकते हैं । मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप थोक मण्डी बाजार बनाने के लिये अनुमति प्रदान करेंगे जिससे कि दुर्ग का व्यवसाय बहुत आगे जायेगा । मैं अंत में यह बोल रहा हूं कि सरकार चूंकि लगातार धान खरीदी करती है । इस धान खरीदी से लोग केवल मोटा चावल, पतला चावल और 1010 ही बोते हैं । हमारे छत्तीसगढ़ में पहले सफरी, जंवा, देवभोग और किस्म-किस्म प्रकार के सफरी वगैरह चावल थे जो कि विलुप्त हो रहे हैं । माननीय मंत्री जी, मैं चाहता हूं कि किसानों से वह प्रारंभ करवाना चालू करें । यही आग्रह करते हुए मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं । माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने हेतु समय प्रदान किया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री चैतराम अटामी (दंतेवाड़ा) :- माननीय सभापति महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है । मैं जहां से चुनकर आया हूं, हमारा दंतेवाड़ा जिला आदिवासी एवं कृषि बाहुल्य क्षेत्र है । मैं इस बजट के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं इसके पहले हमारे आदिम जाति विकास और कृषि विभाग के मंत्री जी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं ।

माननीय सभापति महोदय, दंतेवाड़ा जिला एक ऐसा जिला है जहां जैविक खेती की जाती है । वहां किसी प्रकार के रासायनिक खाद का उपयोग नहीं किया जाता है, वहां रासायनिक खाद पर बैन है इसलिये मैं आपके माध्यम से विभागीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि उस जैविक जिला को कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिये अलग से प्रावधान होना चाहिए । निश्चित रूप से आज लोग अधिक उत्पादन के लिये रासायनिक का उपयोग कर रहे हैं, चूंकि यह हम सभी के लिये बहुत ही हानिकारक चीज है । जिस प्रकार विभागीय मंत्री जी ने सब्जी, कंदमूल इनमें भी बजट रखा है । निश्चित रूप से वहां जैविक द्वारा सब्जी उत्पादन किया जा रहा है, वहां अलग से मार्केट की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वहां जैविक खेती करने वाले को सही मूल्य दिया जाये और हमारे दंतेवाड़ा जिले में किसानों के लिये तत्कालीन डॉ. रमन सिंह जी की सरकार द्वारा मोचोबाड़ी की योजना और बोर खनन की योजना वहां संचालित की गयी थी जिससे वहां के किसान अपने आत्मबल से खड़े हुए और उसका बहुत फायदा हुआ । पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार द्वारा उस योजना को पूरा बंद कर दिया गया था। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उस योजना को फिर से वहां लागू किया जाये जिससे वहां के किसान आगे बढ़ेंगे और बोर खनन की पिछली पूर्ववर्ती सरकार द्वारा वहां पर जो अनुदान की राशि दी जाती थी, वह बहुत कम थी। वहां पर बाड़ी के लिये 52,000 रूपये जमा करना, बोर के लिये 25,000 रूपये, जनजाति वर्ग के लिये ऐसा प्रावधान रखा जिससे छोटे किसान उसका लाभ नहीं ले पाते हैं इसलिये ऐसे किसानों के लिये अलग-अलग प्रावधान होना चाहिए । छोटे किसानों को कम राशि पटानी पड़े ताकि उसका लाभ ले और जिस प्रकार वहां पर किसान आज वहां एक जीराफूल करके धान की खेती करते हैं। बहुत ही हल्का चावल होता है और उस चावल की बहुत डिमांड है और जिसका मार्केट अच्छा हो और यह रायपुर तक

भी उसका मार्केट मिले, ऐसे कुछ जो जैविक कृषि करते हैं, उसके लिए अलग से ऐसी मार्केटिंग की व्यवस्था हो ताकि वहां के किसान आगे बढ़े और किसानों के लिए ड्रीप योजना सिस्टम चल रहा है, वह छोटे पट्टाधारी किसान को अनुदान दिया जाता है और बड़े किसानों के लिए वह अनुदान नहीं मिलता है। बड़े किसानों को भी ड्रीप की ऐसी व्यवस्था अनुदान मिल जाये तो बाकी किसान भी उसमें आगे बढ़ेंगे और मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं। मेरे दंतेवाड़ा जिला में सलवा जुडूम के चलते बहुत सारे छात्रावासों को दूसरे गांव में शिफ्ट कर दिया गया है और उस पंचायत में अभी वापस स्कूलें संचालित की जा रही हैं, लेकिन वहां छात्रावास भवन नहीं मिल रहा है। उसको संशोधन करते हुए पुन: वहां छात्रावास संचालित करने के लिए वहां नये भवन की अनुमति दी जाये और हमारे दंतेवाड़ा जिले में डेयरी को बढ़ावा देने के लिए दूध उत्पादन के लिए क्षीर सागर की स्थापना की गयी थी। सारे आवासीय छात्रावास के बच्चों को सभी को दूध मिले और वह भी बहुत बड़ी योजना थी, पिछली सरकार ने उसको बंद करके रखा है, उसको पुन: चालू कर दिया जाये ताकि वहां बच्चों को दूध मिलेगा और मैं अपने जिले के लिए मांग करना चाहता हूं। हमारे कृषि के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए कृषि विश्वविद्यालय खोला जाये और कृषि अनुसंधान केन्द्र खोला जाये ताकि किसान आगे बढ़ेंगे। वर्ष 2024-25 के इस कृषि विभाग के बजट में 13 हजार 438 करोड़ का प्रावधान है, जो गत वर्ष के बजट से 33 प्रतिशत अधिक है और इससे किसानों को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको और इस विभाग के माननीय मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और अपनी बात को यहीं विराम देता हूं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, मेरे दल के दो सदस्य नहीं थे, वे नहीं बोल पाये, उसकी जगह मुझे बोलने दिया जाये।

सभापति महोदय :- मैं बुलवाउंगा। आप बैठिए न। श्री प्रबोध मिंज।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- होगे निषाद जी। अब 8 बज गेहे। होगे न। का बोलना हे उही -उही ला।

सभापति महोदय :- मैं दूंगा न। आप थोड़ा धैर्य रखिए न। मिंज साहब को बोलने दीजिए। अब मिंज साहब सभापति तालिका में हैं, अब वे यहां सदन चला रहे हैं तो उन्हें 2 मिनट बोलने का अवसर मिलना चाहिए न।

श्री प्रबोध मिंज (लुण्ड्रा) :- माननीय सभापति जी, आज मैं कृषि मंत्री के विभागों से संबंधित मांग संख्या 15, 33, 41, 42, 66, 13 और 54 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज मुझे लगता है कि मैं अंतिम वक्ता हूं।

सभापति महोदय :- अभी और भी हैं।

श्री प्रबोध मिंज :- मैं हमारे आदिम जाति कल्याण मंत्री और कृषि मंत्री माननीय रामविचार नेताम जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने इतना बड़ा अच्छा बजट प्रस्तुत किया है और मांग संख्या

15 में 214 करोड़ का और विशेष रूप से 33 में 7092 करोड़ का और बड़े स्वरूप में आदिवासी अनुसूचित जनजाति उप योजना में 10206 करोड़ का और कृषि विभाग में 6980 करोड़ का और कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा पर 320 करोड़, कृषि एवं आदिवासी क्षेत्रों के लिए बजट का प्रावधान रखा है । सभापति जी, आपने और हमारे अन्य साथियों ने विस्तृत रूप से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया है । मैं कुछ मांगों के बारे में कहना चाहूंगा । सभापति जी, मेरा लुण्ड्रा विधान सभा क्षेत्र है, कृषि विभाग के बारे में कहना चाहूंगा कि जब आप मंत्री रहे तो सहकारिता में भी थे। आपने उस समय अविभाजित सरगुजा में पहला शक्कर कारखाना खोला था । गन्ना किसानों के उत्पाद का खरीदार नहीं मिलता था औने-पौने दामों पर गन्ना खरीदी होती थी । शक्कर कारखाना खोलकर जो व्यवस्था की गई उसके चलते गन्ने का उत्पादन बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया, 40 हजार मेट्रिक टन तक गन्ने की खरीदी शुरू हो गई थी । जिस समय केरता में शक्कर कारखाना खुला तो मेरे लुण्ड्रा विधान सभा क्षेत्र, आज आप गन्ने के बारे में कह रहे थे, जो उसकी क्वालिटी है, उसकी प्रोडक्टिविटी है, उसमें जितना रस होना चाहिए, वह शक्कर बनाने के लिए सर्वोत्तम है, ऐसे गन्ने का उत्पादन वहां होता है । उसके लिए माननीय मंत्री जी ने रघुनाथपुर में व्यवस्था की थी, बतौली, सीतापुर, लुण्ड्रा, अंबिकापुर आदि आसपास के क्षेत्रों के लिए गन्ना खरीदी केन्द्र की व्यवस्था की थी । उस समय 40 हजार मेट्रिक टन से अधिक गन्ना, उस खरीदी की व्यवस्था के चलते शक्कर कारखाने में जाता था । लेकिन जैसे ही पूर्ववर्ती सरकार बनी उस गन्ना खरीदी केन्द्र को बंद कर दिया गया । गन्ना खरीदी केन्द्र बंद होने के कारण लोगों को वहां से 60 किलोमीटर दूर केरता शक्कर कारखाना ले जाने में भाड़ा की पोसाई नहीं होती थी, जिसके चलते लोगों ने धीरे-धीरे गन्ने का उत्पादन करना बंद करके अन्य उत्पादों की ओर जाने लगे और धान का उतपादन बढ़ने लगा। किसान एक बार के गन्ने में दो-तीन बार की फसल ले सकते थे और कारखाने से उनको काफी पैसा मिलता था । लेकिन आज दुख की बात है कि खरीदी केन्द्र बंद होने के कारण वहां के किसानों को केरता कारखाने तक पहुंचाने में भाड़ा नहीं पोसाता उसके चलते वे असमर्थ हो गए हैं और गन्ने का उत्पादन लगभग खत्म होने की स्थिति में है । इस वर्ष जो मैंने जानकारी मंगाई थी, इस क्षेत्र से जो ले गए थे वह केवल 758 टन तक ही गन्ना गया था और इतनी गिरावट आई है । आपने शक्कर का कारखाना खोला था, यदि यहां से गन्ना खरीदी केन्द्र शुरू नहीं हुआ, जिसे कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार ने बंद कर दिया । जिसके चलते गन्ना किसान गन्ना लगाना बंद करने को मजबूर हो गए थे । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप उसको चालू करवाएं। उसके लिए जो व्यवस्था बनी हुई थी वे-ब्रिज बना हुआ है, पूरे शेड बने हुए हैं, खरीदी के पूरे साधन वहां बने हुए हैं जो बेकार हो रहे हैं । माननीय मंत्री जी वहां के किसानों के लिए पहल करके गन्ना खरीदी केन्द्र चालू करवाएं । मैं चाहता हूं कि आप इसकी घोषणा करें, बहुत ज्यादा बजट की भी जरूरत नहीं है । पूर्व से वहां सारी चीजों की स्वीकृति थी । आज मैं उस क्षेत्र के किसानों की तरफ से निवेदन करना चाहूंगा, आपका ही शुरू किया

हुआ खरीदी केन्द्र था । विनम्रता से निवेदन है कि उसे चालू करने की घोषणा कर देंगे तो किसानों के लिए बहुत अच्छा होगा । उसी तरह मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि हमारा जो लुण्ड्रा क्षेत्र सब्जियों का बहुत बड़ा हब है । वहां से उड़ीसा, यू.पी., झारखंड तक सब्जियों की सप्लाई होती है । वहां के किसानों के लिए जो साल में लाखों टन सब्जियां निकालते हैं, हर प्रकार की वेरायटी, मिर्ची से लेकर तमाम चीजें, हरी सब्जियों का उत्पादन होता है । उनके लिए अंबिकापुर में एक प्रायवेट मंडी है जहां उनको अपनी सब्जियों बेचने के लिए लाना पड़ता है, वहां किसान को कमीशन के रूप में बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ता है । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा । लुण्ड्रा क्षेत्र में एक कृषि उपज मंडी जरूर शासन की तरफ से स्वीकृत करें, वहां चालू करवाएं । वहां के सब्जी उत्पादक किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी । उसी प्रकार सब्जी प्रिजरवेटर यूनिट की आवश्यकता है । जहां लोग अपनी सब्जियों को महीना, पंद्रह दिन रख सकें । टमाटर एवं अन्य सब्जियों के समय जब ज्यादा उत्पादन होता है तब सब्जियों को फेंकना पड़ता है। लोग खेतों से सब्जियों को कांटना बंद कर देते हैं, उनको लेबर का पैसा देना भी नहीं पोसाता है। किसानों को पूरा वेजिटेबल बेकार फेंकना पड़ता है, औने पौने दाम में बेचना पड़ता है। कभी समय मिलता है, अवसर रहता है, रेट अच्छा मिलता है तो वहां के किसान करोड़पति भी हो चुके हैं, लाखों लाख रूपए तक की सब्जियां बेचे हैं। लेकिन कभी रेट खत्म हो जाता है, रेट डाउन हो जाता है तो हजारों एकड़ तक की सब्जियों को लोग खेत में छोड़ देते हैं, उनमें किसानों का पैसा बेकार हो जाता है। वहां फूड प्रिजरवेशन या फूड प्रासेसिंग जो भी यूनिट है, वह नये तकनीकी आधार पर स्थापित की जाए। दुनिया 21 वीं सदी की ओर जा रही है, आजकल सारे चीज आविष्कार हो रहे हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोजक्ट आ रहे हैं। कृषि उपज मंडी और फूड प्रिजरवेशन का एक यूनिट लगे तो निश्चित रूप से वहां किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा। वहां न केवल लुण्ड्रा विधान सभा को फायदा होगा, आस पास के तमाम कृषि क्षेत्र में जो लोग बढ़ रहे हैं, उनको भी अवसर मिलेगा। इसी के साथ एक और निवेदन करना चाहूंगा, वहां सब्जियों का बहुत बड़ा हब है, आजकल पढ़े-लिखे होने के बाद भी खेती की ओर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि जो इंजीनियरिंग किए हैं, वह भी आज खेती में काम कर रहे हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं, इंजीनियरिंग की जॉब छोड़कर खेती कर रहे हैं, उनका लाखों करोड़ो रूपए का साल का टर्नओवर है लेकिन मार्केटिंग नहीं होने के कारण उस क्षेत्र को आगे बढ़ाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। वहां अगर एक कृषि विद्यालय चालू हो जाए तो अच्छा होगा। उसमें नये तकनीक के साथ फिसरीज का यूनिट डाल दें, उसमें अन्य प्रकार के नये सब्जेक्ट रख लें, आजकल नई तकनीक के विषय खुल रहे हैं, उन विषयों को उसमें शामिल कर लें तो लोगों को नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसानों के पास काफी जमीन है, लोग अपने आप खेती में लगेंगे और व्यावसायिक रूप से कृषि के क्षेत्र में मजबूत होंगे। ऐसा हमारा लुण्ड्रा क्षेत्र है। आप उस क्षेत्र में एक कृषि विद्यालय खोलने की कृपा करेंगे। आप उस क्षेत्र के बच्चों का भविष्य उज्ज्वल करेंगे।

सभापति महोदय, आपने आदिम जाति कल्याण विभाग के लिए काम की शुरूआत की है, जो बजट रखा है, वह बहुत अच्छा है। खासकर हमारे बच्चे जो प्रयास विद्यालय से आई.ए.एस. की तैयारी करने जाते हैं, आपने घोषणा की है, आपके बजट में भी आया है। आप वहां 200 बच्चों के लिए अतिरिक्त व्यवस्था कर रहे हैं लेकिन जहां यूथ हॉस्टल है, जहां बच्चे रूकते हैं, वह द्वारिका में है और हमारे जो इंस्टीट्यूट हैं, जो आई.ए.एस. वगैरह की कोचिंग देते हैं, वह पटेल नगर और इस तरफ है। सारे बच्चे पटेल नगर, राजेन्द्र नगर, करोल बाग की तरफ रहते हैं, वहां से द्वारिका आने जाने में दो घंटे लगेंगे। यदि उनको वहीं पर आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराएं, जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनको वहीं पर रेंट दें तो उनको बहुत सुविधा होगी, उनको पढ़ने का समय भी मिलेगा और हमारे छत्तीसगढ़ के होनहार बच्चे आई.ए.एस., आई.पी.एस., इंजीनियर बन पाएंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उनको उस क्षेत्र के आस-पास जहां कोचिंग की व्यवस्था है, उन क्षेत्रों में उनको सुविधा उपलब्ध कराएं। आज के अवसर पर मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए एक छोटी सी मांग रखना चाहता हूं। आपने बहुत सारी पोस्ट मैट्रिक छात्रावास खोली है, मेरा कुन्नी क्षेत्र रिमोट क्षेत्र है, वहां बच्चों के लिए एक भी आश्रम नहीं है, वहां कोई प्री मैट्रिक हॉस्टल नहीं है, मंत्री जी, मैं प्री मैट्रिक हास्टल के लिए आपको इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि हमारी जो शिक्षा नीति है, हमारे बच्चे जो घर में पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, घर आकर पढ़ाई भूल जाते हैं, लेकिन यदि आश्रम में रहेंगे, वहीं हमारा शिक्षक रहेगा, वहीं बच्चे रहेंगे, भले नजदीक के बच्चे हों, शनिवार इतवार छुट्टी में घर चले जाएं लेकिन यदि उनको हॉस्टल में रहने की आदत होगी, फर्स्ट स्टेज में खासकर 8वीं, 10वीं, 12वीं, तक के बच्चे रहेंगे तो उनका स्टेज और पढ़ाई का जो स्तर है, वह बढ़ेगा और वह निश्चित रूप से हायर सेकेण्डरी स्कूल में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे तो वे आगे बढ़ेंगे। मेरे क्षेत्र में कुन्नी, रघुनाथपुर, बरगीडीह इन क्षेत्रों में 50-50 सीट की पोस्ट मैट्रिक छात्रावास खोलने की कृपा करेंगे। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद।

सभापति महोदय :- देखिए, मैं आपको विशेष रूप से अनुमति दे रहा हूं लेकिन आप कृपा करके बहुत ही कम समय में बोलिएगा।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप अपने क्षेत्र की मांग रख लीजिए।

श्री कुंवर सिंह निषाद (गुन्डरदेही) :- तेहा 30 सेकण्ड ला खा डरेस। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय कृषि मंत्री जी के विभाग से संबंधित अनुदान मांगों के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। छत्तीसगढ़ 33 जिलों को अपनी बाहों में समेटे हुए 'धान का कटोरा' के नाम से विख्यात देश का बहुत ही प्यारा अंचल है। छत्तीसगढ़ के कड़-कड़ में सुआ, करमा, ददरिया, पंथी, पंडवानी, रहस, रैला, शैला की गूंज सुनाई देती है और पशु-पक्षी की कलरह सुनाई देती है। हम ऐसे समृद्धशाली छत्तीसगढ़ के वासी हैं। छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान प्रदेश है। यहां की अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। यदि हमें छत्तीसगढ़ के बाजार में रौनक दिखाई देती है तो वह किसान की जेब और खाते में पैसा होने के कारण

से दिखाई देती है। वर्तमान में जब मैं कृषि विभाग के बजट पर गौर करता हूं कि मुझे उसमें निराशा ही दिखाई देती है। हम राजस्व व्यय को देखते हैं तो वह 13 हजार 251 करोड़, 39 लाख, 9 हजार रूपये है और पूंजीगत व्यय को देखेते हैं तो वह केवल 186 करोड़, 97 लाख, 70 हजार रूपये है। आपके बजट की संपूर्ण राशि तो आपके वेतन-भत्तें व अन्य खर्च पर ही समाप्त हो जाएगी। फिर अन्य चीजों के लिए आप कहां से राशि लाएंगे? जिसके भरोसे पूरे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का संचालन होता है, उसके लिए आपके बजट में सम्मानजनक राशि का प्रावधान नहीं है। यह उचित नहीं है।

सभापति महोदय :- निषाद जी, आप आंकड़े में मत आइये। यदि आप अपनी कुछ बातें कहना चाहते हैं तो कहिये। यह तो सब जानते हैं। यहां पर सब पढ़े-लिखे हैं। कोई दिक्कत नहीं है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- जी। मैं केवल अपनी मांगें रखता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। मेरी किसानों से संबंधित कुछ मांगे हैं। प्रदेश के लगभग सवा लाख किसानों के खाते में आज भी बोनस की राशि नहीं आई है। जिसकी आपने घोषणा की है। माननीय कृषि मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इसका एक बार परीक्षण करवा लीजिए। कृषि के साथ-साथ उद्यानिकी को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। मैंने बहुत मिन्नत के बाद अपने विधान सभा क्षेत्र में उद्यानिकी महाविद्यालय खुलवाया है। उसका इन्फ्रास्ट्रक्चर लगभग पूरा हो गया है। वहां 2-3 साल से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि कृषि के साथ-साथ फसल चक्र में भी परिवर्तन हो। हम लोग प्रशिक्षण और शिविर के माध्यम से किसानों को प्रेरित करें। ताकि हमारे किसान अन्य फसलों को उगाने पर भी ध्यान दें।

माननीय सभापति महोदय, बालोद जिला कृषि के साथ-साथ गन्ना में भी अपनी धाक व वजूद रखता है। पूर्व में सरकार के द्वारा वर्ष 2019-2020 से गन्ने के समर्थन मूल्य 262 रूपये प्रति क्विंटल में अंतर की राशि व प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 355 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से दी जा रही थी। मैं माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि पहले 355 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से राशि दी जा रही थी और लगातार वर्ष 2023 तक यह राशि दी गई है। लेकिन अभी आपके बजट में गन्ना किसानों के लिए प्रोत्साहन राशि का कोई प्रावधान नहीं है। माननीय प्रबोध मिंज जी ने गन्ना किसानों की चिंता की थी कि उनका रकबा कम हो रहा है और गन्ना के प्रति उनका झुकाव कम हो रहा है तो यदि हम उनको प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो किसानों में गन्ना के प्रति जागृति कैसे आएगी और वह गन्ना की खेती करने के लिए कैसे सोचेंगे? मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि वर्तमान में उसका M.S.P. 292 रूपये है तो प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर उसे 500 रूपये कर दिया जाए। चूंकि किसानों का परिवहन और अन्य बहुत सी चीजों का खर्चा होता है। बालोद जिला के करकाभाठा में शक्कर कारखाना है। मैं कहना चाहूंगा कि जब किसान गन्ना लेकर आते हैं तो उसमें थोड़ी सी अव्यवस्था होती है। उनके सामान रखने के लिए शेड और पर्याप्त स्थान नहीं है। जहां पर वह अपना गन्ना रखते हैं, वहां पर मुरूम बिछा हुआ है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम उस स्थान को व्यवस्थित कर दीजिए। ताकि किसानों को वहां पर गन्ना रखने में आसानी व सुविधा हो।

माननीय सभापति महोदय, मैं अपने क्षेत्र की कुछ मांगों के साथ अपनी बात को विराम दूंगा। मेरे यहां उद्यानिकी महाविद्यालय बना है। यदि माननीय मंत्री जी मेरी बातों को सुन रहे होंगे तो आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे क्षेत्र में भी नया उद्यानिकी महाविद्यालय बना है। वह इतना सुंदर स्थान है। वहां अनुसंधान केन्द्र की भी स्वीकृति हुई है, लेकिन उसकी बाउन्ड्री नहीं बनी है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यदि वहां पर बाउन्ड्री बन जाए तो वह सुरक्षित हो जाएगा। हमारे यहां बहुत पहले से उद्यानिकी की नर्सरी संचालित है। जब हम लोग छोटे-छोटे थे, तब से उसको देख रहे हैं। उसको लगभग 35-40 साल हो गये हैं। मैं चाहता हूं कि उद्यानिकी कॉलेज बनने के बाद से वहां पर बहुत से अधिकारियों और नेताओं का आना होता है तो वहां पर अतिथि गृह नहीं है, वह डेव्हपल नर्सरी है । मैं ज्यादा मांग नहीं करूंगा, अगर वहां पर दो-तीन रूम का अतिथि गृह बन जाये, जैसे आप लोग आएं तो हम घर में ले जाते हैं तो वहां पर कम से कम आपके जाने के बाद व्यवस्था हो ।

सभापति महोदय, अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के लिए भी मै आपसे राशि की मांग करता हूं । क्योंकि मेरे विधान सभा में अनुसूचित जनजाति के साथ-साथ अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र पड़ता है, जो गुरू घासीदास जी के अनुयायी हैं । मैं चाहता हूं कि अनुसूचित जाति बाहुल्य के ग्रामों में गिरौधपुरी के मॉडल के हिसाब से जैतखम्भ का निर्माण हो, ताकि बाबा जी की जयंती में वे श्रद्धा के साथ उसे देखकर उनको याद कर सकें । मेरे विधान सभा क्षेत्र में बौद्ध समाज के बहुत से अनुयायी हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं । यदि ज्यादा नहीं तो अर्जुन्दा, देवरी और गुण्डरदेही, जो सेन्ट्रल जगह है, वहां के लिए मैं भवन की मांग करता हूं । यदि इन तीन जगहों में समाज के लिए कोई व्यवस्थित भवन मिल जाये तो कृपा होगी ।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में और स्वयं मेरे निवास में प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास है । यदि पोस्ट मैट्रिक हो जाएगा तो बच्चे जो उद्यानिकी का कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं, वे वहीं से जाते हैं, किराए में रहते हैं, उसमें से बहुत से गरीब बच्चे हैं । मैं चाहता हूं कि यदि वहां पर एक पोस्ट मैट्रिक ओ.बी.सी. छात्रावास बन जाएगा तो निश्चित ही बच्चों के लिए सुविधा मिलेगी ।

सभापति महोदय, मैं अंतिम मांग करना चाहता हूं । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि मेरे क्षेत्र में एकलव्य आवासीय विद्यालय पिछले दो साल से संचालित है, लेकिन भवन नहीं होने के कारण दूर में संचालित हो रहे हैं । वह विद्यालय पिनकापार के नाम से स्वीकृत है । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस साल उसे बजट में प्रावधान रखते हुए पिनकापार में आवासीय विद्यालय का भवन और इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान करें, वहां आसपास के बच्चों के लिए जो आदिवासी बच्चे हैं, जिसके लिए मैंने मांग की थी और वह संचालित है, वहां के बच्चों को

सुविधा मिल सके, बस मैं यही चाहता हूं । सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद ।

श्री सुशांत शुक्ला (बेलतरा) :- सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर कृषि विश्वविद्यालय का एक केन्द्र है और वहां पर धान के विभिन्न किस्मों का रिसर्च होता था, जो पिछले कुछ दिनों से बंद पड़ी हुई है । सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करूंगा कि उसके विस्तारीकरण का प्रावधान बजट में हो, ताकि धान के विभिन्न किस्मों का रिसर्च हो जाये । सभापति महोदय, आपको ध्यान होगा कि दुबराज बहुत प्रसिद्ध किस्म का धान छत्तीसगढ़ में होता था, वह आजकल विलुप्त हो गई है । जो कृषि विश्वविद्यालय का केन्द्र है, वहीं से उसे उन्नत किया गया था, यह मैं आपसे आग्रह करूंगा ।

सभापति महोदय, बिलासपुर सब्जी का एक बड़ा बाजार बनता जा रहा है और वहां पर बहुत बड़े तौर पर कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता है तो इस बजट में उसका भी प्रावधान हो । गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति, जनजाति के बहुत से छात्र पढ़ते हैं और पिछले चार-पांच वर्षों से यह देखने में आया है कि उनको छात्रवृत्ति वितरण करने में बहुत सारी विसंगतियां देखने को मिली हैं ।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक मांग और करना चाहता हूं । बिलासपुर शैक्षणिक हब के रूप में बढ़ रहा है तो बिलासपुर में एक प्रयास आवासीय विद्यालय खुले, मंत्री जी से ऐसी मेरी मांग है । सभापति महोदय, आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद ।

श्रीमती रायमुनी भगत (जशपुर) :- सभापति महोदय, मैं केवल मांग रखना चाहती हूं । चूंकि जशपुर और सन्ना क्षेत्र में सब्जी और फलों का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है । वहां नाशपाती, सेब, स्ट्राबेरी, कटहल और आम का उत्पादन बहुत भारी मात्रा में होता है तो वहां कोल्ड स्टोरेज की बहुत ज्यादा जरूरत है । वहां मिर्ची, टमाटर और सभी सब्जियों का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है । वहां एक मंडी की आवश्यकता है । दूसरी चीज, वहां बिचौलिएं सभी चीजों में आगे हो जाते हैं, जिसके कारण किसानों को अपने उत्पादन का सही मूल्य नहीं मिल पाता है । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि वहां किसानों के लिए एक अलग मंडी या अलग से पंजीकृत सोसायटी हो, जिसके माध्यम से किसान अपना फल और सब्जी बेचें, ताकि किसानों को अच्छा मुनाफा हो। डेयरी उत्पादन, चूंकि पंडरापाठ यादव बाहुल्य क्षेत्र है, वहां एक डेयरी विकास केन्द्र होना अति आवश्यक है, मैं इतना ही कहूंगी। ट्राइबल विभाग में भड़िया में कन्या छात्रवास की आवश्यकता है। पंडरापाठ में भी प्री-मैट्रिक कन्या छात्रावास की आवश्यकता है। वह दूरस्थ अंचल है। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि वह दोनों-तीनों काम को प्राथमिकता दे, बजट मे शामिल करें। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, धन्यवाद।

श्री लखेश्वर बघेल (बस्तर) :- माननीय सभापति महोदय, हमारे आदरणीय मंत्री जी के पास बड़ा-बड़ा विभाग ट्रायबल विभाग, कृषि विभाग है। सदन में माननीय मंत्री जी की इतनी तारीफ हुई कि उनका बड़ा दिल है, जैसा मांगों वैसा देते हैं। आप लोगों का कुछ निर्णय पिछले कार्यकाल है। निवेदन है कि हमारे अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के पास शैक्षणिक संस्थाएं थीं, जिसको आपने स्कूल शिक्षा विभाग में समाहित कर दिया है। तो मैं निवेदन करूंगा कि वह पुन: ट्रायबल में आये, ऐसी कोई घोषणा करें। साथ-साथ आदर्श छात्रावास, प्रयास, एकलव्य, कन्या शिक्षा परिसर आदि-आदि छात्रावास जो स्कूल शिक्षा विभाग के पास है, वह भी ट्रायबल विभाग में आये तो अच्छा रहता।

माननीय सभापति महोदय, आदिवासी पर्व निधि के लिए बजट में प्रावधान रखा है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं एक और निवेदन करूंगा। हमारी संस्कृति, परम्परा, धार्मिक कार्य में लगे सेवाकारी लोग, जैसे पुजारी, बैगा, पटेल, मांझी, कोटवार, राजा, मौर्य आदि होते हैं। हम लोग उन्हें पिछली सरकार में प्रोत्साहन राशि देते थे, लेकिन इस समय बजट में प्रावधान नहीं रखा है। मेरा निवेदन है कि ये लोग गांव के सेवाकारी हैं। ये लोग धार्मिक कार्य में प्रोत्साहित करते हैं। ये लोग धीरे-धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। जैसे राजा, मौर्या आदि, इन लोगों को प्रोत्साहन राशि देने से अच्छा रहेगा। इस पर भी सरकार विचार करें, यही मेरा निवेदन है।

सभापति महोदय, साथ ही साथ हमारे क्षेत्र में दो कालेज हैं। पोस्ट मेट्रिक छात्रावास नहीं होने से, चाहे ट्रायबल के हो चाहे अनुसूचित जाति के हो या चाहे पिछड़ा वर्ग के हो, ये बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। 40-60 किलोमीटर दूर से आते हैं। पोस्ट मेट्रिक छात्रावास बस्तर और बकावण्ड में खुल जाये। ऐसे ही सभी जगह ब्लाक मुख्यालय में खुले हुए हैं। सब जगह पोस्ट मेट्रिक कन्या छात्रावास होने से सभी लोगों को फायदा होगा। सभापति महोदय, यही निवेदन के साथ, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री धरम लाल कौशिक (बिल्हा) :- माननीय सभापति महोदय, हमारा छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान प्रदेश है। लगभग 40 किसान हैं। जिसमें जो 82 प्रतिशत किसान हैं, वह हमारे लघु एवं सीमान्त किसान हैं। कृषि विभाग में जो भी योजना बने, उनको केन्द्र बिन्दु बनाकर, केन्द्रित कर योजना बननी चाहिए, जिससे हमारे छोटे किसानों, सीमान्त किसानों को लाभ मिल सकें। हम अपने यहां धान में आत्म निर्भर हो गये हैं। गेहूं में आत्मनिर्भर हैं। कुछ ऐसे है, जिसमें आत्मनिर्भर ही नहीं हैं, बल्कि दूसरे प्रदेश को निर्यात कर रहे हैं, दूसरे देशों को निर्यात करने की स्थिति में हैं। दलहन में हमारी स्थिति मजबूत हुई है, लेकिन जहां तक मैं तिलहन की बात करूं, तो तिलहन में हम आज भी दूसरे प्रदेशों के ऊपर निर्भर हैं। जितनी हमारी आवश्यकता है, उस आवश्यकता की पूर्ति नहीं है, तिलहन में हमारा उत्पादन उतना नहीं है, जिससे हम अपने प्रदेश की मांग की पूर्ति कर सकें। इसलिए मुझे लगता है कि तिलहन में विशेष जोर देने की आवश्यकता है। हम तिलहन में जितना जोर देंगे, हमको उसका लाभ मिलेगा। बीज निगम,

यदि हम छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए अच्छी बीज की व्यवस्था कर सकें, अच्छी पेस्टीसाइट की व्यवस्था कर सकें, हम अच्छी दवाई की व्यवस्था कर सकें तो मुझे लगता है कि सामान्य स्थिति में भी अपने फसल में 10 से 15 प्रतिशत की वृद्धि कर पायेंगे। इसके लिए आवश्यक है कि हम किसानों को अच्छे बीज उपलब्ध करायें । सरकार के द्वारा वितरण और उत्पादन में जो अनुदान दिया जा रहा है, कोदो कुटकी धान में 500 रूपया प्रति क्विंटल के हिसाब से है, दलहन में 1000 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से है और तिलहन में 1000 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से है । सभापति महोदय, राज्य निर्माण के समय 66,125 क्विंटल बीज की तुलना में अभी हम देखेंगे तो 11,71,870 क्विंटल का वितरण किया गया है । अभी इसके लिये बजट में राशि बढ़ाई गई है और बजट में 106 करोड़ का प्रावधान किया गया है, ताकि आने वाले समय में किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ बीज निगम के माध्यम से मिले । सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ बीज निगम का प्रथम अध्यक्ष था । बीज निगम में अधिकारी बैठे होंगे, मैंने उस समय देखा कि बीज निगम में जितने भी हमारे अंबिकापुर से लेकर केन्द्र है, उसे बढ़ाने के लिये जोर दिया और जोर देने के बाद उन केन्द्रों में और आसपास के किसानों को भी लाभान्वित करने के हिसाब से उस क्षेत्र को बढ़ाने का काम किया । वहां पर जो रेट तय किये जाते हैं और सप्लायर के द्वारा सप्लाई की जाती है । सभापति महोदय, मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ, उड़ावनी पंखा का वहां पर रेट तय किया गया कि उड़ावनी पंखा किसानों को सप्लाई करनी है । मैंने उसे कहा कि रेट तय होने के बाद में यह जो उड़ावनी पंखा है, आप जो लेकर आये हैं, उसे यहीं बीज निगम में छोड़ दीजिए । मैं उसको बीज निगम में छोड़वा दिया । बीज निगम में रखे रहे, जब उनका सप्लाई हुआ, सप्लाई होने के बाद में एम.डी. को कहा कि आप जो सप्लाई किये हैं और यह जो नमूना सेंपल दिये हैं, इसका थोड़ा सा वेट करा लो कि कितने का है । जो वहां पर दिखाया गया और छोड़ के गया था, वह 24 किलो का था और जो सपलाई किया गया था, वह 18 किलो का था । हमने उसको आदेश दिया कि जितने सप्लाई किये हैं, उसको सप्लायर सब को उठाकर ले जाये । यदि आप सप्लायर के ऊपर छोड़ देंगे तो किसानों के साथ में धोखा होगा और इसलिये कई बार यह मामला आया है, जो बीज देने के बाद बीज का जर्मिनेशन होना चाहिये, वह जितनी आनी चाहिये, वह नहीं आ पा रही है । आपका वहां पर जो खाद का है, दवाई का है, बीज का है, यह भी उसमें जो दिक्कत आ रही है, इसके कारण किसानों में अविश्वास पैदा हो रहा है । सभापति महोदय, बीज निगम इसलिये बनाया गया था कि किसानों का एक सेंटर है और उसके प्रति किसानों का विश्वास हो । मैं समझता हूँ कि इसमें कसावट लाने की आवश्यकता है । सभापति महोदय, हमारे यहां किसानों को प्रोत्साहित करने के लिये आजकल हमारे मैन्युअल काम कम होते जा रहे हैं । यंत्रों के ऊपर ज्यादा निर्भर होना स्वाभाविक है, क्योंकि लेबर मिल नहीं रहे हैं और लेबर कॉस्ट देना दिक्कत है, इसलिये ट्रैक्टर, पॉवर टिलर, रोटावेटर, रिपर इसमें हमारे किसानों को 50 परशेंट, 40 परशेंट की सब्सीडी दी जाती है और इसी के साथ में जो हमारे मिनी

राईस मिल है, दाल मिल है, मिलेट मिल है, आईल मिल है, इसमें जो भी सब्सीडी है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु सीमान्त महिला कृषकों को 60 परशेंट और अन्य कृषकों को 50 परशेंट अनुदान उपलब्ध कराई जा रही है । सभापति महोदय, इसमें निश्चित रूप से यंत्र तो आ गये हैं, लेकिन सफल इसलिये नहीं हुये हैं कि जो रोपा लगाते हैं, आज भी मैन्युअल है, मुझे ऐसा लगता है कि 80 परशेंट, 90 परशेंट, हम जो रोपाई का काम करते हैं, मजदूरों के द्वारा किया जाता है। सभापति महोदय, उसमें एक दिक्कत आ रही है कि हम क्या और आगे कर सकते हैं । इस दिशा में हमारे जो यंत्र वितरण कर रहे हैं तो बाकी प्रदेशों में देखकर मुझे लगता है कि यह दिक्कत जब तक दूर नहीं होगी, किसानों के लिये बनी रहेगी तो रोपाई जो है, उसमें ट्रांसप्लांटर में अभी तक सफलता मिलनी चाहिये, वह नहीं मिली है, आने वाले समय में कितना लाभ हो सकता है, उसके लिये हम बाकी जगहों पर भी उसको देखें। अभी आपने बजट में वृद्धि की है और इसमें 97 करोड़ 80 लाख रूपये का भी प्रावधान किया गया है। इसी के साथ हमारी सिंचाई की सुविधा की बात करूंगा। मंत्री जी, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि यह किसान समृद्धि योजना में जो 25 हजार, 35 हजार और जो 43 हजार रूपये है, यह कब से है आपको मालूम है ? जब मैं विधायक नहीं बना था तब से है। मतलब 30-35 साल पहले से है। यदि आप एक ट्यूबवेल करायेंगे और उसमें केसिंग पाईप लगायेंगे तो केवल ट्यूबवेल का मिनिमम 01 लाख रूपये लगेगा। उसमें आप मशीन लगायेंगे, उसका अलग है और पंप का घर बनायेंगे, उसका अलग है। इस पर विचार करना चाहिए। हम इसको बजट में डाल देते हैं, लेकिन बजट में इसका उपयोग नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि हम इसे केवल उसका दिखावा करने के लिये बजट में डाल देते हैं। सारी चीजों के रेट में कितने गुणा वृद्धि हुई है ? लेकिन 35 साल पहले जो 25 हजार रूपये अनुदान दिया जाता था, आज भी वही 25 हजार रूपये का अनुदान दिया जाता है। मुझे लगता है कि इस पर विचार करना चाहिए और विचार करने बाद यदि हम उसकी लागत के हिसाब से अनुदान की राशि बढ़ायेंगे तो किसानों को निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से हमारे किसान समृद्धि योजना के साथ इसमें बजट में जो राशि की वृद्धि की गयी है। हमारी जो शाकम्भरी योजना है। यहां मंत्री जी भी बैठे हुए हैं। जब हम लोग की सरकार थी तो उस समय हम लोग जगह-जगह पर कार्यक्रम करते थे और उसमें सारी मशीनों को ले जाते थे। उस कार्यक्रम में किसान सम्मेलन होता था, उसके बाद प्रदर्शनी लगायी जाती थी। वहां पर सब्सिडी में मशीन दिया जाता था। हमको वह पिछले पांच साल में देखने में नहीं मिला कि कहीं पर इस प्रकार से किसानों का सम्मेलन किया गया हो या प्रदर्शनी लगायी हो, जिसके माध्यम से किसानों को पम्प का वितरण किया जा सके। उसमें उनको सब्सिडी की राशि मिलती है। इसलिये शाकम्भरी योजना के अंतर्गत जो हमारे छोटे-छोटे किसान हैं, जिसमें सब्जी-भाजी की खेती करने वाले किसान हैं, ऐसे लोगों के लिये भी 05 हॉर्स पॉवर का पम्प दिया जाता है और जो बाकी पम्प है, उसको आप जितना बढ़ायेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे किसानों को इसका लाभ मिलेगा।

सभापति महोदय, मैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करना चाहूंगा। अभी आप यह देख लीजिये कि अभी तक हमारे कितने किसानों से धान खरीदी हुई है। यदि आपके 26 लाख या 29 लाख किसानों के धान की खरीदी हुई है, इसका मतलब यह है कि वह धान की खेती कर रहे हैं, लेकिन उनको जो किसान सम्मान निधि मिलनी चाहिए, वह उनको नहीं मिल रही है। वह संख्या जो हमारी किसान सम्मान निधि की है, उसमें हम 15वें किश्त में 21 लाख किसानों तक पहुंचे हैं। मतलब उसमें कहीं न कहीं कमी है। यदि हमारे किसान खेती कर रहे हैं तो वहां तक सम्मान निधि क्यों नहीं पहुंच पा रही है ? उसमें कोई न कोई माइनर त्रुटि है। इसलिये मैं समझता हूं कि विभाग को इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारे जितने किसान पेडी का प्रोडक्शन ले रहे हैं, उन सारे किसानों को इसका लाभ मिलना चाहिए। उसके लिये हम चाहे कृषि विस्तार अधिकारी को लगाये, यदि पटवारी की जरूरत पड़े तो पटवारी को लगाये, उसके पोर्टल में जो कमी आ रही है, हम उसको यहां से भेजवाने की व्यवस्था करेंगे तो हमारे किसानों की संख्या बढ़ेगी। क्योंकि यह कोई लोन नहीं है। यदि आपके पास 50 डिसमिल भी खेती की जमीन है या आपकी 10 एकड़ भी खेती की जमीन है तो भी आपको 06 हजार रूपये की राशि मुफ्त में मिलनी है। इसके लिये यदि हम अपने विभाग में व्यवस्था थोड़ी सी चुस्त दुरूस्त करेंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा।

सभापति महोदय, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा मिलेट्स को लेकर, चाहे जी-20 के आयोजन में हो या अन्य आयोजन में हो, मिलेट्स डे तय किया गया। उसमें कोदो, कुटकी का सपोर्ट प्राईस तय किया गया। उसके बाद उसको राज्यों में भी लागू किया गया है। यह मिलेट मिशन, वर्ष 2022 से प्रारंभ किया गया है। इसमें जो सपोर्ट प्राईस तय किया गया है, वह कोदो के लिये 3200 रूपये क्विंटल, कुटकी के लिये 3350 रूपये क्विंटल और रागी के लिये 3846 रूपये क्विंटल है। इस प्रकार से जब इसके सपोर्ट प्राईस तय किये गये हैं तो इससे किसानों का इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और पहले जो हमारे किसान कोदो, कुटकी की खेती करते थे, वह आजकल लगभग कम हो गये हैं। मुझे लगता है कि यह मिलेट्स मिशन के द्वारा हमारे किसानों को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को इसका लाभ मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं इसके साथ ही फसल बीमा पर कहना चाहूंगा कि जिन किसानों ने सोसायटी से खाद उठाया, लोन लिया, उनका बीमा अपने आप हो जाता है, लेकिन जिन किसानों ने सोसायटी से खाद या लोन नहीं लिया है तो अपनी फसलों का बीमा करवाना पड़ता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि खासकर हमारे क्षेत्रों में एक पानी के लिए हमारी फसल चौपट हो जाती है। यदि वर्षाकाल के समय लास्ट में एक बारिश नहीं हुई तो खेतों में हमारी फसलें सूख जाती हैं। कभी-कभी हम लोग यह देखते हैं कि फसलों की कटाई के समय कटुआ कीड़ा लग गया या अन्य कोई प्राकृति आपदा आ गई, कहीं ज्यादा बारिश हो गई इसके कारण से हमारे जो किसान वंचित हो जाते हैं तो इसमें वर्ष

2022-23 का देख रहा था कि 17 हजार 3 हजार 461 कृषकों का बीमा किया गया। इन बीमित कृषकों में से, वर्ष 2022 एवं 2023 में 3 लाख 14 हजार कृषकों को मात्र 428 करोड़ रूपये का भुगतान हुआ है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभी बातें आ चुकी हैं। अब पारित करें।

सभापति महोदय :- माननीय कौशिक जी, आप बोलिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, जहां तक यह पारित कराने की बात है। आपने इसे नहीं कहा इसलिए मैंने इसे कह दिया।

माननीय सभापति महोदय, उद्यानिकी के लिए समूह के द्वारा जो फेसिंग के तार लगाए जा रहे हैं। इसमें मेरा केवल सुझाव है कि आप गांवों में देखेंगे कि भाठा एक तरफ है और सभी खेत एक तरफ है। यदि किसान अलग-अलग लोन लेंगे, उनको स्वीकृत करेंगे उसके बजाए, क्या जैसा हम उद्यानिकी के लिए कर रहे हैं तो हम खेत का सर्वे कराएं। मैं यह कहता हूँ कि आप पूरे गांव का सर्वे मत कराईये। आप गांवों के 4-5 ब्लॉक में जैसे पायलेट प्रोजेक्ट लेते हैं हम गांवों में ऐसा सर्वे करा लें । यदि हमारी जो टोटल प्लॉट है हम उसमें फेंसिंग तार लगाते हैं उसमें सब्सीडी दी जा रही है तो क्या हमको कितना अंतर पड़ेगा? उससे हमारी सारी जमीनों को बारवेट वॉयर से घेरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि ऐसे ही यहां चारागार कम है, वैसे ही जमीन कम है तो जो खेत बचे हैं हम उसको करेंगे तो मुझे लगता है कि उसका लाभ मिलेगा। पूर्ववर्ती सरकार के समय जो नरवा, गरूआ, घुरवा, बाड़ी में जो पैसा बहाया गया। यह कुछ काम नहीं आया। आपके गौठानों, मॉडल गौठान की 20 लाख रूपये से 1 करोड़ रूपये तक योजना है वह मॉडल गौठान की विधायिका चुनकर नहीं आयी है, यह आपको मालूम है। नेवरा का जो गौठान है वह एक करोड़ रूपये का है। मुझे यह लगता है कि यदि आप केवल 50 लाख रूपये में तार घेरवा देते तो सारे किसान खरीफ की ही नहीं, रबी की फसल ले सकते हैं। यदि हमें रबी की फसल को बढ़ाना है तो हमें पायलेट प्रोजेक्ट बनाकर, केवल 5 ब्लॉक में 5 गॉवों को देखें तो आपको यह देखकर लगता है कि ऐसा किया जा सकता है तो मुझे लगता है कि इस पर विचार किया जाना चाहिए। यदि आप ऐसा विचार करेंगे तो निश्चित ही इसका किसानों को लाभ मिलेगा। हम लोग इसे उस दृष्टिकोण से देंखे। साथ ही जो हमारे सिंचाई संयंत्र हैं यह जो हमारी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है पिछली बार इसमें बहुत सारे प्रस्ताव आये हैं। उसमें कुछ काम हो गये हैं, कुछ कामों की प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिली है। यदि उन कामों की भी प्रशासकीय स्वीकृति मिल जाए तो लाभ मिलेगा। हमारे तालाब भी भरेंगे और उसके साथ ही साथ किसानों के खेतों में भी पानी जाएगा। यह जो ड्रीप, स्प्रिंकलर का है इसके लिए जो प्रावधान किये गये हैं इसमें पहले बहुत अच्छा काम हुआ है और आने वाले समय में इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। साथ ही माननीय मंत्री जी, आपने देखा है कि चाहे आपके लुण्ड्रा का मामला हो या दुर्ग क्षेत्र का मामला हो। किसान सब्जियों को ट्रेक्टर में भर कर ले जाते हैं और सड़कों में छोड़ देते हैं। उन किसानों में आक्रोश रहता है। किसानों को सब्जी तोड़ाई का रेट भी नहीं मिल पा रहा है। हमें यह हर

साल देखने को मिलता है। लेकिन उस समय हम कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या उनके लिए समय के पहले कुछ व्यवस्था नहीं कर सकते। जैसे हम दूध के लिए चिलिंग प्लांट है, इसके लिए हमारे शीत केन्द्र है, कोल्ड स्टोरेज है। क्या ऐसी फसलों को कोल्ड स्टोरेज में सब्सिडी दे रहे हैं लेकिन आपकी कोल्ड स्टोरेज की संख्या भी कम है। कोल्ड स्टोरेज की संख्या को और बढ़ाना चाहिए जिससे किसानों को सड़क में अपने फल, सब्जी को फेंकने की नौबत न आये। मैं समझता हूं कि हमको इस पर विचार करना चाहिए। आपने 14 कोल्ड स्टोरेज के निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपये की राशि रखी है और पहले भी आपने 65 कोल्ड स्टोरेज बनाया है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में कोल्ड स्टोरेज की संख्या में वृद्धि हो। मैं आपको बधाई देता हूं कि आप जितने कोल्ड स्टोरेज बनायेंगे, हमारे किसानों को उसका लाभ मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, छात्रावास, प्रयास विद्यालय का हम सब लोग रिजल्ट देखें हैं। दिल्ली में कोचिंग के लिए जो छात्रावास बने हुए हैं, उसके लिए बात आई है। चाहे दंतेवाडा, सुकमा, बीजापुर हो, निश्चित रूप से उसका लाभ उस क्षेत्र के विद्यार्थियों को मिल रहा है। अब वहां के हमारे जो प्रतिभागी हैं, आज कल वह अधिकारी बनने लगे हैं। जहां हम उम्मीद नहीं करते थे, जितना उम्मीद किये, उससे ज्यादा हमारे छात्रों का प्रदर्शन रहा है, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो या प्रतियोगी परीक्षाओं में हो। जो सफलता मिल रही है उसमें हम और आगे जितना बढ़ सकते हैं और जितना हम करेंगे। नक्सली एरिया में नक्सली उन्मूलन की बात करते हैं। नक्सली उन्मूलन के लिए जो आवश्यक है कि वहां जो आश्रम, शाला, पोटाकेबिन बनाये गये हैं, बीच में बहुत सारे पोटाकेबिन बंद हो गये थे।

सभापति महोदय :- कौशिक जी, कृपया समाप्त करिये।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, बस दो-तीन मिनट में समाप्त करता हूं। वहां के पोटाकेबिन के छात्रों को दूसरी जगह उठा करके लेकर के आये थे। पोटाकेबिन की स्थिति यह हो गई थी कि न वहां पानी की, शौचालय की व्यवस्था है, वहां की सारी व्यवस्था गड़बड़ा गई थी। एक बार उस व्यवस्था को दुरूस्त करने की आवश्यकता है ताकि हम गांव के बच्चे को ला करके वहां रख सकें। उसके माध्यम से आगे हम प्रयास विद्यालय में ला सकें, दिल्ली तक पहुंचा सकें और जो हमारा उद्देश्य है कि वहां के बच्चे शिक्षा की तरफ, सर्विस की तरफ जायें, इससे हमको उसमें बड़ी सफलता मिलेगी। साथ ही मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि आपके यहां देवगुडी बनते हैं। हमारे यहां साल में एक देवगुड़ी बनता है। हम लोग जब पूछते हैं तो बोलते हैं कि साहब आपका साल में एक ही गांव का आया है। आप एक गांव को देंगे तो क्या होगा? मैं केवल आदिवासी, जनजाति की बात करूं तो हमारे क्षेत्र में 32 हजार से ज्यादा वोटर हैं। मैं अनुसूचित जाति के वोटर की बात करूं तो 58 हजार से ज्यादा वोटर हैं जिनके लिए कुछ नहीं है और जिनके लिए है तो केवल एक गांव के लिए है। उसमें समुचित रूप से विचार करना चाहिए कि आखिरी वह मैदानी एरिया में है, बाकी सरगुजा, बस्तर में है। आप हर गांव में

बना रहे हैं तो यहां के गांव को उसका लाभ कैसे मिलेगा? यह लाभ से वह वंचित हो जाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा, हमारे प्री-मेट्रिक छात्रावास पथरिया में है। हमारे विधान सभा और मुंगेली जिला में यदि वहां पोस्ट्र मेट्रिक छात्रावास में अपग्रेड करेंगे तो वहां के बच्चो को लाभ मिलेगा। सरगांव में अनुसूचित जाति छात्रावास की आवश्यकता है, बिल्हा में सारे छात्रावास हैं। बरतोरी में अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रावास खोलेंगे तो वहां के पढ़ने वाले बच्चो को ज्यादा पढ़ा सकेंगे और उनको सुविधा मिलेगी। इसके लिए यदि आप घोषणा करेंगे या सप्लीमेंट्री में लायेंगे तो मुझे लगता है कि उसका लाभ मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी की मांगों का समर्थन करता हूं और अनुदान की मागों का समर्थन करते हुए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि आपने बहुत ही अच्छा बजट लाया है और सभी उसको सर्वसम्मति से पारित करें। माननीय सभापति महोदय, इतना कह करके आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी।

श्री आशा राम नेताम (कांकेर) :- माननीय सभापति जी।

सभापति महोदय :- आप भी बोलेंगे ?

श्री आशा राम नेताम :- माननीय सभापति महोदय, मेरी मांग है, कुछ बोलना नहीं है। कांकेर के लिए विशेष है।

सभापति महोदय :- आप भी मांग कर लीजिए और आप भी (माननीय सदस्य रामकुमार यादव जी) कर लीजिए। आप दोनों माग कर ही लीजिए।

श्री आशा राम नेताम :- माननीय सभापति महोदय, कांकेर एक मुख्यालय है। आसपास में बहुत ज्यादा सब्जी होती है। मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि वहां सब्जी मंडी हो। जो पी.एम.टी. हॉस्टल है, बहुत पुराना हॉस्टल है। उस हॉस्टल से बडे-बडे कलेक्टर, अधिकारी बनकर निकले हैं, अधिकरी बन कर निकले हैं, लेकिन वह आज ज्यों का त्यों है। उसमें कम से कम 300 सीट हो और जो वह एस.टी., एस.सी. और ओ.बी.सी. के बच्चे का सामान्य हॉस्टल है, वह भी बहुत पुराना है, उसमें भी संख्या बढ़ाने की जरूरत है। वहां की जो हॉस्टल है, वह बहुत ही दयनीय स्थिति में है तो मैं मंत्री जी से कह रहा हूं कि उसको भी आज सदन के माध्यम से उसकी घोषणा किया जाये।

सभापति महोदय :- ठीक है।

श्री आशा राम नेताम :- पी.एम.टी. हॉस्टल से मेरे सामने साक्षात विधायक और पूर्व में रहे कलेक्टर नीलकंठ टेकाम जी से निकल कर आये हैं और सामने में दो अधिकारी हैं। जो पी.एम.टी. हॉस्टल आज भी ज्यों का त्यों है।

सभापति महोदय :- ठीक है । आपकी बात आ गई।

श्री आशा राम नेताम :- वहां के जो किसान है, वह नदी के किनारे बहुत ही परेशान है। हम चाहते हैं ..।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, एक मिनट। हो गया। अब बैठिये न।

श्री आशा राम नेताम :- मैं जानता हूं कि मोदी जी का भी विजन है।

सभापति महोदय :- भाई, आपकी बात आ गई। मंत्री जी ने सुन लिया।

श्री धरम लाल कौशिक :- मंत्री जी, जो पशु मेला लगाते हैं, वहां 20 करोड़ का सांड और भैंसा लेकर आते थे। आपने उसको देखा है न। लेकिन आपने अभी नंदनवन में नहीं लगाया है।

श्री आशा राम नेताम :- मंत्री जी, नदी के किनारे ट्यूबवेल का व्यवस्था किया जाय और लाईट की भी व्यवस्था किया जायेगा तो वहां के किसानों की समस्या आसानी से हल होगा। मंत्री जी, आपको बहुत-बहुत बधाई।

श्री धरम लाल कौशिक :- हम लोग उस मेला को देखने गये थे और उस समय बृजमोहन जी हमारे कृषि मंत्री थे। उसमें 3 करोड़ रूपये का लाये थे, वह बहुत अच्छा प्रदर्शनी रहा। आप ऐसे ही मेला लगायेंगे। जो यहां दिखते हैं, वह नहीं लाना है। जो यहां नहीं हैं, वैसी छांटकर लेकर लाना है।

सभापति महोदय :- हो गया। मिश्रा जी, आप भी बोल लीजिये।

श्री पुरन्दर मिश्रा (रायपुर नगर उत्तर) :- सभापति महोदय, मैं कृषि विभाग और माननीय मंत्री जी का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय :- आप सीधे विषय में आ जाईये।

श्री पुरन्दर मिश्रा :- मैं विषय में ही आ रहा हूं। सभापति महोदय, मेरा एक मांग है। किसान लोग धान में बहुत पैसा पाये हैं, बोनस भी बहुत पाये हैं। वह बढ़िया सुखी से हैं। मैं मंत्री से निवेदन करता हूं कि रायपुर नगर (उत्तर) में कृषि मंडी का बहुत बड़ा जमीन है। वहां एक खेल मैदान दे दीजिये। वह अधूरा बना है। आप उसमें थोड़ा पैसा लगा देंगे तो आप और हम कबड्डी खेलेंगे। यह मेरा निवेदन है।

सभापति महोदय :- हो गया। चलिये।

श्री पुरन्दर मिश्रा :- एक छोटा-सा खेल मैदान दे दीजिये। वहां जमीन है और उसमें अधूरा बना भी हुआ है।

सभापति महोदय :- आप मंडी की बात कर रहे हैं तो कबड्डी मत बोलिये। आप सीधा खेल मैदान की बात करिये।

श्री पुरन्दर मिश्रा :- जी। मंत्री जी, खेल मैदान बनवा दीजिये तो आप और हम, दोनों उसका उद्घाटन करेंगे।

सभापति महोदय :- बस। ऐसा कहिये। कंफ्यूजन मत करिये। माननीय मंत्री जी। (मेजों की थपथपाहट)

कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री राम विचार नेताम) :- माननीय सभापति महोदय, आपको धन्यवाद। आपने विशेष कृपा की कि इतनी देर तक सदन चलाया और सदन के तमाम सारे सदस्यगण बड़े हिम्मत के साथ बैठे हैं, मैं इनकी हिम्मत को भी दाद देता हूं कि आप लोग अभी तक यहां पर बैठे हैं।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :- मंत्री जी, लेकिन हिम्मत को दाद तब होगी जब विधायकों ने जो मांग की है, उसको आप पूरा करेंगे। (हंसी)

एक माननीय सदस्य :- मंत्री जी, जो-जो यहां टीके हैं, उनकी मांगों तो अभी घोषणा कर दीजिये।

सभापति महोदय :- बैठिये न। मंत्री जी को बोलने दीजिये।

श्री राम विचार नेताम :- माननीय सभापति महोदय, बोलने की इच्छा तो बहुत थी, लेकिन अब क्या करें। आज तो माननीय अध्यक्ष जी को भी आप सब इतने लंबे समय तक ..।

समय :
8:58 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी उपस्थिति में, आपके सानिध्य में, आपके आशीर्वाद से मैंने वर्ष 2003 में आपके नेतृत्व में काम करना शुरू किया और आपका ही सानिध्य पाकर, आपके आशीर्वाद से आपने मुझे जो-जो विभाग दिया, उसको बेहतर करने के लिए, छत्तीसगढ़ के लोगों की हित में हम बेहतर परिणाम कैसे दे सकें, इसके लिए मैंने कोशिश किया। आज मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है, वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक समाज, इन सब के साथ-साथ पूरे प्रदेश के किसानों के हित की भी चिंता करने की जिम्मेदारी दी गई है। मेरे लिए भी यह सौभाग्य की बात है कि आज गांव, गरीब का बेटा को कृषि का भी काम करना है, खेती भी देखना है, खलिहान भी देखना है, बीज भी देखना है, उत्पादन भी देखना है, उत्पादकता भी बढ़ाना है और उत्पादन में क्वालिटी भी सुधारनी है। इन सबका भी काम करना है।

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :- नस्ल भी सुधारना है ।

श्री रामविचार नेताम :- वह काम हमारे पास नहीं है । (हंसी) माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आपके बीच में मुझे यह कहते हुए और मैं पूरे सदन के बीच में यह कहना चाहूंगा कि हमारा जो अनुसूचित जनजाति का यह समाज चूंकि छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा तबका है । हम कहें कि वन थर्ड पापुलेशन है और इसके साथ-साथ में हमारे अनुसूचित जाति वर्ग का बहुत बड़ा तबका है । इस वर्ग के कल्याण के साथ-साथ पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक के लिये भी इस विभाग के माध्यम से तमाम् सारी योजनाओं के माध्यम से उनके लिये काम करते हैं । महोदय, अगर हम पिछला इतिहास देखें तो पूरे देश भर में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये कोई आदिवासी मंत्रालय नहीं होता था लेकिन हम सभी का यह

सौभाग्य है कि हमारे देश को एक ऐसा नेतृत्व मिला, हमारे भारतरत्न देश के यशस्वी नेता माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी बाजपेयी जी का उनके समय में मंत्रालय का गठन हुआ और मंत्रालय का गठन होने के बाद इस वर्ग के लोगों के लिये काम करने के बहुत सारे रास्ते खुल गये ।

माननीय अध्यक्ष होदय, मुझे आज भी यह कहते हुए खुशी हो रही है कि आज देश को ऐसा नेतृत्व मिला है जिसका देश ही नहीं बल्कि दुनिया में डंका बज रहा है । इस देश के मान-सम्मान और स्वाभिमान को अगर बढ़ाने का काम हुआ, यदि दुनिया में आज भारत का सम्मान बढ़ा है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी का कृतित्व और नेतृत्व है । (मेजों की थपथपाहट) जिसकी बदौलत आज दुनिया हमारा लोहा मानती है । दुनिया में भी यदि आप किसी की सबसे अधिक पूछ-परख होती है, किसी भी देश में किसी प्रकार की समस्या आती है तो माननीय मोदी जी को याद करते हैं । माननीय मोदी जी से बात करके उसको सुलझाया जाता है । हमारे देश को आज यह शख्सियत मिला है और आज उनके नेतृत्व में हमारे देश में अनुसूचित जनजाति वर्ग को सम्मान मिला है । आज राष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद पर देश की आजादी के बाद पहली बार हमारे अनुसूचित जनजाति वर्ग की एक गरीब घर की महिला, गरीबों में भी जो प्रिमिटिव (Primitive) हैं, जो विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग की महिला है । उनको राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति पद पर बैठाना यह कम बड़ी बात नहीं है । (मेजों की थपथपाहट) हमने इतिहास को देखा है । आज यदि छत्तीसगढ़ में वन थर्ड पॉपुलेशन आदिवासियों की है तो अनुसूचित जनजाति वर्ग से मुख्यमंत्री बनाने के लिये आपको किसने रोका था ? लेकिन किसी ने नहीं बनाया । आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में माननीय नरेन्द्र मोदी जी, हमारे माननीय अमित शाह जी और केंद्र के नेतृत्व ने आज एक गरीब के बेटे माननीय विष्णुदेव साय जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया है । (मेजों की थपथपाहट) यह भी कम उपलब्धि की बात नहीं है । आज उनके नेतृत्व में पूरे प्रदेश का चहुंमुखी विकास करने के लिये हम सभी एक सपना लेकर, एक कल्पना लेकर, एक योजना लेकर यहां पर आये हैं तो कुछ करने के लिये आये हैं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज माननीय विष्णुदेव साय जी का विचार और राम का विचार इन दोनों विचार के साथ छत्तीसगढ़ का चहुंमुखी विकास करने के लिये योजना बनायेंगे । आज मुझे खुशी है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष जी मेरे इस बजट भाषण के समय आप उपस्थित हैं और बाकी अन्य माननीय भी हैं । मुझे खुशी है कि आपका सानिध्य और आपका मार्गदर्शन मैं सर आंखों पर लेता हूं । जो भी होगा, हम अच्छा करना के लिये आये हैं । जितने चुनकर आये हैं वे सभी छत्तीसगढ़ की बेहतरी करने के लिये आये हैं । छत्तीसगढ़ में कैसे बेहतर किया जा सके ? अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये हम आश्रम-छात्रावास, स्कूल तमाम् तरह के मॉडल स्किल, अन्य एकलव्य विद्यालय यह सब चलाते हैं । क्या हमारा काम केवल सामानों का सप्लाई करने तक है ? क्या हमारा काम केवल बच्चों को एडमिशन देकर एक तरह से वहां भेजने के लिये है ? हमारा काम उन बच्चों को वहां

भेजकर उनके स्किल को कैसे बढ़ाये, उसमें कैसे बेहतर शिक्षा हम दे सकें, वहां बेहतर वातावरण का निर्माण कैसे हो सके, इसके लिए महोदय, आपका अभिनंदन करता हूं कि आपके मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और खासकर इस वर्ग के इस तबके की बेहतरी के लिए आपने जो प्रयास और शुरूआत किया। बस्तर के दंतेवाड़ा में कितना सुंदर आपके नेतृत्व से, आपके सहमति से, आपकी योजना से तत्कालीन कलेक्टर वर्तमान में हमारे वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी जी ने उसकी शुरूआत की तो उसका श्रेय अगर जाता है तो महोदय आपको जाता है। आपने उसकी स्वीकृति दी और आज पूरे देश और पूरे लोगों ने उनकी तारीफ की । तत्कालीन प्रधानमंत्री ने वहां आकर बच्चों के बीच में आपकी उपस्थिति में वहां पर इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ। इसी प्रकार से हम देखें कि हम लोगों ने बालिकाओं के लिए, बच्चों के लिए जगह-जगह में मॉडल स्कूल भी बनाये। उनके लिए कोचिंग की बेहतर व्यवस्था की। बस्तर के सुदूर अंचल में हमारे बहन और भाई जो वहां नक्सलियों के साथ लड़ाई लड़ते-लड़ते अपने जीवन सौंप दिये, अपनी जवानी खपा दी और लगा दिये। बेचारे उनके बच्चों को लाकर बेहतर शिक्षा देने की योजना अगर किसी समय किया तो आपके समय किया।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरण दास महंत) :- रामविचार जी, आप बहुत अच्छा भाषण दे रहे हैं। मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूं। मगर आपके भाषण का जो उच्च स्तर है, वह राज्यसभा का है। विधान सभा में थोड़ा सा नीचे उतरकर आपको दूसरी बातें करनी पड़ेंगी और जिनको माननीय विष्णु देव साय जी को सुनाना चाहते हैं, वे पिछले 4 दिनों से नहीं दिख रहे हैं। तो इतने उच्च स्तर का भाषण दे रहे हैं तो आपके विष्णु देव साय जी को भी यहां उपस्थित रहना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं।

श्री राम विचार नेताम :- महोदय, धन्यवाद। नेता प्रतिपक्ष जी की जो आपत्ति है, मैं समझता हूं कि..।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नेता प्रतिपक्ष जी का हम अभिवादन करते हैं कि नेता प्रतिपक्ष जी रात को 9 बजे उपस्थित हुए और आप सुनने के लिए आये। (हंसी)

श्री राम विचार नेताम :- आपकी नींद में हम लोगों ने खलल डाला। यह बहुत बड़ी बात है। इसलिए आपका विशेष अभिनंदन है। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सबके बीच के हैं। पूरे प्रदेश की बहुत सारी जिम्मेदारी है। प्रदेश के साथ-साथ हमारा जो संगठनात्मक काम है, वह भी हम सबको देखना होता है। तो इसलिए महोदय, वे सभी काम हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जहां भी हैं, सबकी मांग और उसके प्रति हम लोग यहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं, उन सबकी और एक-एक विभाग की जानकारी उनके पास है और सब देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। महोदय, बहुत सारे हमारे माननीय सदस्यों ने यहां पर विचार व्यक्त किया है और बहुत ही बहुमूल्य सुझाव दिये हैं। मैं तो देख रहा था कि इतने अच्छे सुझाव आ रहे हैं। एक दिन क्यों न ऐसा करें कि मैं संभागवार आपके साथ बैठकर चर्चा करूंगा। (मेजों की थपथपाहट) हम संभागवार बैठेंगे। आपके साथ हम बैठेंगे और अगले सत्र में हम इसकी

व्यवस्था करेंगे। अभी तो नहीं, चूंकि अभी हो सकता है तो अभी भी करेंगे। उसमें आप लोगों का सुझाव, हम लोग बेहतर क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो भी करना है, आप सबके सुझाव के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ को हमें गढ़ना भी है और बढ़ाना भी है और बढ़ रहा है। (मेजों की थपथपाहट) इसकी भी व्यवस्था करेंगे। आदरणीय हमारे माननीय वरिष्ठ सदस्य अभी यहां उपस्थित नहीं हैं, विक्रम मंडावी जी ने तमाम सारी बातों को यहां रखा, नारायणपुर से लेकर बस्तर तक, बीजापुर से लेकर बाकी जगहों पर छात्रावास आश्रम से लेकर उन सबकी ओर भी ध्यान दिलाया है। माननीय हमारे नीलकंठ टेकाम जी, जो खुद ही प्रशासनिक सेवा से आये हैं और एक लंबा अनुभव है। बस्तर के ही बेटे हैं। उन्होंने भी बहुत अच्छे सुझाव दिये। साथ ही साथ हमारे यहां इंद्रशाह मंडावी जी, श्रीमती गोमती साय जी और बालेश्वर साहू जी सहित यहां ब्यास कश्यप जी और हमारे माननीय पूर्व सभापति, वर्तमान में भी सभापति हैं, आपको देखते हैं तो हम लोगों को लगता है कि आप वही वाले उपाध्यक्ष हैं, आदरणीय धर्मजीत सिंह जी और साथ ही साथ पुन्नूलाल मोहले जी, श्रीमती चातुरी नंद जी, गजेन्द्र यादव जी, प्रबोध मिंज जी, चैतराम अटामी जी, आशाराम जी, कुंवर सिंह निषाद जी, धरमलाल कौशिक जी, गोमती साय जी, रायमुनी भगत सबने अपने बहुमूल्य सुझाव दिया है । माननीय सदस्यों के जो जो प्रश्न थे, यदि उस पर ध्यान दें तो उसमें काफी समय हो जाएगा । आदरणीय धरमलाल कौशिक जी ने जो प्रश्न उठाया है, उस पर मुझे ध्यान है कि क्या करना चाहिए, मैं आपके साथ बैठकर उसका निराकरण करूंगा । जहां तक आदरणीय पुन्नूलाल मोहले जी का विषय है, वे पिछले कई दिनों से इस चिंता में है कि उन क्षेत्रों में जो आदिवासी समाज की जनसंख्या है, उनके लिए वहां किसी प्रकार की योजना नहीं चल पा रही है । यही स्थिति सामान्य क्षेत्रों में है, आपके यहां है, आदरणीय धरमलाल जी के यहां भी है । क्योंकि वह प्राधिकरण क्षेत्र के बाहर है । न तो मैदानी क्षेत्र में आ रहे हैं, न एस.सी. में आ रहे हैं, न बाकी में आ रहे हैं तो उनको लाभ नहीं मिल पाता । उनको विशेष पहल करके इसमें शामिल करने का प्रयास करेंगे ताकि प्राधिकरण का लाभ वहां के रहवासियों को भी मिल सके (मेजो की थपथपाहट) । महोदय, इसके साथ साथ भाई प्रबोध मिंज जी ने अच्छा सुझाव दिया । आप सबको मालूम है कि शक्कर कारखाने के विषय में । आपके नेतृत्व में हम सब काम कर रहे थे, मुझे लगा कि क्यों न सरगुजा में शक्कर कारखाना हो । जब शपथ लेने के बाद आपका प्रवास हुआ और सरगुजा महोत्सव का समय था, स्वर्गीय रवि जी भी थे, हम लोगों ने तैयारी की कि हम इस तरह की योजना बना रहे हैं । आपसे निवेदन करके, और हम लोगों ने ऐसा निवेदन किया कि आप भी प्रसन्न होकर मंच से शक्कर कारखाना देने की घोषणा आपने की, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री थे उस समय, आपके बगैर संभव नहीं था । शायद इस पीड़ा को दूसरा कोई नहीं समझ पाता और आज वहां की तस्वीर बदल गई । महोदय, लोगों के चेहरे खिलते दिखते हैं, घर घर में ट्रेक्टर खड़े हैं, हर घर में कितने-कितने ट्यूबवेल लगे हुए हैं, लोग लाखों की सब्जी बेच रहे हैं । आज उद्यानिकी के बारे में प्रबोध जी बात कर रहे थे । मुझे प्रसन्न्ता है मैंने उद्यानिकी के

लिए जो देखा, सरगुजा क्षेत्र का जो क्लाइमेट है वह बहुत अच्छा है । मैंने कहा कि कलस्टर के आधार पर काम करें । माननीय सदस्यों ने इस ओर जरूर बोला था कि कलस्टर के अनुसार काम करिये कि हर ब्लॉक का क्लाइमेट कैसा है, वहां की मिट्टी कैसी है, वहां कौन सी फसल हो सकती है । उसके आधार पर हम फोकस करें । यदि हमें सब्जी का उत्पादन करना हो तो हम हर जगह सब्जी का उत्पादन नहीं कर सकते, हर जगह गन्ना नहीं पैदा कर सकते, हर जगह तिलहन नहीं ले सकते । उसके लिए विशेष क्षेत्र हो सकता है । ऐसे क्षेत्रों में फोकस करके योजनओं को सुचारू रूप से कैसे चला सकें । हमने विभाग के तमाम अधिकारियों से भी चर्चा की है कि हम ऐसा करेंगे । महोदय, मुझे खुशी होती है कि उस क्षेत्र में आज पचासों ट्रकें, सैकड़ों ट्रक एक-एक जिले से पटना की मंडी में, बनारस की मंडी में, इलाहाबाद की मंडी में, कानपुर की मंडी में, दिल्ली की मंडी में जा रहे हैं। क्योंकि वहां से नजदीक हैं। अध्यक्ष महोदय, आगे चलकर हम लोगों का जोर है कि कोई और बेहतर व्यवस्था प्रोसेसिंग की दृष्टि से करेंगे। माननीय सदस्य गोमती साय जी ने भी इस ओर ध्यान आकृष्ट किया, रायमुनी जी ने भी इस ओर ध्यान आकृष्ट किया, आदरणीय धर्मजीत सिंह जी ने भी इस ओर ध्यान आकृष्ट किया, हमें प्रोसेसिंग के क्षेत्र में आगे जाना चाहिए, इसका कैसे बेहतर उपयोग हो सकता है। हम विचार करेंगे। जैसे गन्ना और बाकी का है। यहां गन्ना का बहुत अच्छा रिकव्हरी रेट है, हमारे यहां का रिकव्हरी रेट क्यों नहीं बढ़ सकता ? मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि वहां जो गड़बड़ियां हैं, उन गड़बड़ियों को सबसे पहले ठीक करें। हम बेहतर लोगों को कैसे फैसलिटी दें, वहां कैसे बेहतर सुविधा दे सकें, लोगों को कैसे प्रमोट किया जा सकता है, हम उस ओर आगे बढ़ेंगे। कुछ लोगों ने कोल्ड स्टोरेज के बारे में बात की है, कोल्ड स्टोरेज के बारे में जानने के लिए आप हमारे हार्टिकल्चर की वेबसाइट में जाईए। भारत सरकार बहुत सारी स्कीम ला रही है, पुशपालन नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूं, डेयरी के विकास के लिए बहुत सारी स्कीम है, फिशरीज के लिए बहुत अच्छी-अच्छी स्कीम है। हम उस ओर जाएं और लोगों को प्रमोट करें। मैं हमारे किसानी से जुड़े हुए जितने भी सदस्य हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि हर किसी को एक-एक तालाब और एक-एक कोल्ड स्टोरेज खोलना चाहिए। इससे बाकी लोगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा, बाकी किसान भी आगे आएंगे। छत्तीसगढ़ में आगे का भविष्य देखिए। हम सिर्फ इंडस्ट्री के भरोसे यहां का बेहतर विकास नहीं कर सकते। हमारे सामने इतनी अच्छी जमीन है, इतने अच्छे लोग हैं, इतनी अच्छी उपजाऊ मिट्टी है, पानी की उपलब्धता है, हम इसका बेहतर उपयोग कर सकते हैं।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से निवेदन किया था, एक मिनट सुन लेंगे। मैं जब कृषि राज्य मंत्री था, तब आपके सरगुजा में आलू अनुसंधान केन्द्र लाया था, अभी मैं वहां घूमने के लिए गया था तो खोज रहा था, कहां हैं, पता ही नहीं चल रहा था। वहां आलू भी बहुत अच्छा होता है, हो सकता है, बगीचा एरिया में हो रहा है, ले जाने वाले खरीदकर ले जाते हैं, एक तो आलू के संबंध में आप विशेष कृपा करें। दूसरा बात, ट्यूलिप जो फूल होता है, आजकल सब

लोग जानते हैं, पिक्चर वाले ज्यादा जानते होंगे, वहां बहुत फोटो खिंचवाने जाते हैं, वहां गाना गाने भी जाते हैं, ट्यूलिप पुष्प जो है, कोरिया और सरगुजा के आधे पार्ट में हो सकता है, यह बहुत ही महंगा फूल है, इस बारे में आप विशेष ध्यान देंगे तो मुझे खुशी होगी।

श्री रामविचार नेताम :- जी। आपने जो सुझाव दिया उसको दिखाएंगे। मुझे प्रसन्नता है कि आलू प्रोसेसिंग के लिए वहां पर रिसर्च सेंटर खोला गया था, इस पांच साल में कुछ नहीं हुआ। यहां तक की वहां सिर्फ घास ही उगता रहा। इस ओर विकास में कोई ध्यान नहीं दिया गया। हम लोगों ने शुरूआत की थी कि मैनपाट का प्रदेश में एक नाम हो, टूरिज्म के क्षेत्र में हो, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो, आलू प्रोसेसिंग के लिए हो, हम लोगों ने वहां रोज गार्डनिंग के लिए व्यवस्था की थी, हम लोगों ने ट्राईवल सेक्टर से भारत सरकार से भी कुछ स्वीकृतियां ली थी। वहां पर टूरिज्म का बहुत बड़ा यूनिट है, माननीय तत्कालीन पर्यटन मंत्री वर्तमान पर्यटन मंत्री आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी के नेतृत्व में काम की शुरूआत की। हम वहां की गंभीरता को देखते हुए, कैसे महत्व दे सकते हैं, उस ओर काम कर रहे हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, हम लोगों ने प्रदेश के कैबिनेट की बैठक भी मैनपाट में किया । वहां कैबिनेट की बैठक करके बहुत सारे उस क्षेत्र के लिए और सरगुजा के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए निर्णय किया। लेकिन अब समय की बात है। मैं समझता हूं कि आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में निश्चित ही हम सब मिल करके जो-जो लोग सोच रहे हैं, जितना सोच रहे हैं, उससे बढ़कर हमारी सरकार काम करने वाली है, आप देखते रहिएगा। (मेजों की थपथपाहट) हमारी सरकार मोदी जी की गांरटी के तहत काम करेगी। अभी हम लोग जो घोषणा कर रहे हैं, उसको जमीनी स्तर पर पूरा करेंगे। इसीलिए हमारे जितने भी आश्रम, छात्रावास और संस्थाएं चल रही हैं या चाहे प्रयास विद्यालय हों, इनको हम प्रदेश में नहीं, बल्कि देश में मॉडल संस्थान बनाकर रखेंगे। हम इसका एक मॉडल दिखाएंगे कि हम यहां पर बेहतर व्यवस्था कर रहे हैं। मैं आंकड़े में नहीं जाता, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं। अलग-अलग माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातें कही हैं। शुगर खरीदी की बात भी सही है। हम लोगों ने रघुनाथपुर में खरीदी केन्द्र बनाया था। वहां के किसानों का गन्ना लेकर हमने उसे फैक्ट्री तक पहुंचाने का काम किया। लेकिन अभी वह बंद पड़ा है। मैं इसकी घोषणा करता हूं कि हम उसको दिखवा कर जैसे भी हो उसका पुन: शुभारंभ करेंगे। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार किसानों के हित में काम करने वाली है। हम इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतेंगे और जो भी गड़बड़ी करेगा, उसको हम किसी भी हातत में छोड़ने वाले नहीं हैं। चाहे वह कोई भी हो। आपने क्रीड़ा परिसर की भी बात कही है। चाहे हमारे छात्रावास हों, चाहे आश्रम हों, चाहे मॉडर्न स्कूल हों, चाहे हमारे क्रीड़ा परिसर हों। मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि आप वहां पर जरूर visit कीजिए और देखिये कि वहां पर हमारे बच्चे और बेटियां रहती हैं। आप इस दृष्टि से सोचिए कि उनके लिए क्या व्यवस्था की जा सकती है। आप सुधार की दृष्टि से सोचिये। हम

केवल गलती निकालने के लिए नहीं हैं, बल्कि हम गलती को ठीक करने के लिए हैं और हम लोग इस भाव से काम कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमारे आदरणीय धर्मजीत सिंह ने प्याज एवं मसाले की खेती की बात कही। मैं उसकी खेती कर रहे हैं और उसकी पहले से व्यवस्था करवा रहे हैं। वर्तमान में जशपुर में चाय का क्षेत्रफल 208 एकड़ है। हम उसको बढ़ाएंगे। आगामी वर्ष में हम लोगों ने चाय हेतु चयनित क्षेत्रफल को 5,585 एकड़ करने का लक्ष्य रखा है। हम इतना लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। जशपुर से लेकर सामरी तक का हमारा पूरा प्रदेश चाय बगान वाला क्षेत्र है। हम लोग इस ओर काम करेंगे। छत्तीसगढ़ में अलग-अलग क्षेत्रों में प्याज का उत्पादन भी हो सकता है, कहीं आलू का क्षेत्र हो सकता है, कहीं टमाटर का बहुत अच्छा क्षेत्र है और कहीं कटहल का क्षेत्र है। हम लोगों ने बजट में कटहल के प्रोसेसिंग की भी व्यवस्था की है। बिलासपुर के तखतपुर में बहराई में वर्ष 1988 से शासकीय नर्सरी स्थापित है, जिसका क्षेत्रफल 10 एकड़ है। लेकिन उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। प्रदेश की इन सभी नर्सरियों को कैसे बेहतर बनाया जाए, इसके लिए मैंने विशेष बैठक की है। इसमें जो भी कमी होगी, उसको पूरा करने का हमने निर्देश दिया है। हमने पद की संरचना को भी बढ़ाया है और उसकी स्वीकृतियां भी दी हैं। इसी प्रकार से उन नर्सरियों में वर्ष 1950-1960 के आसपास की मशीनें और ट्रैक्टर पड़ी हुई हैं। उस समय की वह मशीनें क्या काम करेंगी? आज एक से बढ़कर एक यंत्र और टेक्नोलॉजी आ गयी है। मेरा इस ओर भी जोर है कि उसका उपयोग हमारा विभाग करें। मेरा विभाग करेगा, तब तो वह दूसरे विभागों को मागदर्शन देगा। टमाटर के प्रसंस्करण के लिए दुर्ग में बी.सी. एवं बलौदाबाजार जिले में इन्स फूड प्रोसेसिंग यूनिट है। प्रदेश में फूड पार्क उद्योग विभाग द्वारा खोले जाते हैं। मेरा यह निवेदन है कि आप इस ओर लोगों को बढ़ावा दें कि हमारे छत्तीसगढ़ में लोग फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में कैसे आये। इसी प्रकार से कटहल के प्रसंस्करण के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त चिराग परियोजना में प्रसंस्करण की इकाई स्थापना हेतु प्रस्ताव रखा गया है। हम इसकी शुरूआत करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां फूलों के रकबा में भी वृद्धि हो रही है। गेंदे की फसल भी अच्छी ली जा रही है। इसी प्रकार से बागवानी मिशन में जांजगीर-चांपा जिले को भी जोड़ने के लिए प्रस्ताव आया था। उसके लिए हम केन्द्र सरकार को पत्र लिख रहे हैं। वर्तमान में 33 जिलों में से 24 जिलों में इस योजना का लाभ हम दे रहे हैं । इसी प्रकार से जो शेष जिले हैं, उसमें भी उन जिलों को भी शामिल करने की कोशिश हम कर रहे हैं। पत्थलगांव के विधायक जी के द्वारा भी विकासखण्ड के ग्राम करमीटिकरा में 10 एकड़ का शासकीय रोपणी स्थापित है, इसको भी बेहतर किया जाएगा । आगे कोल्ड स्टोरेज के बारे में आपको बता दूं कि प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन में सामान्य क्षेत्र में 35 प्रतिशत और अधिकतम 40 लाख तक और जो अनुसूचित क्षेत्र

है, वहां 50 प्रतिशत मतलब 2 करोड़ रूपए तक की सहायता प्रदान की जाती है । यह योजना है । भाई साहब अभी सदन में नहीं हैं, उनको भी मालूम हो जाता ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से आदरणीय मोहले जी ने मांग की है, हमने उसके बारे में बताया है । मुंगेली जिला मुख्यालय में अनुसूचित जनजाति का एक छात्रावास की स्वीकृति करने की मैं घोषणा कर रहा हूं । उसे अगले वित्तीय वर्ष में हम शामिल करेंगे । (मेजों की थपथपाहट) इसी प्रकार से आदरणीय धर्मजीत सिंह जी ने भी ध्यान दिलाया है कि उद्यानिकी महाविद्यालय खोलना है तो उसे भी तखतपुर में खोला जाएगा, इसको भी मैं यहां बोल रहा हूं । इसके साथ-साथ बाकी सदस्यों के बहुत सारे प्रस्ताव आये हैं, उन सबको मैं देखकर जैसा भी होगा, विभाग को लिखूंगा और वित्त विभाग से परमिशन लेकर उसकी भी स्वीकृति करेंगे । जहां तक बजट की बात है तो मैं बहुत सारी बात तो नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी मुख्य बिन्दु मैं बताना चाहूंगा । हमारे माननीय सदस्य अभी नहीं हैं, बघेल जी ने बजट के बारे में टीका टिप्पणी की थी । मैं यह बता दूं कि 2024-25 के बजट का जो प्रस्ताव है, इसमें वर्तमान में अभी हमारे प्रदेश में करीब 44 प्रतिशत अनुसूचित जाति, जनजाति की जनसंख्या है, उस जनसंख्या के आधार पर बजट में प्रावधान किया गया है । इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं रखी गई है । इस प्रकार यह कहना कि बजट में कमी की गई है, पर ऐसा नहीं है । हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा पिछले दिनों हम लोगों ने किसानों के हित में उन्हें बोनस देने की घोषणा की थी । इसमें लोग टीका-टिप्पणी करते हैं, राजनीतिक दृष्टि से, राजनीतिक चश्में से लोग देखकर बात जरूर करेंगे । महोदय, हमने तो नहीं बोला था कि हम बोनस देने वाले हैं, लेकिन हमारे सरकार की प्रतिबद्धता देखिए, जब आपके नेतृत्व में काम कर रहे थे, उस समय हम लोग दो साल का बोनस नहीं दे पाए थे, उस बोनस को बिना कमिटमेंट किए हमारी सरकार बनने के बाद हम लोगों ने किसानों को बोनस दिया, यह बहुत बड़ी बात है । (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से किसानों के लिए 3100 रूपए में 21 क्विंटल धान खरीदी की बात की, वह धान भी हम लोगों ने खरीदा । आगे और भी जो स्कीम है जैसे महतारी वंदन योजना है, बाकी योजना है, यह सब योजना भी बड़ी-बड़ी योजना है, जिसे हम लोगों ने इतने कम समय में बड़ा काम किया है । हम सब लोगों की सेवा के प्रति प्रतिबद्ध हैं ।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक अनुसूचित जनजाति उपयोजना की बात है । हमारे उपयोजना क्षेत्र में सारे विभागों को जो बजट देते हैं, उसमें बजट की स्थिति बता रहा हूं कि हमारा 2024-25 में राज्य के मुख्य बजट में आदिवासी उपयोजना मद के अंतर्गत कुल बजट प्रावधान 34,236 करोड़, 66 लाख, 36 हजार है, जो 2023-24 के मुख्य बजट में 26 हजार करोड़ का प्रावधान था, उसकी तुलना में 31 प्रतिशत अधिक है । (मेजों की थपथपाहट) यह कहना, यह आरोप लगाना कि हमारा बजट कम हुआ है, तो मैं कहना चाहूंगा कि बजट कम नहीं हुआ है, बल्कि हमारा बजट बढ़ा है। इसी प्रकार से हम लोगों ने

अनुसूचित जाति उपयोजना मद में भी, जो एस.सी. कम्पोनेंट है, उसमें भी करीब 27.76 मतलब 28 प्रतिशत की वृद्धि बजट में किया गया है। इसमें वृद्धि इसलिए किया है कि इस वर्ग के लिए सरकार का विशेष ध्यान है। उस वर्ग के लिए बेहतर करने की इच्छा है, ऐसा सोचकर हम लोगों ने इन सब में व्यवस्था किया है। आदरणीय बृजमोहन जी को बैठना पड़ा, आज उनका कई कार्यक्रम है। लेकिन उनके लोग तो चाहे रात 2 बजे हो, 4 बजे हो, इनका इंतजार तो करते ही है। तो आज थोड़ा सा और इंतजार कर लेंगे।

इसी प्रकार से ट्रायबल का, बाकी जितनी योजना चल रही है, आज उन सबके लिए निवेदन कर रहा हूं कि आप सभी मिलकर ..।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय मंत्री जी, एक मिनट। पथरिया हमारा ब्लाक मुख्यालय है। मैंने पोस्ट मेट्रिक छात्रावास के लिए आग्रह किया था। संभव हो तो घोषणा कर दें, अनुपूरक में आ जायेगा।

श्री राम विचार नेताम :- अध्यक्ष महोदय, निश्चित ही पथरिया में पोस्ट मेट्रिक छात्रावास खोला जायेगा। (मेजों की थपथपाहट) जहां-जहां ब्लाक और जिला मुख्यालय में छात्रावास नहीं है, खासकर के जिला मुख्यालय में, वहां हम छात्रावास अगर एस.टी. क्षेत्र है तो हम एस.टी. का छात्रावास खोलेंगे। जहां जहां कालेज है, वहां-वहां लड़कियों के लिए छात्रावास जरूर खोलेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने एक और निर्णय लिया है। सुदूर अंचल में हमारे जो आश्रम चलते हैं, उन आश्रमों में पुराने समय में 5वीं क्लास तक कक्षा रखा गया था। 5वीं के बाद कहा-कहां जायेंगे, इसलिए खाली रहता है। हम 5वी क्लास को बढ़ाकर 8वीं क्लास तक कर रहे हैं, हम 8वीं तक करेंगे। इसी प्रकार जहां जिस छात्रावास में 8वीं तक बच्चे रहते थे, अगर वहां आसपास हाई स्कूल और हायर सेकेण्डरी स्कूल है, तो वहां के बच्चों को 10वीं तक रहने की व्यवस्था करेंगे। (मेजों की थपथपाहट) इसी प्रकार जो 20 सीटर छात्रावास थे, आज 20 सीटर छात्रावास में लगभग 50 बच्चें रह रहे हैं। जहां मैदानी एरिया है, सरगुजा का बेल्ट है, जहां नक्सली समस्या नहीं है, उन क्षेत्रों में बच्चें हैं। लेकिन बस्तर में, सुदूर अंचल में नक्सली के चलते वहां आश्रम छात्रावास में बच्चें नहीं रह पाते हैं। इसीलिए माननीय सदस्यों ने चिंता व्यक्त किया था कि कई जगह आश्रम छात्रावास को बंद करके जहां सुरक्षित जगह है, वहां पर आश्रम, छात्रावास रखा गया है। हम उस पीड़ा को सोच सकते हैं। दूरस्थ अंचल के बच्चें और बच्चियां कैसे दूर से लाकर एक जगह रख रहे हैं, वहां किस प्रकार से सुविधा दिया जा रहा है, यह चिंता का विषय है। हमने सोचा है कि जहां उनके लिए बेहतर व्यवस्था हो सकता है, वहां हम प्राथमिकता के आधार पर छात्रावास भवन बनायेंगे, आश्रम का भवन बनायेंगे, इसके लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, हम अभी बता दें कि अनुसूचित जाति के लिए नवीन छात्रावास का निर्माण करने के लिए स्वीकृति की भी शुरूआत कर दी है। अभी हमने प्राधिकरण से

स्वीकृत किया है। अगली बार हम 275 (1) से भी स्वीकृति का प्रस्ताव ला रहे हैं। उसे भी स्वीकृत करेंगे। हम राज्य के बजट से भी स्वीकृत कर रहे हैं। कुल मिलाकर हमारे सामने कोई भी भवन विहीन छात्रावास, भवन विहीन आश्रम ना हो, सब जगह बच्चें सुरक्षित रहें, अच्छा वातावरण मे रहे, उनको अच्छा कैम्पस मिल सके, उनको अच्छी शिक्षा मिल सके, हम यह सभी व्यवस्था कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आप सबके माध्यम से सदन की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनन्दन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पी.बी.टीज. के लिए भी व्यवस्था किया है। हमारे प्रदेश में जितने भी पी.बी.टीज. की बस्तियां हैं, जनसंख्या है, उनके लिए बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड हो, उनके लिये पानी हो, उनके लिये अन्य सुविधायें हो, आंगनबाड़ी के केन्द्र हो, तमाम तरह के विभागों का, सहयोग लेकर उनके बस्ती तक, उनके रिहायशी इलाके तक, वहां बेहतर व्यवस्था करने के लिये माननीय प्रधानमंत्री जी स्पेशल बजट चलाये हैं । वहां स्पेशल बजट देकर किया जा रहा है । मैं समझता हूँ कि देश के इतिहास में यह पहली बार है, जब किसी पी.बी.टीज के लिये, इतना सुनियोजित तरीके से स्कीम चलाकर, हम मुख्य धारा में शामिल करने के लिये, हम लोगों की बराबरी कैसे कर सकें, उनमें स्किल कैसा बढ़ाया जा सके, ऐसा सोचकर प्रधानमंत्री जी ने जो किया है, हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो विभाग है, वह सभी विभाग मिलकर उसमें बेहतर नतीजे की ओर ले जाने में हमें सहयोग करेंगे । मैं समझता हूँ कि आज छत्तीसगढ़ के किसानों के लिये, हमारे छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिये, पिछड़ी जाति और तमाम छत्तीसगढ़वासियों के लिये, किसान भाईयों, बहनों माताओं के लिये आज आपके माध्यम से उनका अभिनंदन करता हूँ कि जो हमारी सरकार को काम करने के लिये आपने जो अवसर दिया है, उस अवसर को हम उपलब्धि की ओर ले जायेंगे। हम निश्चित रूप से इसे पूरा करेंगे । अध्यक्ष महोदय, आपकी उपस्थिति में हम लोग आज बजट पास कर रहे हैं । हम कोशिश करेंगे कि माननीय विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, किसान की सरकार मजदूरों के लिये, बच्चे बुजुर्गों के लिये, तमाम सारे वर्गों की चिन्ता करते हुये बेहतर काम करने में, बेहतर परिणाम देने में, हम सफल होंगे । बहुत-बहुत धन्यवाद, आपका अभिनंदन महोदय। मैं अंत में यही चाहूंगा कि इस बजट मांग को आप सब मिलकर सर्वसम्मति से पास करें । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं पहले कटौती प्रस्तावों पर मत लूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि मांग संख्या - 33, 41, 49, 66, 13 एवं 54 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जायें।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय :- अब मैं, मांगों पर मत लूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

मांग संख्या - 15 **अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिये -** दो सौ चौदह करोड़, पैंतीस लाख, पांच हजार रूपये,

मांग संख्या - 33 **आदिम जाति कल्याण के लिये -** सात हजार दो सौ बयानवे करोड़, आठ लाख, छिहत्तर हजार रूपये,

मांग संख्या - 41 **अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिये -** इकतीस हजार सात सौ चौबीस करोड़, पनचानवे लाख, उनचालीस हजार रूपये,

मांग संख्या - 42 **अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल के लिये -** एक हजार पांच सौ सोलह करोड़, पैंसठ लाख, दो हजार रूपये,

मांग संख्या - 49 **अनुसूचित जाति कल्याण के लिये -** दो करोड़, पचासी लाख, नब्बे हजार रूपये,

मांग संख्या - 53 **अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिये -** एक सौ तीस करोड़, उनयासी लाख, उनचालीस हजार रूपये,

मांग संख्या - 64 **अनुसूचित जाति उपयोजना के लिये -** दस हजार दो सौ छः करोड़, तिहत्तर लाख, तेईस हजार रूपये,

मांग संख्या - 66 **पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास के लिये -** तीन सौ पांच करोड़, इंक्यानवे लाख, बत्तीस हजार रूपये,

मांग संख्या - 68 **अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन के लिये -** दो सौ सतासी करोड़, सत्तावन लाख, नौ हजार रूपये,

मांग संख्या - 82 **अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिये -** चार सौ तिरपन करोड़, इकतालीस लाख, चौबीस हजार रूपये,

मांग संख्या - 83 **अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिये -** एक सौ पैंसठ करोड़, तिरानवे लाख, तिरसठ हजार रूपये,

मांग संख्या - 13 **कृषि के लिये -** छः हजार नौ सौ अस्सी करोड़, सैंतालीस लाख, पचपन हजार रूपये तथा

मांग संख्या - 54 **कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय के लिये -** चार सौ बीस करोड़, पंद्रह लाख, बीस हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 23 फरवरी, 2024 को 11:00 बजे तक के लिए स्थगित ।

(09 बजकर 40 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 23 फरवरी, 2024 (फाल्गुन 4, शक सम्वत् 1945) के पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर (छत्तीसगढ़)
दिनांक : 22 फरवरी, 2024

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं